दशम माला, खंड 4, अंक 39

गुरुवार, 5 सितम्बर, 1991
14 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 4 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा]

विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 4, पहला सत्र, 1991/1913 (शक)

अंक 39, गुरुवार, 5 सितम्बर, 1991/14 भाद्र, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—31
*तारांकित प्रश्न संख्या : 692 से 695, 697 और 699	1—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	31—205
तारांकित प्रश्न संख्या : 691, 696, 698 और 700 से 710	31—41
अतारांकित प्रश्न संख्या : 5737 से 5893	42—182
सभा पटल पर रखे गए पत्र	205—206
राज्य सभा से संदेश	207
नियम 377 के अधीन मामले	207—211
(एक) मध्य प्रदेश में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता श्री मोहन लाल झिकराम	207
(दो) तमिलनाडु में मछुआरों तथा परिवहन निगमों को सस्ती दर पर डीजल और मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन	207
(तीन) केरल में कालीकट शहर के पश्चिम कल्लाल तक सुविधाजनक संपर्क सड़कों के निर्माण की आवश्यकता श्री के० मुरलीधरण	208
(चार) पूरे देश में अहेरिया, बहेलिया आदि को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता डा० लाल बहादुर रावल	208

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(पांच) दिल्ली में गंदी बस्तियों के सुधार के लिए योजनाओं को शीघ्र लागू किए जाने की आवश्यकता	
श्री ताराचन्द खण्डेलवाल	209
(छः) पूर्वोत्तर रेलवे के चिकाना रेलवे स्टेशन को एक जंक्शन के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता	
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	21(
(सात) कृष्णानगर टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की आवश्यकता	
श्री अजय मुखोपाध्याय	21(
(आठ) शोरानुर-निलम्बुर लाइन पर रेल लाइन के नवीनीकरण के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता	
श्री ई० अहमद	21(
अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92	211-29
रक्षा मंत्रालय	
श्री जसवन्त सिंह	21
श्री श्रवण कुमार पटेल	22
श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	2:
श्री इन्द्रजीत गुप्त	2:
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	2.
डा० कार्तिकेश्वर पात्र	2.
श्री डी० डी० खनोरिया	2
श्री सूर्य नारायण यादव	2
श्री मोहन विष्णु रावले	2
श्री तेजसिंह राव भोंसले	2
श्री विश्वनाथ शर्मा	
श्री इन्द्रजीत	
श्री शरद पवार	

विषय		पृष्ठ
शेष मांगों को सभा में मतदान के लिए रखना		
विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक		292-295
पुर:स्थापित		
विचार करने के लिए प्रस्ताव		
	श्री मनमोहन सिंह	292
	श्री राम नाईक	292
	श्री पी० ए० संगमा	294
खंडवार विचार		
	श्री मनमोहन सिंह	294

लोक सभा

गुरुवार, 5 सितम्बर, 1991/14 भाद्र, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 691, श्री मुदाल गिरियप्पा। उपस्थित नहीं। श्री सुधीर गिरि।

श्री सुधीर गिरि : प्रश्न संख्या 692 (व्यवधान)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुल्तानपल्ली रामचन्द्रन) : देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं।

वस्तु प्रबन्ध बोर्ड का गठन

*692. **श्री सुधीर गिरि** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के निर्यात और आयात के लिए किसी वस्तु प्रबन्धन बोर्ड का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कृषि जिंसों के निर्यात और आयात के लिए जिस प्रबन्ध बोर्ड का गठन करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूं।

श्री सुधीर गिरि : महोदय, कृषि वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में सरकार का उद्देश्य अधिकतम

विदेशी मुद्रा बनाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना भी रहता है कि आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता आम उपयोग के लिए उचित मूल्यों पर बनी रहे।

मेरे विचार में जब सरकार कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि का अध्ययन करती है, तो वह उन लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखती जो कि गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। उन्होंने मूल्यों को नियन्त्रित करने के किए खाद्य तेलों इत्यादि का आयात किया है। यह जब कुछ उत्पादों, निर्यातकों तथा दूसरे लोगों के बीच समन्वय के अभाव के कारण हुआ है। इसके कारण निर्यात के लिए वस्तु प्रबन्धन समिति का गठन आवश्यक हो गया हैं।

इस वस्तुस्थिति के मद्देनजर रखते हुए, क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि कब तक इस बोर्ड का गठन कर लिया जाएगा ?

श्री बलराम जाखड : अध्यक्ष महोदय, पहले ही सात बोर्ड कार्यरत हैं—चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, मसाला बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, तथा कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण। ये बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत कार्य करते हैं। वे ही इन बोर्डों को संचलित करते हैं। उन्होंने जो प्रश्न उठाया है, उस पर एक लम्बे समय से विचार हो रहा है। यह प्रश्न भी आया कि इसमें समन्वय कैसे स्थापित कि जाए। क्योंकि इसका गठन कृषि मंत्रालय के अन्तर्गत होता है। इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। हम इस पर विचार करने के पश्चात् कोई व्यवहारिक तथा उचित तरीका ढूंढने की कोशिश करेंगे।

मैंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं, तथा दूसरे सम्बन्धित अधिकारियों से सलाह तथा चर्चा करके हम ऐसा समाधान ढूंढ़ सकते हैं जिससे कि किसानों के हितों को लाभ हो। तथा कृषि उत्पादों के निर्यात में बढ़ोत्तरी हो, जिसकी कि अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री सुधीर गिरि : दूसरी वस्तुओं के लिए बोर्ड गठित करने से उनके निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिली है। इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूं कि कृषि वस्तुओं के आयात तथा निर्यात के लिए गठित किए जाने वाले प्रबन्धक बोर्ड में क्या उपभोक्ताओं, उत्पादकों तथा निर्यातकों को लिया जाएगा।

श्री बलराम जाखड़ : हमें सभी लोगों के हितों तथा विचारों को ध्यान में रखना होगा।

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी यह कहा है कि अलग-अलग वस्तुओं के लिए बोर्ड गठित किए गए हैं। परन्तु क्या ये बोर्ड आयात को कम करने तथा निर्यात को प्रोत्साहन दे रहे हैं ? क्या इन बोर्डों का आयात में इस बात पर कोई समन्वय है कि जब कोई बड़ा आयात आर्डर दिया जाए तो इससे कुछ लाभ मिल सके ? यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए कि 'अंकटॉड' जिसका कार्य व्यापार संगठन स्थापित करना है, विकासशील देशों के लिए आयात तथा निर्यात को लाभकारी बनाए ? क्या सरकार ने इन बोर्डों के और सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए हैं ?

श्री बलराम जाखड : प्रश्न वही है। निम्ननिखित वस्तुओं के लिए हमारे पास कोई बोर्ड नहीं है :

गेहूं

चावल

तिलहन

तिलहन निष्कर्षण

खाद्यान्न

काजू

दालें

गन्ना

मांस तथा मांस उत्पाद

हमें इन सभी वस्तुओं में समन्वय स्थापित करना होगा। चाय तथा काफी बोर्ड इन दोनों चीजों के उत्पादन, आयातन प्रसंस्करण तथा विनियम के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते है। हमने इन वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास किए हैं ताकि किसानों को इसके अच्छे परिणाम तथा लाभप्रद मूल्य दिलवाए जा सकें। मेरे विचार में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हम भी उनकी कार्य कुशलता देख रहे हैं। परन्तु जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय विचार-विमर्श का सम्बन्ध है तो हमें इस पक्ष का अध्ययन करने के पश्चात् ही कार्यवाही करनी होगी।

श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : कपास हमारे देश की मुख्य फसल है। 1976 से इसका उत्पादन दुगुना हो गया है। अब हम प्रतिवर्ष एक करोड़ से भी अधिक कपास की गांठों का उत्पादन करते हैं। पिछले वर्ष हमने कपास के निर्यात से काफी धन प्राप्त किया। हमने अब इसे बेचना आरम्भ कर दिया है। क्योंकि कपास एक महत्वपूर्ण निर्यात वस्तु हो गई है। परन्तु कोई कपास बोर्ड नहीं है, जबकि कॉफी तथा चाय बोर्ड है, कपास के लिए केवल एक कपास परामर्शदात्री समिति है। इसलिए क्या सरकार कपास बोर्ड गठित करने पर विचार करेगी ताकि इस उद्योग तथा किसानों के लाभान्वित किया जा सके।

श्री बलराम जाखड़ : मेरा उत्तर वही है।

श्री चन्द्रजीत यादव : माननीय मंत्री जी ने बताया कि इन वस्तुओं के लिए बोर्ड गठित किए गए हैं, विशेषकर नकदी फसलों के लिए। कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर बहस का उत्तर देते हुए मंत्री जी ने बताया कि चावल तथा गेहूं के निर्यात की अच्छी सम्भावनाएं हैं तथा उनके विचार में भारत गेहूं तथा चावल के एक मुख्य निर्यातक के रूप में सामने आ सकता है। जिन्हें कम से कम अभी तक नकदी फसलें नहीं माना जाता है। चावल तथा गेहूं के निर्यात् की व्यापक

सम्भावनाओं को देखते हुए, क्या मंत्री महोदय अपने मंत्रालय के अन्तर्गत एक समिति गठित करने का प्रयास करेंगे जो कि इन फसलों के उत्पादन तथा निर्यात को अग्रिम रूप में नियोजित कर सकें ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं ।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, कृषि मंत्री जी स्वयं एक बड़े किसान हैं और किसानों के प्रति उन्हें बड़ी सहानुभूति रहती है···(**व्यवधान**)····नहीं, किसानों के प्रति उन्हें सहानुभूति रहती है। कृषि का उन्हें काफी अनुभव है। मैं जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के सम्बन्ध में सरकार ने जो उदार नीति अपनाई है, उसके अन्तर्गत क्या किसानों को भी छूट दी जाएगी कि किसान सीधे अपने उत्पाद को दूसरे देशों में भेज सकें। क्या इस सम्बन्ध में सरकार कोई नीति निर्धारित करने जा रही है और क्या मंत्री जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

श्री बलराम जाखड : इस सम्बन्ध में तो पहले ही नीति बनी है, कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, अंगूर और दूसरे फल, हमारे प्राइवेट लोग बाहर भेजते हैं। इस सम्बन्ध में जितना भी प्रोत्साहन देने की सम्भावना है, वह देते हैं। इसमें कोई बंदिश थोड़े ही है।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं गेहूं और चावल के सम्बन्ध में जानना चाहता हूं ।

श्री बलराम जाखड : गेहूं और चावल का एक्सपोर्ट यदि कोई कर सकेगा तो देख लिया जाएगा लेकिन अभी तो पहला ही साल है। जिस हिसाब से मैं चाहता हूं कि प्रोडक्शन बढ़े, उत्पादन बढ़ेगा तभी तो बात बनेगी। अभी 5 लाख या 10 लाख टन में मैं सब्र करने वाला नहीं हूं। मैं ज्यादा करना चाहता हूं और ज्यादा करना होगा तभी बात बनेगी। हम गुड़ बल्क में चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : मेरे विचार में माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी होगी कि बासमती चावलों की, विशेषकर खाड़ी देशों में काफी मांग है। मुझे इन देशों की यात्रा पर जाने का अवसर मिला है तथा मुझे यह बताया गया है कि भारतीय बासमती चावल किसी भी तरह से पाकिस्तानी चावल से कम नहीं हैं और इसका आयात कई प्रकार वैध रूप से तथा कई बार अवैध रूप से किया जाता है। खाड़ी देशों में इस चावल के पाकिस्तानी चावल के नाम पर बेचा जाता है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था प्रचार, निर्यातकों को प्रोत्साहन के अभाव के कारण वहां पर भारतीय चावलों की अपेक्षा पाकिस्तानी चावल अधिक लोकप्रिय हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को इस तथ्य की जानकारी है तथा अगर है तो क्या वे इसके लिए कुछ प्रबन्ध करने को तैयार हैं कि किसानों को और अधिक बासमती चावल का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया जा सके तथा खाड़ी देशों और अन्य देशों को भारतीय ब्रान्ड नामों के साथ बासमती चावल के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाया जा सके जहां कि इसकी मांग है।

श्री बलराम जाखड : बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही समय की मांग है। हम अधिक-से-

अधिक निर्यात करना चाहते हैं, तथा उसके लिए अपने नाम को सुरक्षित करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट करने के लिए सरकार किसानों को क्या विशेष इन्सैन्टिव देने की घोषणा करने जा रही है। मैं विशेष इन्सैन्टिव के बारे में खास तौर से जानना चाहता हूं जो अभी तक अन्य लोगों को दिए जाते हैं, वैसे ही इन्सैन्टिव एक्सपोर्ट के सिलसिले में क्या किसानों को देने का भी सरकार का कोई विचार है।

श्री बलराम जाखड़ : जो औरों पर नीति लागू होती है, वही किसानों पर भी लागू होती है। इस सम्बन्ध में दो नीतियां नहीं हैं। जहां तक विशेष इन्सैन्टिव देने की बात है, हम विचार करेंगे और इसके लिए सिलसिला बना रहे हैं, अभी तो यही है कि हम कच्चा माल भेजते हैं, फल भेजते हैं, या हम राइस और गेहूं भेजते हैं लेकिन जो प्रोसैस्ड फूड भेजनी है, उसके लिए अभी टैक्नीकल नो-हाउ, क्वालिटी कन्ट्रोल प्लस उनके साथ कम्पीट करना, इन सब का बन्दोबस्त करना है और इसके लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री हरि सिंह चावड़ : अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री श्री यह बताएंगे कि हमारे यहां जो जिंस सरप्लस हैं क्या उन्हीं जिंसों को एक्सपोर्ट किया जाता है या ऐसी जिंसों का भी एक्सपोर्ट किया जाता है जो हमारी आवश्यकता से कम पैदा होती हैं। यदि हम ऐसी वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेंगे तो उन वस्तुओं के दाम हमारे यहां बढ़ जाएंगे। हमारे गुजरात में एक कहावत है—"धरना छोकरा घंटी चाटे और ऊपाध्यायने 'आटो"—इस तरह क्या बात बनने वाली है। आपकी इस सम्बन्ध में क्या पौलिसी है, किन वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया जाता है। जो वस्तुएं हमारे यहां सरप्लस हैं, केवल उन्हें ही एक्सपोर्ट किया जाता है या सरप्लस नहीं हैं, तो भी उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं।

श्री बलराम जाखड़ : महाराज, यह कभी सोचने वाली बात हो सकती है क्या कि घर में भूखे रहकर बाहर दान दिया जाता हो। सवाल ही पैदा नहीं होता है। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चाक्को : माननीय मंत्री द्वारा बताए गए वस्तु प्रबंध बोर्ड में से कुछ एक ने कार्य करना आरम्भ नहीं किया है, विशेषकर नारियल विकास बोर्ड, जिसने धन के अभाव के कारण अभी तक कार्य करना आरम्भ नहीं किया है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नारियल बोर्ड के कार्यकरण को और सुदृढ़ बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में यह बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के पास है।

श्री बलराम जाखड़ : मेरे विचार में हम इस परियोजना को इस वर्ष क्रियान्वित कर पायेंगे।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, समुद्री उत्पाद भी कृषि के क्षेत्र में आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इन में से कुछ बोर्ड कृषि मंत्रालय के पास नहीं बल्कि वाणिज्य मंत्रालय के पास हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : समुद्री उत्पादों का उत्पादन कृषक करते हैं.....व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : 'मेरिन बोर्ड' तथा चाय बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के अन्तर्गत आते हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : समुद्री उत्पादों का निर्यात किया जाता है। यह वाणिज्य मंत्रालय अथवा किसी और मंत्रालय के अन्तर्गत आ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है कि कृषि मंत्री के पास जानकारी उपलब्ध न हो।

श्री लोकनाथ चौधरी : बढ़ती हुई मांग तथा संभावनाओं को समक्ष रखते हुए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या कृषि मंत्रालय कृषि उत्पादों के निर्यात को सुनियोजित करने के लिए तथा उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई विचार रखती है।

श्री बलराम जाखड़ : अधिक उत्पादन तथा निर्यात का हमारा सदैव प्रयास रहा है। स्वाभाविक तौर पर निर्यात बढ़ाना हमारा प्रमुख उद्देश्य है। समुद्री उत्पादों के सम्बन्ध में यूरोप में एक मत्स्य उद्योग सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें संसार के सभी देशों से लोग हिस्सा लेंगे। मेरे विचार में इससे हमें ज्ञान, सहायता और सहयोग प्राप्त होगा।

[हिन्दी]

श्री भेरूलाल मीणा : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसा मंत्री महोदय ने अभी कहा — गेहूं बाहर भेजा जाएगा, मैं पूछना चाहता हूं कि जहां सस्ती दर पर गेहूं सरकार द्वारा दिया जाता है, उसको कम करने का क्या मतलब है, जब कि राजस्थान में खासकर ट्रायबल क्षेत्र में कम गेहूं मिलने के कारण वहां लोग भूखे मरते हैं, तो क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जो मात्रा उनको पहले, 10 किलो प्रति यूनिट मिलती थी, वही मिलेगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका अभी जवाब दे दिया है।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बरेली और कुमायूं मण्डल का अधिकांश चावल जो है विदेशों में निर्यात होता है, लेकिन वह दिल्ली आकर निर्यात करते हैं। इसलिए उनका दिल्ली आने में काफी कुछ पैसा व्यय हो जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या कुमायूं और बरेली मण्डल के बीच में सरकार कोई एक्सपोर्ट केन्द्र स्थापित करना चाहती है, यदि हां, तो कब तक ?

अध्यक्ष महोदय : ये एक्सपोर्ट की बाते कॉमर्स मिनिस्ट्री की बातें होती हैं। आप सबको बीच में मत लाइए।

श्री संतोष कुमार गंगवार : अध्यक्ष महोदय, चावल का एक्सपोर्ट होता है और चावल इनके मंत्रालय से सम्बन्धित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय इसका उत्तर देना चाहेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : इसमें कुछ नहीं है। मैं इसका उत्तर दूंगा। वह मेरे पास आ सकते हैं तथा हम इस सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्री से विचार-विमर्श कर सकते हैं।

सातवीं योजनावधि के दौरान डाकघरों का दर्जा बढ़ाना

[हिन्दी]

*693. **श्री राम टहल चौधरी** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वर्षवार कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान बिहार के रांची जिले में कितने डाकघरों का दर्जा बढ़ाया गया; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० बी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है जिसमें संबंधित जानकारी दी गई है।

विवरण

(क) जानकारी संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (घ) बिहार के रांची जिले में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी डाकघर का दर्जा नहीं बढ़ाया गया।

अनुबन्ध

सर्किल		सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दर्जा बढ़ाए गए डाक घरों की संख्या					योग
1	2	3	4	5	6	7	8
		1985-86	86-87	87-88	88-89	89-90	
1.	उत्तर पूर्व	—	—	—	—	—	—

1 2	3	4	5	6	7	8
2. हिमाचल प्रदेश	—	—	14	49	1	64
3. हरियाणा	—	—	—	—	—	—
4. उड़ीसा	—	—	—	1	2	3
5. कर्नाटक	1	3	1	2	—	7
6. पंजाब	—	1	—	—	2	3
7. केरल	—	—	—	—	—	—
8, राजस्थान	—	—	—	—	—	—
9. आंध्र प्रदेश	—	1	—	1	1	3
10. गुजरात	—	—	—	—	—	—
11. दिल्ली	—	—	—	—	—	—
12. पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—	—
13. महाराष्ट्र	13	2	—	—	—	15
14. तमिलनाडु	1	1	1	—	2	5
15. असम	—	—	—	1	2	3
16. मध्य प्रदेश	—	2	2	1	1	6
17. जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—
18. उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—	—
19. बिहार	—	—	—	—	—	—
योग :	15	10	18	55	11	109

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा जो मूल प्रश्न पूछा गया है, उसका उत्तर, महोदय, स्पष्ट नहीं है। मैंने पूछा था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के किसी भी जिले के डाकघरों का दर्जा न बढ़ाए जाने का क्या कारण है जब कि रांची जिले के कई डाकघर निम्न स्तर के हैं। भारत सरकार द्वारा बिहार के इस तरह से सौतेला व्यवहार क्यों किया गया है। और भारत सरकार बिहार के पोस्ट ऑफिसेस का दर्जा बढ़ाएगी या नहीं इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बिहार में पोस्ट ऑफिसेस की अपग्रेडेशन नहीं हो पाई । उसका कारण है, जो वहां से डिपार्टमेंट भेजता था, वे उन कैटेगरीज में नहीं आते थे जो डिपार्टमेंट ने अपग्रेडेशन के लिए सिलैक्ट कर रखी हैं ।

जहां तक रांची जिले का सवाल है —6 पोस्ट ऑफिसेस की उन्होंने रिक्सेडेशन भेजी थी जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट से चेंज कर के ऊपर उनकी तरक्की की जाए, लेकिन जो उन्होंने शर्तें रखी थीं, उनमें वे छः के छः नहीं आ पाए थे । इसलिए वे अपग्रेड नहीं हो पाए थे ।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, अब जैसी हमारी सरकार की नीति है उसके अनुसार हम लोग चाहेंगे और सरकार का यह लक्ष्य है कि कोई भी हमारा भाई-बहिन जो गांव में रहता है, 3 किलो-मीटर के घेरे में जो गांव हैं, उनमें एक पोस्ट ऑफिस दे पाएं । इस नीति में हम सारे देश को कवर कर रहे हैं । तो बिहार भी उस नीति में जहां-जहां जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से जिस कैटेगरी के पोस्ट ऑफिस की जरूरत होगी, वे सारे देश की नीति में आ जाएंगे ।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को जानकारी होगी कि छोटा नागपुर और संथाल परगना बहुत ही पिछड़ा इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है । वहां के गांव बहुत दूर-दूर बसे हुए हैं । मैं चाहता हूं कि छोटा नागपुर और संथाल परगना के प्रति अलग विचार रखते हुए और गांव की दूरी को देखते हुए सरकार पोस्ट ऑफिस की संख्या बढ़ाने का क्या विचार रखती है ?

श्री राजेश पायलट : जैसा मैंने कहा कि नीति इस लक्ष्य से बनाई गई है जिससे किसी भी भाई, बहिन को तीन किलोमीटर से दूर डाकखाने की सेवा के लिए न जाना पड़े । लेकिन फिर भी यह देखना पड़ेगा कि डाकखाना चलेगा कि नहीं चलेगा । हम डाकखाना खोल दें और वहां पर कोई काम नहीं हो तो भी वह सफल नहीं हो पाएगा । इन सब कारणों को सामने रखकर सरकार ने जो नीति ध्यान में रखी है उसमें खास तौर से बैकवर्ड एरियाज और पहाड़ी इलाके की शर्तें भी अलग हैं । जैसे हर जगह तीन हजार पौपुलेशन की जरूरत है लेकिन पहाड़ी इलाके मे हमने 500 रखी है । सब शर्तों को दिमाग में रखकर यह नीति बनाई है ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : डाकखाना चलेगा कि नहीं चलेगा, इसका क्या मतलब है । क्या डाकखाना भी चलता है । क्या पैसे के हिसाब से निर्णय होगा ।

श्री राजेश पायलेट : उसमें डाक आनी चाहिए । जो आदमी वहां पर बैठा है उसे कम से कम तीन-चार घंटे काम होना चाहिए । जहां डाक आयेगी जाएगी नहीं वहां डाकखाना कैसे चलेगा । गांव की भाषा में इसे डाकखाना चलना कहते हैं ।

श्री सूरज मंडल : अध्यक्ष महोदय, देश भर में इनका नियम है कि तीन किलोमीटर पर डाकखाना बनना चाहिए । श्री चौधरी का कहना था कि बिहार में छोटा नागपुर, संथाल परगना के इलाके में तीन किलोमीटर की दूरी पर न करके डेढ़-दो किलोमीटर की दूरी पर कर दें क्योंकि वहां पर सौ घर की आबादी को गांव माना जाता है । दूसरी जगहों पर 500-1000 की आबादी होती है । पूरे देश के नियम से हटकर जो जनजाति क्षेत्र है, भारत सरकार का वहां पर विशेष दर्जा

प्राप्त है, उन क्षेत्रों के लिए क्या आप डाकखाने के बारे में अलग से नियम बनाने का विचार रखते हैं ?

श्री राजेश पायलट : जैसा मैंने कहा कि सरकार की नीति है कि डाक सेवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाएं। ये केवल गाइड लाइन हुआ करती हैं। जैसे जैसलमेर की बात आप करेंगे तो वहां तीन किलोमीटर में कोई पोस्ट आफिस नही मिलेगा, 25-25 किलोमीटर तक कोई गांव ही नहीं है। ये सब गाइड लाइन इसलिए बनानी पड़ती हैं कि इसके आधार पर हम काम शुरू करें। बाकी जैसे लोगों की जरूरत होगी, डाकखाने, पोस्ट ऑफिस की जरूरत होगी, वहां उसी प्रायरिटी से करते रहेंगे।

[अनुवाद]

हन्नान मोल्लाह : डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का प्रश्न कर्मचारियों का दर्जा बढ़ाने से भी जुड़ा हुआ है। जैसाकि आप जानते हैं कि तीन लाख से भी अधिक अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं। अगर इस दर्जे को बढ़ाया जाता है तो इन कर्मचारियों के दर्जे को भी बढ़ाया जायेगा तथा उन्हें रोजगार मिलेगा। सरकार डाकघरों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार प्रत्येक पंचायत के अन्तर्गत डाकघर स्थापित करना चाहती है तथा इन कर्मचारियों को पदोन्नति देकर उन्हें इन डाकघरों में लगाना चाहती है।

इन नए डाकघरों का खोलना एक बहुत बड़ी असफलता है। सी० ए० जी० की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सातवीं योजना के दौरान बहुत से डाकघर खोलने की योजना बनाई गई थी परन्तु सरकार इन्हें खोलने में असफल रही। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया, क्या हमारी उपलब्धि रही तथा इसमें असफलता के क्या कारण थे ?

श्री राजेश पायलट : जहां तक दर्जा बढ़ाने का सम्बन्ध है, माननीय मंत्री जी ने ठीक ही कहा है ? जब आप किसी डाकघर का स्तर बढ़ाते हैं तो वहां पर कार्य का भार भी बढ़ता है। इसलिए उसी अनुसार कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ानी पड़ती है ? जहां तक पंचायत का सम्बन्ध हैं मैंने इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि जब हम प्रत्येक पंचायत को टेलिफोन द्वारा जोड़ सकते हैं तो क्या हम प्रत्येक पंचायत के अन्तर्गत एक डाकघर स्थापित नहीं कर सकते। जब हम डाकघरों के कार्यकरण पर विचार करते हैं तो यह षट्कोणीय व्यवस्था की तरह कार्य नहीं कर सकता हैं। इसलिये हमने तीन किलोमीटर की दूरी निश्चित की है। एक पचायत के अंतर्गत किसी एक गांव में डाकघर पहले से हो सकती है। हो सकता है कि पंचायत मुख्यालय में डाकघर नहीं हो। अब, उक्त डाकघर को पंचायत के मुख्यालय में स्थानांतरित किये जाने से कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिये हम डाकघरों के बीच की दूरी के मापदंड को बनाए रखेंगे चाहे पंचायत मुख्यालय में डाकघर हो या नहीं पर एक पंचायत के अंतर्गत एक डाकघर अवश्य होगा। यही हमारा विचार है।

जहां तक विभागेत्तर कर्मचारियों की आवश्यकता का संबंध है, आज की स्थिति में हम अतिरिक्त डाकघरों को खोल रहे हैं जहां तीन से चार घंटे का कार्य है। इन विभागेत्तर कर्मचारियों को वहां नियुक्त किया जाएगा।

श्री चित्त बसु : इसे विभागेत्तर क्यों कहा जाता है? वे डाक विभाग का अंग ही हैं। विभागेत्तर नाम क्यों दिया गया है? (व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। जब हमने विभागेत्तर नाम देने का निर्णय लिया था तो हमारा यह विचार था कि यह अंश कालिक नौकरी है जो वहां के किसी स्थानीय नागरिक को दिया जाता है जहां वह डाकघर में तीन घंटे के लिये कार्य करता है और बाकी बचे समय में वह कहीं और कार्य करता है। हम उन्हें पूरा वेतन नहीं देते हैं। इस अंशकालिक नौकरी के लिये हम 300 रुपये या कहीं-कहीं 450 रुपये वेतन के रूप में देते हैं।

सेवा नियम इस प्रकार है कि जब कोई भी व्यक्ति कर्मचारी नियुक्त हो जाता है तो वह किसी अन्य स्थान पर नौकरी नहीं कर सकता है। लेकिन इस पर भी विचार किया जा रहा है कि 'इस नौकरी में नियुक्त लोग चाहते हैं कि इसे 'डाक कर्मी' का नाम दिया जाए न कि 'विभागेत्तर कर्मचारी' का।

जहां तक कर्मचारियों का संबंध है जब तक देश के डाकघरों पर आवश्यक कार्यभार है, हमें विभागेत्तर कर्मचारियों की सेवा लेनी ही होगी क्योंकि हमारे पास विभागेत्तर डाकघर हैं। यह नाम उस कार्य से जुड़ा है।

जहां तक सातवीं योजना के लक्ष्य का संबंध है। यह सच है कि हम उस पर लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। उसमें कुछ खामियां थीं और उसके बारे में अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है ताकि लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकने के कारणों के बारे में मैं जानकारी दे सकूं।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पुराने जमाने में डाकिये को उनके उपयोग के लिये वर्दी दी जाती थी और वे डाक विभाग के नियमित कर्मचारी होते थे। अब हमारे देश में विशेषकर गांवों में हजारों लोग दिहाड़ी पर नियुक्त हैं और उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि उक्त व्यक्ति डाकिया है। अब परिणाम यह हैं कि आठ-दस दिनों तक गांवों में पत्रों का वितरण नहीं हो पाता है। एक दिन अचानक सुबह डाकिया चिट्ठियां और मनीआर्डर की रकम बांट जाता है और फिर वह अगले दस दिनों के लिये लापता हो जाता है। ऐसे डाकियों के लिये न तो कोई सेवा नियम हैं और न कोई अनुशासन। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि दिहाड़ी पर काम करने वाले ये लोग वर्षों से कार्य कर रहे हैं और उनकी सेवा नियमित नहीं की गई है? क्या वह उनकी सेवा को नियमित करके उन्हें नियमित डाकिया के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं और उन्हें (वर्दी) उपलब्ध कराएंगे ताकि उन्हें इस विभाग के डाकियों के रूप में मान्यता दी जा सके।

श्री राजेश पायलेट : महोदय, बुनियादी समस्या भावना की है जो इस विभाग में हुआ करती थी और इससे सभा भी सहमत होगी। एक डाकिया मात्र डाकिया ही नही होता था बल्कि वह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता था। उसे पूरे समाज से स्नेह मिलता था और इस नौकरी में जो सम्मान था वह भी उसे मिलता था। अब उसमें कमी आ गई है। मैं यह स्वीकार करता हूं और इसीलिए हमने इस विभाग के लिए कुछ नए कार्य जैसे नौकरी के लिए प्रशिक्षण शुरू किया है। केवल

वेतन और नौकरी की ही बात नहीं है बल्कि उसमें कुछ व्यक्तिगत संबंधों की भी बात हैं जो पहले हुआ करती थी। कोई परिवार पत्रों या मनीआर्डर के इंतजार कर रहा होगा इस प्रकार की निष्ठा इस पेशे से जुड़ी हुई थी जिसकी कमी विभाग में है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। हम उस भावना को फिर से पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दे रहे हैं और यह भी एहसास करा रहे हैं कि यह भी सेवा है। केवल यह नहीं समझें कि आपको वेतन दिया जा रहा और अपना कार्य मात्र एक वेतन भोगी के तरह निपटाएं ऐसा नहीं होना चाहिये। बल्कि आपको स्थानीय लोगों के प्रति लगाव होना चाहिए। स्थानीय लोगों की भावना और उनकी आवश्यकताओं को भी जानना चाहिए।

जहां तक डाक का संबंध है हम इसकी जांच करते हैं। हम यह देखते हैं कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक और एक सुदूर गांव से दूसरे सुदूर गांवों में पत्रों को पहुंचने में कितना समय लगता है। जांच के दौरान यह पाया गया है कि आज की स्थिति में डाक की गंतव्य स्थान तक पहुंचने में चार से पांच दिन लगते हैं। माननीय मंत्री ने एक अलग मामले का उल्लेख किया है और हम इसकी जांच कर सकते हैं लेकिन डाक को किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीन दिन के अंदर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रयास जारी है। यह एक लम्बी प्रकिया है। सेवाओं को बेहतर बनाने की आवश्यकता है लेकिन इस क्षेत्र में और भी प्रयास करने की भी आवश्यकता है और कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों का संबंध है, मैंने बताया कि दिहाड़ी की व्यवस्था विभागेत्तर श्रेणी के कर्मकारियों के लिए है क्योंकि उनकी सेवा अंशकालिक आधार पर होती है। सभी दिहाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मियों की सेवा को नियमित बनाना मुश्किल है क्योंकि विभाग के नियमित कर्मचारी बनने के लिये जितना कार्यभार होना चाहिए उतना नहीं है।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम : मुझे खेद है कि यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री राजेश पायलट : माननीय सदस्य के विचारों को मैं भी जानना चाहूंगा यदि वे इस प्रणाली की बेहतरी के लिए कुछ सूचना देंगे।

जहां तक वर्दी का संबंध है, यह सभी डाक कर्मियों को दी जाती है। मैं उन भावनाओं को पुर्नस्थापित करना चाहता हूं कि वे अपनी निर्धारित वर्दी में ही जाएं और डाक सेवा का कार्य करें।

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष महोदय, क्या डाकघरों का दर्जा बढ़ाए जाने का मतलब डाक कर्मियों के दर्जे में भी वृद्धि से है? यदि ऐसा है, तो हाल ही में आपके विभाग ने यह निर्णय लिया है कि डाकिये पहली और दूसरी मंजिल पर नहीं जाएंगे अर्थात् वे सीढ़ियों पर नहीं चढ़ेंगे। क्या माननीय मंत्री इस निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और इसे निरस्त करेंगे ?

श्री राजेश पायलट : यह एक सुझाव है कि बहुमंजिल इमारतों में एक वितरण स्थल निश्चित किया जाए ताकि डाक का सक्षम और द्रुत वितरण सुनिश्चित किया जा सके। प्रत्येक

घर जाकर डाक वितरण करना और एक स्थान पर दो घंटे लगाने की बजाय हमने यह सोचा कि उस क्षेत्र के निवासियों से यह निवेदन किया जाए कि वे पहली मंजिल या भूतल पर ही एक पोस्ट बॉक्स लगा दें जहां पूरी डाक इकट्ठी वितरित हो जाए। यह एक सुझाव है जो कई फोरमों से प्राप्त हुआ है और यह विचार योग्य मुद्दा है इसलिए हम इस पर विचार कर रहे हैं। इस पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया है लेकिन डाक सेवा में और सुधार लाने के लिए दिए गए सुझावों में से एक है।

हमने एक और निर्णय लिया है—मैं उसका उल्लेख पिछले प्रश्न का उत्तर देते समय भूल गया था—मंडल स्तर पर सर्वोत्तम सेवा देने वाले डाकिया के लिये पुरस्कार देने की योजना शुरू की जा रही है। यह योजना बड़े सर्किल स्तर पर लागू नहीं होगी। हम 1,000 या 1,500 डाकियों में से एक डाकिया चुनेंगे और उसे प्रोत्साहन के तौर पर कुछ राशि देंगे ताकि वह और अच्छी तरह कार्य करें और इस विभाग में सेवा को बेहतर बनाने के लिए उनमें स्पर्धा की भावना पैदा हो सके।

[हिन्दी]

श्री मोहनलाल झिकराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि पहले रेल गाड़ियों में डाक विभाग का काम चलता था और रेल के डिब्बे पर लैटर बॉक्स भी लगा रहता था, इससे लोगों को बड़ी सहूलियत थी लेकिन अब उस विभाग को तोड़ दिया गया है तो वह किस कारण से बन्द कर दिया गया है, मंत्री जी बतायें ?

श्री राजेश पायलट : तोड़ा तो नहीं है लेकिन पहले सार्टिंग मेल में, गाड़ी में चलती रहती थी अब उसको हम लोग यहां करके उसे एक डिब्बे में बन्द कर देते है जिससे वह सीधे डैस्टीनेशन तक पहुंच जाए। अगर माननीय सदस्य को ज्यादा डिटेल इसके बारे में पूछनी हो तो अलग से सवाल पूंछे जिससे इन्हें सारी जानकारी हासिल कराई जा सके।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जैसे आपने पहाड़ी क्षेत्र में एक किलीमीटर पर एक डाकघर होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की हैं तो इसी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां पठारी क्षेत्र की भी हैं जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुन्देलखण्ड का इलाका है उसमें बिल्कुल उसी प्रकार से गांव हैं, उसी प्रकार के रास्ते हैं, उसी प्रकार का जीवन है, उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं हैं तो क्या वही मापदण्ड जो पहाड़ी क्षेत्रों में आपने बनाया है, पठारी क्षेत्र बुन्देलखण्ड में भी रखने की कृपा करेंगे ?.....(व्यवधान)

श्री राजेश पायलट : अगर कण्डीशंस ऐसी ही हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जो गाइड लाइंस हैं, उनमें हम कन्सीडर करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदय सेवा का दर्जा बढ़ाने की बजाय उसके विस्तार की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं यह जानना चाहती हूं कि घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में विभागेत्तर

डाकघर खोले जाने का कोई आदेश है। यदि ऐसा है तो मैं सरकार को यह जानना चाहती हूं कि क्या वे उन शहरी इलाकों, विशेषकर जहां घनी आबादी है और इस कारण वहां स्थिति विभागीय डाकघर डाक वितरण सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं क्या उन स्थानों पर विभागीय वितरण उप डाकघर की मंजूरी दीजायेगी। उप-डाकघर उन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं जो विभागीय डाकघर नहीं कर सकते हैं।

श्री राजेश पायलट : महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है कि डाकघर, उपडाकघर और विभागेत्तर डाकघरों को खोलने का कुछ निश्चित मार्ग निदेश हैं। लेकिन ये मात्र मार्ग निर्देश ही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है—ठीक है, मार्ग निर्देश दिए गए हैं और कोई भी कार्य इसके विपरीत नहीं हुआ है। मूल रूप से नागरिकों की सेवा के लिए है। जब कभी भी माननीय सदस्य को इस प्रकार की सेवा की आवश्यकता होती है तो विभाग इस श्रेणी के डाकघर स्थापित करने के लिए तैयार रहता है।

असम समझौते को लागू किया जाना

[हिन्दी]

*694 **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम समझौता, 1985 के लागू हो जाने के पश्चात विदेशियों का पता लगाने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) समझौते के अनुसार अब तक कितने विदेशी राष्ट्रकों को उनके देश वापस भेज दिया गया है; और

(ग) समझौते के अनुसार तारों की बाड़ लगाने जैसे अन्य खंडों को लागू करने के मामले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और कितनी प्रगति हुई है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) 31-5-1991 की स्थिति के अनुसार :

(i) विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के अन्तर्गत पता लगाए गए व्यक्तियों की संख्या	15,659

(ii) आई० एम० डी० टी० अधिनियम 1983 के अन्तर्गत अवैध घोषित प्रवासियों की संख्या 7,606

(iii) अवैध घोषित प्रवासियों में से, निष्कासित किए गए व्यक्तियों की संख्या 716

(ग) असम समझौते के अनुसरण में केन्द्र सरकार द्वारा अपनी तरफ से सभी उपाय किये गये हैं। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हुई प्रगति नीचे दी गई है :

(i) सीमा सड़क और बाड़

(i) भूमि अधिग्रहण-133.55 कि० मी० सड़क के लिए

(ii) अर्थ वर्क और पुलिया-113.10 कि० मी० सड़क के लिए

(iii) बाड़-36.44 कि० मी०

(ii) असम समझौते की शर्तों के अनुसार नागरिकता अधिनियम को संशोधित किया गया है।

(iii) आई० एम० डी० टी० अधिनियम 1983 को लागू करने में सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए असम सरकार के साथ परामर्श करके इस अधिनियम को संशोधित किया गया है।

(iv) असम के लोगों की सांस्कृतिक सामाजिक और भाषायी पहचान और परम्परा को सुरक्षित रखने, बनाये रखने और उनका विकास करने के लिये "श्रीमंता शंकर देव कला क्षेत्र" नामक एक सांस्कृतिक परिसर अनुमोदित किया है।

(v) असम के त्वरित आर्थिक विकास के लिए सातवीं योजना परिव्यय को बढ़ाया गया और लगभग सम्पूर्ण आवंटन को केन्द्रीय सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया।

(vi) योजना आयोग द्वारा पता लगाये गये अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन को हाथ में लिया गया है। योजना आयोग के सदस्य श्री एल० सी० जैन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसकी सिफारिशों को, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के विभागों के लिये योजना को अन्तिम रूप देते समय ध्यान में रखा जायेगा।

(vii) असम राज्य को, जिसे विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, को अब 90% अनुदान और 10% ऋण के प्रतिमान पर सहायता दी जाएगी।

(viii) अशोक पेपर मिल को पुनः चालू करने के लिए एक पैकेज की स्वीकृति दी गई है,

जिसके लिए 67.08 करोड़ रु० का अनुदान अनुमोदित किया गया है, जिसमें से 10.69 करोड़ रु० की राशि राज्य को पहले ही दी जा चुकी है।

(ix) कोपरेटिव जूट मिल को पुन: चालू करने के लिए 2.40 करोड़ रु० का अनुदान जारी किया गया है और मिल ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

(x) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा की गई है।

(xi) आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को 5,000 रु० प्रति व्यक्ति की दर से अनुग्रहपूर्वक अनुदान दिया गया है और केन्द्र सरकार द्वारा यह सम्पूर्ण राशि अनुदान के रूप में राज्य सरकार को दी गई है।

(xii) असम के उम्मीदवारों के मामलों में केन्द्र सरकार की नौकरियों के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिये आयु सीमा में छूट दी गई है।

(xiii) असम में स्थापित किए जाने वाले तेल शोधक कारखाने के लिए मंजूरी दे दी गई है।

(xiv) असम में स्थापित किये जाने वाले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई० आई० टी०) के लिए मंजूरी दे दी गई है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, 1985 में असम समझौता हुआ। मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि उसके अन्तर्गत विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के अन्तर्गत 15,659 लोगों का पता लगाया गया है। असम समझौते की धारा-5 और उपधारा-4 के अन्तर्गत एक शर्त यह भी थी जैसा कि पता लगा है, इन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में से दस वर्षों के लिए हटाये जाएंगे। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या इस तरह से पता लगाने के बाद उन व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं हटाये गये हैं ? (ब) मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं, क्या ऐसे व्यक्तियों ने गत आम चुनावों में भाग लिया ? यदि लिया, तो भाग लेने के कारण क्या वह चुनाव अवैध घोषित नहीं हो जायेगा ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, माननीय सदस्य ने असम समझौते की दो धाराओं का उल्लेख किया है जिसके तहत मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटा दिये गये हैं। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद हाल ही में नाम निर्देश का कार्य शुरू किया और उसी के आधार पर 1991 में चुनाव कराये गए।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदार : अध्यक्ष महोदय, दूसरी धारा आई० एम० डी० टी० अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है, 7,606 व्यक्तियों के नामों का पता लगाया गया है। उन पता लगाये गये सात हजार नामों में से केवल 716 व्यक्तियों को उनके देश वापिस भेजा गया है या निष्कासित किया गया है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, जब हजारों लोगों का पता लगा, तो केवल 700 लोगों को ही इन छः वर्षों के अन्दर क्यों वापिस भेजा, सभी लोगों को वापिस क्यों नहीं भेजा ? जब लाखों की संख्या में असम में अनुप्रवेशकारी आये हुए हैं, तो उनमें से केवल हजारों ही का पता लगाया जा सका है ? दूसरे, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, सरकार शरणार्थियों में और घुसपैठियों में क्या अन्तर करेगी ? हमारी जानकारी है कि कई शरणार्थी चकमा आदिवासी और कई हिन्दुओं को बंग्लादेश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया है। वे लोग भी असम में आकर बसेहैं। उनको शरणार्थी माना जाये, न कि अनुप्रवेशकारी, घुसपैठिये मानकर उनको वहां से निकाला जाए।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : जितने लोगों का पता लगाया गया निष्कासित लोगों की संख्या उससे अधिक थी और असम में रह रहे उन लोगों की ठीक संख्या की जानकारी नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनका पता लगाना मुश्किल है। यही कारण है कि उन्हें नहीं निकाला जा सका है। वे कहीं भी छिपे हो सकते हैं यहां तक कि वे असम के बाहर भी हो सकते हैं। यह कोई नहीं जानता। उनका पता नहीं लगाया जा सका है।

श्री शरद दिघे : महोदय, असम के आर्थिक विकास के लिए कुछ वित्तीय प्रस्तावों पर सहमति हुई थी। माननीय मन्त्री ने कहा है कि जहां तक तेलशोधक कारखाने का सम्बन्ध है उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। उसी तरह भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान की भी मंजूरी दी गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि वास्तव में कार्य शुरू क्यों नहीं किया गया है। जहां तक असम का सम्बन्ध है मात्र मंजूरी ही पर्याप्त नहीं है। इन कार्यों को वास्तव में शुरू नहीं करने में कौन-सी कठिनाइयां आ रही हैं ?

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, माननीय सदस्य ने दो महत्वपूर्ण मामलों को सामने रखा है। केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को मंजूरी दी गई है। लेकिन उसके लिए स्थान का चयन राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद किया जाना है और राज्य सरकार को यह निश्चित करना है कि संस्थान को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा। इसके लिए स्थान के चुनाव के सम्बन्ध में मतभेद है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना में विलम्ब का मुख्य कारण यही है। **(व्यवधान)** स्थापना के लिए स्थान का पता लगाया जाना है। इसके बाद हम आगे की कार्यवाही करेंगे। इसका अधिग्रहण किया जाना है। इसलिए स्थान का चुनाव उनके द्वारा किया जाना है। तभी अधिग्रहण और अन्य कार्यवाही की जाएगी।

जहां तक तेल शोधक कारखाना का सम्बन्ध, इसका स्वरूप क्या होगा और इसका प्रबंध कौन करेगा और ऐसी ही अन्य बातों को निश्चित किया जाना है। इसीलिए इस बात का निर्णय नहीं हो रहा कि इसे कार्यरूप में कैसे परिणत किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बिहार राज्य के सीमावर्ती इलाके कृष्णगंज, पूर्णियां, सहरसा और मधेपुरा में आज 5-7 वर्षों पूर्व से शरणार्थियों की भरमार है। अभी तक भारत सरकार ने इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है, न इनके बसाने की कोई व्यवस्था की है।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, यह प्रश्न असम समझौते के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह असम से सम्बन्धित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, जबकि लाखों अवैध प्रवासी असम में रह रहे हैं, वहीं उन भारतीय नागरिकों को असम से हिंसक आतंकवादी तरीकों से निकाले जाने का नियोजित प्रयास किया जा रहा है जो कि वहां बस गए हैं अथवा सैकड़ों वर्षों से वहां रह रहे हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मन्त्री महोदय सभा को यह सुनिश्चित करेंगे कि इन गतिविधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा और किसी भी भारतीय नागरिक को असम निष्कासित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : महोदय, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई सूचना है, तो कृपया इसे सरकार को दे दें और हम इस मामले में अवश्य ही आवश्यक कार्यवाही करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, अभी कल ही हमने गृहमन्त्री से भेंट की थी। राजस्थान के मुख्य मन्त्री भी वहां मौजूद थे और उन्होंने गृह मन्त्री को बताया कि किस तरह से व्यापारिक समुदाय को विशेषकर कि उन लोगों को जो राजस्थान से आए हैं परेशान किया जा रहा है। उनसे धन वसूल किया जा रहा है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। क्या उनको इस बारे में अलग से प्रश्न की सूचना देनी होगी।

श्री एस० बी० चह्वाण : महोदय, यह दो भिन्न मामले हैं। एक तो अल्फा के तरीकों के बारे में है। वे लोग धनी लोगों से पैसा छीन रहे हैं।

श्री अन्ना जोशी : महोदय, वे क्या कह रहे हैं ? **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चह्वाण : कृपया समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय नागरिकों को असम से निकाले जाने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। वास्तव में 'उन्हें असम से निष्कासित करने' की बात कहकर यदि माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि वे दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो यह एक अलग मामला है, लेकिन उनको देश से बाहर निकाले जाने का मामला बिल्कुल ही भिन्न मामला है। मैं ऐसा नहीं समझता कि····**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : असम से बाहर।

श्री एस० बी० चह्वाण : जहां तक कि अल्फा की गतिविधियों का सम्बन्ध है, यदि अल्फा

उग्रवादियों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण कुछ लोगों को असम छोड़ना पड़ा, तो यह एक भिन्न मामला है, लेकिन महोदय, जहां तक सम्भव है हम उनके बचाव के लिए प्रयास कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : महोदय, उत्तर से यह स्पष्ट है कि लगभग 24000 अवैध प्रवासियों को असम से बाहर भेजा गया है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश तथा आई० एम० डी० टी० अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधिकरण में कितने मामले अभी भी लम्बित हैं ? मैं यह जानना चाहूंगा कि कितने मामले अभी तक लम्बित पड़े हैं और क्या यह सच है कि भाषा और धार्मिक अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकों को अनेक अधिकारों से वंचित रखने के उद्देश्य से एक बड़ी संख्या में मामलों को प्रेरणा देने के लिए गलत ढंग से न्याधिकरण के सामने रखा गया। इसकी सही संख्या क्या है और सरकार का इनसे किस तरह से निपटने का इरादा है।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, विदेशी न्यायाधिकरण को भेजे गए मामलों की संख्या 33,018 है, न्यायाधिकरण द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या 17,109 है, विदेशी व्यक्तियों की संख्या 15,659 है, पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 3,692 है और प्रतीक्षारत पंजीकरण व्यक्तियों की संख्या 11,697 है। इस बारे में यही आंकड़े हैं।

इसके अलावा 31-5-1991 तक, न्यायाधिकरण द्वारा 7,517 मामले निपटाए गए अवैध घोषित प्रवासियों की संख्या 7,606 है और निष्कासित किए गए व्यक्तियों की संख्या 716 है।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : अध्यक्ष महोदय, उनके कथन के अनुसार, पूरे सीमा क्षेत्र में से मात्र 36.44 कि० मी० पर ही कांटेदार तार लगाई गई है। कांटेदार तार लगाने का कार्य सीमा से दो अथवा तीन किलोमीटर की दूरी पर चल रहा है एक अन्य बात यह है कि देश की सीमा के दूसरी ओर सैकड़ों परिवार काफी समय से रह रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उन्हें सीमा के अन्दर लाने और बसाने के लिए कोई प्रबंध किए हैं।

इसके अलावा, अशोक पेपर मिल्स को पुनः आरम्भ करने के लिए असम समझौते के अन्तर्गत एक मुश्त कार्यक्रम बनाया गया था और उस कार्य के लिए 67.08 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी। अब, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या चोरगोरा चीनी मिल्स के सम्बन्ध में ऐसे किसी प्रस्ताब को मंजूरी प्रदान की गई थी। यह मिल कई वर्ष पहले बन्द हो गई थीं और जहां कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है।

श्री एम० एम० जैकब : महोदय, जहां तक कि कांटेदार तार लगाने से सम्बन्धित प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, यह सच है कि माननीय सदस्य द्वारा दिए गए किलोमीटरों की संख्या उत्तर में दी गई है। लेकिन यह कार्य असम सरकार के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है और राज्य सरकार को इसकी प्रगति पर नजर रखनी है। यदि कुछ ऐसा है जो कि हम अपनी ओर से कर सकते हैं, तो हमें वह करने में बहुत खुशी है। अशोक पेपर मिल्स के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में सरकार ने पहले ही धनराशि की स्वीकृति दे दी है और पहले ही 10.69 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है। लेकिन मिल को चालू करने का मामला एक भिन्न मामला है और श्रमिकों की समस्याओं सहित मिल की अपनी आन्तरिक समस्याएं हैं। उनके पास श्रमिकों की संख्या काफी

है और फिर पुनः मिल आरम्भ नहीं कर पा रहे हैं। अतः उसको वास्तव में आरम्भ करने के लिए असम सरकार द्वारा इसे चालू करने के लिए पूरी तरह से छानबीन किए जाने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने सहकारी जूट मिलों के सम्बन्ध में जो भी आश्वासन दिए गए थे, वे समझोते के अनुसार पूरे किए गए हैं।

अर्द्ध-सैनिक बलों के जवानों का मारा जाना

[हिन्दी]

*695. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य अर्द्ध-सैनिक बलों के कितने जवान अपना कर्तव्य पालन करते समय मारे गये;

(ख) इन मृत जवानों के परिवारों को दी जा रही सुविधाओं और प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके कल्याण हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाएं कौन-कौन सी हैं और उपरोक्त अवधि में वर्षवार उन पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) क्या इन बलों में भर्ती करते समय मृत जवानों/अधिकारियों के पात्र बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है ?

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सभा पटल पर रखे गए विवरण में सूचना दी गई है।

(घ) अर्ध सैनिक बलों के पदों पर भर्ती,भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार गुण दोषों के आधार पर की जाती है। तथापि सरकार की नीति के अनुसार मृतक जवान/अधिकारी के आश्रितों की अनुकम्पा आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं, यदि उनके परिवार दीन हीन परिस्थितियों में हों।

विवरण

1. वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान अपनी ड्यूटियां करते हुए मारे गए अर्ध-सैनिक बलों के जवानों की संख्या निम्न प्रकार है :

बल का नाम	1988	1989	1990
असम राइफल्स	9	3	10
सीमा सुरक्षा बल	56	77	161
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	47	58	76
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1	—	13
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	—	1	4
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	—	1	2
जोड़	113	140	266

11. अपनी ड्यूटियां करते हुए मारे गए जवानों के परिवारों को निम्नलिखित सहायता दी जाती है :

(i) भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय के समय-समय पर यथा संशोधित का० ज्ञा० सं० 33/5/89-पी एण्ड पी० डब्ल्यू० (के) दिनांक 9-4-1990 के तहत ग्राह्य उदार पेंशन पुरस्कार ।

(ii) के० सि० से० (पेंशन) नियम, 1972 के तहत ग्राह्य मृत्यु उपदान ।

(iii) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना से मृत्यु सम्बन्धी बीमा ।

(iv) उस सम्बन्धित सरकार द्वारा मंजूर की गई अनुग्रह राशि जिसके परिचालन अधिकार क्षेत्र में जवान कर्तव्य पालन करते हुए मारे गए ।

(v) सम्बन्धित बलों द्वारा रखी जा रही विभिन्न कल्याण निधियों से भुगतान ।

II. अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं तथा वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान उन पर खर्च की गई राशि के ब्यौरे :

योजनाएं	उपलब्ध सुविधाएं	खर्च की गई राशि		
		1988	1989	1990
1	2	3	4	5
असम राईफल्स हितकारी निधि	परिवार को तुरन्त राहत स्वरूप 10,000/रु०	90,000/रु०	30,000/रु०	1,00,000/रु०
सीमा सुरक्षा बल अंशदायी हितकारी निधि	कार्रवाई के दौरान मारे गए कार्मिक के परिवार को 17,500/रु० की एकमुश्त राशि तथा दस वर्ष के लिए 200/रु० प्रतिमाह तथा ड्यूटी के दौरान मारे जाने पर उसके परिवार को 12,500/रु० की एकमुश्त राशि तथा दस वर्ष के लिए 150/रु० प्रति माह।	8,68,000/रु०	9,99,200/रु०	25,10,900/रु०
सीमा सुरक्षा बल विशेष राहत निधि	मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 2,500/रु० की दर से एकमुश्त राशि	1,40,000/रु०	1,60,000/रु०	3,67,500/रु०
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल केन्द्रीय कल्याण निधि	परिवार को 10,000/रु०	4,70,000/रु०	5,80,000/रु०	7,60,000/रु०

1	2	3	4	5
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल जोखिम निधि	मारे गए व्यक्ति के परिवार को 25,000/रु० की एकमुश्त राशि तथा 20 वर्ष के लिए 400/रु० प्रतिमाह	11, 18,600/रु०	16,38,600/रु०	19,96,200/रु०
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इकाई कल्याण निधि	मारे गए व्यक्ति के परिवार को तुरन्त राहत स्वरूप 2,000/रु० की एकमुश्त राशि तथा एक सिलाई मशीन	1,41,000/रु०	1,74,000/रु०	2,28,000/रु०
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल शैक्षणिक निधि	शिक्षा के स्तर के अनुसार मारे गए व्यक्ति के बच्चों को 125/रु० से 1200/रु० तक की वार्षिक छात्र-वृत्ति (छोटी कक्षाओं से डिग्री के स्तर तक)	11,200/रु०	9,400/रु०	19,850/रु०
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कल्याणकारी(जोखिम अधिदेय निधि)	मारे गए व्यक्ति के परिवार को 10,000/रु० की एकमुश्त राशि का अनुदान तथा 20 वर्षों के लिए 400/रु० प्रतिमाह की दर से अनुदान। 1.9.1989 से राशि का संशोधन करके 40,000/रु० की एक मुश्त राशि तथा 10 वर्षों के लिए 500/रु० प्रतिमाह।	14,800/रु०	4,800/रु०	5,44,800/रु०
भारत तिब्बत सीमा पुलिस केन्द्रीय हितकारी (जोखिम अधिदेय) निधि	मारे गए व्यक्तियों के परिवार को 15,000/रु० की एक मुश्त राशि तथा 20 वर्षों तक 500/रु० प्रतिमाह।		15,000/रु०	60,000/रु०

1	2	3	4	5
भारत तिब्बत सीमा पुलिस कल्याणकारी निधि	मारे गए व्यक्ति के परिवार को तुरन्त राहत स्वरूप 2,500/रु०		2,500/रु०	10,000/रु०
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड केन्द्रीय कल्याणकारी निधि	सामान्य स्थिति में ड्यूटी का निर्वहन करते समय मारे गए व्यक्ति के परिवार को 2,500/रु० की तुरन्त राहत तथा आई० एस० ड्यूटी का निर्वहन करते समय मारे जाने पर 5,000/रु० की राहत।		2,500/रु०	10,000/रु०

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में देश में बढ़ती हुई आतंकवादी, नक्सलवादी और विघटनकारी शक्तियों द्वारा देश में उत्पन्न विषम स्थिति को देखते हुए अर्द्धसैनिक बलों का महत्व बहुत बढ़ गया है। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उसके अनुसार कर्त्तव्य पालन करते हुए दिवंगत जवानों के परिवारों को जो प्रोत्साहन और कल्याण योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं दी जा रही हैं, वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो रेल, हवाई जहाज दुर्घटना में मरने वाले लोगों के आश्रितों को लाखों रुपया दिया जाता है और दूसरी तरफ दिवंगत जवानों के आश्रितों की यह स्थिति है !

क्या ऐसी स्थिति में, जबकि रुपए का अवमूल्यन हो चुका है और बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसको दृष्टिगत रखकर सरकार मृत जवानों के परिवारों को दी जा रही सुविधाओं, प्रोत्साहन योजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों में वृद्धि करने की योजना रखती है ? दूसरा, क्या जवानों को प्रशिक्षण और उन्हें नयी तकनीक से युक्त हथियारों से लैस किया जाएगा ?

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : प्रश्न के पहले भाग के सम्बन्ध में, मृतक जवानों के परिवारों को काफी सुविधाएं दी गई हैं, जैसा कि देरा द्वारा सभा पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी उन्हें अनुग्रहपूर्वक राशि की अदायगी कर रही हैं। प्रत्येक राज्य सरकार उन्हें 50,000 रुपए एक लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक की अच्छी राशि दे रही है। प्रत्येक राज्य सरकार के पास सूची है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष राज्य सरकार के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं उनको उस राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अनुग्रहपूर्वक राशि की अदायगी के सही आंकड़े दे सकता हूं। इसके साथ ही, हम उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है।

जवानों के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है वे अवश्य ही हमारी परिसम्पत्ति हैं और उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अधिक आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए सोचा जा रहा है और दी जा रही है :

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं, कर्त्तव्य पालन करते हुए मरने वाले जवानों के इन आंकड़ों के अन्दर कितने अधिकारी हैं और कितने जवान हैं। दूसरा भाग यह है कि उनमें से कितने सीमा पर रक्षा करते हुए और कितने आतंकवादी घटनाओं में तथा कितने तस्करियों में मारे गए ? क्या ऐसे आंकड़े बता सकते हैं ? तीसरा भाग यह है कि अब तक कितने मृत परिवारों के आश्रितों को पिछले तीन वर्षों में अर्धसैनिक बलों में भर्ती किया गया है ? क्या ये आंकड़े बता सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, ऐसे प्रश्न रिटर्न प्रश्न होते हैं।

[अनुवाद]

यदि आपके पास कोई सूचना है तो, आप दे सकते हैं।

श्री एम० एम० जैकब : मुझे इसके लिए अलग से सूचना दी जाए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

सम्भवत: आपके पास कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए आप प्रश्न खोजने की कोशिश कर मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवाजी पटनायक : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे जूवानों को रक्षा सेनाओं के समझा जाए ? यदि ऐसा है, तो उसका ब्यौरा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उन्हें रक्षा सेनाओं के बराबर लाना चाहेंगे ?

श्री एम० एम० जैकब : फिलहाल, उन्हें रक्षा सेनाओं के बराबर लाने का कोई प्रस्ताव राधीन नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष जी, पिछले तीन वर्षों के दौरान 519 अर्धसैनिक बलों के ना शहीद हुए हैं, मैं नहीं कहूंगा कि उन्हें मारा गया है, कुछ लोग उन्होंने उन पर हमला किया पकड़े गए हैं। मैं मान्यवर मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे सैनिकों का मनोबल उन्नत करने लिए जो पकड़े गए हैं क्या उन गुनहगारों को विशेष धारा के अन्तर्गत स्पेशल कोर्ट तैयार करके सजा देने के बारे में सरकार विचार कर रही है ? क्योंकि उन्हें कोई सजा नहीं होती, जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० एम० जैकब : वर्तमान कानून के अनुसार लोगों ने कोशिश की थी।

पशु विकास परियोजना

[अनुवाद]

***697. श्री बी० राजा रवि वर्मा** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक नें उस पशु विकास परियोजना को स्वीकृति दे दी है जिसका मूल तमिलनाडु में पशुओं के नस्ल स्तर को बनाये रखने की पद्धति शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु चुना गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) विश्व बैंक ने तमिलनाडु के लिये, एक कृषि विकास परियोजना स्वीकृत कर दी है जिसमें पशुधन विकास एक घटक होगा ।

(ख) तमिलनाडु में विश्व बैंक की सहायता से एक वृहत कृषि विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है । सात वर्षीय परियोजना की कुल लागत 309 करोड़ रुपये है जिसमें विश्व बैंक की सहायता 112.8 मिलियन अमरीकी डालर की होगी । परियोजना में पशुधन विकास एक घटक होगी जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम निहित हैं :

(क) बेहतर प्रजनक सांडों के प्रजनन के लिए चयनित राज्य पशुधन फार्मों का सुदृढ़ीकरण ।

(ख) हिमित वीर्य केन्द्रों की स्थापना ।

(ग) कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के लिए हिमित वीर्य की सुविधा पहुंचाना ।

(घ) विस्तार कार्यकलापों को सुदृढ़ करना ।

(ङ) समेकित चारा उत्पादन प्रणाली को सुदृढ़ करना ।

(च) पशु चिकित्सा नैदानिक प्रयोगशालाओं और महामारी विज्ञान सम्बन्धी एककों का सुदृढ़ीकरण ।

परियोजना के पशुधन विकास घटक के लिए आवंटन 33.90 करोड़ रुपए है, जिसमें आकस्मिक व्यय शामिल नहीं है ।

(ग) परियोजना का पशुधन विकास घटक पूरे राज्य में क्रियान्वित किया जायेगा;

[अनुवाद]

श्री बी० राजरवि वर्मा : हालांकि, मैं माननीय मंत्री के उत्तर से संतुष्ट हूं, फिर भी मैं दो पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या मेरे चुनाव-क्षेत्र पोलाच्ची में पशु-धन विकास परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

यदि हां, तो उत्तर में दिए गए इन छः कार्यक्रमों में से कौन से कार्यक्रम केन्द्र में कार्यान्वित किए जाने है ।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : यह परियोजना केवल तमिलनाडु के लिए है। राजस्थान और कर्नाटक पंक्ति में हैं और मैं समझता हूं कि नवम्बर के अन्त तक हम वहां भी इस प्रकार की परियोजना को पूर्ण करने में समर्थ होंगे ।

श्री बी० राजशेखर वर्मा : क्या सरकार ने सांडों के प्रजनन के अतिरिक्त, भेड़ प्रजनन तथा मुर्गी-पालन को शामिल कर इस कार्यक्रम का विस्तार किया है ? रोजगार की सम्भावना क्या होगी जोकि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्पन्न हो सकती है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : पूरे राज्य में तमिलनाडु सरकार द्वारा कार्यान्वित यह एक विस्तृत परियोजना है । यह पशुधन विकास परियोजना इस विस्तृत योजना का एक भाग है और इस पशुधन विकास परियोजना में पशुओं तथा पूरे पशुधन का चहुंमुखी विकास शामिल है। इसलिए इस योजना में मुर्गी पालन विकास और भेड़ विकास के लिए कोई अलग कार्यक्रम नहीं है और इस परियोजना में इन कार्यक्रमों के अलग आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० असीम बाला : पशु विकास के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार सहित कौन-सी अन्य परियोजनाएं चल रही हैं।

श्री के० सी० लेंका : इस समय पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पशु विकास के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त से कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की गई है । लेकिन पूरे देश में पशु विकास से सम्बन्धित तीन परियोजनाए है जो उड़ीसा, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में हैं जो कि स्विटजरलैंड सरकार तथा डेनमार्क सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है । फिलहाल पश्चिम बंगाल में पशु विकास के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राष्ट्रीय बीज निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी

*699. **श्री अनादि चरण दास** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम, नई दिल्ली में 1 अप्रैल, 1989 और 31 जुलाई, 1991 को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी-कितनी थी और उसमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कितने-कितने थे;

(ख) 1 अप्रैल, 1989 और 31 जुलाई 1991 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित कुल पदों में से अब तक रिक्त चले आ रहे पदों की सख्या क्या थी;

(ग) इन रिक्त ले आ रहे पदों को भरने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इस अवधि के दौरान ये पद अनारक्षित कर दिये गये थे और इन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से भर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है—

समूह	1-4-1989 की स्थिति के अनुसार			31-7-91 की स्थिति के अनुसार		
	कुल कर्मचारी	अनु० जाति	अनु० जनजाति	कुल कर्मचारी	अनु जाति	अनु० जनजाति
(क)	182	24	2	167	21	3
(ख)	418	35	4	400	31	2
(ग)	727	114	17	698	108	18
(घ)	355	91	11	344	94	11
कुल—	1682	264	34	1609	254	34

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है—

समूह	1-4-89 को बकाया रिक्तियां (सीधी भरती)		31-7-91 को बकाया रिक्तियां (सीधी भरती)		1-4-89 को बकाया रिक्तियां (प्रौन्नति)		31-7-91 को बकाया रिक्तियां (प्रौन्नति)	
	अनु० जाति	अनु जनजाति	अनु० जाति	अनु जनजाति	अनु जाति	अनु जनजाति	अनु जाति	अनु जनजाति
(क)	—	2	—	1	—	—	—	—
(ख)	12	6	12	6	4	1	4	1
(ग)	5	11	4	10	1	2	1	2
(घ)	8	5	6	4	—	—	—	—

(ग) यह उल्लेखनीय है कि इस निगम को पिछले कुछ वर्षों से अपने संचालन में लगातार हानि हो रही है। 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार इस निगम की संचित हानि 1555.52 लाख रुपये थी। वर्ष 1990-91 के लिए इस निगम की अनुमानित हानि 410.90 लाख रुपये है। हानि के मुख्य कारणों में एक कारण निगम के कर्मचारियों की फालतू संख्या है। इस निगम के कामकाज में सुधार करने के लिए, भारत सरकार द्वारा मार्च, 1990 में 236.01 करोड़ रुपये की कुल लागत से शुरू की गई विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजना, राष्ट्रीय बीज परियोजना चरण-3 (एन० एस० पी०-III) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय बीज निगम के वित्तीय और प्रशासनिक तंत्र का नैदानिक अध्ययन करने के लिए भारत सरकार ने मैसर्ज टाटा परामर्शदायी सेवाओं को संचालक परामर्शदाता नियुक्त किया है। एन० एस० पी०-3 के प्रावधानों के अनुसार, जो राष्ट्रीय बीज निगम को मजबूत बनाने तथा अन्ततः इसे व्यावहारिक बनाने के लिए है, इस निगम से भारत सरकार द्वारा निवेशिता समता (इक्विटी) पूंजी के सन्दर्भ में 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष का न्यूनतम लाभ अर्जित करना अपेक्षित है। तदनुसार, परामर्शदाताओं से अनुरोध किया गया कि राष्ट्रीय बीज निगम की आवश्यकता पर आधारित कर्मचारियों की जरूरत का मूल्यांकन करें। परामर्शदाताओं की सिफारिशों के आधार पर संशोधित कर्मचारी संख्या के सन्दर्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों में से बकाया रिक्त पदों को भरा जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अध्यक्ष जी, जो इंफारमेशन सदन में दी गई है, उससे यह पता चलता है कि 31-7-91 को हमारे 112 आदिवासियों की भर्ती होनी थी तो सिर्फ 34 की भर्ती हुई है। वह क्यों नहीं हुआ और किस वजह से नहीं की, उसका ब्यौरा देने की कृपा करें।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों को मैं डिटेल देना चाहता हूं। नेशनल सीड्स कार्पोरेशन में घाटा ही घाटा हो रहा है।

[अनुवाद]

पिछले कुछ वर्षों से भर्ती पहले ही कम हो रही है। हम कोई नई भर्ती नहीं करते हैं। नौ रिक्तियां हैं और उनमें से चार अनुसूचित जातियों और चार अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। यदि हम अधिक भर्ती करते हैं, तो यह सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ निर्धारित नियमों के अनुसार हो।

[हिन्दी]

श्री अनादि चरण दास : अभी तो आंकड़ा घटता जा रहा है, क्योंकि आपको लॉस होता है, लेकिन लॉस के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिशत कम क्यों होता जा रहा।

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : उसके बाद कोई नई भर्ती नहीं हुई है। मैं यह निश्चित करूंगा कि यह निर्धारित नियमों के अनुसार हो। यदि यह फिर से आरम्भ हुआ तो हम नई भर्ती करेंगे और वह भी निर्धारित नियमों के अनुसार की जाएगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सायनाइड के कचरे से सोना निकालना

[अनुवाद]

*691. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** :

क्या **खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खानों के आसपास डाले गए सायनाइड कचरे से काफी मात्रा में सोना निकाला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे कचरे से सोना निकालने की सम्भाव्यता का पता लगाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह जाखड़) : (क) और (ख) जी नहीं। भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड कम्पनी 1987-88 से 1990-91 के दौरान 2,62,425 टन पछोड़न ढेर के शोधन से केवल 92 किलो सोना निकाल पाई है। पछोड़न ढेरों के शोधन से यह स्वर्ण निकासी 0,0000351% बैठती है।

(ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० कम्पनी अल्प-वाणिज्यिक स्तर पर "हीप लीचिंग" प्रक्रिया द्वारा पहले से ही पछोड़न ढेरों (सायनाइड कचरे के रूप में ज्ञात) से स्वर्ण निकाल रही है।

(घ) पछोड़न से स्वर्ण निकासी का हीप-लीचिंग संयंत्र भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड ने 1986 में चालू किया था। वर्ष-वार स्वर्ण-उत्पादन इस प्रकार है :

(किलोग्राम में)

1987-88	1988-89	1989-90	1990-91
10	17	25	40

कृषि वस्तुओं के लिए समर्थन मूल्य

*696. **श्री विश्वेश्वर भगत :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्य निर्धारित करते समय कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि वस्तुओं के लागत मूल्यों के बारे में की गई सिफारिशों का ध्यान रखा जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में कृषि विश्वविद्यालयों की सिफारिशों पर ध्यान देने का है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) भारत में मुख्य फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के अन्तर्गत कृषि विश्वविद्यालय और कृषि आर्थिक अनुसंधान केन्द्र फसलों की खेती/उत्पादन की लागत सम्बन्धी आंकड़े एकत्र करते हैं। कृषि लागत और मूल्य आयोग सम्बन्धित मौसम के लिए समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन लागत के अद्यतन आंकड़ों पर भी विचार करता है।

पाकिस्तान के विदेश सचिव की भारत यात्रा

*698. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के विदेश सचिव हाल ही में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनकी इस यात्रा का उद्देश्य क्या था; और

(ग) विभिन्न द्विपक्षीय मसलों पर भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत के क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) उन्होंने हमारे प्रधान मन्त्री को पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री का यह सन्देश दिया कि पाकिस्तान की सरकार ईमानदारी से यह चाहती है कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए सभी द्विपक्षीय समस्याओं को गम्भीर और रचनात्मक बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। विदेश मन्त्री और रक्षा मन्त्री के साथ उनकी मुलाकातों में भी यह बात दोहराई गई थी। विशेष दूत को यह बताया गया कि भारत सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के आधार पर तनाव मुक्त और अच्छे पड़ौसी के से सम्बन्ध बनाने के लिए निरन्तर काम किया है।

हमारा विश्वास है कि यह हमारे दोनों देशों के लोगों और इस देश में शान्ति और स्थायित्व के हित में होगा।

उत्तर प्रदेश में सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

*700. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सभी जिलों और तहसील मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में उन जिलों और तहसील मुख्यालयों के नाम क्या हैं जहां इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जिन इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है उनके स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है। जहां मैनुअल एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं वहां भी इस प्रकार के एक्सचेंजों को लगाने की योजना है। इसके अतिरिक्त जहां नए एक्सचेंज का औचित्य बनता है, वहां इलेक्ट्रोनिक टाइप का एक्सचेंज ही लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) उत्तर प्रदेश में 1991-92 में जिन जिलों तथा तहसीलों में ये एक्सचेंज लगाने की योजना है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में 1991-92 के दौरान निम्नलिखित जिलों तथा तहसील मुख्यालयों में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किए जाने की योजना है।

क्रम सं०	जिले का नाम	उन तहसील मुख्यालयों/जिला मुख्यालयों के नाम जहां इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है।
1	3	3
1.	आगरा	1. किरोली 2. खेड़ागढ़ 3. एतमादपुर 4. बाह 5. फतेहाबाद 6. आगरा (विस्तार) जिला मुख्यालय

1	2	3
	2. इलाहबाद	1. सिराथू
		2. मंजनपुर
		3. करचाना
	3. अलीगढ़	1. खैर
	4. आजमगढ़	1. सागरी
	5. अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा (जिला मुख्यालय)
	6. बांदा	1. बाबेरू
	7. बरेली	1. फरीदपुर
		2. आंवला
		3. बाहेरी
	8. बिजनौर	1. धोमपुरा
		2. नागिना
	9. बदायूं	1. बिसौली
		2. गुनौर
		3. बदायूं (जिला मुख्यालय)
		4. दातागंज
	10. बुलन्दशहर	1. अनूपशहर
	11. चमोली	1. जोशी मठ
		2. ओखी मठ
	12. फैजाबाद	1. अकबरपुर
		2. टांडा
	13. फर्रूखाबाद	1. कैमगंज
		2. कन्नौज
		3. फर्रूखाबाद (जिला मुख्यालय)
	14. गढ़वाल (पौढ़ी)	1. कोटद्वार
	15. गाजियाबाद	1. हापुड़
	16. गोंडा	1. गोंडा (जिला मुख्यालय)
		2. तराबगंज

1	2	3
17.	हमीरपुर	1. हमीरपुर (जिला मुख्यालय)
		2. माऊदाहा
		3. माहोबा
18.	हरदोई	1. हरदोई (जिला मुख्यालय)
		2. शाहबाद
		3. बिलग्राम
19.	जौनपुर	1. शाहगंज
20.	झांसी	1. झांसी (जिला मुख्यालय)
21.	लखनऊ	1. लखनऊ महानगर (जिला मुख्यालय)
22.	मैनपुरी	1. मैनपुरी (जिला मुख्यालय)
23.	मथुरा	1. मथुरा (जिला मुख्यालय)
24.	मेरठ	1. सरधाना
		2. मवाना
		3. मेरठ (जिला मुख्यालय)
25.	सोनभद्र	1. दुधी
26.	मुरादाबाद	1. मुरादाबाद (जिला मुख्यालय)
27.	मुजफ्फर नगर	1. मुजफ्फर नगर (जिला मुख्यालय)
28.	रामपुर	1. रामपुर (जिला मुख्यालय)
		2. बिलासपुर
		3. मीलाक
29.	सहारनपुर	1. देवबंद
		2. मिसरीख
30.	सीतापुर	1. बिस्वा
31.	उन्नाव	1. पुरवारी

1	2	3
32.	उत्तरकाशी	1. राजगढ़ी
		2. द्वन्दा
		3. पुरौला
		4. भाटवारी
33.	वाराणसी	1. वाराणसी (जिला मुख्यालय)
		2. चाकिया
34.	हरिद्वार	1. हरिद्वार (जिला मुख्यालय)
35.	कानपुर	1. कानपुर (जिला मुख्यालय)

भारत-बंगलादेश-सीमा पर विद्युत प्रवाहित तारों की बाड़ लगाना

*701. **श्री काशीराम राणा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-बंगलादेश सीमा पर विद्युत प्रवाहित तारों की बाड़ लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान्।

(ग) सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर अपेक्षाएं निर्धारित की जाती हैं।

सिंचाई-परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिए जाने के लिए नयी प्रक्रिया

[अनुवाद]

*702. **श्री गोपीनाथ गजपित :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति में होने वाले असाधारण विलम्ब को समाप्त करने के लिए कोई नयी प्रक्रिया तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रक्रिया के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन और स्वीकृति संबंधी संशोधित मानदण्ड फरवरी, 1990 में जारी किए गए हैं।

(ख) संशोधित मानदण्डों का वितरण संलग्न है।

(ग) राज्यों द्वारा प्रस्तावित नई परियोजनाओं पर नई पद्धति पहले ही लागू हो चुकी है।

विवरण

सिंचाई परियोजनाओं के प्रस्तुतीकरण, मूल्यांकन और स्वीकृति सम्बन्धी संशोधित मानदण्ड

इन दिशानिर्देशों में वृहद परियोजनाओं की तकनीकी जांच का मुख्य भाग राज्य सरकारों, जिनके अपने केन्द्रीय अभिकल्प संगठन हैं, को सौंपा गया है। ऐसे मामलों में यदि अंतर्राज्यीय पहलुओं को हल कर लिया जाता है तथा परियोजनाओं की जल वैज्ञानिक और आर्थिक व्यवहार्यता स्वीकार्य है तो केन्द्रीय जल आयोग में परियोजनाओं की जांच 7 महीने के अन्दर पूरी की जाएगी। राज्यों में, जहां ऐसे संगठन नहीं है, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजना रिपोटों की जांच की जाएगी तथा इनकी जांच 14 महीने के अन्दर पूरी की जाएगी। मध्यम परियोजनाओं के मामले में, केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में इनकी जांच की जाएगी तथा दिल्ली में स्थित केन्द्रीय जल आयोग के मुख्यालय में इनकी जांच नहीं की जाएगी तथा इसके बाद 7 महीने की अवधि के अन्दर ये स्वीकृति हेतु परामर्शदात्री समिति को भेज दी जाएंगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य-सरकारों को पर्यावर्णिक तथा/अथवा वन दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित है।

मूल्यांकन पूरा होने के बाद निवेश स्वीकृति हेतु योजना आयोग को भेजने के लिए परामर्शदात्री समिति द्वारा परियोजनाओं पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

विशाखापतनम इस्पात संयंत्र का गैर सरकारीकरण

*703. श्री भाग्ये गोवर्धन :

श्री अखिलेष आचार्य :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापतनम इस्पात संयंत्र को गैर सरकारी क्षेत्र में देने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा किन कारणों से किया जा रहा है;

(ग) क्या धनराशि के अभाव के कारण इसमें इस्पात का वार्षिक उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न स्रोतों से धनराशि जुटाने हेतु कोई योजना बनायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) परियोजना के प्रथम चरण की अधिकांश इकाइयां 1990-91 के दौरान क्रमिक रूप से चालू की गई थीं और ये इकाइयां अभी स्थाईकरण की प्रक्रिया में हैं । 1990-91 में वार्षिक उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने में मामूली कमी रह जाना इसका मुख्य कारण था । 1991-92 में स्थिति में सुधार होने की आशा है ।

(ङ) और (च) परियोजना को पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के विभिन्न उपाय सरकार के विचाराधीन हैं जिसमें बजटीय सहायता, अतिरिक्त बजटीय स्रोत और पूंजी बाजार से धन भी शामिल हैं ।

संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति की सिफारिशें

[हिन्दी]

*704. **श्री मोतीलाल सिंह :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसदीय राजभाषा समिति की उप-समिति ने विभिन्न विभागों का निरीक्षण करने के बाद जो सिफारिशें की थीं, उन्हें लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) तत्कालीन सिंचाई और विद्युत मंत्रालय तथा जल आयोग के निरीक्षण के बाद, ऐसी पहली उप-समिति द्वारा उनके बारे में की गई सिफारिशों को लागू न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में राजभाषा से संबंधित एक समिति, जिसमें 30 संसद सदस्य होंगे द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने का प्रावधान है । अपने कार्यों के निर्वाहन के लिए समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में (i) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों आदि का निरीक्षण, (ii) उपर्युक्त (i) में इंगित कार्यालयों से सूचनाएं/विचार/सुझाव प्राप्त करने के लिए एक प्रश्नावली परिचालित करना; तथा (iii) विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्य व्यक्तियों के विचार साक्ष्य के माध्यम से प्राप्त करना, सम्मिलित है । निरीक्षण का कार्य करने के निमित समिति ने अपने सदस्यों

में से 3 उप समितियों का गठन किया है। अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी उपसमियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति अपने प्रतिवेदनों, उन पर अपनी सिफारिशें देते हुए, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। ये प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और राज्य सरकारों को भी भेजे जाते हैं। उप समितियों की सिफारिशें संसदीय समिति को प्रस्तुत की जाती हैं और समिति अपनी सिफारिशें अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है।

संसदीय राजभाषा समिति ने अब तक अपने प्रतिवेदन के 4 खण्ड राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए हैं और ये खंड संसद के दोनों सदनों में भी प्रस्तुत किए गए हैं। प्रतिवेदन का चौथा खंड केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति से सम्बन्धित है। इस खण्ड में जल संसाधन मन्त्रालय, केन्द्रीय जल आयोग तथा विद्युत विभाग ने हिन्दी के प्रयोग में प्रगति से सम्बन्धित स्थिति का भी उल्लेख किया गया है। जबकि समिति के प्रतिवेदन के खंड 1 और 2 पर, राज्य सरकारों से विचार प्राप्त कर लेने के पश्चात, राष्ट्रपति के निदेश जारी कर दिए गए हैं, प्रतिवेदन के खंड 3 पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त कर लिए गए हैं और उन पर राष्ट्रपति के निदेश जारी किए जा रहे हैं। प्रतिवेदन के चौथे खंड पर राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए जा रहे हैं।

दिल्ली में दूध की कमी

[अनुवाद]

*705. **श्री पी० श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री मदनलाल खुराना :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी राज्यों की दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों द्वारा दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी को दूध की सप्लाई बन्द कर दिये जाने के कारण दिल्ली में दूध की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने दिल्ली में दूध की सप्लाई पुनः सामान्य बनाने के लिए क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) पड़ौसी राज्यों से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों ने दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी को दूध की सप्लाई करनी बन्द नहीं की थी। अप्रैल से अगस्त 1991 के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना और मदर डेरी को सप्लाई की गयी दूध की मात्रा गत वर्ष इसी अवधि के दौरान सप्लाई की गयी मात्रा से कम थी। तथापि, दिल्ली में मदर डेरी और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की कुल बिक्री का स्तर बनाये रखा गया।

हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी का विस्तार

*706. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, खेतड़ी का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च होने की संभावना है;

(ग) क्या राजस्थान में तांबे के किसी नये भंडार का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या भविष्य में तांबे के उत्पादन की कोई योजना बनाई गई है या उसके उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने खेतड़ी कापर कम्प्लेक्स (राजस्थान) में प्रगालन और शोधन क्षमता को 31,000 टन वार्षिक से बढ़ाकर 45,000 टन वार्षिक करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत इस समय 50 करोड़ रुपए है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड की खेतड़ी प्रगालक के विस्तार की स्कीम को अन्तिम रूप से 1995 तक सम्पन्न करने की योजना है।

प्राचीन कृषि प्रणाली के बारे में शोध कार्य

[हिन्दी]

*707. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने वैदिक काल में अपनाई गई कृषि प्रणाली के सम्बन्ध में वेदों में उपलब्ध जानकारी के बारे में कोई शोध कार्य कराया है; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या निष्कर्ष निकले ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्रोहियों की गतिविधियों के बारे में मयानमार के साथ बातचीत

[अनुवाद]

*708. **श्री जार्ज फर्नांडीज :**

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय विद्रोहियों द्वारा मयानमार के क्षेत्र का इस्तेमाल किए जाने के मामले पर सरकार ने मयानमार की सरकार के साथ बातचीत शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इस मसले पर म्यानमार की सरकार के साथ समय-समय पर चर्चा की जाती रही है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि किसी पड़ौसी देश के खिलाफ विद्रोही गुटों को सहायता देने की उनकी नीति नहीं है और उन्होंने कहा कि वे विद्रोही गतिविधियों पर निगाह रखने और उन पर काबू पाने में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसी आधार पर, दोनों देशों के सीमा कमाण्डर एक-दूसरे के साथ सम्पर्क बनाए रखते हैं।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय फल अनुसंधान केन्द्र

*709. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केला, संतरा, आम और अंगूर के लिए महाराष्ट्र में क्रमश: जलगांव, नागपुर रत्नगरि और पुणे में राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) महोदय, भारतीय कृषि अनुसंधान-परिषद द्वारा नागपुर में पहले से ही नींबू वर्गीय फलों (जिनमें संतरा भी शामिल है) पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जा चुका है। महाराष्ट्र में केला और आम पर राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अलबत्ता अंगूर पर एक राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है । इसके लिए महाराष्ट्र और दो अन्य राज्यों से उपयुक्त स्थान सुझाने के लिए कहा गया है।

सार्वजनिक पदों पर कार्यरत व्यक्तियों द्वारा परिसम्पत्तियों की घोषणा

[हिन्दी]

*710. **श्री काशीराम राणा :**

क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों तथा उनके परिवार के

सदस्यों के लिए यह अनिवार्य करने का विचार है कि वे प्रतिवर्ष अपनी परिसम्पत्तियों की घोषणा करें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी चह्वाण) : (क) और (ख) मंत्रियों के लिए एक आचरण-संहिता है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक मंत्री को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक अपनी परिपम्सत्तियों और देयताओं की घोषणा करनी होती है। जहां तक केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का सम्बन्ध है, उन पर केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 और उसके अन्तर्गत जारी किए गए अनुदेश लागू होते हैं। इसी प्रकार के उपबन्ध सम्बन्धित सेवा नियमों और मैनुअलों में भी विद्यमान है, जो अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक सेवा की सेवा शर्तों पर लागू होते हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

अल्ट्राज मास्ड ऑन इण्डो-पाक बोर्डर शीर्षक से समाचार

[अनुवाद]

5737. **श्री श्रवण कुमार पटेल** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 मई, 1991 के टाइम्स आफ इण्डिया में अल्ट्राज मास्ड आन इण्डो पाक बोर्डर शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा इसके क्या परिणाम निकले है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकार के पास नियंत्रण-रेखा पर एकत्र हुए व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई विनिर्दिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं हैं जैसा कि समाचार में कहा गया है। तथापि, सरकार सीमा के आस पास की स्थिति पर निरन्तर नजर रखती है तथा पूर्ण सुरक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है।

बिहार में बाक्साइट के भण्डार

[हिन्दी]

5738. **श्री ललित उरांव :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के गुमला और लोहारदग्गा जिलों में बाक्साइट के विशाल भण्डार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इसकी ढुलाई पर होने वाले व्यय को समाप्त करने के लिए इन जिलों में बाक्साइट पर आधारित उद्योग खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बिहार के गुमला और लोहारडागा जिलों में बाक्साइट के कोई विशाल निक्षेप नहीं हैं। यहां क्रमश: 4.47 मिलियन टन और 14.1 मिलियन टन भण्डार होने का अनुमान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई परियोजनाएं

[अनुवाद]

5739. **डा० जयंत रंगपी :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र-सरकार ने राज्यवार कितनी बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है; और

(ख) असम की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र-सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आठ वृहद सिंचाई परियोजनाओं अर्थात आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से एक-एक, पंजाब से दो तथा राजस्थान से प्राप्त हुई तीन परियोजनाओं को निवेश-स्वीकृति दी गई है। इनके अतिरिक्त, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश की एक-एक मध्यम परियोजना को योजना आयोग द्वारा निवेश के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही पिछले तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 47 वृहद और 25 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन पूरा किया गया।

(ख) और (ग) तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा किए जाने के बाद, सलाहकार-समिति ने

पगला दिया नामक वृहद सिंचाई-परियोजना पर जुलाई, 1990 में विचार किया। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को निदेश दिया गया है कि वह जल विद्युत तथा भूजल उपयोग पहलुओं को शामिल करने और पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इस परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करे। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर, तथा सितम्बर 1990 में प्राप्त हुई क्रमशः बुढ़ीसुति तथा गरुफाला नामक दो मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की जांच की गयी तथा उन पर की गयी टिप्पणियां राज्य-सरकार को अनुपालन के लिए भेजी गयीं। राज्य-सरकार द्वारा ऐसी संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, जो केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकार्य हो।

केरल में स्थानीय एस० टी० डी० सुविधा

2740. **श्री कोड्डीकुनील सुरेश :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केरल में पुणालुर और कोट्टारक्कारा में तालुक मुख्यालयों को जोड़ने के लिए कुलाथुपुझा और कडाक्कल एक्सचेंजों से स्थानीय एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) (जी नहीं।

(ख) कुलाथुपुझा और कडावन्कल से उनके तालूका मुख्यालयों पुनालुर और कोट्टार कारा के लिए ग्रुप डायलिंग की अनुमति तकनीकी दृष्टि से नहीं दी जा सकती है।

8वीं योजना अवधि के अन्त तक कुलालुपुझा और कडाक्कल एक्सचेंज से एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

हरियाणा में जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० से जोड़ना

5741. **श्री धर्मपालसिंह मलिक :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सभी मुख्यालयों को कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) एकमात्र शेष कुरुक्षेत्र जिला मुख्यालय को मार्च, 1992 तक एस० टी० डी० से जोड़े जाने की योजना है।

महाराष्ट्र के गांवों में डाकघर खोलना

[हिन्दी]

5742. **श्री गोविन्दराव निकम :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्र में नये डाकघर खोलने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ख) महाराष्ट्र में कितने गांवों में डाकघर-सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ग) इनमें से कितने गांवों में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डाकघर खोले जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में कई गांवों में डाकघरों को प्रबंधन शिक्षकों को सौंपा गया है;

(ङ) यदि हां, तो 30 जून, 1991 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में ऐसे कितने डाकघर थे; और

(च) ऐसे डाकघरों में अंशकालिक आधार पर भी भर्तियां न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ख) महाराष्ट्र में ऐसे 28307 गांव हैं जिनमें डाकघर नहीं हैं लेकिन उन्हें मौजूदा नजदीकी डाकघर द्वारा सेवा प्रदान की जाती है ।

(ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 150 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनका औचित्य हो ।

(घ) जी हां ।

(ङ) 30-6-91 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में ऐसे 334 डाकघर हैं ।

(च) विभाग की नीति केवल उन्हें अतिरिक्त विभागीय एजेंट नियुक्त करने की है जिनके पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत है । इन मामलों में अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है । यदि आवश्यकता होती है, तो ऐसे अन्य लोगों को भी भर्ती करने में कोई आपत्ति नहीं होती जिनके पास आय का कोई और वैकल्पिक साधन हो ।

विवरण

डाकघर खोलने के मानदण्ड : 1-4-1991 से प्रभावी

शाखा डाकघर :

सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में

(i) **जनसंख्या :**

ग्रामों के एक समूह की जनसंख्या 3000

(ii) **दूरी :**

निकट मौजूदा डाकघर से न्यूनतम दूरी 3 किलोमीटर होगी।

(iii) **अनुमानित आय :**

न्यूनतम अनुमानित राजस्व लागत का $33\frac{1}{3}\%$ होना चाहिए।

(i) पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी और दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में।

जनस संख्या :

किसी एक ग्राम की टनसंख्या 500 या ग्रामों के एक समूह की जनसंख्या 1000

(ii) **दूरी :**

दूरी की सीमा वही होगी जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में न्यूनतम दूरी की सीमा में निदेशालय द्वारा छूट दी जा सकती है।

(iii) **अनुमानित आय :**

न्यूनतम अनुमानित आय लागत की 15 प्रतिशत होगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में घुसपैठ

[अनुवाद]

5743. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के समुद्री क्षेत्र में अनेक विदेशी घुसपैठिये निरंतर प्रवेश कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हमारे सीमा जलक्षेत्र में घुसपैठ होने के कितने मामलों का पता चला है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

संसदी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के इर्द-गिर्द हमारे समुद्री क्षेत्र पर सम्बन्धित एजेंसियों द्वारा सतर्कता रखने के बावजूद कुछ घुसपैठ हो जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई घटनाओं और इस सम्बन्ध में पकड़े गए विदेशों राष्ट्रिकों की संख्या के बारे में सूचना निम्न प्रकार से है :

वर्ष	पता लगाये गये घटनाओं की संख्या	पकड़े गये विदेशी राष्ट्रकों की संख्या
1988	07	053
1989	32	318
1990	47	560

केरल के एर्णाकुलम जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण और विस्तार

5744. **श्री पी० सी० थामस :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में एर्णाकुलम जिले में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण करने और उनको एस० टी० डी० तथा सामूहिक टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई योजना बनायी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) एर्नाकुलम जिले में 64 एक्सचेंजों में से 17 एक्सचेंजों के स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाकर उन्हें पहले ही आधुनिक बनाया जा चुका है। शेष 47 एक्सचेंजों को उचित समय आने पर इनको बदलकर इनके स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाकर इनका विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

एर्नाकुलम जिले की सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में ग्रुप-डायलिंग सुविधा उपलब्ध है।

एर्नाकुलम जिले को 30 एक्सचेंजों के लिए एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। शेष सभी एक्सचेंजों में यह सुविधा 8वीं योजना के अन्त तक प्रदान कर दिए जाने की योजना है।

बंगलौर में आदर्श दूरदर्शन केन्द्र

5745. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बंगलौर में पुराने भवन के सी० टी० ओ० परिसर में एक 'आदर्श दूर-संचार केन्द्र' खोला गया था;

(ख) क्या उक्त केन्द्र नये भवन में स्थानान्तरित किया जाना है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस कार्य में कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(घ) उक्त केन्द्र पर तारों के शीघ्र निपटान के लिए लोगों को कौन-कौन सी गई सुविधाएं मुहैया की गई हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को मद्दे नजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) तारों के शीघ्र निपटान के लिए कंप्यूटरीकृत फारमेटेड मैसेज टर्मिनल, जो कि स्टोर एण्ड फारवर्ड मैसेज स्विच के साथ जुडा हुआ है, प्रदान किया गया है ।

भारत में विदेशी मशीनरी

5746. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** :

क्या गृह मंत्री 24 अप्रैल, 1989 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6693 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी विदेशी मिशनरियां हैं;

(ख) वर्ष 1989-91 के दौरान ऐसी कितनी मिशनरियां भारत में आईं;

(ग) 1 अप्रैल, 1991 की स्थिति के अनुसार इन विदेशी मिशनरियों का ब्यौरा क्या है, वे किन-किन जिलों में पंजीकृत हैं और उनके आवास कहां-कहां हैं;

(घ) क्या पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा इन मिशनरियों का भारत में मूल रूप से प्रवेश की तिथि और यहां से उनकी अन्तिम रूप से रवानगी की तिथि के बारे में समुचित जानकारी रखी जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 1-1-1990 को भारत में पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की संख्या 2157 थी।

(ख) कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, क्योंकि भारत में रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों को लम्बे समय के लिए अक्सर, विदेश जाने की अनुमति दी जाती है ।

(ग) जिलेवार सूचना नहीं रखी जाती है ।

(घ) जी हां, श्रीमान । विदेशी पंजीकरण नियमों 1939 में इस आशय के उपबन्ध नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है ।

बिहार में नए डाकघर

[हिन्दी]

5747. **श्री विजय कुमार यादव** :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिकतम डाक-सुविधाएं प्रदान करने के लिए नए डाकघर खोलने हेतु डाकघरों के बीच की दूरी और जनसंख्या संबंधी शर्तों में कोई ढीलहै;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिहार में कितने नए डाकघर खोलने का विचार है और उनमें से जिलावार अब तक कितने डाकघर खोल दिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) नए डाकघर खोलने के लिए दूरी और जनसंख्या संबंधी मानदण्डों में ढील देने के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। इन मानदण्डों को हाल ही में संशोधित किया गया है और इन्हें 1-4-1991 से लागू किया गया है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि पहाड़ी जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दुर्गम क्षेत्रों के मामले में, वहां विशेष परिस्थितियों में औचित्य पाए जाने पर दूरी की शर्त में छूट दी जा सकती है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में बिहार में 250 शाखा डाकघर और 10 उप डाकघर खोलने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उनका औचित्य हो। अब तक खोले गए डाकघरों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष (1991-92) के दौरान बिहार में खोले गए डाकघरों की जिलेवार संख्या

क्र० सं०	जिले का नाम	शाखा डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	वैशाली	3
2.	सारन	6
3.	पटना	5
4.	भोजपुर	4
5.	बक्सर	1

1	2	3
6.	नालंदा	3
7.	रांची	3
8.	भागलपुर	1
9.	नवादा	2
10.	गया	2
11.	हजारीबाग	2
12.	पालामऊ	2
13.	सिंहभूम	1
14.	गोड्डा	1
15.	गुमला	1
16.	बेगूसराय	4
17.	खगड़िया	2
18.	दरभंगा	5
19.	मधुबनी	2
20.	मुंगेर	3
21.	मुजफरपुर	9
22.	माधेपुरा	3
23.	सहरसा	2
24.	पूर्णिया	2
25.	कटिहार	4
26.	गोपालगंज	5
27.	सिवान	6
28.	सीतामढ़ी	5
29.	समस्तीपुर	3
30.	पूर्वी चम्पारन	4
31.	पश्चिम चम्पारन	4

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की गिरफ्तारी

[अनुवाद]

5748. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में विघटनकारी और अलगाववादी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया; और

(ख) आतंकवादियों की गतिविधियों में शामिल होने के प्रति लोगों को निरूत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) वर्ष 1988, 1989, 1990 और 30 जून, 1991 तक आतंकवादियों को शरण देने वाले व्यक्तियों सहित गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 93, 299, 4593 और 2653 है, उनमें से अनेक लोगों को प्रारम्भिक जांच-पड़ताल के बाद रिहा कर दिया गया। अब तक किसी व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया।

(ख) केवल मुठ्ठी भर व्यक्ति आतंकवादियों के साथ मिले हुए हैं। आतंकवादियों और उनसे सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त उपाय किए जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में नासिक जिले में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

5749. **श्री जैड० एम० कहांडोले :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र के नासिक जिले में दिन्डोरी, सरगना, पठ, कलवां, इगत पुरी और चन्दवाड में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर पासवान) : (क) जी हां। सरगना और पेठ को छोड़कर।

(ख) ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) 1991-92 के दौरान दिन्दोरा, कालवान, चांदवाड और इगतपुरी में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज खोलने की योजना है।

(ii) इस समय विभागीय नीति के अनुसार सरगना और पेठ में वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज नहीं लगा सकते।

मिस्र के उप प्रधान मंत्री की यात्रा

5750. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र के उप-प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत की यात्रा की थी; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ हुई उनकी वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) जी हां।

(ख) द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर एक सामान्य विचार विमर्श हुआ था। इस बातचीत में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पद के लिए आगामी सुझाव की बात भी आई थी। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत हुए हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर आपसी समझ बूझ और बढ़ी है।

जम्मू में बम विस्फोट में मारे गए व्यक्ति

5751. **श्री गुरदास कामत :**

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जम्मू में हुए बम विस्फोट में कितने व्यक्ति मारे गये;

(ख) क्या विस्फोट में मारे गए व्यक्तियों के निकट संबंधियों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) : हाल ही में जम्मू में हुए बम विस्फोट में 11 व्यक्ति मारे गए। मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को प्रत्येक को 1 लाख रुपए की राशि का अनुग्रहपूर्वक मुआवजा दिया गया है।

(ग) और (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

(ङ) जम्मू क्षेत्र में सर्तकता गहन कर दी गई है।

बोडोलैंड की मांग

5752. **श्री प्रवीन देका :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल बोडो स्टुडेंट्स यूनियन और बोडो पीपल एक्शन कमेटी ने असम में **बोडोलैंड** की मांग पुनः शुरू कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) अखिल बोडो छात्र संघ तथा बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी पिछले कुछ समय से असम में से एक पृथक राज्य बनाने की मांग करते आ रहे हैं ।

(ख) सरकार ने एक तीन सदस्यों वाली विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की है, जो बोडो और अन्य मैदानी आदिवासियों के इलाकों का निर्धारण करेगी तथा उनको दी जा सकने वाली स्वायत्त विधायन, प्रशासनिक और वित्तीय सुविधाओं के संबंध में सिफारिशें करेगी ।

दक्षिण की नदियों को जोड़ना

5753. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :**

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों के एक दल जिसकी बैठक हाल ही में मद्रास में हुई, ने अपनी रिपोर्ट में दक्षिणी राज्यों की सिंचाई सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बाढ़ की समस्या का सामना करने के प्रयोजन से उन राज्यों की महत्वपूर्ण नदियों को जोड़ने की हिम्मत की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) हाल ही में एक प्रैस रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि तमिलनाडु में सिंचाई विशेषज्ञों ने राज्य के मुख्य मन्त्री को एक तकनीक टिप्पण प्रस्तुत किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ गोदावरी को कृष्णा के साथ जोड़ने की परिकल्पना है । तथापि, राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव अथवा अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) गोदावरी को कृष्णा के साथ जोड़ने की परिकल्पना सरकार द्वारा अधिशेष जल को कम जल वाले क्षेत्रों में जल के अन्तरबेसिन अन्तरण हेतु तैयार किए गए जल संसाधनों के विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक में पहले ही की जा चुकी है ।

परमिट शुल्क के गलत निर्धारण और पार्किंग शुल्क वसूलन किए जाने के कारण राजस्व की हानि

5754. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परमिट शुल्क के गलत निर्धारण तथा पार्किंग शुल्क वसूलन किए जाने के कारण राजस्व की हानि से सम्बन्धित नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के 31 मार्च, 1990 (1991 की संख्या 3) को समाप्त होने वाले वर्ष में पेश किए गए प्रतिवेदन में पैरा 42 तथा 43 पर की गई टिप्पणियों पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या राज्य को हानि पहुंचाने के जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करके उन्हें सजा दी गई है;

(ग) क्या अस्थाई लाइसेंसों पर लगए गए शुल्क की शत प्रतिशत जांच करने तथा ट्रांसपोर्टरों से प्राप्त कम शुल्क की वसूली करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) राज्य परिवहन प्राधिकरण तथा परिवहन निदेशालय के कार्यकरण को चुस्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में मत्स्य पालन

[हिन्दी]

5755. **श्री हरिकेवल प्रसाद** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन द्वारा मत्स्य पालन के लिए बनाए गए तालाब खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन तालाबों को बनाने पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने शाहदरा, सीलमपुर और बाड़वाला प्रत्येक में एक-एक मत्स्य बीज फार्म का निर्माण किया है। इन फार्मों का उपयोग प्रमुख कार्य किस्मों के प्रजनन और मत्स्य बीज के पालने के लिए किया जाता है। इन फार्मों पर पोषित मत्स्य बीज को सार्वजनिक, पंचायत और निजी टैंकों में स्टॉक किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में नए डाकघर और तारघर

[अनुवाद]

5756. श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों और देहरादून जिले के जौनसार तथा भावर क्षेत्रों में 1990-91 और 1991-92 के दौरान नए डाकघर और उप डाकघर और तार घर खोलने का निर्णय किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) देहरादून में, टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और जौनसार तथा भाभर क्षेत्र में वर्ष 1990-91 के दौरान खोले गए नए डाकघरों और वर्ष 1991-92 के दौरान खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए डाकघरों की संख्या, बशर्ते कि वे विभागीय मानदंडों को पूरा करते हों, नीचे दी गई है—

	1990-91		1991-92
	शा० डा० घ०	शा० डा० घ०	उप डा०घ०
टेहरी गढ़वाल उत्तरकाशी	4	2	1
जौनसार-भाभर क्षेत्र जिला देहरादून	5	1	1

वर्ष 1990-91 में खोले गए उल्लिखित डाकघरों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। जहां तक डाकघरों का सम्बन्ध है, वर्ष 1900-91 में इन जिलों में कोई नया तारघर नहीं खोला गया और न ही वर्ष 1991-92 में खोलने का कोई प्रस्ताव है।

एल्युमिनियम पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

5757. श्री प्रतापराव बी० भोसले :

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय एल्युमिनियम संघ और भारतीय धातु संस्थान ने हाल ही में संयुक्त रूप से अन्तर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए; और

(घ) उन निर्णयों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी हां ।

(ख) एल्युमिनियम पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस 31 जुलाई से 2 अगस्त, 1991 के दौरान बंगलौर में हुई थी, जिसका विषय था, "90 के दशक और परवर्ती अवधि हेतु एल्युमिनियम नीति ।" कांफ्रेंस में निम्नलिखित 7 शोधपत्र प्रस्तुत किए गए :—

(1) एल्यूमिना और प्रगालक प्रौद्योगिकी;

(2) एल्यूमिनियम उत्पाद और मिश्रातु विकास;

(3) गढ़ाई;

(4) ऊर्जा बचत और नये विकल्प;

(5) विन्यास प्रकृति सहबंध;

(6) एल्यूमिनियम मैट्रिक्स एवं संश्लिष्ट सामग्री; तथा

(7) भूतल प्रौद्योगिकी एवं संरक्षण ।

(ग) कांफ्रेंस की सिफारिशें अभी सरकार को नहीं मिली हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

"नैफेड" को प्रसंस्करण इकाई को हुआ घाटा

[हिन्दी]

5758. **श्री राम प्रकाश चौधरी :**

श्री सज्जन कुमार :

श्री फूलचंद वर्मा :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नैफेड की लारेंस रोड, नई दिल्ली स्थित प्रसंस्करण इकाई को कितना घाटा हुआ है;

(ख) बढ़ते हुए घाटे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस इकाई को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) नैफेड के लारेंस रोड नई दिल्ली स्थिति परिसंस्करण यूनिट को पिछले तीन सालों में हुए हानि इस प्रकार हैं :—

वर्ष	हानियां (रुपए लाखों में)
1987-88	32.34
1988-89	25.59
1989-90	30.02

(ख) हानि के मुख्य कारण हैं—किफायती मूल्यों पर कच्चे माल की सुनिश्चित सप्लाई की कमी, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, तथा टिन के डिब्बों पर आयात शुल्क जैसे बहु-स्थली उच्च कर, पैकिंग सामग्री की अधिक लागत तथा क्षमता का कम इस्तेमाल।

(ग) भारत सरकार ने फल और सब्जी उद्योग पर उत्पाद-शुल्क से छूट देकर इसे प्रोत्साहन देने का कदम उठाया है।

तिहाड़ जेल में यातनाएं

[अनुवाद]

5759. **श्री श्री वल्लभ पाणिग्रही** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों पर हो रहे अत्याचार और यातनाओं की खबरों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा तिहाड़ जेल के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) तिहाड़ जेल में कैदियों पर अत्याचार और यातनाओं के बारे में सरकार को कोई शिकायत नहीं की गई है। तथापि 4 अगस्त, 1991 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "प्ली टु स्टाफ टारचर-इन तिहाड़ जेल" शीर्षक नामक समाचार प्रकाशित हुआ था। सामाचार में उच्चतम न्यायालय में दायर एक याचिका का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक कैदी द्वारा जेल की रसोई में रसोईया का काम करने से मना करने पर जेल कर्मचारियों द्वारा 17 जुलाई को उस कैदी को तंदूर में धकेलने का आरोप लगाया है। जेल प्राधिकारियों ने सूचित किया कि आरोप सही नहीं है। उनके अनुसार अभियुक्त जब तंदूर में चपाती डाल रहा था तो उसने अचानक उल्टी करनी शुरू कर दी और उसकी टांग तंदूर में पड़ गई, जिससे जलने के कारण वह जख्मी हो गया। उसे चिकित्सा सहायता दी गई और अस्पताल ले जाया गया और अब वह ठीक हो गया है।

ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 को पुनः लागू करना

5760. **श्री गामाजी गंगाजी ठाकुर :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ट्रैक्टर (वितरण और बिक्री) नियन्त्रण आदेश, 1971 को पुनः लागू करने का है;

(ख) क्या विक्रेता किसानों द्वारा पंजीकरण के समय जमा कराई गई धनराशि पर कोई ब्याज नहीं देकर ट्रैक्टर की पूरी कीमत ले रहे हैं तथा उन्हें ट्रैक्टर भी अपनी बारी से नहीं मिल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या गरीब किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त अथवा कम ब्याज पर ऋण देने और किसी प्रकार की कोई जमानत न लेने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) कुछ उपभोक्ताओं से शिकायत मिलने पर, ट्रैक्टर विनिर्माताओं से अनुरोध किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके विक्रेता ट्रैक्टर की सुपुर्दगी के बाद ही ट्रैक्टर के मूल्य का पूरा भुगतान करें।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर में एकता दिवस

5761. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा "सालिडेरिटी डे बन्द" के अवसर पर युद्ध अभ्यास परेड किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सूचना के अनुसार कुछ आतंकवादियों ने, जिनमें जे० के० एल० एफ० सशस्त्र समर्थक शामिल हैं, जे० के० एल० एफ० के स्वयंभू मुख्य कमांडर यासीन मलिक के एक वर्ष की नजरबन्दी पूरी करने के उपलक्ष में 6 अगस्त, 1991 को एकता दिवस (सीलिडेरिटी डे) के रूप में मनाया। उन्होंने घाटी में हड़ताल करने का आह्वान भी किया।

2. घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार जटिल बनी हुई है। सरकार को समस्या की जानकारी है और इससे निपटने तथा वहां पर सामान्य हालात बहाल करने के लिए सरकार ने प्रशासनिक उपाय किए हैं।

दिल्ली पुलिस द्वारा दम्पत्ति की पिटाई

5762. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री मदन लाल खुराना :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा एक युवा दम्पत्ति की निर्मम पिटाई करने और उनके बच्चे को जमीन पर पटकने का कोई मामला सरकार की जानकारी में आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) श्रीमती अंशु सक्सेना, निवासी ए-204, न्यू फ्रेंड्स कालोनी, द्वारा एक शिकायत की गई कि बदरपुर पुलिस स्टेशन और सरिता विहार पुलिस चौकी के कुछ पुलिस अधिकारियों ने 8 अगस्त, 1991 को उसे, उसके पति और उसके भाई को गालियां दीं और पीटा। तीन पुलिस अधिकारियों, बदरपुर के तत्कालीन थानेदार, सरिता विहार पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी और एक महिला कांस्टेबल को निलम्बित किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को, जनता के साथ भद्र व्यवहार करने के लिए निदेशों को दोहराया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग न किया जाए, इसके लिए पर्यवेक्षण अधिकारियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से पुलिस स्टेशनों का दौरा करें।

गोपनीय दस्तावेज पकड़े जाना

5763. **श्री बलराम पासी :**

श्री वीरेन्द्र सिंह :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम" :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 अगस्त, 1991 को दिल्ली के हवाई अड्डों की सुरक्षा से संबंधित अति गोपनीय अनेक दस्तावेज पकड़े गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया;

(ग) गत तीन माह के दौरान गोपनीय दस्तावेजों तथा स्वावक औषधियों आदि के जैसी अन्य निषिद्ध वस्तुएं पकड़े जाने के कितने मामलों का पता चला है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान । तथापि, हवाई अड्डों की सुरक्षा पर बैठक के बारे में एक गोपनीय दस्तावेज 31-7-91 को दिल्ली में पकड़ा गया । एक मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है । अभी तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया ।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लेख किया गया है, गोपनीय दस्तावेज की बरामदगी के मामले के अलावा जून, 1991 से अगस्त, 1991 तक की अवधि के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पूरे देश में 10246 मामलों में 111.80 करोड़ रुपये (अस्थायी) मूल्य की नशीली दवाओं सहित निषिद्ध माल जब्त किया गया ।

(घ) तस्करी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाने वाले व्यक्तियों को विभागीय अधिनिर्णय द्वारा दण्डित किया जाता है और उपयुक्त मामलों में न्यायालयों में मुकदमा चलाया जाता है । यदि आवश्यक समझा जाता है तो उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अधीन नजरबंद भी किया जाता है ।

विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 को लागू करना

5764. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री बलराज पासी :

श्री वीरेन्द्र सिंह :

डा० जी० एल० कनौजिया :

श्री रमेश चन्द्र तोमर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अन्तर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है ;

(ख) क्या इससे इन राज्यों में पर्यटकों के आने-जाने पर असर पड़ा है;

(ग) क्या किसी राज्य प्रशासन/सरकार ने उपरोक्त आदेश को वापस लेने की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम के कुछ भाग, संघ शासित क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किए गए हैं।

(ख) पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पर्यटकों के प्रवेश करने और आने-जाने के लिए समय-समय पर अनेक स्थान खोले गए हैं। इन राज्यों में पर्यटन के विकास के लिए विदेशी पर्यटकों के आने-जाने के लिए सरकार उक्त आदेशों के उपबंधों में धीरे-धीरे छूट दे रही है।

(ग) और (घ) अभी हाल में कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से इस बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया गया और पर्यटन को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय सुरक्षा की सम्पूर्ण अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, जहां कहीं संभाव्य हो छूट दी गई।

स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड की इकाइयों का बन्द होना

5765. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

प्रो० उमारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड, पलोन्चा की कुछ इकाइयां बंद कर कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को कितनी हानि हुई; और

(ग) उन इकाईयों को पुन: आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश में पलोंचा स्थित स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड के स्पंज आयरन संयंत्रों की दो रोटरी किलनों में से एक अच्छी क्वालिटी के कोयले की कमी के कारण मई और जून, 1991 के दौरान बन्द रही। इसके कारण स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड को 198 लाख रुपए की बिक्री राजस्व की हानि होने का अनुमान है।

(ग) दूसरे किलन में प्रचालन कार्य पुन: चालू हो गया है।

गाजीपुर में एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करना

[हिन्दी]

5766. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक एल्यूमिनियम संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पटना में राजेन्द्र नगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में बदलना

5767. **श्री राम सुन्दर दास :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना में राजेन्द्र नगर स्थित टेलीफोन एक्सचेंज को इलेक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंज में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज में कब तक बदल दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) 10,000 लाइनों वाले क्रॉसबार एक्सचेंज को वर्ष 1993-94 तक 10,000 लाइनों वाले ई-10 बी एक्सचेंज में बदलने का प्रस्ताव है ।

भारतीय मूल के लोगों का फिजी से वापस आना

5768. **श्री यशवन्तराव पाटिल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फिजी में रहने वाले भारतीय मूल लोगों की संख्या कितनी है जो 1987 से भारत में वापस आए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : 1987 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान 4873 फिजी नागरिक भारत आए हैं । उनमें से भारतीय मूल के लोगों के बारे में अलग से कोई सूचना नहीं रखी जाती है ।

महाराष्ट्र के शोलापुर जिले में टेलेक्स सुविधा

[अनुवाद]

5769. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के किन स्थानों पर टेलेक्स सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या सरकार का विचार तहसील मुख्यालयों, ब्लॉक मुख्यालयों आदि जैसे सभी महत्व-पूर्ण स्थानों पर ये सुविधायें उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) शोलापुर शहर में टेलेक्स एक्सचेंज उपलब्ध है।

(ख) और (ग) जहां कहीं भी 4 कनेक्शनों की न्यूनतम मांग होती हैं वहां के लिए एक नेशनल टेलेक्स एक्सचेंज लगाने की योजना तैयार की जाती है।

दिल्ली में दुर्घटनाएं

5770. **श्री मदनलाल खुराना :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कि :

(क) दिल्ली में गत 12 माह के दौरान टक्कर मार कर भाग जाने की दुर्घटनाओं की माह-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने मामलों में दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था; और

(ग) शीघ्र मामलों को हल करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) दिल्ली में गत 12 माह के दौरान टक्कर मार कर भाग जाने की दुर्घटनाओं की संख्या और ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें दोषी व्यक्तियों को पकड़ा गया, माहवार निम्न प्रकार है :—

अवधि	सूचित किए गए	रद्द किए गए	लापता पाए गए	चालान किए गए	जांच-पड़ताल के लिए लंबित	गिरफ्तार किए गए
1	2	3	4	5	6	7
अगस्त, 90	331	12	148	170	1	171
सितम्बर, 90	277	8	140	122	7	126

1	2	3	4	5	6	7
अक्तूबर, 90	272	4	132	117	19	125
नवम्बर, 90	296	9	149	125	13	129
दिसम्बर, 90	325	7	154	131	33	141
जनवरी, 91	291	10	128	106	47	123
फरवरी, 91	274	6	110	108	50	127
मार्च, 91	267	7	76	96	88	129
अप्रैल, 91	265	5	81	69	110	113
मई, 91	275	4	44	50	178	114
जून, 92	265	2	18	20	225	113
जुलाई, 91	298	—	6	14	278	112

(ग) शेष मामलों को हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) दुर्घटना में अन्तर्गस्त वाहन के ब्यौरों, जहां वाहन का नम्बर घटना स्थल पर नोट नहीं किया जा सका हो, के बारे में क्षेत्र के विभिन्न लोगों से पूछताछ की जा रही है।

(2) वाहन के ब्यौरों के बारे में एस० टी० ए० के रिकार्ड की जांच की जा रही है/रिकार्ड मांगे जा रहे हैं।

(3) दुर्घटना करने वाले वाहन के बारे में पता लगाने के लिए प्रत्यक्षदर्शियों/पीड़ितों से सम्पर्क किया जा रहा है।

(4) मोटर वाहन अधिनियम, 88 की धारा के अधीन वाहन मालिकों को वाहन प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

5771. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश एटा जिले में कुल कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) इन एक्सचेंजों से देश के किन स्थानों के लिए एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदलने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा एटा जिले में संचार प्रणाली को आधुनिक बनाने तथा वहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इस समय कार्य कर रहे कुल एक्सचेंजों की संख्या 25 है।

(ख) एटा और कासगंज दोनों एक्सचेंज एस० टी० डी० के साथ देश के उन नगरों के साथ जुड़े हैं जहां कि एस० टी० डी० सुविधा है।

(ग) से (ङ) विभाग की नेटवर्क आधुनिकीकरण की योजना के भाग के बतौर उन सभी इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों को उत्तरोत्तर बदला जाएगा, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 1991-92 के दौरान पटियाली एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त, मार्च, 1995 तक सभी उप-मंडलीय मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने की योजना है।

महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

*5772. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1991 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली जिलों में कार्य कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त जिलों में उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें अब तक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदला गया है; और

(ग) उन टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें 1991-92 अथवा 1992-93 के अन्त तक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में बदले जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 1-7-1991 की स्थिति के अनुसार कोल्हापुर और सांगली जिलों में काम कर रहे टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे संलग्न विवरण—1 में दिए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त जिलों में जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला गया है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण—2 में दिए गए हैं।

(ग) जिन टेलीफोन एक्सचेंजों को 1991-92 और 1992-93 के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है उनके ब्यौरे संलग्न विवरण—3 में दिएं गए हैं।

विवरण-1

1-7-91 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में टेलिफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्चेंज का नाम	तहसील
1	2	3
1.	आदकुर	चांदगद
2.	आजरा	आजरा
3.	आकीवाद	सिरोल
4.	अनाली-बीके	राधानगरी
5.	बानबावाडा	साहूनाडी
6.	बानगे	कागल
7.	बीड	करवीर
8.	भोगांव-बाजार	पनाला
9.	भइयेवाड़ी	करवीर
10.	बीदरी	कगल
11.	चांदगढ़	चांदगढ़
12.	चिखली	कगल
13.	दनौली	सिरोल
14.	दताबाड़	सिरोल
15.	घनोड	राधानगरी
16.	गांधीगलज	गांधीगजल
17.	गगन बावदा	गगन बावदा
18.	गनेशवाड़ी	सिरोल
19.	गरगोती	भूदर्ग
20.	गोकुलसिरगांव	कारवीर

1	2	3
21.	हलकरनी	गोधोलाज
22.	हनीधा	कागल
23.	हुटकांगले	हुटकांगले
24.	हरे	चांदगाड
25.	हेरले	कारवीर
26.	हुपारी	हाशीगारे
27.	इचलकरंजी	हाटकांगले
28.	इसपुरली	कारवीर
29.	जयसिंहपुर	सिरोल
30.	काडगांव	भुदरगाड
31.	कागिल जोड़	कागिल
32.	काले	पहाला
33.	कापसी	कागल
34.	कारवे	चंदगाड़
35.	कासाबातारले	राधनगिरी
36,	कुलागे	गांधीगलज
37.	केरली	करवीर
38.	कोल्हापुर	करवीर
39.	कोटोली	पन्हाला
40.	कोवाड	चांदगढ़
41.	कदीत्री	करवीर
42.	कुम्भोजी	हुतकंगेल
43.	कुरूंदवाड़	कुरोल
44.	नाडलीलेज	कगल
45.	नाहागांव	गांधीगजल
46.	नलकापुर	साहुवाड़ी
47.	ननशुरूवाड़ी	गांधीनगलज

1	2	3
	48. नुरगुड	काग़ल
	49. नन्दानी	सिरोल
	50. नीसारी	गाधीनगरज
	51. नल	गाधीनकलज
	52. पन्हाला	पन्हाला
	53. पिम्पलगांव	भडगाड
	54. राधानगरी	राधानगरी
	55. रूकाडी	हटकांगले
	56. साडोलीखालसा	कारवीर
	57. सलवान	गगन बावा
	58. संगवाडे	कारवीर
	59. साख्दकाप्सी	साहूवाड़ी
	60. सरवाडे	राधानगरी
	61. साहूनगर	कारवीर
	62. सिनोली	चांदगाड
	63. सिरधोने	सिरोल
	64. सिरोल	सिरोल
	65. सिरोली	हटकांगले
	66. टिल्लरीनगर	चांदगाड
	67. उत्तर	आजरा
	68. वाडगांव	हटकांगले
	69. वाहूनाली	कागल
	70. हलवा	राधानगरी
	71. नारनानगर	पनहाला
	72. नारंगे पाडाली	कारवीर
	73. वासी	कारवीर

1-7-91 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र के सांगली जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	तहसील
1	2	3
1.	एतवाडे (के० एच०)	मालवा
2.	अस्सन्ड	खानापुर
3.	आखली	मिरज
4.	अहूर्लडूड	टाडुकांगीन
5.	आराग	मिरज
6.	आसीता	मालवा
7.	अतपाडे	अतपाडी
8.	बाहे बोरोगाध	बालवा
9.	बानबाकडे	तासगांव
10.	बेदाग	मिरज
11.	भवानीनगर	मालवा
12.	बिल्लूर	जाथ
13.	बोरगाध	तासगांव
14.	चारन	सिराला
15.	चिचानी (ए)	तासगांव
16.	डाफलापुर	जाथ
17.	देर्सिग	के० माहांनकाल
18.	धालगांव	के० माहांनकाल
19.	दिघान्ची	आतपाडी
20.	इरानडोली	मिरज
21.	गाउखिण्डी	कालवा
22.	इमलामपुर	नालवा

1	2	3
23.	जावर गॉबलाड	जाथ
24.	जाडान्डी	तासगांव
25.	जाध्र	जाथ
26.	रिह्मपुर	रिह्मपुर
27.	कासरे ओतगरज	निरज
28.	कासेगांव	नालवा
29.	कवालापुर	मिरज
30.	कवाथे माहनकाल	के० माहनकाल
31.	कावथे पिरान	निरज
32.	खानपुर	खानपुर
33.	खारसुरान्डी	अतपाडी
34.	किरवाली	तासन
35.	कोरूद	सिरला
36.	नगयाल	जाठ
37.	मुरली	खानपुर
38.	मालगांव	मिरज
39.	नानेरखुरी	तासगांव
40.	हनवाले	सिरला
41.	मनजारदे	तासगांव
42.	झासुवाडी	कालवा
43.	हटसाल	मिराज
44.	निराज	पिराज
45.	नागज	के० खनवाल
46.	नाठसने	तासन
47.	नानडेड़े	निराज
48.	पारे	रहिमपुर
49.	रामपुर	खानपुर

1	2	3
50.	रन्जानी	माहुकवाल
51.	रेठरधरन	वालवा
52.	सागदान	सिराला
53.	सालगारे	निराज
54.	सानकार एम० आई० जी० सी०	निराज
55.	संगीत	सिराज
56.	साखा	जाठ
57.	सौलाज	तासगांव
58.	सेगांव	जाठ
59.	सिराला	सिराला
60.	सिरासी	सिराला
61.	सिरधों	के० खनकल
62.	सिवानी	खानपुर
63.	सोनी	निरजे
64.	तकारी	तासगढ़
65.	तानभावे	वालवा
66.	थान्डुलवाडी	वालवा
67.	तासगांव	तासगांव
68.	तन्दोली	खानपुर
69.	तुंग	निराज
70.	उन्नादी	जाठ
71.	वजगांव	खानपुर
72.	विसापुर	तासगांव
73.	विवा	खानपुर
74.	हटफाले	तासगांव
75.	मालवा	तालवा

1	2	3
76.	नगाई	तासगांव
77.	वरवाती	शिराला
78.	येलवानी	तासगांव

विवरण-2

महाराष्ट्र सर्किल

सांगली जिले में 1-7-91 तक संस्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	तहसील
1.	नलगांव	निराज
2.	कालवा	कालवा
3.	[illegible] मिरज	निराज
4.	[illegible]	वालवा
5.	वेदाव	निराज
6.	कानेरखुरी	तासगांव
7.	सवलाज	तासगांव
8.	महोली	खानपुर
9.	सोनी	निराज
10.	तुंग	निराज
11.	बाने बोदरगांव	वालवा

महाराष्ट्र दूर संचार सर्किल

कोल्हापुर जिले में 1.7-91 तक संस्थापित किए गए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	तहसील
1	2	3
1.	नव्हाली	सिरकुल

1	2	3
2.	चनदकाड	चनदकाड
3	कारवे	चनदकाड
4.	हैकंगाले	हैक्कंगाले
5.	नेसारी	मधीमलाज
6.	पनहाला	पनहाला
7.	रूपादी	हटकाडे
8.	सिरोल	सिरोल
9.	वारगी पडाली	कारवील
10.	हेरले	कारवीर
11.	कुम्भोजी	हटकांगले

विवरण-3

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

सांगली जिले में मार्च, 92 के अन्त तक लगाए जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज	तहसील
1	2	3
1.	बोरामांव	तासगांव
2.	अवलखोप	तासगांव
3.	भावनगर	नालवा
4.	सवलाज	तासगांव
5.	आरग	निरज
6.	कस्बादिराज	निराज
7.	रहवीले	रहवीले
8.	काडेगांव	काठपुर

1	2	3
	9. बाहे बोरगांव	वालवा
	10. येलावी	तासगांव
	11. जाठ	जाठ
	12. केसरगांव	कसवा
	13. अतीवाडे (के० एच०)	मालवा
	14. खानपुर	खानपुर
	15. तासगांव	तासगांव
	16. सिराला	सिराला
	17. काठेपिरान	निराज
	18. किर्लोस्करवाडी	तासगांव
	19. असता	मालवा
	20. अटपाडी	अटपाडी
	21. हरनवट	खिरया
	22. कस्तवाल	निराज
	23. कवलापुर	निराज
	24. वाडेगांव	खानपुर
	25. खरसुन्डी	अटपाडी
	26. भारवाडे	तासरगांव
	27. नसवुटवाडी	कालवा
	28. सहगांव	सिराला
	29. तन्दौली	खानपुर

महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल

कोल्हापुर जिले में मार्च 92 के अन्त तक लगाए जाने वाले प्रस्तावित इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की सूची

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	तहसील
1	2	3
	1. अजारा	अजारा

1	2	3
2.	गाधीनगलाज	गाधीनगलाज
3.	काले	पाहाला
4,	मुरगुड	कागल
5.	कुरनवाड	सिरोल
6.	वारनगर	पनालिया
7.	काप्सी	कागल
8.	कागल	कागल
9.	गरगोती	भूदरगाड़
10.	सोडोलिकासल	कारवीर
11.	सिरोल	सिरोल
12.	हुपारी	हाटीकांगले
13.	गोकुलसितलगांव	कारवीर
14.	वड़ागांव	हटकांगले
15.	राधनगिरी	राधनगिरी
16.	साहूनगर	कारवीर
17.	कुडीतरे	कारवीर
18.	केरली	कारवीर
19.	भूईयावाडी	कारवीर
20.	धानोद	राधनगिरी
21.	गनेशवाडी	सिरोल
22.	संगवाडे	कारवीर
23.	काडगांव	भूदरगाड

1992-93 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदले जाने वाले प्रस्तावित एक्सचेंज

कोल्हापुर जिला

नाम		लाइनें	टाइप
1	2	3	4
1.	सिरोली	1000	आर० एल० यू०

1	2	3	4
2.	गोकुलशिरगांव	1000	आर० एल० यू०
3.	कोल्हापुर	5000	ई०-10 बी०-एम०
4.	गांधीनगर	1000	आर० एल० यू०
5.	मुरगुड	200	पी० ए० एम०
6.	गांधीगलाज	1000	सी०-डॉट एस० बी० एम०
7.	हुपारी	420	—वही—
8.	कागल	384	आई० एल० टी० 512
9.	खुरनवाड	484	—वही—
		सांगली जिला	
1.	किलोंस्करवाडी	सी०-डॉट एस० बी० एम०	1000 लाइनें
2.	शिवगांव	आई० एल० टी०-512	384 लाइनें

3. 128 पोर्ट के छोटे इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज तथा उपर्युक्त 10 स्थानों पर एम० आई० एल० टी०।

100 दिवसीय कार्यक्रम के अन्तर्गत नये डाकघरों का खोला जाना

[हिन्दी]

5773. **श्री सत्यपाल सिंह यादव :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग ने डाक सुविधा में सुधार हेतु एक 100 दिवसीय कार्यक्रम बनाया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है और इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 1991 में बनाए गए 100 दिवसीय कार्यक्रम में डाकघर खोलने के बारे में विचार नहीं किया गया था। अतः इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का उल्लेख करने का प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[अनुवाद]

5774. श्री चन्दुलाल चन्द्राकर :

श्री अरविन्द नेताम :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विवरण निम्नानुसार है :—

क्रम सं०	स्थान का नाम	इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की किस्म	योजना की अवधि
1.	बोलड	512 पी०आई०एल०टी०	1991-92
2.	दुर्ग	3 के० ई०-10-बी० (मुख्य)	1991-94
3.	भिलाई	3 के० ई०-10-बी० (आर०एल०यू०)	
4.	बोराई	128 पी० सी०-डॉट आर० ए० एक्स०	1991-91

तीस्ता बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना

5775. श्री सत्य गोपाल मिश्र :

श्री वसुदेव आचार्य :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने तीस्ता बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जल संसाधन मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, 50:50 के आधार पर तीस्ता बराज परियोजना के वित्तपोषण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। योजना आयोग द्वारा इस अनुरोध को स्वीकार्य नहीं पाया गया।

उड़ीसा में बन्टा में डाकघर भवन का निर्माण

5776. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में बन्टा उप-डाकघर भवन का निर्माण वर्ष 1983-84 से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण के पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी है और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) उड़ीसा राज्य के बालासोर जिले में स्थित बंटा उप-डाकघर भवन का निर्माण कार्य 1987-88 से चल रहा था ।

(ख) भूमि के सीमा-निर्धारण के बारे में कुछ विवाद था जिसे अब सुलझा लिया गया है । संशोधित सीमा-निर्धारण के अनुसार ज्यों ही भूमि का कब्जा मिल जाएगा, त्यों ही इसका निर्माण कार्य पुन: प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

(ग) कुल अनुमानित लागत जिसकी मंजूरी अब तक जारी की जा चुकी है, 15,50540/ रुपए है और अब तक 1,99,356/रुपए व्यय किए जा चुके हैं ।

वाशिंगटन में भारतीय दूतावास में अधिकारियों को विदेश भत्ते का अधिक भुगतान

5777. **श्री यू० विजय कुमार राजू :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय दूतावास वाशिंगटन और न्यूयार्क तथा सान फ्रान्सिसको स्थित महावाणिज्य दूतावासों के अधिकारियों को विदेश भत्ते का अधिक भुगतान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां, वाशिंगटन, सान फ्रांसिसको और न्यूयार्क के मिशनों में कर्मचारियों को 1989 में वेतन का भुगतान करते समय विदेश भत्ते की देय से कुछ अधिक अदायगी हो गई थी ।

(ख) 1989 में वेतन की अदायगी के समय गलत हिसाब लग जाने के कारण देय से अधिक राशि का भुगतान हो गया था । विवरण नीचे लिखे अनुसार है :

मिशन	अधिकारियों की संख्या	कुल·······रुपये··········· अधि-अदायगी की राशि····
वाशिंगटन	18	2,44,843.68
सान फ्रांसिस्को	1	15,202.80
न्यूयार्क	14	2,85,575.31

(ग) लेखापरीक्षा के माध्यम से जब यह मामला ध्यान में आया तो तत्काल इसे सुधारा और गया संबंधित अधिकारियों से वसूली के आदेश दिए गए। वसूली चल रही है।

उर्वरक संबंधी दोहरी मूल्य नीति

5778. **श्री शरद दिघे :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें उर्वरक पर दोहरी मूल्य नीति को कियान्वित नहीं कर रही हैं। जिसके अन्तर्गत बड़े किसानों के लिए उर्वरकों के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि और छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए बजट से पहले के मूल्यों की व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उर्वरक संबंधी दोहरी मूल्य नीति का किस प्रकार कार्यान्वयन करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) राज्य सरकारों ने सामान्यतया दोहरी मूल्य नीति लागू करने में प्रशासनिक कठिनाइयां व्यक्त की हैं। कुछ राज्य सरकारों ने यह आशंका भी व्यक्त की है कि इस उद्देश्य के लिए प्रस्तातिव धनराशि अपर्याप्त है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से परामर्श लेकर सरकार ने छोटे और मीमान्त किसानों को 25 जुलाई 1991 से पहले अधिसूचित मूल्यों पर उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु योजना तैयार करने के लिये मार्गदर्शी निर्देश जारी किये हैं।

फसल बीमा योजना

5779. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

डा० जी० एल० कनोजिया :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान बाढ़, सूखे और अन्य प्राकृतिक विपदाओं से अनुमानत: कितने मूल्य की फसलें क्षतिग्रस्त हुई; और

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितना मुआवजा दिया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) वर्ष 1990 तथा 1991 के दौरान, बाढ़ सूखा तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं द्वारा नष्ट हुई फसलों का अनुमानित मूल्य क्रमश: 450.17 करोड़ तथा 106.11 करोड़ रुपये है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

फसल बीमा के संबंध में राज्यवार विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	भुगतान की गयी क्षतिपूर्ति दावे की कुल धनराशि	
		1988-89	1989-90
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	225.62	2446.72
2.	असम	18.03	12.75
3.	बिहार	71.40	109.87
4.	गुजरात	113.83	698.89
5.	हिमाचल प्रदेश	5.02	0.02
6.	कर्नाटक	—	94.78
7.	केरल	8.04	0.11
8.	मध्य प्रदेश	307.52	91.17
9.	महाराष्ट्र	2190.64	82.71
10.	मेघालय	2.29	2.70
11.	उड़ीसा	45.99	22.26
12.	तमिलनाडु	18.85	73.80

1	2	3	4
13.	उत्तर प्रदेश	—	62.81
14.	पश्चिम बंगाल	298.44	42.38
15.	पांडिचेरी	—	0.55
	कुल :	3305.67	3741.52

तटीय क्षेत्र में धान की खेती

5780. **श्री सुधीर सावन्त :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तटीय क्षेत्र में धान की खेती की कम लागत वाली बनाने के लिए क्या उपाय किये हैं;

(ख) क्या सरकार ने कोई सूत्र बनाया है जिसके द्वारा कृषि के लाभ-हानि की गणना की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) सरकार ने आधुनिक प्रौद्योगिकी, जिसका एक अंग धान की खेती को किफायती बनाना है, के अन्तरण के माध्यम से समुद्र तटीय क्षेत्रों सहित विभिन्न राज्यों में धान की फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनायें चलाई हैं।

(ख) और (ग) सरकार एक व्यापक योजना के अन्तर्गत मुख्य फसलों की उत्पादन लागत का अध्ययन कर रही है। इस योजना में सतत आधार पर मुख्य फसलों के लिए भौतिक तथा धन के पहलुओं से आदानों और उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़े, प्रति हैक्टेयर खेती के लागत के अनुमान और प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत के अनुमान एकत्र करना प्रतिपादित है। आदानों तथा उत्पादन के अनुमानों का ब्यौरा फसल उत्पादन से होने वाले लाभ/हानि का हिसाब लगाने के लिये काफी है।

विदेशी नागरिकों को वीजा दिया जाना

5781. **श्री भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष भारत यात्रा हेतु कितने विदेशी नागरिकों को वीजा दिया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसे रक्षित क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनके लिए विदेशियों को सरकार से यात्रा पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने विदेशी नागरिकों को उत्तर प्रदेश के रक्षित क्षेत्रों में यात्रा करने की अनुमति दी गई थी;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल और चमौली जिलों में बहुत से पाकिस्तानी स्थाई रूप से रह रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 31 मार्च 1991 तक 1,74,679 ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) क्योंकि विभिन्न प्राधिकरण परमिट जारी करते हैं, अत: कोई सांख्यिकक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) और (ङ) क्योंकि विभाजन के दिनों में ही वहां पर गतिविधियां थी, अत: कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के संरक्षित क्षेत्र

सिंगा घाटी	(31° 16' 47") उत्तर से रिज के साथ-साथ बिन्दु संख्या 5424 तक
	(78° 18' 48") पूर्व
मीटर	(31° 16' 48") उत्तर से उसी रिज के साथ-साथ बिंदु संख्या 5890 तक
	(78° 20' 30") पूर्व
मीटर	(31° 11' 45") उत्तर में उसी रिज के साथ-साथ इसके
	(78° 29' 30") पूर्व जंक्शन तक ।
पर्वत स्कन्ध एक्स	(31° 13' 20") उत्तर में तब दक्षिण में स्कध के साथ-साथ बिन्दु संख्या 5959
	(78° 37' 37") पूर्व तक ।
मीटर	(31° 08' 55") उत्तर के स्कंध के साथ-साथ छोटे शीर्ष
	(78° 36' 30") पूर्व तक
	(31° 07' 14") उत्तर, तब यह एक छोटे पर्वत स्कंध के साथ-साथ कम होता है और

(78" 40" 25") पूर्व में मिलता है।

सियान गाड बिन्दु (31" 05" 50") उत्तर में सियानगाड

(78" 39" 10") पूर्व के किनारे के साथ-साथ

भागीरथी नदी (31" 02" 20") उत्तर के साथ

(78" 48" 20") पूर्व की ओर

भागीरथी नदी के किनारे साथ इसके जंक्शन तक एक छोटे नाले (31" 01" 33") उत्तर

(78" 47" 47") पूर्व के साथ

तब नाले के उत्तर की ओर धारा पर बिंदु संख्या4 515 मीटर पर (31" 04" 04") उत्तर में (78" 48" 21") पूर्व

शीर्ष (31" 05" 30") उत्तर (78" 57" 26") पूर्व

तब यह दक्षिण की ओर रिज में 457 मीटर के बिन्दु पर मुड़ता है।

(31" 01" 40") उत्तर (78" 52" 27") पूर्व

और तब स्कंध के साथ-साथ जब गंगा पर कम होता है।

(31" 03" 04") उत्तर में नदी पार करता है तथा स्कंध के साथ-साथ

(78" 52" 40") पूर्व में

4710 मीटर बिन्दु, (31" 01" 10") उत्तर रिज के साथ-साथ पूर्व दिशा की ओर

(78" 55" 05") पूर्व

कालीधांग, 6373 मीटर (31" 02" 33") उत्तर रिज के साथ-साथ

(79" 00" 35") पूर्व में

चिरबास पर्वत, (31" 02" 12") उत्तर रिज के साथ-साथ

(79" 03" 15') पूर्व में

मत्री, 6271 मीटर (31" 00" 52") उत्तर, तब रिज के साथ-साथ

(79" 04" 25") पूर्व में

श्री कैलाश, 6932

मीटर (31" 01" 04") उत्तर, दक्षिण पूर्व की ओर
(79" 12" 40") पूर्व

मानधर के साथ संगम, रिज के साथ-साथ दक्षिण की ओर चौखम्बा-III

मी 6974 मीटर (30" 43" 30") उत्तर रिज के साथ-साथ
(79" 16" 35") पूर्व

नीलकंठ, 6596 मीटर पूर्व की ओर (30" 43" 45") उत्तर में साथ-साथ
(79" 24" 35") पूर्व

रिज से 5965 मीटर के बिन्दु तक (30" 45" 35") उत्तर, तब यह
(79" 26" 35") पूर्व की ओर कम होता है।

अलकनन्दा नदी के रिज (30" 45" 42") उत्तर में नदी को पार करता है।
(79" 29" 55") पूर्व

और 5564 मीटर के बिन्दु की ओर बढ़ता है (30" 45" 20") उत्तर
(79" 32" 10") पूर्व

रिज के साथ-साथ 5485 मीटर के बिन्दु तक (30" 46" 41") उत्तर
(79" 37" 42") पूर्व

रिज के साथ-साथ पटबन, 6127 मीटर तक (30" 45" 15")
(79" 42" 27") पूर्व

हाथी पर्वत रिज के साथ 6727 मीटर (30" 41" 07") उत्तर
(79" 42" 20") पूर्व

रिज के साथ दक्षिण और बिन्दु तक 5780 मीटर (30" 37" 37") उत्तर
(79" 43" 40") पूर्व

छोटे शीर्ष से रिज के साथ-साथ (38" 38" 10") उत्तर
(79" 45" 28") पूर्व

धौली गंगा के साथ उतरते हुए	(30'' 36'' 15'') उत्तर
	(79'' 48'' 20'') पूर्व
धौली गंगा के साथ-साथ बिन्दु तक	(30'' 35'' 25'') उत्तर
	(79'' 47'' 00'') पूर्व
उसके बाद शीर्ष तक	(30'' 35'' 00'') उत्तर
	(79'' 50'' 06'') पूर्व
चन्गाबंग रिंग के साथ-साथ	(30'' 30'' 00'') उत्तर
	(79'' 66'' 26'') पूर्व
6992 मीटर बिन्दु से उत्तरी और रिंग के साथ-साथ	(30'' 32'' 24'') उत्तर
	(79'' 59'' 50'') पूर्व
रिंग के साथ-साथ दक्षिण की ओर भामछू तक 20680 फीट	(30'' 26'' 58'') उत्तर
	(80'' 01'' 20'') पूर्व
उसी रिंग के साथ-साथ बिन्दु तक	(30'' 19'' 00'') उत्तर
	(79'' 59'' 17'')
रिंग के साथ-साथ दक्षिणी और नन्दाकोट तक 22510 फीट	(30'' 17'' 10'') उत्तर
	(80'' 03'' 37'') पूर्व
लास्या धारा तक, 19850	(50'' 13'' 24'') उत्तर
	(80'' 05'' 08'') पूर्व
रिंग के साथ-साथ दक्षिणी-पूर्वी और कागुडी भेल 15820 फिट	(30'' 10'' 28'') उत्तर (80' 09'' 25'') पूर्व
नीचे उत्तर पूर्वी ओर से नाला जंक्शन तक 6820 फिट	(30'' 11'' 20'') उत्तर (80'' 15'' 10'') पूर्व
वहां से उत्तर की ओर रिंग के साथ-साथ बिन्दु तक 16286 फिट	(30'' 17'' 40'') उत्तर (80'' 14'' 55'') पूर्व
रिंग के साथ-साथ बाम्बा धूरा बिन्दु तक 20780 फीट	(30'' 26'' 29) उत्तर (80'' 17'' 00'') पूर्व

रिंग के साथ-साथ दक्षिणी पूर्वी ओर 19630 फीट बिन्दु तक	(30" 22" 10") उत्तर (80" 22" 52") पूर्व
वहां से रिंग के साथ-साथ रालम धूरा तक 18470 फीट	(30" 18" 05") उत्तर (80" 23" 14") पूर्व
रिंग के साथ-साथ राजारम्बा तक, 21446 फीट	(30" 15" 15") उत्तर (80" 22" 34") पूर्व
रिंग के साथ-साथ दक्षिणी ओर 22620 बिंदु तक	(30" 1½" 52") उत्तर (80" 25" 40") पूर्व
रिंग के साथ-साथ 21150 फिट बिन्दु तक	(30" 1½" 25") उत्तर (80" 28" 24") पूर्व
रिंग के साथ-साथ दक्षिणी ओर 19920 फीट बिन्दु तक	(30" 09" 34") उत्तर (80" 27" 50") पूर्व
रिंग के साथ-साथ 18940 फीट बिन्दु तक	(30" 07" 14") उत्तर (80" 29" 00") पूर्व
रिंग के साथ-साथ बैसी खाल 12830 फीट	(30" 03" 26") पूर्व (80" 28" 34") उत्तर
रिंग के साथ-साथ दक्षिणी ओर शीर्ष तक	(29" 57" 40") उत्तर (80" 26" 10") पूर्व
वहां से दक्षिण ओर 12492 फीट बिन्दु तक	(29" 56" 06") उत्तर (80" 26" 58") पूर्व
वहां से पर्वत श्रेणी के दक्षिणी पश्चिम के साथ-साथ बिन्दु तक	(29" 47' 05") उत्तर (80" 23" 05") पूर्व
उसके बाद काली आर और गोरी गंगा आर. के. जंक्शन तक श्रेणी के साथ-साथ उतरते हुए भारत नेपाल सीमा पर	(29" 45" 00") उत्तर (80" 22" 46") पूर्व

उड़ीसा में नारियल के पेड़ लगाना

5782. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नारियल विकास बोर्ड का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) नारियल विकास बोर्ड ने अपने गठन के समय से विशेषत: उड़ीसा में, कौन-कौन से कार्य किए हैं और उनके क्या परिणाम निकले; और

(घ) उड़ीसा में नारियल के पेड़ लगाने के कार्य को विकसित करने के लिए क्या कार्य-योजना बनायी गयी है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नारियल विकास बोर्ड ने उड़ीसा में 1982-83 से अब तक निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रबोधन किया :

(1) उड़ीसा में नहर के किनारों पर नारियल की पौद लगाना;

(2) क्षेत्रीय नारियल नर्सरी की स्थापना;

(3) नारियल की खेती के तहत क्षेत्र का विस्तार;

(4) टी० × डी० संकर नारियल पौदों का उत्पादन एवं वितरण;

(5) पत्ता भक्षक सूंडी का समेकित नियन्त्रण;

(6) प्राथमिक प्रसंस्करण और विपणन सम्बन्धी कार्यकलापों का प्रवर्तन;

उड़ीसा में 1982-83 से 1990-91 तक की अवधि में नहर के किनारों पर नारियल की 3 लाख पौद लगायी गई। 3000 किसानों को राजसहायता देकर 1250 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में नई पौद लगायी गई। टी० × डी० संकर किस्म की 2.50 लाख पौदों का उत्पादन और वितरण भी किया गया। कीटों के जैविक नियन्त्रण के लिए एक क्षेत्रीय नारियल नर्सरी तथा एक परजीवी प्रजनन प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस अवधि के दौरान, पुरी स्थित उत्पादक सहकारी विपणन समितिको एक लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई, ताकि कोपरा बनाने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास किया जा सके। नारियल विकास बोर्ड ने उपर्युक्त कार्यकलापों को करने के लिए कुल 186.548 लाख रुपए खर्च किए।

(घ) उड़ीसा में 1991-92 के दौरान, नारियल पौध रोपण की विकास सम्बन्धी कार्यकारी योजना में नारियल के तहत 300 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र लाने का प्रस्ताव शामिल है। पत्ता भक्षक सूडियों के समेकित नियन्त्रण के लिए स्थापित की गई प्रयोगशाला एकक का रखरखाव किया जाएगा।

टी० × डी० किस्म की 50,000 संकर पौदों का उत्पादन एवं वितरण करने तथा नारियल बागानों में सिंचाई करने के लिए 1000 रुपए प्रति पम्प सैट की दर से राज सहायता देने का लक्ष्य है। इन कार्य-कलापों के लिए नारियल विकास बोर्ड की भागीदारी के रूप में कुल 6,59,700 रुपए का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले में तारघर

[हिन्दी]

5783. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने तारघर खोले जाने का विचार है; और

(ख) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) रामपुर जिले में 1991-92 में 53 स्थानों पर फोनोकॉम तार सेवा शुरू किए जाने की योजना है।

(ख) भण्डारों (स्टोर्स) का आवंटन कर दिया है और इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं।

उड़ीसा में पशु चिकित्सालय

5784. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊड़ीसा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु चिकित्सालय की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(ग) उड़ीसा के फूलबनी जिले में इस समय कितने पशु चिकित्सालय कार्य कर रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, नहीं .

(ख) उड़ीसा सरकार का राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशु-चिकित्सा हस्पताल खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उड़ीसा के फूलबनी जिले में पच्चीस (25) पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं।

यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन

[अनुवाद]

5785. **श्री राम शरण यादव :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) क्या अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं चौराहों पर होती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए उड़न दस्तों का गठन किया है; और

(घ) दिल्ली यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर गत एक वर्ष के दौरान प्रतिमाह कितने ड्राइवरों का चालान किया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में कुछ वृद्धि हो रही है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) यातायात के नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उड़न दस्तों के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रत्येक सर्किल से एक क्षेत्रीय अधिकारी तैनात किया गया है।

(घ) पिछले 12 महीनों के दौरान यातायात के नियमों का उल्लंघन करने के लिए जिन ड्राइवरों पर मुकदमा चलाया गया, उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

अगस्त, 1990	79987
सितम्बर, 1990	89549
अक्टूबर, 1990	98495
नवम्बर, 1990	105918
दिसम्बर, 1990	109327
जनवरी, 1991	123087
फरवरी, 1991	115553
मार्च, 1991	126271
अप्रैल, 1991	115533
मई, 1991	79015
जून, 1991	99808
जुलाई, 1991	109482

सांविधिक विकास बोर्ड

5786. **श्री मुकुल वासनिक :**

श्री गोविन्द राव निकम :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने सांविधिक विकास बोर्डों को मान्यता दी गई है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे और अधिक बोर्डों का गठन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) गृह मन्त्रालय, राज्य विधायन के अन्तर्गत गठित निकायों के विकास से सम्बन्धित किसी सूचना को समन्वित नहीं करता है। जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 371(2) में, विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र और सौराष्ट्र, कच्छ और शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड स्थापित करने के लिए राज्यपाल को विशेष जिम्मेवारी दी गई है। अभी तक कोई विकास बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अलग-अलग समय पर प्रस्ताव भेजे हैं। अन्तिम निर्णय लेने से पहले इन पर, कानूनी और संवैधानिक पहलुओं सहित विभिन्न पहलुओं से गहराई से विचार करने की आवश्यकता होती है।

विशाखापतनम इस्पात संयंत्र में दुर्घटनाएं

5787. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** :

क्या इस्पात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापटनम इस्पात संयंत्र में अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें कितने व्यक्ति मारे गए और कितने लोग अक्षम हुए; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इन दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) विशाखापटनम इस्पात संयंत्र की प्रथम प्रमुख इकाई अर्थात कोक ओवन बैटरी नं०-1 दिनांक 5-9-1989 को चालू की गई थी। तब से इसमें 544 दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में से 4 घातक दुर्घटनाएं, 441 प्रतिवेद्य* दुर्घटनाएं और 99 अप्रतिवेद्य दुर्घटनाएं थीं। कोई भी व्यक्ति स्थाई रूप से असक्षम नहीं हुआ।

(ख) दुर्घटनाओं के मुख्य कारण वस्तुओं/मशीनों से टकराना, गर्म भाप/गैस लगाना, ऊंचाई से गिरना आदि हैं।

संयंत्र में अब सुसज्जित सुरक्षा विभाग है जिसमें 16 सुरक्षा निरीक्षक और 9 सुरक्षा इन्जीनियर आदि कर्मचारी शामिल हैं। हेल्मेट, जूते, सुरक्षा बैल्ट आदि जैसे सुरक्षा-उपकरणों को लागू किया गया गया है। इसके अतिरिक्त कार्य की असुरक्षित स्थिति को दूर करने के लिए सघन स्थल-निरीक्षण किए गए हैं। कामगारों की भागीदारी सहित 20 विभागीय सुरक्षा समितियां और उच्च स्तरीय सुरक्षा

सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। बड़ी और छोटी सभी प्रकार की दुर्घटनाओं की जांच की जाती है और उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

*प्रतिवेद्य दुर्घटनाएं वे हैं जिनमें घायल हुआ कर्मचारी 2 दिन से अधिक ड्यूटी कार्य करने में असमर्थ रहता है।

कृषि का विकास

5788. **श्री वी० एस० विजयराघवन :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कृषि के विकास के लिए नई योजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केरल को "व्यापक धान उत्पादन योजना" के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान कितनी धन-राशि आवंटित की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) और (ख) कृषि विकास की चल रहीं सभी योजनाओं को आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी जारी रखने की संभावना है। अब तक कोई नई योजना मंजूर नहीं की गई है।

(ग) केरल राज्य को "व्यापक धान उत्पादन योजना" के तहत 1990-91 के दौरान 172.32 लाख रुपए की धनराशि केन्द्रीय भागीदारी के रूप में आवंटित की गई थी।

दिल्ली में अग्नि शमन केन्द्र

5789. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1991-92 के दौरान दिल्ली में और अधिक अग्नि शमन केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पुरानी दिल्ली क्षेत्र और दिल्ली में अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अग्नि शमन आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) से (ग) जी हां, श्रीमान। भीकाजी कामा प्लेस, नेहरू प्लेस, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक सेन्टर और वजीरपुर इण्डस्ट्रीयल एरिया में चार अतिरिक्त दमकल केन्द्रों का निर्माण पूरा किया जाना है।

(घ) दिल्ली अग्नि शमन सेवा ने पुरानी दिल्लो क्षेत्र और दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले अन्य क्षेत्रों में आग पर नियन्त्रण पाने के लिए अग्नि शमन के 10 छोटे इंजन बनाने के लिए चैसीस पहले ही प्राप्त कर लिए हैं।

गोवा में टेलीफोन कनेक्शन

57°0. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांत्ये :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से दौरान गोवा में पणजी, मारगाव मपूसा, वाक्को फोण्डा, विचोलिन और संवरडम में कुल कितने टेलीफोंन कनेक्शन दिए गए;

(ख) उपर्युक्त शहरों में इस समय टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने लोग प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए और उनमें से कितने टेलीफोन एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में परिवर्तित किया गया; और

(घ) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोलने और कितने टेलीफोन एक्सचेंजों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में प्रस्तुत की गई है।

(ग) 31-3-91 को समाप्त होने वाली पिछली तिमाहो को गोवा में नौ एक्सचेंज खोले गए उनमें से दो इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज थे। इस अवधि के दौरान 22 एक्सचेंज इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदले गए।

(घ) 1991 के दौरान तीन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव था और उन्हें पहले ही खोला जा चुका है। 1991 के दौरान 10 एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव था और 1992 के दौरान उन्हें पहले ही इलेक्ट्रानिक एक्सचेज में बदला जा चुका है। वर्ष 1992 के दौरान दो एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है और दस एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने का प्रस्ताव है।

विवरण

(क) 31-3-1991 को समाप्त हुई पिछली तिमाही में प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या

1. पणजी	1437
2. मारगो	933
3. मापुसा	61
4. वास्को	71
5. पोंडा	257
6. बिचोलिन	173
7. सन्वोरडेम (कुर्चोराम)	73

(ख) 31-6-1991 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

प्रतीक्षा सूची

1. पणजी	2743
2. मारगो	2359
3. मापुसा	1213
4. वास्को	1304
5. पोंडा	516
6. बिचोलिन	42
7. सन्वोरडेम (कुर्चोराम)	79

फिंगर-प्रिंट ब्यूरो के कार्यालय का स्थानान्तरण

5791. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सेंट्रल फिंगर-प्रिंट ब्यूरों के कार्यालय को कलकत्ता से स्थानांतरित करने का है; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में तथा कार्य सम्बन्धी और प्रशासनिक कारणों से, वर्ष 1987 में यह निर्णय लिया गया था कि केन्द्रीय अंगुली छाप ब्यूरो के कुछ प्रचालित अनुभागों को कलकत्ता से दिल्ली स्थानान्तरित किया जाए। कुल 86 पदों में से 62 पदों को दो चरणों में दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, अभी तक केवल 53 पदों को ही दिल्ली स्थानान्तरित किया गया है। शेष 33 पद अभी भी कलकत्ता में हैं।

रेंगली सिंचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना

5792. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी** :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने रेंगली सिचाई परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मुम्बई की टेलीफोन डायरेक्टरी

5793. **प्रो० राम कापसे** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत चार वर्षों से महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा मुम्बई में टेलीफोन प्रयोक्ताओं को मुम्बई टेलीफोन्स की टेलीफन डायरेक्टरी की सप्लाई नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नवीनतम डायरेक्टरी की सप्लाई सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) बम्बई की मुख्य टेलीफोन डायरेक्ट्री का अन्तिम संस्करण अगस्त, 1988 में प्रकाशित तथा वितरित किया था। तदुपरांत, 1-5-89 तथा 10-12-90 तक अद्यतन किए गए वर्गानुसार दो परिशिष्ट जारी किए गए थे। प्रबंधकीय तथा वित्तीय समस्याओं के कारण संविदाकार द्वारा मुख्य डायरेक्टरी के अनुवर्ती संस्करण का मुद्रण नहीं किया जा सका था। अब संविदाकार ने एक अन्य प्रसिद्ध कम्पनी की सहायता से संविदा को

को निष्पादित करने का प्रस्ताव रखा है जिसे महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने सहमति दे दी है। बम्बई की टेलीफोन डायरेक्टरी के अगले संस्करण के दिसम्बर, 1991 के अन्त तक प्रकाशित हो जाने संभावना है।

सहकारी डेरी क्षेत्र

5794. **श्री रवि राय :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहकारी क्षेत्र में मुक्त लाइसेंस प्रक्रिया बहाल किए जाने से इस क्षेत्र में संकट पैदा हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहकारी डेरी क्षेत्र को संकट से बचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) से (ग) नई औद्योगिक नीति में "मिल्क फूड और माल्टेड फूड" का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इस नीति का सहकारी डेयरी क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा रहा है। सहकारी डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा की जाएगी।

बिहार में खनन के लिए लाइसेंस

[हिन्दी]

5795. **श्री राम लखन सिंह यादव :**

क्या खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में जिन भू-स्वामियों के भूमि पर खनिज पाये गए थे, उन्हें खनन के लिए प्राथमिकताओं के आधार पर लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं तथा उन लोगों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी लाइसेंस जारी किया जाना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) पूर्वेक्षण लाइसेंस तथा खनि पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार अनुदत्त किए जाते हैं। इन लाइसेंसों एवं पट्टों के आवेदक व्यक्तियों हेतु अधिमान अधिकारों का अधिनियम की धारा-11 में प्रावधान है। इस प्रावधान के अनुसार, खनिज वाली भूमि के स्वामियों को लाइसेंस या

पट्टा प्राप्त करने में अधिमान का अधिकार नहीं है। तथापि, खनिज रियायत नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार, खनन कार्य आरम्भ किए जाने से पूर्व उस भूमि के स्वामी की सहमति लेना अनिवार्य है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाना

5796. **प्रो० प्रेम धूमल** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हिमाचल प्रदेश में मेहतपुर (उना), बद्दी, बरोटीवाला में टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एक्सचेंजों की क्षमता कब तक बढ़ा दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) (i) मेहतपुर (ऊना)

मार्च 1992 तथा 512 पोर्ट आई० एल० टी०

(ii) बरोटीवाला तथा बद्दी

1992-93 के दौरान दोनों स्थानों का विलय करने तथा इन स्थानों पर 1000 पोर्ट इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है।

महानगरों में नए टेलीफोन कनेक्शनों का आवंटन

[अनुवाद]

5797. **श्री अन्वारासु इरा** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान दूरसंचार विभाग ने मद्रास, मुम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में पृथक्-पृथक् रूप से टेलीफोन प्रणाली के माध्यम में कितना राजस्व अर्जित किया; और

(ख) इस विभाग द्वारा सभी महानगरों में नये टेलीफोन कनेक्शन आवंटित करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वर्ष 1989-90 के दौरान दूरसंचार विभाग द्वारा मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के टेलीफोनों के माध्यम से अर्जित किए गए राजस्व का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मद्रास	—	159.92 करोड़ रु०
बम्बई	—	555.93 करोड़ रु०
कलकत्ता	—	165.62 करोड़ रु०
दिल्ली	—	439.17 करोड़ रु०

(ख) महानगरों में नए टेलीफोन कनेक्शनों का आबंटन लम्बित पड़ी मांगों तथा प्रतिस्थापन योजनाओं के आधार पर किया जाता है।

कम्प्यूटर द्वारा डाक की छंटनी

[हिन्दी]

5798. **कुमारी विमला वर्मा :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कम्प्यूटर द्वारा डाक छंटनी के सम्बन्ध में कोई योजना बनायी है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किन-किन राज्यों में शुरू करने का विचार है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश के किन-किन शहरों में उक्त योजना आरम्भ की जायेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बड़े-बड़े महानगरों में पत्र छंटाई मशीनों से पत्रों की छंटाई करने की एक योजना बनाई गई है जिसमें कंप्यूटर तकनीक का प्रयोग होगा।

(ख) निकट भविष्य में बम्बई में इस तरह का एक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कंप्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा

[अनुवाद]

5799. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न महानगरों में कंप्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा प्रारम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुणे, नागपुर और औरंगाबाद में भी;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) चारों महानगरों में कम्प्यूटरीकृत डायरेक्टरी पूछताछ सेवा प्रारम्भ कर दी गई है।

(ग) और (घ) यह सेवा पूना और औरंगाबाद में उपलब्ध हैं। इस सेवा को नागपुर में भी प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

नागा उग्रवादियों का हथियारों के लिए सीमा पार कर बंगलादेश जाना

5800. **श्री रमेश चेन्निथला** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागा उग्रवादी हथियार और गोला बारूद लेने के सीमा पार बंगलादेश जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) बंगलादेश के मार्फत विदेश से शस्त्र और गोला-बारूद प्राप्त करने के लिए कुछ नागा उग्रवादियों की कोशिशें ध्यान में आई हैं। सम्बन्धित प्राधिकारियों को संतर्क कर दिया गया है ।

धारा तेल

5801. **श्री शंकर सिंह बघेला** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धारा तेल की अब तक कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की बिक्री हुई;

(ख) इस तेल के उत्पादकों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) शेष धनराशि का किस प्रकार प्रयोग किया गया और विज्ञापन, वितरण, कमीशन, पैकिंग, प्रसंस्करण और अन्य अतिरिक्त व्यय के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार कमजोर वर्गों के लिए धारा तेल को खुले रूप में बेचने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन) : (क) प्रारम्भ से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा बेचे गए धारा तेल की कुल मात्रा निम्न प्रकार है—

समय अवधि	बिक्री (मीटरी टन में)	बिक्री मूल्य (करोड़ रुपए में)
अगस्त, 1988 से मार्च, 1989 तक	1187	3.02
अप्रैल, 1989 से आर्च, 1990 तक	19,887	45.42
अप्रैल, 1990 से मार्च, 1991 तक	73,620	203.88

(ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड वनस्पति तेल परियोजनाओं के अन्तर्गत स्थापित उन तिलहन उत्पादक सहकारी संघों की अदायगी करता है, जो बदले में तिलहन उत्पादकों को लाभकारी मूल्य अदा करते हैं।

(ग) धारा सम्बन्धी प्रचालनों से सम्बद्ध विभिन्न कार्यकलापों पर व्यय मण्डी हस्तक्षेप कार्यों के उद्देश्यों के अनुसार वहन किया जाता।

(घ) और (ङ) सरकार पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नेटवर्क के जरिए आयातित खाद्य तेल बेच रही है, जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को ही शामिल किया गया है। इनकी लागत में भी करने के लिए समाज के कमजोर वर्गों के लिए खुले तेल की खुदरा बिक्री करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार नहीं कर रही है जैसा कि राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा दूध के लिए किया जा रहा है। भारत में खुले तेल की बिक्री किए जाने से मिलावट और कम तोलने जैसी अवांच्छनीय पद्धतियां पनपती हैं। अतः राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड धारा ब्राण्ड के नाम के अन्तर्गत पैकशुदा तेल की बिक्री बढ़ाने के प्रयास कर रही है ताकि खपत पद्धति को खुले तेल से पैकशुदा तेल में बदला जा सके। धारा की बिक्री ऐसे पैकों में की जाती है, जिसमें बेईमानी करने की कोई गुंजाइश न हो ताकि उपभोक्ताओं को ऐसे तेल की शुद्धता और मात्रा के बारे में सुनिश्चित किया जा सके जो वे खरीदते हैं।

उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

5802. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक इलेक्ट्रानिक टेलिफोन एक्सचेंज की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) 8 वीं पचवर्षीय योजना के दौरान बदायूं (उ० प्र०) में 1500 लाइनों वाला एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज चालू किए जाने की सम्भावना है ।

आर्य समाज आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन की मंजूरी

[अनुवाद]

5803. **श्री एस० एन० बेकारिया** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्य समाज आंदोलन के स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने के मामले अभी भी निर्णयाधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मामलों पर कब तक निर्णय ले लिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) आर्य समाज आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30-6-1986 थी । उस तारीख तक प्राप्त सभी आवेदन-पत्रों का निपटान कर दिया गया है । तथापि, 351 आवेदन पत्र, जो गैर-सरकारी जांच समिति को प्राप्त हुए, का निपटान अभी नहीं किया गया है, क्योंकि इन आवेदन पत्रों के समय से मिलने के बारे में संदेह है । हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे आवेदन-पत्रों का निपटान कर दिया जाए जो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा 30-6-1986 के पहले इस मंत्रालय को भेजी गई सूची में शामिल हों । उनके निपटान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

कश्मीर में पाकिस्तान का झण्डा फहराया जाना

[हिन्दी]

5804. **श्री साईमन मराण्डी** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वाधीनता दिवस, 15 अगस्त, 1991 को आतंककादियों द्वारा कश्मीर के कई क्षेत्रों में पाकिस्तान का झण्डा फहराने के प्रयास किये गए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा आतंकवादियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 14 अगस्त, 1991 को कुछ आतंकवादियों ने श्री नगर के नजदीक कुछ एकान्त स्थानों पर सशस्त्र परेड़ की और पाकिस्तानी झंडा फहराया, जिसे सुरक्षा बलों द्वारा तत्काल हटा दिया गया।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर गश्त बढ़ा दी गई है।

दिल्ली पुलिस द्वारा निजी वाणिज्यिक वाहनों का प्रयोग

[अनुवाद]

5805. **श्री रमेश चन्द तोमर :**

डा० जी० एल० कनौजिया :

श्री महेश कुमार कनोडिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस चुनावों, बन्द आदि के अवसर पर निजी वाणिज्यिक वाहनों को किराये पर लेती है और किराये का भुगतान करती है;

(ख) क्या दिल्ली विभाग के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के पुलिस विभाग ने पिछले लोक सभा चुनावों और अक्तूबर, 1990 के बन्द के अवसर पर किराये पर लिये गए वाहनों के लिये उचित भुगतान किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उटाये जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1990 के बंद के दौरान किराए पर लिए गए वाहनों के संबंध में भुगतान कर दिया गया है। पिछले लोक सभा चुनावों के दौरान किराए पर लिए गए 14 वाहनों के संबंध में भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि छह मामलों में बिल प्रस्तुत नहीं किए गए और अन्य मामलों में बिलों में विसंगतियां थी।

पुलिस गश्त दल और पुलिस सहायता केन्द्र

5806. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने पुलिस गश्त दल और पुलिस सहायता केन्द्र हैं और ये कहां-कहां अवस्थापित हैं;

(ख) इन केन्द्रों का मुख्य कार्य क्या है;

(ग) क्या इन केन्द्रों को ऐसे अनुदेश दिये गये हैं कि ये केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रों में किसी भी घटना/दुर्घटना से जुड़ी हुई कानून और व्यवस्था के मामले में उक्त घटना से संबंधित पार्टियों के अनुरोध के बिना भी हस्तक्षेप कर सकते हैं; और

(घ) क्या इन केन्द्रों पर अपने-अपने क्षेत्रों जब कभी आवश्यकता हो यातायात गतिरोध को दूर कर यातायात को सुव्यवस्थित करने की भी जिम्मेदारी हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली में 164 गश्ती दल तथा 227 पुलिस सहायता केन्द्र हैं। इनकी स्थिति का जिला-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) स्टाफ को सौंपे गए मुख्य कार्य आतंकवादियों की गतिविधियों पर नजर रखना, बच्चों, महिलाओं और वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करना, अपराधियों और अपराध में अन्तर्गस्त वाहनों आदि की खोज में रहना हैं। स्टाफ, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने और यातायात को नियमित करने में भी सहायता करता है।

विवरण

जिले का नाम	गश्ती दलों की संख्या	पुलिस सहायता बूथों की संख्या
पश्चिम	36	23
उत्तर	26	22
दक्षिण	30	31
मध्य	18	33
दक्षिण पश्चिम	4	40
उत्तर-पश्चिम	37	22
पूर्व	2	18
उत्तर-पूर्व	1	22
नई दिल्ली	10	7
अपराध और रेलवे	—	7
जोड़	164	227

हज के लिए पासपोर्ट जारी करना

[हिन्दी]

5807 **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर के लोगों को "हज जियारत (तीर्थयात्रा) के लिये पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) जम्मू और कश्मीर के कितने लोगों ने 1990-91 के दौरान पासपोर्ट के लिये आवेदन दिया था;

(ग) उनमें से कितने लोगों को पासपोर्ट जारी किये गये; और

(घ) उन लोगों को कितने पासपोर्ट पुलिस जांच रिपोर्ट के बिना जारी किये गये ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) यद्यपि 1990-91 के दौरान जम्मू और कश्मीर के लोगों से पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब के संबंध में 43 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु इनमें कोई भी शिकायत हज यात्रा के लिए पासपोर्ट जारी करने में हुए विलम्ब से सम्बन्ध नहीं है।

(ख) से (घ) फ़रवरी 1990 में श्रीनगर पासपोर्ट कार्यालय बन्द हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के पासपोर्ट आवेदनों की प्रक्रिया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, दिल्ली में आरंभ कर दी थी। इसके लिए अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है और इन आवेदनों पर दिल्ली के आवेदनों के साथ ही कार्यवाही की जाती है।

सिंचाई जलाशयों के जल के उपयोग के संबंध में अध्ययन

[अनुवाद]

5808. **डा० जी० एल० कनौजिया :**

क्या **जल संसाधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल बोर्ड की एक उप-समिति सिंचाई-जलाशय से जल के उद्योगों के उपायों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उप-समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) कोई ऐसी उप-समिति गठित

नहीं की गयी है। तथापि, राष्ट्रीय जल बोर्ड ने केवल सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही नहीं, बल्कि अन्य जल प्रयोगों को भी ध्यान में रखकर समग्र रूप से नदी बेसिन के विकास तथा प्रबंध के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने के वास्ते नदी संगठनों पर एक उप-समिति गठित की है। इस समिति को अपनी रिपोर्ट 6 माह के अन्दर प्रस्तुत करनी है।

तमिलनाडु सर्किल के कुड्डालोर शहर में क्रासबार टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

5809. **श्री पी० पी० कालियापेरूमल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सर्किल में कुड्डालोर दूरसंचार जिले के कुड्डालोर नगरपालिका के अन्तर्गत शहर में स्वचालित आई० सी० पी० 3000 क्रॉसबार एक्सचेंज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक चालू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां। 2500 लाइनों वाले आई० सी० पी० क्रॉसबार एक्सचेंज की संस्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) मार्च, 1992 तक कार्यरत होने की संभावना है।

लम्बी दूरी तक बात करने के लिए सार्वजनिक टेलीफोन और डाक तथा तार सेवा के लिये संयुक्त कार्यालय

5810. **डा० जयन्त रंगपी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक योजना 1990-91 के अंतर्गत लम्बी दूरी तक बात करने के लिये 1,50,000 सार्वजनिक टेलीफोन लगाने और डाक तथा तार सेवा के लिए 1000 संयुक्त कार्यालय खोलने के अलावा 1,35,000 लाइन वाली लोकल स्विचिंग क्षमता को चालू करने के संबंध में निर्धारित किये गये लक्ष्य को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां ऐसे टेलीफोन तथा संयुक्त डाक और तार घर कार्य कर रहे हैं;

(ग) लक्ष्य की प्राप्त करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) वार्षिक योजना 1990-91 में ग्रामीण क्षेत्रों में 1.35 लाख लाइनों की कुल क्षमता जोड़े जाने का लक्ष्य था। कार्य लक्ष्य से अधिक हुआ है। जहां तक लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों तथा संयुक्त डाक व तार घरों का संबंध है इनकी उपलब्धियां क्रमशः 1742 तथा 555 है।

(ख) स्विचन क्षमता तथा लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों में यह वृद्धि सभी राज्यों में की गयी है। इस समय सभी राज्यों में संयुक्त डाक व तार घर कार्य कर रहे हैं।

(ग) लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के संबंध में हुई कमी का कारण इन टेलीफोनों की निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने के लिए उपस्कर की अपर्याप्त सप्लाई का होना था।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के अनुरूप एक्सचेंज क्षमता प्रदान करने के बारे में किसी भी समस्या के आने की आशा नहीं है। लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों के कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दूरसंचार सर्किल में कार्य बलों (टास्क फोर्सों) का गठन किया गया है। तथा मुख्यालयों में आपूर्तियों एवं कार्यक्रम को चालू करने संबंधी कार्यों को सूक्ष्म मानीटरिंग की जा रही है।

स्मारक डाक टिकटें

5811. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निकट भविष्य में राजस्थान के ऐतिहासिक किलों के सम्बन्ध में स्मारक डाक टिकटें जारी करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) राजस्थान के ऐतिहासिक किलों पर, इस समय विशेष डाक टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल जिले में एर्णाकुलम और कोट्टायम जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

5812. **श्री पी० सी० थामस** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के एर्णाकुलम तथा कोट्टायम जिलों में चालू वर्ष के दौरान कुछ और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां।

(ख) (एक) एर्णाकुलम जिला

1-4-91 से 31-7-91 तक प्रदान किए गए सार्वजनिक टेलीफोन 115

1-8-91 से 31-3-92 तक प्रदान किए जाने वाले प्रस्तावित सार्वजनिक टेलीफोन 60

(दो) कोट्टायम जिला

1-4-91 से 31-7-91 तक प्रदान किए गए सार्वजनिक टेलीफोन 8

1-8-91 से 31-3-92 तक प्रदान किए जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन 45

अर्द्ध सैनिक बलों का विस्तार

5813. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान कुछ अन्य अर्धसैनिक बलों का भी विस्तार करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जेकब) : (क) से (ग) कानून और व्यवस्था की मौजूदा स्थिति सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अर्ध सैनिक बलों की संख्या की समय-समय पर संवीक्षा की जाती है और आवश्यकतानुसार बलों में वृद्धि करने संबंधी कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार में तथाकथित अनियमितताएं

[हिन्दी]

5814. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार में अनियमितताओं के अनेक मामलों की जानकारी दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां ।

(ख) ये अनियमितताएं रेवड़ (भैंसों के झुंड) के घटिया रखरखाव, अनुसंधान में नियोजन की कमी ओर खरीददारी (क्रय) के लिए कोड में दी गयी औपचारिकताओं के पूरा न किये जाने से संबंधित हैं।

(ग) एक संयुक्त तकनीकी, वित्तीय और निष्पादन लेखा परिक्षण किया गया है। संस्थान के निदेशक का स्थानान्तरण कर दिया गया है और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है।

मारूति सुजुकी वाहनों पर बिक्री कर

[अनुवाद]

5815, **श्री जार्ज फर्नांडीज** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में मारूति-सुजुकी वाहनों की बिक्री पर किस दर से बिक्री कर लिया जाता है;

(ख) दिल्ली में साइकिलों, स्कूटरों और मोटर साइकिलों की बिक्री पर किस दर से बिक्री कर वसूल किया जाता है;

(ग) सरकार का विचार देश में व्याप्त कठिन वित्तीय स्थिति को देखते हुए मारूति वाहनों पर बिक्री कर की दर बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली में 1000 सी० सी० से कम क्षमता वाले ईंधन खपत वाली मोटर कारों की बिक्री कीमत पर 6% की दर से कर लगता है 1000 सी० सी० ईंधन क्षमता वाले मारूति-सुजुकी वाहनों सहित अन्य सभी प्रकार के वाहनों पर दिल्ली में 10% की दर से बिक्री कर लगता है।

(ख) इन वाहनों पर 10% की दर से बिक्री कर लगता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में गन निर्माता

5816. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में गन निर्माताओं और कारखानों की संख्या कितनी है;

(ख) कश्मीर में इस समय कार्यरत लाइसेंस शुदा इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्य के गन निर्माता हथियार को बेचने के लिए दक्षिण की ओर गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर में 31 लाइसेन्स शुदा गन-निर्माण इकाइयां हैं, जिसमें से दो श्रीनगर (कश्मीर) में स्थित हैं ।

(ग) और (घ) गन-निर्माताओं को अपने उत्पाद सारे देश के लाइसेन्सशुदा शस्त्र डीलरों और व्यक्तिगत लाइसेन्स धारकों को बेचने की स्वीकृति दी गई है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा धनराशि जुटाना

5817. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले** :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार विभिन्न स्त्रोतों से धनराशि जुटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस धनराशि का उपयोग किस कार्यक्रम में किया जायेगा;

(घ) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने इससे पहले भी धनराशि जुटाई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस धनराशि का किन कार्यक्रमों में उपयोग किया गया था ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड बैंकों, अन्य निगमों, सार्वजनिक जमा योजनाओं और इस्पात विकास निधि से ऋण, विदेशी मुद्रा में ऋण आदि विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन प्राप्त कर रहा है । इस धनराशि का उपयोग कम्पनी के प्रचालनात्मक और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए किया जाता है ।

31-3-1991 की स्थिति के अनुसार 'सेल' द्वारा बाह्य बाजार से लिए गए ऋण का विवरण निम्नानुसार है :—

	करोड़ रुपये
1. सार्वजनिक जमा योजना	1055
2. अन्तर्निगम जमा	113
3. पूंजीगत खर्च के लिए विदेशी मुद्रा ऋण	361
4. हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन से ऋण	24

कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खानें

5818. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलार स्वर्ण क्षेत्र में कितनी खानें हैं; और इनके क्या नाम हैं;

(ख) प्रत्येक खान में कितने कामगार कार्य करते हैं; और

(ग) कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खानों से निकाले गये स्वर्ण अयस्क में कितने प्रतिशत सोना प्राप्त होता है ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जानकारी इस प्रकार है :—

क्रमांक	कोलार स्वर्ण क्षेत्र की खान	खान में तैनात कार्मिकों की संख्या	वर्ष 1991-92 में अयस्क में स्वर्ण का प्रतिशत (अप्रैल-जुलाई का औसत)
1.	मैसूर चैम्पियन एकीकृत खान	1892	0.000417 (4.17 ग्राम प्रतिटन)
2.	नन्दी दुर्ग खान	1939	0.000211 (2.11 ग्राम प्रतिटन)

टिप्पणी : वर्ष 1989-90 में मैसूर तथा चैम्पियन रीफ खानों को एकीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार कोलार स्वर्ण क्षेत्र में उत्पादनरत दो खानें हैं।

बंगलादेश के लोगों को अनधिकृत रूप से जम्मू भेजना

5819. **श्री सी० पी० मुदाल गिरयप्पा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी वनपाल सीमा पार से बंगलादेश के लोगों को विभिन्न समूहों में अनधिकृत रूप से जम्मू क्षेत्रों में भेजते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सीमा पार करने वाले ऐसे बंगलादेशियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) इस बात की कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तानी रेन्जर सीमा पार से बंगलादेश के लोगों को जम्मू क्षेत्र में भेज रहे हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

बिहार में रांची की ग्राम पंचायतों में डाकघर

[हिन्दी]

5820. **श्री राम टहल चौधरी** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में रांची जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाकघर सुविधा उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो रांची में कुल कितने डाकघर कार्यरत हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में अभी तक डाकघर न खोले जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) 1-7-91 की स्थिति के अनुसार रांची जिले में कार्य कर रहे डाकघरों की कुल संख्या 341 है। इनमें 2 हैड-पोस्ट आफिस, 59 उप-डाकघर, 7 अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघर तथा 273 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर हैं। जिन ग्राम पंचायतों में डाकघर नहीं हैं उनमें डाकघर खोलने के प्रस्ताव बिहार सर्किल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल द्वारा यथासंभव भेजे जाएंगे। यह प्रस्ताव डाकघर खोलने के औचित्य तथा बिहार सर्किल को डाकघर खोलने के लिए आवंटित कुल लक्ष्य पर आधारित होंगे।

मध्य प्रदेश में बाक्साइट का खनन

5821. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में बाक्साइट का खनन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार, किन-किन देशों को बाक्साइट का निर्यात किया गया तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ग) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में बाक्साइट पाए जाने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) मध्य प्रदेश में गत तीन वर्षों में खनित बॉक्साइट की मात्रा इस प्रकार है :—

1988	—	5,66,000 टन
1989	—	4,86,000 टन
1990	—	5,26,000 टन

(ख) मध्य प्रदेश में खनित वॉक्साइट का निर्यात नहीं किया जाता।

(ग) जी नहीं। ऐसे उपाय सामान्यत: खान स्वामियों द्वारा किये जाते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कश्मीर में शिकारा हाउसबोट के व्यवसाय में हुई हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज सहायता

5822. **श्री रामेश्वर पाटीदार** :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कश्मीर में पृथकतावादी आन्दोलन के प्रारम्भ होने के पश्चात् वहां पर्यटकों की संख्या में कमी आने के कारण शिकारा हाउसबोट के व्यवसाय तथा उद्योग एवं व्यापार में हो रही हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए राज सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो राजसहायता के रूप में अब तक कितनी धन-राशि दी गई है;

(ग) क्या इस प्रकार राजसहायता जम्मू तथा लद्दाख के लोगों को भी दी जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर सरकार से ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में नये ग्रुप केन्द्र

[अनुवाद]

5823. **प्रो० रासा सिंह रावत** :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की आन्तरिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वल में नये ग्रुप केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, ती तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस निर्णय के अनुसार अब तक कितने ग्रुप केन्द्र स्थापित किये हैं और शेष केन्द्र को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) जी नहीं श्रीमान् । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस वल में एक ग्रुप सेन्टर स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है अतः प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश के हाथरस और अलीगढ़ जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

5824. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1988 से आज तक उत्तर प्रदेश के हाथरस और अलीगढ़ जिलों में टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में लोगों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाने फी संभावना है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथरस तथा अलीगढ़ में कितने सार्वजनिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) सभी आवेदकों को 1992-93 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ।

(ग) 1991-92 में अलीगढ़ और हाथरस में क्रमशः 1200 लाइनों और 600 लाइनों से विस्तार करने की योजना है ।

(घ) जानकारी संलग्न अनुबंध में दी गई है ।

विवरण

भाग (क)

क्रम सं०	जिले/तहसील का नाम	श्रेणी											
		31-3-1988			31-3-1989			31-3-1990			31-3-1991			31-7-1991 तक		
		ओवाईटी	गैरओवाईटी		ओवाईटी	गैरओवाईटी		ओवाईटी	गैरओवाईटी		ओवाईटी	गैरओवाईटी		ओवाईटी	गैरओवाईटी	
			विशेष	सामान्य		विशेष	सामान्य		विशेष	सामान्य		विशेष	सामान्य		विशेष	सामान्य
1.	अलीगढ़ जिला	43	190	780	92	354	13968	8	87	1083	5	46	1719	2	51	1414
2.	हाथरस तहसील	—	22	119	—	19	258	1	26	376	—	3	199	—	13	232

भाग (घ)

क्रम सं०	जिले तहसील का नाम	स्थापित किए गए पी० सी० ओ० और एक्सचेंज					
		1988-09		1989-90		1990-91	
		एक्सचेंज	पी०सी०ओ०	एक्सचेंज	पी०सी०ओ०	एक्सचेंज	पी०सी०ओ०
1.	अलीगढ़ जिला	1	3	—	3	2	11
2.	हाथरस तहसील	1	4	—	7	1	10

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बिजनौर और बुलन्दशहर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण

5825. **डा० लाल बहादुर राबल :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, बिजनौर और बुलन्दशहर जिलों में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और आधुनिकीकरण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1991–92 के दौरान पहले आधुनिक बनाए गए एक्सचेंजों तथा जिन्हें विस्तार/आधुनिक बनाए जाने का प्रस्ताव है उनकी सूची :—

जिले का नाम	क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	वर्तमान टाइप	क्षमता	1991-92 के दौरान जिन्हें आधुनिक/विस्तार करने का प्रस्ताव है	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
अलीगढ़	1.	अतरौली	इलेक्ट्रानिक	88 लाइनें	सी-डॉट 176 लाइनें विस्तार	
	2.	एगलस	—वही—	56 लाइनें	—	
	3.	गोंडा	—वही—	56 लाइनें	—	

1	2	3	4	5	6	7
	4.	हरोवागंज	एम०ए०एक्स-III	50 लाइनें	सी-डॉट 88 लाइनें बदलना	
	5.	सांसी	इलेक्ट्रानिक	88 लाइनें	सी-डॉट 176 विस्तार	
	6.	सिकन्दराबाद	सी०बी०एन०एम०	150 लाइनें	सी-डॉट 88 लाइनें बदलना	
	7.	अलीगढ़	एम०ए०एक्स-I	8700 लाइनें	—	1991-92 के लिए 2000 लाइनों को दूसरा एक्सचेंज
	8.	चर्रा	एम०ए०एक्स-III	100 लाइनें	सी-डॉट 88 लाइनें बदलना	
	9.	गोहाना	—वही—	25 लाइनें	एम०आई०एल०टी० 56 लाइनें बदलना	
	10.	हासन	एम०ए०एक्स-II	50 लाइनें	सी-डॉट 88 लाइनें बदलना	
	11.	कासिमपुर	एम०ए०एक्स-III	50 लाइनें	—वही—	
	12.	जालाई	—वही—	50 लाइनें	—वही—	
	13.	मुर्सातिन	—वही—	25 लाइनें	एम०आई०एल०टी० 56 लाइनें बदलना	
	14.	सलेमपुर	—वही—	25 लाइनें	एम०आई०एल०टी० 56 लाइनें बदलना	
	15.	बीर	—वही—	100 लाइनें	सी-डॉट 176 लाइनें बदलना	

1	2 3	4	5	6	7
बिजनौर	1. कीरतपुर	इलेक्ट्रानिक	176 लाइनें	— —	
	2. महलपुर	—वही—	—वही—	—	
	3. बिजनौर	एम०ए०एक्स-III	900 लाइनें	100 लाइनें विस्तार	1500 लाइनों का सी-डॉट 1993-94 के लिए आवंटन
	4. चांदपुर	एम०ए०एक्स-II	400 लाइनें	सी-डॉट 1000 लाइनें बदलना	
	5. धानपुर	सी० बी० एम०	480 लाइनें	सी-डॉट 1000 लाइनें बदलना	
	6. हल्दापुर	एम०ए०एक्स०-III	50 लाइनें	एम०आई०एल० टी 56 लाइनें बदलना	
	7. नागिना	—वही—	100 लाइनें	ई०एस०ए०एक्स० 200 लाइनें बदलना	
	8. शिवहारा	सी०बी०एन० एम०	200 लाइनें	सी-डॉट 176 लाइनें बदलना	
	9. नजराबाद	सी०बी०एम०	840 लाइनें	सी-डॉट 1400 लाइनें बदलना	
	10. अफजलगढ़	एम०ए०एक्स-III	100 लाइनें	सी-डॉट 88 लाइनें बदलना	

1	2 3	4	5	6	7
	11. कालागढ़	एम० ए० एक्स० III	50 लाइनें	सी डॉट 88 88 लाइनें	
	12. मंदावार	—वही—	35 लाइनें	—वही—	
	13. नूरपुर	—वही—	50 लाइनें	—वही—	
बुलन्दशहर	1. औरंगाबाद	इलेक्ट्रानिक	88 लाइनें	—	
	2. बुगरासी	—वही—	56 लाइनें	—	
	3. छतारी	—वही—	—वही—	—	
	4. देबानी	—वही—	200 लाइनें	—	
	5. गुलावरी	—वही—	176 लाइनें	—	
	6. ज्वावर	—वही—	88 लाइनें	सी-डॉट 176 लाईनें विस्तार	
	7. कसना	—वही—	56 लाइनें	—	
	8. खानपुर	—वही—	—वही—	—	
	9. खुर्जा	—वही—	200 लाइनें	—	
	10. नरवारा	—वही—	300 लाइनें	—	
	11. पहासू	इलेक्ट्रानिक	88 लाइनें	—	
	12 शीकापुर	—वही—	—वही—	सी-डॉट 176 लाइनें विस्तार	
	13. सिकन्दराबाद	—वही—	500 लाइनें	एन०ई०ए०एक्स० लाइनें विस्तार	
	14. सियाना	—वही—	176 लाइनें	—	
	15. बी०बी० नगर	एम०ए०एक्स-III	50 लाइनें	सी-डॉट 88 लाइनें बदलना	

1	2	3	4	5	6	7
	16.	जहांगीराबाद	एम०ए०एक्स०-III	100 लाइनें	सी-डॉट 400 लाइनें बदलना	
	17.	बुलन्दशहर	एम०ए०एक्स-II	1600 लाइनें	91-92 के लिए 2000 लाइनें का आर०एल०यू०आवंटित	

संक्षिप्त नामों का विस्तार एए०ए०

एम०ए०एक्स-II इलेक्ट्रो मैकेनिकल बड़े एक्सचेंज अधिकतम क्षमता 1000 लाइनें

एम०ए०एक्स-III इलेक्ट्रो मैकेनिकल 100 लाइनों का अधिकतम क्षमता वाले छोटे एक्सचेंज ।

सी०बी०आर०एन०—मैनुअल एक्सचेंज नॉन एक्सपेंडेबल

ई०एस०ए०एक्स—आई०टी०आई० स्माल एक्सचेंज

एन०ई०ए०एक्स—एन०ई०सी० मेक स्माल एक्सचेंज

एम०आई०एल०टी—स्माल सिक्स आई०टी०आई० इलेक्ट्रोनिक्स एक्सचेंज ।

तिलहनों का उत्पादन

[अनुवाद]

5826. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहन उत्पादक प्रमुख राज्यों ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान तिलहनों के उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया था तथा इनका कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई नीतियां अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुत्तापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1989-90 (सातवीं योजना का टर्मिनल वर्ष) के दौरान मुख्य तिलहन उत्पादक राज्यों का तिलहन उत्पादन लक्ष्य तथा उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

राज्य	1989-90	
	लक्ष्य	उपलब्धि
	(लाख मीटरी टन में)	
1. आंध्र प्रदेश	22.0	22.49
2. गुजरात	24.0	24.87
3. कर्नाटक	16.5	14.15
4. मध्य प्रदेश	17.5	22.42
5. महाराष्ट्र	15.5	18.35
6. उड़ीसा	9.5	8.30
7. राजस्थान	13.0	18.45
8. तमिलनाडु	15.0	13.06
9. उत्तर प्रदेश	14.0	11.81
10. पश्चिमी बंगाल	5.0	4.18

(ख) और (ग) जी, हां । नई नीति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्षेत्र विस्तार

(क) मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक की खरीफ की परती भूमि में सोयाबीन के अंतर्गत में (2) महाराष्ट्र और गुजरात में कपास के बीच फसल लगाना (3) उड़ीसा में छोटे कदन्न का प्रतिस्थापना।

(ख) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में छोटे कदन्न का कुसुम से प्रतिस्थापन तथा गुजरात में मूंगफली के बीच फसल लगाना। आंध्र प्रदेश और गुजरात में अरंड के तहत क्षेत्र विस्तार।

(ग) उत्तरी राज्यों, जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, मैं खरीफ और रबी के बीच अल्पावधि अंतवर्ती फसल के रूप में तोरिया के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार (2) शुद्ध फसल के रूप में तोरिया-सरसों उत्तरी राज्यों में गेहूं के तहत न्यूनतम सिंचाई वाले क्षेत्र का अपवर्ती करना शरद कालीन गन्ना, चना, आलू आदि के बीच फसल लगाना तथा गैर परम्परागत क्षेत्र में इसे लागू करना;

(घ) रबी के तहत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में सूरजमुखी तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वसंत ऋतु कालीन सूरजमुखी के रूप में।

(ङ) गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के सिंचित क्षेत्रों में रबी/ग्रीष्म कालीन मूंगफली।

(च) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में रबी/ग्रीष्म कालीन तिल।

(छ) कमान क्षेत्रों में तथा सीमित आर्द्रता को स्थितियों तथा मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा आदि के वर्षा सिंचित क्षेत्रों में शुद्ध फसल के रूप में कुसुम।

पैकेज नीति

बुनियादी आदानों के अनुकूलतम और समय पर उपयोग, बुआई तथा वृद्धि क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि।

उपर्युक्त नीति का "तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को जाने वाली आदान सहायता सेवाओं द्वारा समर्थन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश में बरेली टेलीफोन एक्सचेंज से टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

5827. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) उत्तर प्रदेश में बरेली टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता कितनी है और उससे गत तीन वर्षों के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) बरेली में इस समय टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन दे दिए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) क्षमता—9900 लाइन

पिछले तीन वर्षों के दौरान 3603 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूची में 946 आवेदकों के नाम दर्ज हैं।

(ग) 31 मार्च, 1994 तक प्रतीक्षा सूची के पूरा होने की सम्भावना है।

खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य में परिवर्तन

[अनुवाद]

5828. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सूखे की स्थिति को देखते हुए चालू वर्ष के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य में परिवर्तन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सूखे के परिणामस्वरूप खेतिहर मजदूरों के बेरोजगार होने की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी नहीं। 1991-92 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 182.5 मिलियन मीटरी टन ही है, जिसमें चावल का 76.5 गेहूं का 56.5, मोटे अनाज का 34.0 और दलहन का 15.5 मिलियन मीटरी टन उत्पादन लक्ष्य शामिल है। फसलवार और राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) उन राज्यों में, जहां जून में अगेती वर्षा के बाद मानसून अनिश्चित हो गया था, वहां मजदूरी पर रोजगार के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में कृषि श्रमिकों/फार्म कामगारों को लगाया गया था तथा राज्य सरकारों द्वारा स्व-रोजगार कार्यक्रम चलाया

जा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में, जहां स्थिति बहुत ही जटिल थी, कृषि मजदूरों को लाभान्वित करने के लिए इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के द्वारा उन्हें रोजगार प्रदान किया गया था।

विवरण

1991-92 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य

(लाख मीटरी टन में)

राज्य/इकाई	चावल	गेहूं	मोटे अनाज	दलहन	कुल खाद्यान्न
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	108.00	0.10	21.50	7.20	163.80
अरुणाचल प्रदेश	1.40	0.05	0.60	0.05	2.10
असम	30.50	1.20	0.20	0.75	32.65
बिहार	66.20	40.00	14.00	10.00	130.20
गोआ	1.60		0.01	0.05	1.66
गुजरात	8.50	16.50	25.00	7.00	57.00
हरियाणा	18.50	63.90	8.00	7.00	96.00
हिमाचल प्रदेश	1.30	5.40	6.20	0.50	13.40
जम्मू व कश्मीर	6.00	3.00	5.50	0.30	14.80
कर्नाटक	25.00	1.00	40.50	7.40	73.90
केरल	11.00		0.04	0.30	11.34
मध्य प्रदेश	55.00	50.00	37.40	30.00	172.40
महाराष्ट्र	26.50	9.00	76.00	18.00	129.50
मणिपुर	3.35	0.10	0.20	0.12	3.77
मेघालय	1.30	0.05	0.25	0.03	1.63
मिजोरम	0.60		0.10		0.70
नागालैण्ड	1.50		0.15	0.03	1.68
उड़ीसा	63.00	0.75	5.50	12.43	81.68
पंजाब	63.00	116.50	5.90	2.20	187.60
राजस्थान	1.35	40.90	35.00	15.95	93.20

1	2	3	4	5	6
सिक्किम	0.20	0.20	0.60	0.10	1.10
तमिलनाडु	62.00	0.10	15.04	4.00	81.14
त्रिपुरा	4.60	0.05		0.05	4.70
उत्तर प्रदेश	100.00	209.00	40.50	29.00	378.50
पश्चिमी बंगाल	103.20	9.00	1.60	2.46	114.26
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.30			0.01	0.31
चण्डीगढ़					0.00
दादरा व नगर हवेली	0.20		0.05	0.03	0.28
दमन व दियु	0.02		0.01		0.03
दिल्ली	0.08	1.10	0.10	0.02	1.30
लक्षद्वीप					0.00
पाण्डिचेरी	0.80		0.05	0.02	0.87
कुल	765.00	565.00	340.00	155.00	1825.00

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बाढ़ और तूफान पीड़ितों को राहत

5829. **श्री मनोरंजन भक्त :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में बाढ़ और तूफान पीड़ितों को वितरित की गई राहत-सहायता अपर्याप्त थी और जो पीड़ित व्यक्ति उस दिन अनुपस्थित थे उन्हें बाद में यह राहत-सहायता नहीं दी गई;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं; तथा अण्डमान और निकोबार प्रशासन मैजिस्ट्रेट द्वारा इस बारे में जांच कराने के आदेश दे दिए थे; और

(घ) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) राहत सहायता को वितरण के लिए निर्धारित समय के अनुसार क्षेत्रीय पार्षद की उपस्थिति में विभागाध्यक्षों द्वारा वितरित किया जाना था। कुछ व्यक्ति अधिसूचित समय पर राहत सहायता प्राप्त करने के लिए नहीं आये अनियमितता सम्बन्धी कुछ आरोपों के सम्बन्ध में एक न्यायिक जांच के भी आदेश दिये गये थे। अतः राहत सहायता का और वितरण रोक दिया गया था।

(घ) जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष और उस पर की गयी कार्यवाही के बारे में संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन से पता लगाया जा रहा है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में दूरसंचार सुविधायें

5830. **श्री मनोरंजन भक्त** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में (पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार द्वीपसमूह के अलावा) दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार करने हेतु कौन-सी लक्षतिथियां निर्धारित की गयी थीं;

(ख) तत्सम्बन्धी वास्तविक उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार, जहां पर एस० टी० डी० सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, को छोड़कर अन्य द्वीपों में भी एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रम है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 31 मार्च 1992 तक दूरसंचार सुविधाएं प्रदान किये जाने की योजना बनायी गयी है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं :

1. गोराचर्गा
2. विम्बरलीगंज
3. नाकोरी
4. बिचगंज
5. मायाबन्दर
6. केम्पबेल की खाड़ी

(ग) जी हां ।

(ग) केम्पबेल की खाड़ी और नांकोरी (कमोरटा) में 31 मार्च, 92 तक एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने की योजना बनायी गयी है ।

पुणे, महाराष्ट्र में नया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय

5831. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पुणे, महाराष्ट्र में एक नया क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुणे में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण

5832. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पुणे जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और उन्हें आधुनिक बनाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां ।

(ख) (i) पुणे जिले में कुल 107 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 20 एक्सचेंज पहले ही इलेक्ट्रानिक है ।

(ii) 1991-95 के दौरान 77 लघु और मध्यम क्षमता के एक्सचेंजों को आधुनिक बनाने और उनका विस्तार करने की योजना है ।

(iii) 1991-95 के दौरान 5 मुख्य इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का विस्तार करने की योजना है ।

गन्ने का उत्पादन

5833. **श्री अन्ना जोशी :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान महाराष्ट्र में गन्ने का जिले-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कुछ जिलों में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि/कमी आई है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा या है; और

(ग) क्या कुछ चीनी मिलें गन्ने की पिराई करने में असमर्थ हैं; यदि हां; ये मिलें कौन-कौन ी हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) महाराष्ट्र में 990-91 तथा 1989-90 के दौरान गन्ना के उत्पादन का जिला-वार अनुमानों का ब्यौरा देने वाला ्वरण-पत्र संलग्न है।

(ग) जी, हां। महाराष्ट्र में कारखानों के नाम, जो मौसम 1990-91 के दौरान गन्ना की पिराई रने में असमर्थ थे, निम्न प्रकार है :—

जिला	चीनी कारखानों का नाम
1. अहमदनगर	जगदम्बा सहकारी चीनी मिल
	श्री गोंडा सहकारी चीनी मिल
2. पुणे	भीम सहकारी चीनी कारखाना
3. शोलापुर	सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल
	वर्ना सहकारी चीनी मिल
4. औरंगाबाद	संत एकनाथ सहकारी चीनी मिल
	सिद्धेश्वर सहकारी चीनी मिल, सिलोदा
5. बीड	अम्बेडोगाई सहकारी चीनी मिल
	जय भवानी सहकारी चीनी मिल
	काडा सहकारी चीनी मिल
	माडलगांव मुक्त क्षेत्र (कोई कारखाना नहीं)
6. ओसमानाबाद	तेरना सहकारी चीनी मिल
7. परभनी	पूर्णा सहकारी चीनी मिल
	मराठवाड़ा सहकारी चीनी मिल
	गोदावर सहकारी चीनी मिल, डुडना
8. यवतमाल	वसना सहकारी चीनी मिल पुसद
9. लातुर	किल्लारी सहकारी चीनी मिल

विवरण

महाराष्ट्र में 1989-90 और 1990-91 के दौरान गन्ना उत्पादन का जिलावार आंकलन

(हजार टन)

जिला	1989-90	1990-91
1	2	3
नासिक	2897.0	3543.6
धूले	858.0	974.3
जलगांव	870.0	1133.3
अहमदनगर	4380.7	5023.9
पूणे	3132.7	2882.3
सोलापुर	3157.6	3301.7
सतारा	2878.9	3190.3
सांगली	2222.1	2219.2
कोल्हापुर	5389.3	5611.5
औरंगाबाद	1940.1	2253.3
जालना	1903.4	1263.3
बीड	1038.9	1483.2
लातुर	660.1	909.1
ओसमानाबाद	1157.7	1493.0
नांदेड	811.8	953.4
फभनी	658.8	862.5
बुलधाना	131.6	264.6
अकोला	20.8	241.2
अमरावती	71.0	142.4
यवतमाल	312.7	537.8
वर्धा	6.9	7.8
नागपुर	20.8	23.3

1	2	3
भण्डारा	55.6	85.6
चन्द्रपुर	6.9	15.6
राज्य कुल :	34008.3	38416.2

उत्तर प्रदेश की चालू सिंचाई परियोजनाएं

[हिन्दी]

5834. **श्री राजवीर सिंह :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय चल रही बड़ी और मंझोली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश को मूल्यांकित निर्माणाधीन वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

मूल्यांकित निर्माणाधीन वृहद और मध्यम परियोजनाएं

(करोड़ रुपए/हजार हेक्टेयर में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम और अनुमोदन की स्थिति	अद्यतन अनुमानित लागत	सातवीं योजना के अंत तक व्यय	1990-91 के दौरान व्यय	1991-92 के लिए सिफारिश किया गया परिव्यय	चरम क्षमता	सातवीं योजना के अन्त तक सृजित क्षमता	1990-91 के दौरान सृजित क्षमता	1990-91 के दौरान क्षमता का लक्ष्य	पूर्ण करने की योजना
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	वृहद परियोजनाएं									
1.	अपर गंगा का आधुनिकीकरण (प्रथम समय स्लाइस, (ख)	397.70	149.13	70.00	76.00	9.00	—	—	—	आठवीं योजना
2.	टिहरी बांध (सिंचाई विभाग अंश) (क)	284.77	155.97	0.05	0.05	—	—	—	—	नवीं योजना में आगे लाई गयी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	लखवार व्यासी बांध (क) सिंचाई विभाग अंश 10%	283.45	94.79	15.00	30.00	—	—	—	—	—वही—
4.	जामरानीं बांध(क)	117.00	13.90	2.75	8.00	60.60	21.60	—	—	—वही—
5.	राजघाट बांध उत्तर प्रदेश का अंश 50% (क)	106.83	79.80	5.00	6.00	—	—	—	—	आठवीं योजना
6.	बाणसागर बांध (क)	112.00	47.35	5.00	5.00	—	—	—	—	नौवी योजना में आगे लायी गयी
7.	उर्मिल बांध (उत्तर प्रदेश अंश 40% (क)	23.23	15.06	2.00	4.00	4.77	—	1.00	—	1992-93
8.	गण्डक नहर (क)	140.20	125.24	2.50	6.00	508.39	305.14	0.50	1.00	1992-93
9.	शारदा सहायक नदी चरण-I (क)	869.70	659.51	49.00	42.50	1582.00	1082.98	30.00	25.00	नौवी योजना में आगे लायी गयी
10.	मध्य गंगा नहर चरण-I (क)	356.55	236.00	25.00	27.00	178.00	84.98	18.00	18.00	1994-95
11.	सरयू नहर परि-योजना (क)	1010.00	293.60	24.00	40.00	1404.00	34.00	15.00	20.00	नौवी योजना में आगे लायी गयी
12.	पूर्वी गंगा नहर (क)	223.52	118.91	15.00	20.00	105.00	19.67	8.00	10.00	1994-95
13.	नरायणपुर पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना (क)	51.65	36 83	2.50	6.25	73.14	53.00	10.00	5.000	1992-93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	सोन पम्प नहर (क)	57.22	36.24	2.00	1.12	42.90	5.50	2.50	20.00	नौवीं योजना में आगे लायी गयी
15.	मौदाहा बांध (ख)	69.54	38.79	12.00	13.50	28.24	—	7.50	2.00	1992-93
16.	भीमगोडा बराज का पुनरूंपेण (क)	34.12	33.16	0.44	0.52	—	—	—	—	1991-92
17.	मेजा बांध को ऊंचा करना (क)	37.66	33.66	4.00	—	17.88	14.30	—	3.50	1990-91
18.	ओखला बराज (क)	40.38	40.33	0.05	—	—	—	—	—	1994-95
	मध्यम परियोजनाएं									
1.	गुन्टा नाला बांध (क)	13.79	5.68	1.50	2.50	3.88	—	—	—	1993-94
2.	संशोधित क्वानों पम्प नहर (क)	17.04	10.88	2.50	1.50	10.60	6.00	3.00	1.00	1992-93
3.	संशोधित टोम्स पम्प नहर (क)	18.51	13.46	3.20	2.00	—	—	—	—	—वही—
4.	केन नहर का पुनरूंपेण (क)	3.88	3.22	0.41	0.25	—	—	—	—	1991-92
5.	यमुना पम्प नहर (क)	16.09	15.34	0.75	—	37.16	37.15	0.01	—	1990-91
6.	किशनपुर पम्प नहर (क)	22.84	20.04	0.75	2.05	38.45	28.64	2.80	5.10	1991-92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आधुनिकीकरण परियोजनाएं										
1.	लूचर शीर्ष कार्यों का आधुनिकीकरण (क)	46.70	2.60	0.10	2.00	—	293	—	—	नौंवी योजना में आगे लायी गयी
जल परियोजनाओं का संयुक्त उपयोग										
1.	ज्ञानपुर पम्प नहर (ख)	99.13	46.49	6.50	8.00	65.42	16.50	3.00	4.00	नौंवी योजना में आगे लायी गयी
2.	देवकाली पम्प नहर की क्षमता बढ़ाना (क)	35.33	32.53	2.80	—	78.42	69.78	4.82	3.82	1990-91

टिप्पण : क : योजना आयोग द्वारा अनुमोदित

ख : केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूर्ण

एस० टी० डी० सुविधा सहित सार्वजनिक टेलीफोन

5835. **श्री राजबीर सिंह :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989 और 1990 के दौरान देश में एस० टी० डी० सुविधा सहित स्थापित किए जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन तारघरों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ये सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिए गए हैं और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) एस० टी० डी० वाले सार्वजनिक टेलीफोनों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। विभाग ने एजेंसियों/व्यक्तियों को अपनी लागत पर ऐसे फोन संस्थापित करने तथा उन्हें प्रचालित करने का लाइसेंस दे दिया है।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने में आयी कमी के मुख्य कारण के उपस्कर की कमी तथा तकनीकी व्यवहार्यता का न होना।

विवरण

1989-90 तथा 1990-91 के दौरान खोले गए एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोनों संबंधी सूचना

दूरसंचार सर्किल	1989-90		1990-91	
	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	500	270	700	701
2. असम	50	1	100	28
3. बिहार	100	82	390	60
4. गुजरात	400	71	1100	782
5. हिमाचल प्रदेश	50	2	100	7
6. हरियाणा	50	15	200	178
7. जम्मू एण्ड कश्मीर	50	9	50	7

1	2	3	4	5
8. केरल	500	279	500	635
9. कर्नाटक	500	188	900	902
10. महाराष्ट्र	400	105	1000	656
11. मध्य प्रदेश	500	69	600	314
12. उत्तर-पूर्व	50	24	100	10
13. उड़ीसा	100	14	200	30
14. पंजाब	150	38	450	462
15. राजस्थान	150	8	400	63
16. तमिलनाडु	400	894	900	1193
17. उत्तर प्रदेश	500	122	1300	259
18. पश्चिमी बंगाल	50	3	200	15
महानगरीय जिले				
1. म० टे० नि० लि०, बम्बई	500	19	1400	141
2. म० टे० नि० लि०, दिल्ली	500	56	1600	249
3. कलकत्ता	500	13	1600	44
4. मद्रास	500	21	1300	456
कुल योग	6,500	2,222	15,000	7,192

इस्लामी देशों के संगठन द्वारा जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध में अपनाया गया रुख

[अनुवाद]

5836. **श्री सुधीर सावंत :**

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्लामी देशों के संगठनों ने जम्मू और कश्मीर समस्या के मामले में क्या रुख अपनाया है; और

(ख) क्या राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे से परम्परागत मित्र इस्लामिक देशों के साथ भारत के सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फलीरो) : (क) इस्ताम्बूल में 3 से 8 अगस्त, 1991 के दौरान आयोजित इस्लामिक विदेश मंत्रियों के बीसवें सम्मेलन में जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जो एक तरफा और भारत सरकार को पूरी तरह से नामंजूर है।

(ख) जी नहीं।

सूखे से प्रभावित होने वाले तिलहन

5837. **श्री सुधीर सावंत** :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सूखे से प्रभावित न होने वाले तिलहनों की किस्में विकसित करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या किसानों को बढ़िया किस्म के बीज उपलब्ध कराने के लिए बीज प्रणालीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में विकसित की गई कुछ सूखा-रोधी किस्में ये हैं— मूंगफली की गिरनार-1, सरसों की 'वैभव', कुसुम की 'मालविया कुसुम' और अलसी की 'किरन'।

(ग) बीज अधिनियम 1966 के अनुसार अधिसूचित किस्मों के बीजों को 19 बीज प्रमाणीकरण एजेंसियों द्वारा प्रमाणित किया जा रहा है और देश में किसानों को सार्वजनिक और निजी बीज एजेंसियों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है।

वीर दामोदर सावरकार पर स्मारक डाक टिकट

5838. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** :

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महान स्वतंत्रता सैनानी वीर दामोदर सावरकर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक जारी कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी नहीं। 'वीर सावरकर' के नाम से प्रख्यात महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर एक स्मारक

डाक-टिकट 28 मई, 1970 को पहले ही जारी किया जा चुका है। वीर सावरकर पर कोई दूसरा डाक-टिकट जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

काजू के पौधे लगाना

5839. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विश्व बैंक की सहायता से काजू और बहुराज्यीय परियोजना संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी और इन योजनाओं के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, क्या उपलब्धियां रही हैं; और

(ग) किसानों को इस सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिए कितने कार्यक्रम दिखाये गये और उपरोक्त अवधि के दौरान राज्यवार इसके पौध लगाने के लिए कितनी सामग्री प्रदान की गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भारत में काजू के समेकित विकास के लिए केन्द्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक की सहायता से बहुराज्यीय काजू परियोजना सितम्बर, 1987 तक कार्यान्वित की गई थी।

(ख) वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान काजू के विकास के लिए केन्द्रीय प्रायोजित पैकेज कार्यक्रम और 1990-91 के दौरान भारत में काजू के समेकित विकास से लिए केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम के तहत किया गया धनराशि का राज्यवार आवंटन तथा उपलब्धियां संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं।

(ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के लिए राज्यवार तैयार किए गए प्रदर्शनों की संख्या और दी गई रोपण सामग्री की संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-I

(रुपये लाख में)

राज्य	वित्तीय लक्ष्य			वित्तीय उपलब्धि		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	31.591	27.337	2.321	12.688	16.060	1.496

1	2	3	4	5	6	7
गोवा	11.569	9.817	9.203	5.464	8.045	8.918
कर्नाटक	38.716	29.158	8.173	17.160	8.357	7.295
केरल	38.348	32.411	4.792	23.934	23.648	2.820
मध्य प्रदेश	5.177	5.949	1.888	1.554	3.403	1.580
महाराष्ट्र	9.913	10.514	3.872	2.408	4.970	—
उड़ीसा	38.354	27.789	4.030	11.039	0.025	0.690
तमिलनाडु	35.195	30.084	9.336	20.176	29.298	9.931
त्रिपुरा	4.607	7.088	0.600	3.078	1.540	0.600
पश्चिम बंगाल	4.334	7.502	0.476	2.220	3.993	0.400

विवरण-2

राज्य	तैयार किए गए प्रदर्शनों की संख्या			दी गई रोपण सामग्री की संख्या		
	1988-89	1989-90	1990-91	1988-89	1989-90	1990-91
1. केरल	815	511	350	—	का० न०	16.000
2. कर्नाटक	305	134	175	का० न०	12.000	48,000
3. आंध्र प्रदेश	720	417	227	—	—	4,800
4. तमिलनाडु	545	399	400	—	48,000	40,000
5. महाराष्ट्र	510	516	250	9,600	18,720	32,000
6. उड़ीसा	350	का० न०	150	31,200	—	—
7. मध्य प्रदेश	123	34	47	—	—	23,680
8. पश्चिम बंगाल	135	100	100	—	—	—
9. त्रिपुरा	184	84	150	—	—	—
10. गोवा	300	264	220	20,000	50,720	64.000
योग :	3987	2459	2069	60,800	1128.440	228,480

का० न०=कार्यान्वित नहीं

जम्मू-कश्मीर में हत्या और अपहरण की घटनाएं

[हिन्दी]

5840. **श्री तेजनारायण सिंह :**

श्री मुकुल वासनिक :

श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(घ) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा बेकसूर लोगों की हत्या और अपहरण करने की घटनाओं में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में कितने व्यक्तियों का अपहरण किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने अपहृत व्यक्तियों की हत्या की गई, कितने व्यक्तियों को मुक्त कराया गया और कितने व्यक्ति अभी तक आतंकवादियों की कैद में तथा मुक्त कराए गए व्यक्तियों के बदले कितने आतंकवादियों को रिहा किया गया; और

(घ) उक्त स्थिति से निपटने हेतु सुरक्षा बलों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) अपहरण की घटनाओं वृद्धि होने के बावजूद आतंकवादी हिंसा में मारे गए व्यक्तियों की संख्या काफी अधिक रही हैं।

2. राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1989,1990 और 1991 (15.8.1991 तक) अपहृत किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या क्रमशः 1, 169 और 192 हैं। उनमें से 67 व्यक्ति 1990 में मारे गए और 36 व्यक्ति 1991 में मारे गए ' 4 व्यक्तियों को आतंकवादियों ने अभी भी बंधक बना रखा है।

3. अपहृत व्यक्तियों को रिहा करने के बदले में गिरफ्तार किए गए 15 आतंकवादियों को रिहा किया गया।

(घ) सुरक्षा बलों को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई है और उन्हें उपयुक्त रूप से हथियारों से लैस किया गया है। उनकी तैनातगी बढ़ा दी गई और गश्त गहन कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में डाकघर खोलना

5841. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर और जौनपुर जिलों में वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुल कितने डाकघर खोले गए; और

(ख) क्या सरकार के पास इन जिलों में वर्ष 1991-92 के दौरान नये डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जानकारी नीचे दी गई है :—

जिला	निम्नलिखित वर्षों के दौरान खोले गए डाकघरों की संख्या		
	1988-89	1989-90	1990-91
1. वाराणसी	6	1	13
2. गाजीपुर	5	1	13
3. जौनपुर	2	—	16

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की संख्या नीचे दी गई है। इन्हें निर्धारित विभागीय मानदण्डों के अनुसार औचित्य पाए जाने पर ही खोला जा सकेगा :—

जिले का नाम	खोलने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या	
	अ० वि० शा० डाकघर	उप डाकघर
1. वाराणसी	25	—
2. गाजीपुर	10	—
3. जौनपुर	10	—

उत्तर प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज

5842. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के गाजीपुर वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार केराकल टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाने और इसे देश के महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां। जौनपुर को छोड़कर।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में 10 टेलीफोन कनेक्शनों की पंजीकृत दत्त मूल्य मांग होने पर नया टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के लिए स्थान का चयन किया जाता है।

उपर्युक्त आधार पर अभी तक निम्नलिखित स्थानों का चयन किया गया है :—

क्रम सं०	एक्सचेंज स्थान का नाम	जिले का नाम
1.	शिवपुर्वा	वाराणमी
2.	सारनाथ	वाराणसी
3.	इतुरी बाजार	जौनपुर
4.	कोटवा राज	मिर्जापुर

(ग) और (घ) जी हां।

कैराकत के मौजूदा एक्सचेंज का विस्तार 1992-93 के दौरान करने तथा इसे देश के महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़ने का कार्य 1994-95 के दौरान करने की योजना है।

अर्ध-सैनिक बलों में कार्यरत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के जवान

5843. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न अर्ध-सैनिक बलों में कार्यरत कितने प्रतिशत जवान अनुसूचित जातियों/जन जातियों के हैं :

(ख) क्या उनकी संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों को इन बलों में आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) अर्धसैनिक बलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जतजाति के जवानों का प्रतिशत निम्न प्रकार है :

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. भारत तिब्बत सीमा पुलिस	16.5%	5.67%
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	18·92%	8·44%
3. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	14·45%	7·55%
4. सीमा सुरक्षा बल	14·41%	7·62%
5. असम रांइफल	15%	7·5%

(ख) भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अनुसूचित जनजातियों के मामले के अलावा उनकी संख्या पर्याप्त है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व 15% से थोड़ा कम है।

(ग) विस्तृत प्रचार करने के बाद देश के अनुसूचित जाति बाहुल्य अन्य विभिन्न स्थानों के अलावा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के कुछ सीमावर्ती जिलों में गहन भर्ती अभियान नियमित रूप से चलाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में नये टेलीफोन कनेक्शन देना

5844. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) इन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संचार राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31-3-91 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 159 थी।

(ख) मार्च, 1993 तक उन्हें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की योजना है।

बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र

5845. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : बाढ़ों से प्रभावित क्षेत्रों में कोई बढ़ोतरी ध्यान में नहीं आयी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचित किए गए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र निम्नवत् हैं :—

1988-89	162·90 लाख हेक्टेयर
1989-90	80.60 लाख हेक्टेयर
1990-91	93.03 लाख हेक्टेयर

आन्ध्र प्रदेश में जोग्गैयापेटा में "इलैक्ट्राटिक एक्सचेंज"

[अनुवाद]

5846. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के जोग्गैयापेटा में एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख तक इसके कार्य शुरू करने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी हां, आंध्र प्रदेश के जोगैंग्आपेटा में 1500 लाइनों वाला एक इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस एक्सचेंज के 1993-94 में चालू हो जाने की संभावना है ।

आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 'सी-डाट' टेलीफोन एक्सचेंज

5847. **श्री सोमनाद्रीश्वर राव वाड्डे** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 'सी-डाट' प्रणाली के कार्यकरण के संबंध में कोई अध्यन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभाग का आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में 'सी-डाट' टेलीफोन एक्सचेंज लगाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तिरुपुरु एक्सचेंज में विजयवाड़ा के लिए सीधी डायलिंग सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस समय कृष्णा जिले में 12 सी-डॉट 128 पोर्ट एक्सचेंज काम कर रहे हैं । उपस्कर उपलब्ध होने पर निम्नलिखित स्थानों पर 1991-92 के दौरान 128 पोर्ट-सी-डॉट के 8 एक्चेंजों को उत्तरोत्तर चालू कर दिये जाने का प्रस्ताव है --

1. बंटूमिल्ली

3. चिन्नापुरम

3. मौतुरू

4. कोदुनी

5. चन्द्रलापाडू

6, जमीलगोल्वेपल्ली

7. मुस्ताबाद

8. बुचीपुड़ी

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर सी-डॉट एम.ए. एक्स एक्सचेंज संस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

1. गुडीवाड़ा

2. जोग्गैयापेट

3. मछलीपट्नम

4. नुस्विद

(ङ) 1993-94 तक स्थायी माध्यम बन जाने तथा उसको आटोमैटिक बनाने के बाद, तिरुपुरू में एस.टी. डी. सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा शहर में टेलीफोन कनेक्शन

5448. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाद्दे :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदनकर्त्ताओं के नाम थे;

(ख) प्रतीक्षासूची में आवेदनकर्त्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) प्रतीक्षासूची में आवेदनकर्त्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान विजववाड़ा शहर में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार से है :—

(i) 31-3-1990 की स्थिति के अनुसार=5466

(ii) 31-3-1991 की स्थिति के अनुसार=5858

(ख) और (ग) मार्च, 1995 तक प्रतीक्षा सूची को उत्तरोत्तर रूप से निपटाने के लिए विस्तार योजना बनायी गई हैं।

मूंगफली के तेल का आयात

[हिन्दी]

5849. **श्री राम शरण यादव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के सहयोग से मूंगफली का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस मूल्य पर तथा कितनी मात्रा में मूंगफली के तेल का आयात करने का विचार है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप खाद्य तेल की कमी कहां तक दूर होने की सम्भावना है ?

कृषि मंत्रालय राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

हथियार रखने के लिए लाइसेंस देना

[अनुवाद]

5850. **श्री सैयद शाहबुद्दीन :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान गैर-निषिद्ध और निषिद्ध बोर के आग्नेयास्त्रों के लिए जारी किए गए लाइसेंसों की अलग-अलग संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस बारे में कोई समान नीति निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य में मंत्रालय राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) निषेध बोर वाले हथियारों के संबंध में लाइसेन्स जारी करने के लिए केन्द्र

सरकार ने नीति दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। निम्नलिखित श्रेणियों वाले निषेध बोर वाले हथियारों के संबंध में लाइसेन्स अब केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं :—

(1) वे सैनिक अधिकारी, जिन्हें ऐसे हथियार जून, 1982 से पहले सेना के कोटे से आवंटित किए गए हों;

(2) मृत लाईसेन्स धारियों के वैध उत्तराधिकारी;

(3) वे व्यक्ति, जिनकी जान को समाज-विरोधी तथा आतंकवादी तत्वों से गंभीर तथा निश्चित खतरा हो;

उक्त नीति दिशानिर्देश समूचे देश में समान रूप से लागू हैं।

बिना-बोर वाले हथियारों के लिए लाईसेन्स देने के अधिकार राज्य सरकारों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को प्रदत्त किए गए हैं तथा सभी संबंद्ध पहलुओं, जैसे आवेदक की वास्तविक आवश्यकता, शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने तथा अन्य स्थानीय पहलुओं पर विचार करने के बाद वे अपने लिए नीति दिशानिर्देश तैयार करने के लिए सक्षम हैं।

विवरण

1-1-1990 से 31-8-1991 तक की अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए निषेध बोर वाले हथियारों के लाईसेंसों के ब्यौरे

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रदान किए गए निषेध बोर वाले लाईसेंसों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	01
2.	अरुणाचल प्रदेश	02
3.	असम	शून्य
4.	बिहार	01
5.	गोवा	शून्य
6.	गुजरात	03
7.	हरियाणा	08
8.	हिमाचल प्रदेश	07
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य
10.	कर्नाटक	04

1	2	3
11.	केरल	05
12.	मध्य प्रदेश	02
13.	महाराष्ट्र	01
14.	मणिपुर	01
15.	मेघालय	01
16.	मिजोरम	शून्य
17.	नागालैण्ड	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य
19.	पंजाब	202
20.	राजस्थान	05
21.	सिक्किम	शून्य
22.	तमिलनाडू	01
23.	त्रिपुरा	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	03
25.	पश्चिम बंगाल	06
26.	आडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य
27.	चण्डीगढ़	13
28.	दादरा और नगर हवेली	शून्य
29.	दमण और द्वीव	शून्य
30.	दिल्ली	58
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पाण्डिचेरी	शून्य
	योग	324

बिना निषेध बोर वाले हथियारों के लिए प्रदान किए गए लाईसेंसों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि सौंपी गई शक्तियों के अधीन इनके राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र के प्रशासकों द्वारा जारी किया जाता है ।

दिल्ली में अतिथि-गृह

[हिन्दी]

5851. **श्री अर्जन सिंह यादव :**

श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत दो वर्षों के दौरान वर्षवार, कितने अनधिकृत अतिथि-गृह का पता लगाया गया;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्रति वर्ष दिल्ली में कितने अनधिकृत अतिथि-गृहों खुले; और

(ग) अतिथि-गृहों के लिए "कोई आपत्ति नहीं" प्रमाण-पत्र देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गये हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि पिछले दो वर्षों और 28 अगस्त, 1991 तक दिल्ली में पता लगाए गए अनधिकृत अतिथि-गृहों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	अनधिकृत अतिथि गृहों की संख्या
1989	42
1990	37
1991 (28-8-91 तक)	23

(ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली में खोले गए अधिकृत अतिथि गृहों की संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	अनधिकृत अतिथि-गृहों की संख्या
1989	14
1990	22
1991 (28-8-91 तक)	5

(ग) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में लोक मनोरंजन के

स्थानों के बारे में विनियमन बनाए गए हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन की उपयुक्तता, बस्ती और मनोरंजन के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्थान की अनुरूपता से संबंधित होते हैं। बस्ती और स्थान की अनुरूपता का निर्धारण करते समय; पुलिस प्राधिकारी संबंधित एजेन्सियों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" भी प्राप्त करते हैं।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में नया टेलीफोन मण्डल

5882. **श्री अर्जुन सिंह यादव** :

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के राबर्टसगंज, गाजीपुर, भदोही, मिर्जापुर और जौनपुर टेलीफोन परिमंडल कार्यालय का विकेन्द्रीकरण करके जौनपुर जिले में गाजीपुर और जौनपुर नए टेलीफोन मंडल बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश से लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध

[अनुवाद]

5853. **श्री राम कापसे** :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके देश से आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है; और

(ग) इस संख्या में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) सुरक्षा, आर्थिक इत्यादि कारणों से प्रवेश/निकास पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इस प्रकार के प्रतिबन्ध विभिन्न एजेन्सियों द्वारा लगाए जाते हैं। अतः उन व्यक्तियों की संख्या बताना संभव नहीं है जिन पर किसी एक समय पर प्रतिबंध लगाया गया है। तथापि मामले की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

सी०आई०ए० और लिट्टे के साथ सम्पर्क रखने वाले गिरफ्तार किए गए विदेशी नागरिक

5854. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०आई०ए० और लिट्टे से सम्पर्क रखने वाले कुछ विदेशी नागरिकों को इस वर्ष जुलाई से मुम्बई में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) ऐसी किसी रिपोर्ट की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

दिल्ली में अपराध

5855. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जुलाई, 1991 के "हिन्दू" में "ईजी टारगेट्स फोर दिल्ली क्रिमिनल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष कितने वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को अपराधियों का शिकार होना पड़ा; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) 4 जुलाई, 1991 के हिन्दू समाचार पत्र में "ईजी टारगेट्स फोर दिल्ली क्रिमिनल्स" नामक शीर्षक एक समाचार प्रकाशित हुआ । समाचार प्रमुख रूप से दिल्ली में वृद्ध तथा अधेड़ आयु के व्यक्तियों की हत्या से संबंधित था ।

(ख) 1-1-1991 से 15-8-1991 तक की अवधि के दौरान अपराधियों द्वारा 13 वृद्ध महिलाओ तथा 11 अधेड़ आयु के व्यक्तियों की हत्याएं की गई ।

(ग) एक वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा योजना प्रारम्भ की गई है । प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सभी

वरिष्ठ नागरिकों की गश्त-वार तथा डिवीजन वार पहचान की गई है। पुलिस स्टेशन का गश्ती-स्टाफ इन वरिष्ठ नागरिकों के पास जाता है और इनके द्वारा किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में इन्हें सलाह और आश्वासन देता है। उन्हें सभी संभव गृह सुरक्षा उपाय जैसे मैजिक आई डोर चेन, वरगुलर अलार्म लगाना, आहाते में दीवार बनाना, दरवाजों तथा खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगाना और नौकरों और घरेलू सहायकों के पूर्ववृत्तों की जांच करवाने की सलाह दी जाती है।

2. लोगों को शिक्षित करने के लिए इन उपायों को मुद्रित इस्तहारों (पाम्फलेटों) के जरिए परिचालित किया जाता है।

3. जहां आवासी कल्याण समितियों के साथ बैठकें की जाती है वहां ऐसे निवारक उपायों पर विचार-विमर्श किया जाता है और जनता तथा पुलिस के मध्य सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया जाता है।

4. वरिष्ठ नागरिकों के नौकरों तथा घरेलू सहायकों के पूर्ववृत्तों का सत्यापन किया जाता है।

5. गश्त तथा रिवीजन गश्त के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के आहाते में विशेष सतर्कता रखी जाती है।

हीराकुंड बांध में पड़ी दरार का अध्ययन करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का दल

5856. **श्री रवि राय :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार से उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में महानदी पर बने हीराकुण्ड बांध में पड़ी नरार का अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के एक दल द्वारा कराए जाने की स्वीकृति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जी हां। उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में महानदी नदी पर हीराकुंड बांध में आयी दरारों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों का अन्तर्राष्ट्रीय दल बनाने का प्रस्ताव नवम्बर, 1990 में उड़ीसा सरकार से प्राप्त हुआ था। उड़ीसा सरकार से इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है, क्योंकि हीराकुंड बांध क्रेक पुनरीक्षण पेनल, जिसमें भारतीय विशेषज्ञ शामिल हैं, अगस्त, 1990 में उनके द्वारा पहले ही गठित किया जा चुका है। उड़ीसा सरकार ने अपना निर्णय नहीं भेजा है;

उर्वरकों की कालाबाजारी और जमाखोरी

5857. **श्री रवि राव :**

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उर्वरकों की जमाखोरी और कालाबाजारी का किसानों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने किसानों की उचित मूल्य पर उर्वरकों की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) बजट घोषणा के अनुसरण में उर्वरकों के मूल्यों में 25 जुलाई, 1991 से संशोधन कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि वर्द्धित मूल्यों का लाभ व्यापारी न उठाएं, सरकार ने यह घोषणा की, कि मूल्य संशोधन अधिसूचना जारी होने से पहले खुदरा विक्रेताओं के पास जो स्टाक थे, वे पूर्व संशोधित मूल्यों पर ही बेचे जाएं। इससे जमाखोरी और काला बाजारी को, विशेषकर आन्ध्र प्रदेश से, कुछ शिकायतें आयी हैं।

भारत सरकार ने, खुदरा स्टाक को अभिज्ञात करने और पूर्व संशोधित मूल्यों पर उनकी बिक्री सुनिश्चित करने के लिये, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किये हैं। उसके बाद सरकार ने 14 अगस्त, 1991 की अधिसूचना, जिसमें उर्वरक मूल्यों में और संशोधन किया गया, के जरिये निर्देश दिये कि विनिर्माताओं और पूल हैन्डलिंग एजेन्टों को छोड़कर, खुदरा विक्रेताओं और थोक विक्रेताओं द्वारा रखे गये स्टाक और 25 जुलाई, 1991 के मूल्यों से पहले अधिप्राप्त किये गये स्टाक, 25 जुलाई, 1991 से पूर्व के मूल्यों पर बेचे जायेंगे। भारत सरकार ने दुबारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों की विस्तृत निर्देश जारी किये कि वे किसानों को सही मूल्यों पर इन उर्वरकों को सप्लाई सुनिश्चित कराएं।

दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के त्वरित उपभोक्ता सेवा केन्द्र

5858. **श्री प्रताप राव बी० भोंसले :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने दिल्ली में कुछ त्वरित कम्प्यूटरीकृत उपभोक्ता केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों के लिए उपभोक्ताओं की शिकायतों को निपटाने हेतु क्या समय नियत किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) जी हां। दिल्ली में 18 तुरन्त सेवा केन्द्र और 8 कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। उनके स्थानों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) तुरन्त सेवा केन्द्रों का कार्य समय दूसरे शनिवार को छोड़कर सोमवार-शनिवार तक 9.30 से 5.00 बजे हैं और कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों का कार्य समय सभी कार्य दिवसों (सोमवार-शुक्रवार) में 10.00 से 4.00 बजे है। इन केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। इस समय बंबई में 34 तुरन्त ग्राहक सेवा केन्द्र और 8 शीघ्र ग्राहक सेवा केन्द्र महाराष्ट्र के शेष भाग में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त पुणे और अहमदनगर में भी 2 कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

विवरण-1

शामिल किए गए एक्सचेंज	स्थान
1	2
1. जनपथ और किदवई भवन एक्सचेंज के गुण	कनाट प्लेस (मोहन सिंह प्लेस में शिफ्ट किया जा रहा है)
2. सेना भवन, राजपथ एक्सचेंज : शास्त्री भवन	
3. जोरबाग तथा लोदी रोड	डिफेंस कालोनी पुल के साथ
4. दिल्ली गेट	दिल्ली आसफ अली रोड दिल्ली गेट पर
5. लक्ष्मी नगर	लक्ष्मी नगर एक्सचेंज
6. शाहदरा	शाहदरा एक्सचेंज
7. ईदगाह एक्सचेंज के ग्रुप	ईदगाह
8. तीस हजारी के सभी एक्सचेंज	तीस हजारी एक्सचेंज
9. शक्ति नगर, रोहिणी, अलीपुर, बादली, नरेली, लारेंस रोड के सभी एक्सचेंज	शक्ति नगर एक्सचेंज

1	2
10. चाणक्यपुरी	II ए, सफदरजंग एनकलेव
11. हौजखास, छत्तरपुर, वसंत कुंज	हौजखास एक्सचेंज
12. ओखला ग्रुप के सभी एक्सचेंज	ओखला एक्सचेंज
13. नेहरू प्लेस के सभी एक्सचेंज	नेहरू प्लेस एक्सचेंज
14. करोल बाग, कैंट, आई०जी०आई०ए०	करोलबाग एक्सचेंज
15. राजौरी गार्डन के एक्सचेंज के ग्रेप	नारायणा सामुदायिक केन्द्र
16. करोल बाग	वेनटैक्स टावर
17. पश्चिम बिहार, नजफगढ़ तथा नांगलोई	पश्चिम बिहार एक्सचेंज
18. जनकपुरी एक्सचेंज	जनकपुरी टेलीफोन एक्सचेंज
II. दिल्ली में कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्र	
1. खुर्शीदलाल भवन	केन्द्रीय क्षेत्र
2. 10 दरियागंज	पूर्वी क्षेत्र
3. अंतर्राजकीय बस अड्डा	उत्तरी क्षेत्र
4. नेहरू प्लेस एक्सचेंज	दक्षिणी क्षेत्र
5. राजौरी गार्डन एक्सचेंज	पश्चिम क्षेत्र
6. जोरबाग एक्सचेंज	जोरबाग और लोदी रोड एक्सचेंज क्षेत्र
7. लक्ष्मी नगर एक्सचेंज	लक्ष्मी नगर एक्सचेंज क्षेत्र
8. ईस्टर्न कोर्ट	नॉन वायस सेवा, दिल्ली के लिए

विवरण-2

तुरन्त ग्राहक सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं

1. लगभग सभी टेलीफोन सहायक उपकरणों को शीघ्रता से उपलब्ध कराना ।
2. उसी परिसर में शिफ्ट
3. एस०टी०डी० रहित/डायनामिक एस.टी डी. नियंत्रण ।
4. फोन प्लस सेवा
5. टेलीफोनों को सुरक्षित कब्जे में बंद करना और उन्हें पुनः चालू करना।

कम्प्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केन्द्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं

1. बकाया जिलों के लिए एक लाइन की पूछताछ

2. डुप्लीकेट बिल जारी करना

3. पुनः चालू करने के लिए डिमांड नोट जारी करना

4. शिफ्ट करने के अनुरोध का एक लाइन की प्रक्रिया

5. अलग-अलग बिलों के अनुरोध की एक लाइन की प्रक्रिया।

बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय संबंध

5859. **श्री प्रतापराव बी. भोसले :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलादेश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई नये उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार बंगलादेश के साथ अपने संबंध बढ़ाने को उच्च प्राथमिकता देती है। विदेश मंत्री के आमंत्रण पर बंगलादेश के विदेश मंत्री 26 से 29 अगस्त, 1991 तक भारत आए थे। आपसी हित के मामलों और भारत-बंगलादेश संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उनकी इस यात्रा के दौरान दो आर्थिक समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे जिनमें से एक दोहरे कराधान के परिहार के संबंध में था और दूसरा बंगलादेश को 30 करोड़ रुपये का ऋण देने के बारे में।

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नामावली

5860. **प्रो० प्रेम धूमल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 4 अप्रैल, 1991 को मंत्रालय के प्रतिनिधियों और भारतीय डाक कर्मचारी संघ डाकिया एवं चतुर्थ श्रेणी तथा भारतीय विभागेतर कर्मचारी संघ के बीच हुई बैठक में विभागेतर एजेंटों की नामावली में परिवर्तन करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विभागेतर कर्मचारियों को मुआवजा

5861. **प्रो० प्रेम धूमल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार का विचार विभागेतर डाक वाहकों और विभागेतर-पैकेटों की ड्यूटी के लिए निर्धारित घंटों के बाद कार्य करने हेतु मुआवजा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवा की शर्तों और उन्हें सौंपी गई ड्यूटी तथा वे जिस ढंग से काम करते हैं, उसे देखते हुए उन्हें समयोपरि भत्ता देना अपेक्षित नहीं है।

याकों की संख्या

5862. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में याकों की संख्या कम होती जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने सिक्किम में याकों की कोई गणना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने याकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। चौदहवीं पशुधन संगणना के अनुसार सिक्किम में याकों की संख्या 5354 थी।

(ग) चूंकि देश में पिछले वर्षों में याकों की संख्या में कमी नहीं हुई है, अतः सरकार ने उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए अभी कोई कदम नहीं उठाए हैं।

बिहार में खनिजों का दोहन

[हिन्दी]

5863. **श्री ललित उरांव** :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, दोहन किए गए गए खनिजों का ब्यौरा क्या है तथा कुल कितने मूल्य के खनिजों का दोहन किया गया;

(ख) निर्यात किए गए खनिजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार निर्यात से हुई आय में बिहार सरकार का कितना हिस्सा था ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) बिहार राज्य में 1988, 1989 और 1990 के दौरान उत्पादित खनिजों की मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण-1 में हैं।

(ख) 1985-86 से 1987-88 के दौरान भारत से निर्यात किये गये मुख्य खनिजों की मात्रा और मूल्य संलग्न विवरण-2 में है।

(ग) खनिजों पर रायल्टी तथा अन्य राजकीय लेवियों की आय जहां राज्य सरकार को प्राप्त होती है वहां खनिज निर्यात की आय संबंधित निर्यातकर्त्ता को मिलती है।

विवरण-1

बिहार में 1988 से 1990 के दौरान उत्पादित खनिज

(मूल्य हजार रुपए में)

खनिज	मात्रा की ईकाई	1988		1989		1990 (अनन्तिम)	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
बेराइट्स	टन	15	2	—	—	—	—
बाक्साइट	"	832,329	62,605	721,764	5,51,67	859,009	664,58
कोयला	हजार टन	66,694	1797,86,48	66,215	1985,36,34	75,326	2258,54,70
तांबाअयस्यक	टन	1,368,969	50,14,41	1,345,176	49,23,88	1,298,589	47,43,82
डोलोमाइट	टन	186,003	30,610	206,117	3,39,67	154,328	2,56,11
फेल्सपार	"	2,141	137	3,002	1,88	1,694	2,05
कायर क्ले	"	114,784	68,61	77,438	38,84	38,023	21,14
स्वर्ण-1	किग्रा	109	2,68,82	90	2,41,87	201	5,22,88
ग्रेफाइट	टन	5,406	5,97	3,347	4,26	8,222	12,52
कैओलिन	"	44,124	1,43,81	40,692	1,26,72	26,309	78,70

1	2	3	4	5	6	7	8
काइनाइट	टन	18,817	1,74,08	19,297	2,41,28	22,800	2,08,14
लौह अयस्क ह०	,,	8,624	69,98,22	8,854	77,27,13	8,434	79,92,60
चूना पत्थर	,,	1,846	21,38,10	1,812	22,73,16	1,345	1554,,98
मेगनीज अयस्क	,,	24,682	33,89	21,895	28,46	24,724	30,86
अभ्रक कच्चा	,,	1,969	1,43,08	2,258	1,51,79	1,854	1,40,81
अभ्रकछीजन व कतरन-2	,,	1,603	उपलब्ध नहीं	1,079	उपलब्ध नहीं	1,054	उपलब्ध नहीं
ओकर	,,	586	44	733	55	376	34
पाइराट्स	,,	29,656	1,18,97	38,868	1,55,50	94,023	3,76,10
क्वार्टज	,,	6,942	3,80	5,280	2,97	3,969	2,98
क्वार्टजाइट	,,	15,271	6,49	4,932	2,96	11,325	6,63
सिलिका बालू	,,	84,572	48,26	80,156	45,93	86,789	49,41
चांदी-3	किग्रा	12,665	7,30,35	12,162	7,27,95	14,148	8,46,93
स्टीटाइट	टन	5,743	3,49	1,911	87	2,254	1,27
गोण खनिज	मूल्य	—	90,53,58	—	उपलब्ध नहीं	—	उपलब्ध नहीं

1. तांबा स्लाइम से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त

2. छीजन व स्क्रेप में खान स्थल पर कच्चे अभ्रक की छंटाई से प्राप्त छीजन

3. सीसा सांद्रों से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त

(स्रोत : भारतीय खनिज वार्षिक अंक 1990 खंड 1 तथा एम०एस०एम०पी० दिसम्बर, 1990)

विवरण-2

1985-86 से 1987-88 तक खनिजों का निर्यात

(मूल्य करोड़ रुपए में)

खनिज	मात्रा की इकाई	1985-86		1986-87		1987-88	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
सभी खनिज (मूल्य)	टन		2343.99		2721.24		3212.08
एल्यूमिना (एल्यू० आक्साइड	टन	40,967	8.37	39,756	7.60	7,014	2.21
बेराइटस	ह० टन	375	14.23	26	1.33	123	4.55
बाक्साइट	टन	36,436	0.65	85,148	1.69	147,402	2.31
बेन्टोनाइट	,,	21,348	1.59	6,843	0.40	39,312	1.64
बोरेक्स (बोरेट)	,,	443	0.22	486	0.24	494	0.26
क्रोमाइट	ह० टन	230	38.16	119	34.60	185	17.96
कोयला	,,	190	9.92	102	5.71	150	7.96
तांबा अयस्क सांद्र	टन	45,350	26.57	7,900	8.50	18,000	17.33
हीरा (अधिकांशतः तराशे हुए)	कैरेट	*	1375.46	उपलब्ध नहीं	1943.79	उपलब्ध नहीं	2457.09

1	2	3	4	5	6	7	8
डोलोमाइट	टन	7,786	0.15	7,569	0.20	3,175	0.14
पन्ना	कैरेट	उपलब्ध नहीं	1.96	उपलब्ध नहीं	13.93	उपलब्ध नहीं	33.67
फेल्सपार	टन	16,781	0.71	20,033	0.80	44,811	1.06
फेल्सपार (रत्न)	कैरेट	उपलब्ध नहीं	0.12	उपलब्ध नहीं	0.06	उपलब्ध नहीं	0.49
गार्नेट (प्राकृतिक)	टन	1,225	0.12	323	0.10	1,320	0.78
ग्रार्नेट (रत्न)	कैरेट	उपलब्ध नहीं	0.13	उपलब्ध नहीं	0.59	उपलब्ध नहीं	0.48
ग्रेफाइट (प्राकृतिक)	टन	1,045	0.67	1,028	0.82	312	0.32
जिप्सम व प्लास्टर	टन	3,449	0.06	724	0.02	5,879	0.18
इल्मेनाइट-1	,,	17,956	1.78	14,605	2.14	42,532	3.17
लौह अयस्क	ह० टन	30,150	578.80	28,226	546.61	29,410	554.49
कैओलीन	टन	8,329	0.73	5,715	0.67	16,638	1.57
चूना पत्थर	ह० टन	230	1.03	214	0.95	258	1.09
मैग्नेसाइट	टन	1,371	0.31	2,192	0.51	1,826	0.54
मैग्नीज डाइ-आक्साइड इलैक्ट्रोलाइटिक	टन	33	0.03	10	**	582	0.28
मैग्नीज अयस्क	ह० टन	486	20.36	222	9.25	226	7.59
संगमरमर	टन	6,140	0.37	7,565	0.45	21,487	1.78
अभ्रक	टन	33,886	36.13	38.344	36.10	38.095	41.99
पैट्रोलियम (कच्चा) 2	ह० टन	528	135 15	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
कीमतीव अर्ध-कीमती प्रत्थर (प्रा० अन्यत्र उल्लेख नहीं)	कैरेट	*	26.76	उपलब्ध नहीं	25.34	उपलब्ध नहीं	23.23
क्वार्टज (प्राकृतिक)	टन	70,775	3.98	67,689	3.67	69,136	4.24
रैड आक्साइड व रैड आयरन आक्साइड	टन	3,619	0.39	5,029	0.70	5,571	0.66
नमक	हृ० टन	16	0.30	20	0.36	44	0.69
बालू (धातुधारी बालू छोड़कर)	टन	6,269	0.43	390	0.03	15,751	1.07
स्लेट (तैयार सहित)	टन	7,632	1.82	14,423	3.27	13,997	3.61
स्टीटाइट	टन	12,444	1.51	12,340	1.57	23,331	2.58
पत्थर (भवन इमारत के ग्रेनाइट आदि)	हृ० टन	358	53,69	400	66.83	575	108.35
वर्मीक्यूलाइट	टन	1,055	0.11	2,283	0.21	1,047	0.07
अन्य (मूल्य)			2.20		2.30		6.65

टिप्पणी : 1. शोधित इल्मेनाइट सहित। 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से प्राप्त आंकड़े। *आंशिक निर्यात के कारण मात्रा नहीं दी गई है। ** नगण्य—(स्रोत : डी० जी० सी० आई० एंड० एस०, कलकत्ता)

खानों के समीप क्षेत्र का विकास

5864. श्री ललित उरांव :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में लोहरदगा और गुमला जिलों में अभ्रक की खानों से कितना उपकर का वसूल किया गया;

(ख) क्या वसूल किये गए उपकर का एक प्रतिशत खानों के समीप क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का प्रावधान है;

(ग) यदि हां तो उक्त क्षेत्र के विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) अब तक किये गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[अनुवाद]

5865. श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, चकरोता और मंसूरी जिलों में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं; और

(ख) उक्त स्थानों पर नए इलैक्ट्रोनिक टेलीफोन एक्सचेंजों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) 31-3-91 को टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) जिला टिहरी गढ़वाल में	7
(2) जिला उत्तरकाशी में	33
(3) चकरोता एक्सचेंज क्षेत्र में	2
(4) मंसूरी एक्सचेंज क्षेत्र में	268

(चकरोता और मंसूरी एक्सचेंज क्षेत्र देहरादून जिले में हैं)।

(ख) चकरोता में पहले से ही इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज काम कर रहा है। वर्ष 91-92 के दौरान उत्तरकाशी के मैनुअल एक्सचेंज और मंसूरी के इलेक्ट्रो-मैकिनिकल एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला जाना है। सभी मियाद समाप्त एक्सचेंजों को बदलने की नीति का अनुसरण करते हुए अन्य जिले के एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का कार्य उत्तरोत्तर रूप से कर लिया जाएगा। प्रतीक्षा सूची को मार्च 1993 तक निपटा दिए जाने की आशा है।

खाड़ी के देशों में रोजगार के नए अवसर

5866. **श्री रमेश चेन्नितला :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा खाड़ी के देशों विशेष रूप से कुवैत, सऊदी अरब, इरान और इराक में भारतीयों के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्डो फैलीरो) : सरकार खाड़ी के विभिन्न देशों में वहां की सरकारों के साथ और नियोजकों के साथ भी निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए ताकि उन देशों में भारतीय राष्ट्रिकों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर पैदा हों और ज्यादा रोजगार मिल सके। 30,000 से भी अधिक भारतीय राष्ट्रिक तो कुवैत वापस जा भी चुके हैं, इसके अलावा अन्य देशों, खासकर सऊदी अरब को जाने वाले भारतीय राष्ट्रिको की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

उड़ीसा में सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5867. **श्री के० प्रधानी :**

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वर्ष-वार मांगी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : राज्य को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है, जो विकास के किसी विशेष क्षेत्र अथवा परियोजना से जुड़ी नहीं होती हैं। सिंचाई क्षेत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय निम्नवत् है :—

	(करोड़ रुपए में)
1988-89	220.68
1989-90	189.13
1990-91	287.71

रेल डाक सेवा छंटाई कार्यालय

5868. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रेल डाक सेवा के कितने छंटाई कार्यालय हैं;

(ख) क्या उनमें से प्रत्येक कार्यालय के पास आवश्यक सुविधाओं से युक्त भवन हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) देश में 548 रेल डाक सेवा छंटाई कार्यालय हैं;

(ख) यद्यपि, रेल डाक सेवा के सभी छंटाई कार्यालय भवनों में तो हैं किन्तु किराए के या रेलवे परिसरों में कार्य कर रही यूनिटों के मामले में, विभिन्न दबावों के कारण उनमें वांछित स्तर की सुख-सुविधाएं प्रदान करना हमेशा संभव नहीं होता है ।

(ग) जहां संभव होता है, चरणबद्ध ढंग से बेहतर भवन की व्यवस्था की जाती है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों ।

रेल डाक सेवा कार्यालयों में छंटाई मशीनें

5869. **श्रीमति सुशीला गोपालन :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक सेवा कार्यालयों में छंटाई मशीनें लगाने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मशीन का मूल्य क्या है और सरकार का विचार किन देशों से इन मशीनों का आयात करने का है; और

(ग) कितने रेल डाक सेवा कार्यालयों को ये मशीनें उपलब्ध करायी जानी हैं और इसके फलस्वरूप कितने कर्मचारियों के फालतू हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) बम्बई में एक आटोमैटिक इंटीग्रेटिड मेल प्रोसेसिंग सिस्टम स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) यह टेक्नालॉजी केवल कुछ विकसित देशों में ही उपलब्ध है और इस उपस्कर का आयात करना होगा । उपस्कर प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) बम्बई की इस परियोजना का अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रस्तावित उपस्कर स्थापित करने के बाद 85 सार्टरों को ऐसी डाक वस्तुओं की छंटाई करने के लिए, जिनकी मशीनों से छंटाइ नही की जानी है, तथा डाक और रेल डाक सेवा के अन्य क्षेत्रों में बढ़े हुए कार्यभार को निपटाने के लिए तैनात करना होगा।

पारादीप में मत्स्य पत्तन

5870. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में पारादीप में मत्स्य पत्तन के निर्माण में असामान्य विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पत्तन के निर्माण-कार्य के पूरा होने की संभावित तिथि क्या है तथा सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक, पारा दीप में मत्स्यन बंदरगाह के विनिर्माण में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ग) मत्स्यन बंदरगाह परियोजना फरवरी, 1994 तक पूरी हो जाने की संभावना है। मत्स्यन बंदरगाह की प्रगति का प्रबोधन केन्द्रीय प्रबोधन समिति द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली में दूध की मांग और सप्लाई

5871. **श्री के० तुलसीऐया वांडायार** :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दूध की कुल दैनिक मांग और सप्लाई का ब्यौरा क्या है; और

(ख) दिल्ली में दुग्ध डेरियों की कुल क्षमता कितनी है और पड़ौसी राज्यों से कितना दूध खरीदा जाता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) दिल्ली में दूध की कुल दैनिक अनुमानित मांग 20 से 25 लाख लीटर है और मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना के माध्यम से की जाने वाली कुल औसत आपूर्ति, प्रतिदिन 10.6 लाख लीटर है।

(ख) मदर डेयरी और दिल्ली दुग्ध योजना, दोनों को अधिष्ठापित क्षमता 11.5 लाख लीटर प्रतिदिन है। इन दोनों डेरियों द्वारा पड़ोसी राज्यों और दिल्ली सहकारी समितियों से औसतन प्रतिदन करड़ो 3.00 लाख कि० ग्रा० दूध अधि प्राप्त किया जाता है।

भारत और सोवियत संघ के उजबेकिस्तान गणराज्य के बीच समझौते

[हिन्दी]

5872. **श्री साईमन मरान्डी :**

क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और सोवियत संघ के उजबेकिस्तान गणराज्य के बीच दो समझौते किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और ये समझौते कितनी अवधि के लिए किए गए है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी नहीं।

(ख) आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध करार में यह प्रावधान है कि दोनों पक्ष आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक-प्रौद्योगिक और अन्य क्षेत्रों में स्थायी आधार पर आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने और उसे विकसित करने के लिए उचित उपाय करेंगे। सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध करार में संस्कृति, कला, शिक्षा, विज्ञापन, पर्यटन, खेल-कूद और जन प्रसार-माध्यमों के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बनाये रखने और मजबूत करने की बात कही गई है। ये दोनों करार पांच वर्ष की अवधि के लिए वैध हैं और यदि दोनों में से कोई एक पक्ष इस करार की समाप्ति की तारीख से 6 महीने पहले इसे समाप्त करने के अपने के अपने निर्णय की सूचना जब तक दूसरे पक्ष को नहीं देता तब तक ये दोनों करार पांच-पांच वर्ष की आगामी अवधि तक स्वत: बढ़ते जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में नलकूप

[अनुवाद]

5873. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री मानवेन्द्र शाह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से सैदपुर और जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और देहरादून जिले में कितने नलकूप लगाये गए;

(ख) उनमें से कितने नलकूप बेकार पड़े हैं;

(ग) इन नलकूपों के कब तक चालू कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) विश्व बैंक की सहायता से 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से सैदपुर, जौनपुर और देहरादून में कितने नलकूप लगाये जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में स्थापित नलकूपों की संख्या 4799 है जिसमें से 113 सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 26 जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 22 देहरादून जिले में हैं।

(ख) 26-8-1991 को खराब नलकूप निम्नवत है :—

1. सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	23
2. जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	4
3. देहरादून जिला	1

(ग) समय जब तक खराब नलकूपों के चालू होने की संभावना है, इस प्रकार है :—

1. सैदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	15 नलकूप 15 दिनों में और 8 एक महीने में।
2. जौनपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	2 नलकूप 15 दिनों में और 2 एक महीने में।
3. देहरादून जिला	एक महीने के भीतर।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश के सैदपुर, जौनपुर संसदीय क्षेत्रों और देहरादून जिले में विश्व बैंक की सहायता से नलकूप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पाकिस्तानी सैन्य विशेषज्ञों का कश्मीर का गुप्त दौरा

5874. **श्री मृत्युंजय नायक :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी के सैन्य विशेषज्ञों ने कश्मीर में चल रहे आतंकवादी अभियान का निरीक्षण करने हेतु गुप्त रूप से कश्मीर का दौरा किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें पकड़ने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) इस बारे में अपुष्ट खबरें मिली हैं कि कुछ पाकिस्तानी सैनिक अधिकारी घाटी में चोरी छिपे घुसे हैं।

घुसपैठ की रोकथाम करने के लिए सरकार ने सीमा पर पहले ही सतर्कता बढ़ा दी है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने आतंकवाद विरोधी अभियानों को तेज करने, घात लगाकर नाकाबन्दी आयोजित करने तथा प्रभावित/संवेदनशील पाकेटों में प्रभावकारी ढंग से अर्ध-सैनिक बलों को तैनात करने

के लिए सामरिक महत्व के स्थानों और सक्रिय गुटों की पहचान की है। सामरिक महत्व के क्षेत्रों में दिन और रात की गश्त तथा आतंकवादियों और धन ऐंठने वालों के छिपने के स्थानों पर छापे बढ़ा दिए गए हैं।

एम्बुलेंस वाहनों की सेवाएं

5875. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ एम्बुलेंस वाहन दिल्ली पुलिस के नियन्त्रणाधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन वाहनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का ब्यौरा क्या है तथा आपातस्थिति में ये वाहन किस स्थान से उपलब्ध होते हैं ;

(ग) जनता को इन वाहनों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं ;

(घ) क्या आम जनता को जानकारी के लिए इन वाहनों की सेवाओं के बारे में प्रचार किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(च) क्या सरकार का विचार दिल्ली में विभिन्न नई कालोनियों के बनने के साथ-साथ इन वाहनों की संख्या में वृद्धि करने का है ; और

(छ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। दिल्ली पुलिस के पास 15 एम्बुलैंस गाड़ियां हैं। इनमें चिकित्सा सेवा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई पांच गाड़ियां शामिल हैं। यह गाड़ियां दिल्ली पुलिस के जिला/ट्रैफिक इंकाईयों के पास हैं तथा इनको सड़क दुर्घटनाओं, प्राकृतिक विपदाओं, दंगों, इत्यादि के शिकार हुए व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाने के लिए सामरिक महत्व के स्थानों पर तैनात किया गया है। इन वाहनों से घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा भी दी जाती है।

(घ) और (ङ) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि वर्ष 1976 से चल रही योजना के बारे में जनता को जानकारी है।

(च) और (छ) सरकार के समक्ष गाड़ियों की संख्या में वृद्धि करने के बारे में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली पुलिस के वाहनों में आपातकालीन हार्न

5876. **डा० सी० सिलवेरा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-पुलिस के कुछ वाहनों में आपातकालीन हार्न लगाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन वाहानों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० जंकव) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) निम्नलिखित वाहनों में आपातकालीन हार्न लगे हुए हैं—

1. कार	102
2. जीप	489
3. पिक-अप वैन	124
4. एम्बुलैंस	13
5. मिनी बस	11
6. बस	7
7. ट्रक	31
9. जेल वाहन	21

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि एम्बुलैंस या आग बुझाने वाले अथवा बचाव कार्य करने वाले अथवा अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों, जहां इनकी आवश्यकता होती है, के लिए आपातकालीन हार्न बजाने की छूट है।

महाराष्ट्र में नासिक जिले के शहरों को एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराना

5877. **श्री जेड० एम० कहाडोले** :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में नासिक जिले के पश्चिम भाग में टेलीफोन अधिकांश समय तक खराब पड़े रहते हैं;

(ख) क्या प्रयोक्ताओं को दो माह से अधिक समय तक टेलीफोन खराब रहने के बावजूद भी टेलीफोन के बिल का भुगतान करना पड़ता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई शिकायत मिली है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) नासिक जिले के किन-किन कस्बों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं। नासिक जिले के पश्चिमी भाग में टेलीफोनों का कार्यकरण सामान्यता सन्तोषजनक है।

(ख) जी नहीं।

(ग) नी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 8वीं योजना के दौरान नासिक जिले के निम्नलिखित स्थानों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है—

1. निफाड़
2. मालेगांव
3. ओक्सर
4. सतना
5. सिन्नार
6. पिम्पलगांव (बासवंत)
7. लासलगांव
8. इगतपुरी

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एस० टी० डी० टेलीफोन सेवा के कनेक्शन काटना

[हिन्दी]

5878. श्री मोहनसिंह :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जून से अगस्त, 1991 तक की अवधि के दौरान एस० टी० डी० टेलीफोन सेवा उपभोक्ताओं के कितने कनेक्शन कटे हुए पाये गये ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई ऊच्च स्तरीय जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन कटा हुआ नहीं पाया गया। तथापि, जून,1991 से अगस्त, 1991 तक उपभोक्ताओं के एस० टी० डी० टेलीफोनों के सात मीटर ऐसे पाए गए जिनके साथ छेड़-छाड़ की गई थी।

(ख) प्रारम्भिक जांच के आधार पर अलीगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज के दो कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह निगरानी भू-स्टेशन

[अनुवाद]

5879. श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह निगरानी भू-स्टेशन की शिलान्यास दिसम्बर, 1983 में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह मामला किस अवस्था में है; और

(ग) यह स्टेशन कब तक चालू हो जायेगा।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क)तत्कालीन संचार राज्य मंत्री, श्री वी०एन० गाडगिल ने 11 दिसम्बर, 1983 को जालना में एक तावे समारोह में महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन उप मुख्य मंत्री से औपचारिक रूप से भूमि प्राप्त की।

(ख) एंटीना के लिए पेडेस्टल संबंधी सिविल कार्य पूरा कर लिया गया है अन्तरिक्ष विभाग का अन्तरिक्ष प्रगोग केन्द्र "रिसोव" इलेक्ट्रानिक प्रणाली का विकास तथा एकीकरण करता रहा है जिसका अब अन्तिम परीक्षण अहमदाबाद में किया जा रहा है। केन्द्र के भवन का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

(ग) केन्द्र में सुविधाओं के वर्ष 1992 के मध्य तक आरंभिक परीक्षण के लिए तैयार हो जाने की संभावना है।

रोमानिया में भारतीय राजदूत को धमकी

5880. श्री गुरुदास कामत :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोमानिया में भारतीय दूतावास को भारतीय राजदूत को उग्रवादियों से मिली धमकी के बारे में कई बार चेतावनी दी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। भारत के राजदूत श्री जे० एफ० रिबेरो के लिए उग्रवादियों की ओर से खतरे के बारे में रोमानिया स्थित भारत के राजदूतावास की अनेक बार सूचित किया गया था। हाल ही में 17 अगस्त को भी राजदूत को खतरे की सूचना दी गई थी। यह सूचना रोमानिया के अधिकारियों को दे दी गई थी जिन्होंने राजदूत के आवास, हमारे राजदूतावास और उस सड़क पर, जिस पर कि राजदूत आया-जाया करते थे, वर्दीधारी रक्षकों की संख्या बढ़ा दी गई थी।

आतंकवादियों का "ब्लू प्रिंट प्लान"

5881. **श्री गुरुदास कामत :**

श्री एम० वी० सिदनाल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आतंकवादी गतिविधियों और उनके "ब्लू प्रिंट प्लान की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त "ब्लू प्रिंट प्लान" किन क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने की आशंका है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) ऐसा कोई "ब्लू प्रिंट प्लान" ध्यान में नहीं आया है। तथापि, सरकार आतंकवादी तत्वों द्वारा देश में उत्पन्न की गई स्थिति से पूर्णतः अवगत है और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि पूरे देश में शान्ति और स्थिरता का स्थायी वातावरण बने। सरकार द्वारा इस दिशा में संबंधित राज्य सरकारों के साथ गहन सहयोग करके अनेक कदम उठाए जा रहे हैं।

मध्य भारत अधिसूचित क्षेत्र भूमि वितरण और अन्तरण विनियम, 1954

[हिन्दी]

5882. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मध्य भारत अधिसूचित क्षेत्र भूमि वितरण और अन्तरण विनियमन, 1954 को निरस्त करने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी अनुमति कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्तान्तरण) विनियम, 1954 को निरस्त करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए मध्य भारत अनुसूचित क्षेत्र (भूमि बांट तथा हस्ताम्तरण) निरसन विनियम, 1984 भेजा गया है।

(ख) और (ग) वर्तमान विनियम, जिसे अधिनियम द्वारा निरस्त किया जाना है, भूमि के हस्तांतरण से जनजातियों को संरक्षित करता है। राज्य सरकार का ध्यान इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि कई मामलों में जनजातियों की भूमि गैर-जनजातियों को हस्तांतरित की गई है। क्योंकि डर यह है यदि विनिमय को निरस्त किया गया तो उससे केवल हस्तांतरण को नियमित किया जा सकता

है, इसलिए राज्य सरकार से आग्रह किया गया है कि जनजातियों की हित की रक्षा करने के लिए संतोषजनक उपाय किए जाएं।

राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

बरूगुमपडु टेलीफोन एक्सचेंज से एस० टी० डी० सुविधा

[अनुवाद]

5883. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बरूगुमपडु टेलीफोन एक्सचेंज से एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने हेतु एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो बरूगुमपडु एक्सचेंज के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को किस तारीख तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी. नहीं।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) बरूगुपडु (बुरगम पहाड़) यह स्थान 8वीं योजना के अन्तर्गत एस० टी० डी० उपलब्ध कराने की दृष्टि से मानदंडों को पूरा नहीं करता।

ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता द्वारा जम्मू-कश्मीर के बारे में दिया गया वक्तव्य

5884. **श्री रवि राय :**

श्री कमला मिश्र मधुकर :

प्रो० के० वी० थामस :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में ब्रिटिश लेबर पार्टी के नेता ने अपने जम्मू-कश्मीर दौरे के दौरान वहां के विभिन्न प्रमुख लोगों से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उन्होंने अपने जम्मू-कश्मीर के दौरे के बाद कोई वक्तव्य दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) यू० के० के छाया

विदेश मंत्री श्री गेराल्ड कौपमैन ने जम्मू और कश्मीर राज्य की हाल की अपनी यात्रा के दौरान राज्यपाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की और वे विभिन्न दलों के राजनीतिक नेताओं, विधिशास्त्रियों, प्रेस के प्रतिनिधियों और अन्य जाने-माने व्यक्तियों से मिले।

(ग) और (घ) सरकार ने श्री कौफमैन द्वारा राज्य के दौरे के बाद की गई टिप्पणियों के बारे में विभिन्न प्रेस रिपोर्टें देखी हैं जिनमें कश्मीरियों के विचारों को ध्यान में रखते हुए कश्मीर समस्या के समाधान के लिए कहा गया है और सुझाव दिया है कि इस संबंध में राष्ट्रमण्डल से काम लिया जा सकता है। सरकार चाहती है। कि यह मसला शिमला समझौते के अनुसार पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय स्तर पर सुलझ जाए। इसमें किसी तीससे पक्ष की मध्यस्थता, उसके सद्भाव या हस्तक्षेप का कोई सवाल नहीं है चाहे वह राष्ट्रमण्डल ही क्यों न हो।

सतीगुड़ा सिंचाई परियोजना

5885. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :**

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सतीगुड़ा सिंचाई परियोजना का कार्य रुका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और अब तक कितनी धनराशि जारी की गयी है; और

(घ) शेष धनराशि के कब तक जारी जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड की सहायता से उड़ीसा सरकार द्वारा सतीगुड़ा सिंचाई परियोजना का कार्य किया जा रहा है राज्य सरकार ने कभी यह सूचित नहीं किया है कि सिंचाई परियोजना का कार्य कभी रुका रहा।

(ग) परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा 318.20 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई है। उड़ीसा सरकार को अब तक 37.45 लाख रुपए दिए जा चुके हैं।

(घ) भारत सरकार द्वारा फंड देने के लिए की गई शर्तों के अनुसार उड़ीसा सरकार द्वारा अगस्त, 1992 तक पूरा फंड व्यय किया जाना है। राज्य सरकार को शेष राशि तब दी जाएगी जब वह वास्तव में खर्च की गई राशि के बारे में अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करेगी।

शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन

5886. **श्री गुरुदास कामत :**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शासकीय गुप्त बात अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अधिनियम में क्या संशोधन किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ग) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में कुछ संशोधन करने के बारे में एक प्रस्ताव है जिनका उद्देश्य आमतौर पर संबंधित उपबंधों को अधिक उदार बनाना है ताकि शासकीय सूचना सरलता से उपलब्ध हो सके। तथापि, सरकार ने मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

उत्तर प्रदेश में डाकघर तारघर टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

[हिन्दी]

5887. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलेवार कितने डाकघर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाएंगे;

(ख) इनके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) गत वर्ष उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में कितने एस०टी०डी० और आई०एस०डी० कनेक्शन दिए गए और तत्संबंधी ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) डाघकर और तारघर खोलने के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 में दी गई है।

जहां तक टेलीफोन एक्सचेंजों का संबंध है, वर्ष, 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में 40 एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है जिलेवार विवरण एकत्र किया जा रहा है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) आवंटन को अन्तिम रूप देने के बाद जानकारी सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पिछले वर्ष अलीगढ़ जिले में हाथरस में एक एस० टी० डी० और आई० एस० डी० कनेक्शन दिया गया है।

विवरण-I

1991-92 में उत्तर प्रदेश सर्किल में डाकघर खोलने के जिलावार लक्ष्य बशर्ते कि उनका औचित्य हो।

क्र० सं०	जिले का नाम	खोले जाने के लिए प्रस्तावित डाकघरों की संख्या
1	2	2
1.	बाराबंकी	12
2.	फैजाबाद	15
3.	राय बरेली	15
4.	सीतापुर	15
5.	सुल्तानपुर	18
6.	लखनऊ	25
7.	कानपुर सिटी	6
8.	कानपुर देहात	7
9.	उन्नाव	7
10.	फतेहपुर	6
11.	फर्रुखाबाद	6
12.	बांदा	6
13.	हमीरपुर	5
14.	इलाहाबाद	17
15.	गाजीपुर	10
16.	जौनपुर	10
17.	मिर्जापुर	15
18.	वाराणसी	25
19.	प्रतापगढ़	15
20.	बिजनौर	12
21.	मेरठ	12
22.	एम० नगर	12
23.	सहारनपुर	12

1	2	3
24.	गाजियाबाद	12
25.	देहरादून	3
26.	पौड़ी	2
27.	चमोली	2
28.	टिहरी	3
29.	आगरा	13
30.	मथुरा	10
31.	अलीगढ़	10
32.	झांसी	15
33.	बुलन्दशहर	6
34.	एटा	6
35.	इटवा	6
36.	मैनपुरी	5
37.	अल्मोड़ा	6
38.	बरेली	5
39.	बदायूं	5
40.	हरदोई	5
41.	खीरी	6
42.	मुरादाबाद	4
43.	रामपुर	4
44.	नैनीताल	3
45.	पीलीभीत	3
46.	पिथौरागढ़	7
47.	शाहजहांपुर	5
48.	गोरखपुर	11
49.	महाराजगंज	10
50.	देवरिया	15
51.	बंसी	5

1	2	3
52.	बलिया	10
53.	बेहराइच	10
54.	गोंडा	10
55.	आजमगढ़	8
56.	मऊ	7
57.	बस्ती	5

विवरण-2

उत्तर प्रदेश में ऐसे संयुक्त डाक तार घरों के बारे में जानकारी जहां वर्ष 1991-92 के दौरान फोनोकॉम आधार पर तार सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

क्र० सं०	जिला	तारघरों की सं०
1	2	3
1.	आगरा	2
2.	अलीगढ़	2
3.	इलाहाबाद	2
4.	अल्मोड़ा	1
5.	बलिया	1
6.	बांदा	1
7.	बस्ती	1
8.	बरेली	1
9.	बहराइच	1
10.	बुलन्दशहर	1
11.	देवरिया	1
12.	इटावा	1
13.	फैजाबाद	2
14.	गोरखपुर	2
15.	गोंडा	1

1 2	3
16. गाजीपुर	2
17. झांसी	1
18. जौनपुर	1
19. लखीमपुर खीरी	1
20. मिर्जापुर	1
21. मुरादाबाद	2
22. प्रतापगढ़	1
23. रायबरेली	2
24. सुलतानपुर	1
25. सीतापुर	1
26. वाराणसी	2
27. बाराबंकी	1
28. बिजनौर	1
29. बदायूं	1
30. एटा	1
31. फर्रुखाबाद	1
32. फतहपुर	1
33. हरदोई	2
34. हरिद्वार	1
35. हमीरपुर	1
36. लखनऊ	2
37. ललितपुर	1

उत्तर प्रदेश में सिंचाई और बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता

5888. डा० लाल बहादुर रावत :

क्या जल संसाधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए वर्ष-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) इस में से वर्ष-वार कितनी धन-राशि खर्च की गई तथा कितनी धन-राशि वापस की गई?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित तथा व्यय की गई राशि निम्नवत् है :—

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय की गयी राशि
1988-89	439.12	462.74
1989-90	421.65	429.53
1990-91	492.40	463.28 (प्रत्याशित)

राज्य योजना के अन्य विकास क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा बचत का उपयोग किया जाता है।

केरल में विदेशी योगदान प्राप्त कर रहे कल्याण संगठन

[अनुवाद]

5789. **श्री के. मुरली धरन** :

क्या गृह मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में कितने कल्याण संगठन विदेशी योगदान प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) विदेशी योगदान प्राप्त करने हेतु पंजीकरण के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एम. जैकब) : (क) केरल के लगभग 1200 संगठनों ने इस मंत्रालय को वर्ष 1990 में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने के बारे में सूचना भेजी हैं।

(ख) इस समय विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत पंजीकरण के लिए केरल के 88 मामले लंबित पड़े हैं।

मंत्रियों के विदेशी दौरे

5890. **श्री राम शरण यादव** :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1990 से जुलाई 1991 की अवधि के दौरान जिन मंत्रियों ने विभिन्न गोष्ठियों सम्मेलनों में भाग लेने के लिये विदेशों का दौरा किया, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्यार्थ कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्रदान की गयी है;

(ग) क्या इस अवधि के दौरान किसी मंत्री ने तीन से अधिक बार विदेशों का दौरा किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है; और

(ङ) प्रत्येक मंत्री की प्रत्येक यात्रा पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

आजाद हिन्द सरकार की परिसम्पति

5891. **श्री चित्त बसु** :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के जापान सरकार और अन्य देशों में सुभाष चन्द्र बोस द्वारा गठित की गई आजाद हिन्द सरकार से संबंधित 114 करोड़ रुपए की नकदी एवं परिसम्पति वापस ले ली है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस धनराशि को उपयोग में लाने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो, फैलीरो) : (क) और (ख) सरकार के पास इस आशय का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिन्द सरकार की 114 करोड़ रुपए की नकदी और परिसम्पत्तियां जापान की सरकार तथा अन्य देशों की ओर बकाया है । इस विषय पर सरकार के पास उपलब्ध तथ्य नीचे लिखे अनुसार हैं : –

2. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना (आई०एन०ए०) तथा भारतीय स्वाधीनता लीग (आई०आई०एल०) को कुछ परिसम्पत्तियां सिंगापुर में सम्पत्ति अभिरक्षक द्वारा जब्त कर ली गई थीं, जिनमें विभिन्न किस्म की मुद्राएं, कुछ सोना तथा जेवरात सहित विविध बहुमूल्य वस्तुएं शामिल थीं । सरकार द्वारा इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच इन परिसम्पत्तियों का बंटवारा 2:1 के अनुपात में किया जाएगा और इसके परिणामत: भारतीय पक्ष को मिलने वाले भाग का मूल्य लगभग 1,52,681/—रुपए बैठता है । 9 सितम्बर, 1954 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 1501 के उत्तर में भी यही रकम दी गई थी । उसके बाद तत्कालीन प्रधान मंत्री की स्वीकृति से आई०एन०ए० और आई०आई०एल० की इन परिसम्पत्तियों से मिले भारत के हिस्से की रकम मलाया में बनाए गए भारतीय छात्रवृत्ति कोष में जमा करा दी गई थी । यह कोष मलाया में भारतीय मूल के छात्रों के लिए बनाया गया था ।

3. तत्कालीन प्रधानमंत्री की हिदायतों पर भारत सरकार के एक अधिकारी द्वारा टोकियों से दिल्ली नवम्बर, 1952 में एक बक्सा लाया गया था, जिसके बारे में यह कहा गया था, कि उसमें वे

वस्तुएं हैं जो उस वायुयान से निकाली गई थी, जिसमें नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मृत्यु हुई बताई जाती है। इस बक्से को 30 सितम्बर, 1953 को राष्ट्रीय संग्राहलय को सुरक्षित अभिरक्षा में रखने के लिए सौंप दिया गया था और यह बक्सा तब से राष्ट्रीय संग्रहालय के पास रखा हुआ है। इस बक्से में मैडल, अंगुठियां, चेन, कलाई घड़िया, कानों के बुन्दे, पेंडल कानों के टाप्स, ब्रोच, चूड़ियां, नग, कमीज के बटन, मुद्रिकाएं, नाक की लौंग के नग, लोहे की कील तथा अन्य विभिन्न मदें भी थीं जो लगभग सभी क्षति ग्रस्त तथा जली हुई अवस्था में हैं। इस बक्से का आवरण रहित निबल वजन 13491·25 ग्राम पाया गया था।

इंडियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड एयफेर्स नई दिल्ली

5892. **श्री सुधीर सावंत :**

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सभा में पारित इंडियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड एफेयर्स का नियंत्रण अपने हाथ में लेने संबंधी विधेयक नौवीं लोक सभा में पुरस्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो विधेयक की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस विधेयक को संसद में कब तक पुनः पुरः स्थापित किया जायेगा; और

(घ) इंडियन काउन्सिल ऑफ वर्ल्ड एफेयर्स के पुस्तकालय के गिरते हुये मानकों में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलोरो) : (क) जी हां।

(ख) अब यह विधेयक व्यपगत हो गया है।

(ग) और (घ) भारतीय विश्व कार्य परिषद में सुधार लाने और उसके मूल मानदंडों की पुर्नस्थापना करने के लिए सरकार संसद में विधेयक पुनः प्रस्तुत करने की सम्भावना सहित विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है।

खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि

[**हिन्दी**]

5893. **श्री भेरू लाल मीणा :**

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, तिलहनों आदि के उत्पादन में 1989-90 की तुलना में 1990-91 में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में राज्यवार कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1989-90 की तुलना में 1990-91 के दौरान गेहूं, सभी खाद्यान्नों और सभी तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि/कमी की राज्यवार प्रतिशतता को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1989-90 की तुलना में 1990-91* के दौरान गेहूं, सभी खाद्यान्नों और सभी तिलहनों के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि/कमी

राज्य	गेहूं	सभी खाद्यान्न	सभी तिलहन
आन्ध्र प्रदेश	—	(+) 3.8	36.7
असम	(+) 30.7	(+) 16.1	43.2
बिहार	(+) 2.5	(+) 4.2	31.4
गुजरात	(+) 24.5	(−) 0.8	(−) 16.5
हरियाणा	(+) 8.2	(+) 10.6	61.1
हिमाचल प्रदेश	(−) 16.7	(−) 6.6	20.0
जम्मू और कश्मीर	(+) 33.1	(+) 30.3	31.0
कर्नाटक	(−) 17.5	(−) 11.5	(−) 9.7
केरल	—	(+) 2.0	(−) 27.8
मध्य प्रदेश	(+) 43.4	(+) 20.0	33,0
महाराष्ट्र	(+) 1.3	(−) 8.9	(−) 1.6
उड़ीसा	(−) 9.2	(−) 10.9	8.3
पंजाब	(+) 2.7	(+) 0.7	97.2
राजस्थान	(+) 27.1	(+) 28.7	35.7
तमिलनाडु	—	(−) 6.6	(−) 2.1
उत्तर प्रदेश	(+) 3.2	(+) 4.0	12.8
पश्चिम बंगाल	(+) 5.4	(−) 7.3	4.8
अन्य	(+) 23.8	(+) 7.0	20.9
अखिल भारत	(+) 9.8	(+) 3.4	14.0

*सम्भाव्य

12.00 मध्यान्ह

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा सामान फिंकवा दिया है····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। कृपा बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोग, कांग्रेस, बी० जे० पी०, जनता दल, सी० पी० आई० और सी० पी० एम०, सभी पार्टियों के करीब-करीब तीस-चालीस सांसद आपसे मिले थे। हम लोगों ने आपसे फिर से चिन्ता जाहिर की थी कि इस सदन में लगातार बहस होने के बावजूद भी देश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन पर अत्याचारों में कमी नहीं आ रही है। अभी दो दिन पहले रिपोर्ट निकली है कि महाराष्ट्र में 90 परसेंट गांव हैं और 80 परसेंट मन्दिर ऐसे हैं जहां इन लोगों को अलाऊ नहीं किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में भी, मैंने होम मिनिस्टर श्री चव्हाण को पत्र लिखा है कि वहां भी ये लोग मारे गए हैं। उसके अलावा दूसरे राज्य में भी···· **(व्यवधान)**····मेरे पास नागपुर की घटना का यह फोटो है इसे आप देखें। वहां अम्बेडकर कालेज में एक अनुसूचित जाति का प्रोफेसर था, उससे दुश्मनी के कारण उसके लड़के को जो नौवीं कक्षा में पढ़ता था, मार-मार कर मार दिया और यह काम एक प्रोफेसर ने किया, उसने मारा। इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। हम सब दलों के लोग आपसे मिले थे, बूटा सिंह जी भी थे, हमने आपसे आग्रह किया था। हम लोग राष्ट्रपति जी से भी मिलने जा रहे हैं।

दुखद बात यह है कि आज तब की परम्परा रही है कि इस विषय पर जब भी सदन में डिसकशन हुआ है तो हमेशा ही गृह मन्त्री ने जवाबदेही ली है, पर एक नई परम्परा चल पड़ी है, जब भी गृह मन्त्री जवाब देते हैं चाहे इस सदन में दें या उस सदन में, हमेशा कहते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि राज्य सरकार भी समझ रही है कि भारत सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है। पहले भारत सरकार गम्भीरता से लेती थी, आज नहीं ले रही है। आपने सदन में चिन्ता जाहिर की थी और कहा था कि प्रधानमन्त्री जी चीफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि भारत सरकार से कि कब आपकी यह बैठक होने जा रही है? हम लोगों ने फैसला किया है कि कल या परसों जितने ही हम अनुसूचित जाति और जनजाति के सांसद हैं और दूसरे जो सांसद हैं राष्ट्रपति जी के यहां मार्च करेंगे बाबा साहेब की मूर्ति से शुरू करेंगे और देश के विभिन्न भागों में जो इन लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में जाकर उनसे मिलेंगे और उनको ज्ञापन देने का काम करेंगे। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, इसलिए हम आपके माध्यम से गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहते हैं आप बार-बार यह क्यों कहते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है इसलिए भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मैं समझता हूं कि यह कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन का मामला है और भारत सरकार कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन देने में

विफल साबित हो रही है। इसलिए आप बताएं कि कब तक चीफ मिनिस्टर्स की बैठक बुलाएंगे, उसकी तारीख निश्चित करें और इसको गम्भीरता से लिया जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : यह सही है कि यह मामला अनुसूचित जातियों और जनजातियों से सम्बन्धित है, लेकिन यह उन्हीं का मामला नहीं है। अगर उन पर ज्यादतियां होती हैं तो सारे सदन के लिए और देश के लिए चिन्ता का विषय है। मैं श्री रामविलास पासवान जी से कहूंगा कि वे अकेले राष्ट्रपति भवन न जायें, हम सब वहां चले।

किन्तु इस सवाल पर एक नया विभाजन, यह देश के लिए लाभदायक नहीं होगा और न जिन वर्गों की हम रक्षा करना चाहते हैं, उनको सहायता देगा। यह ठीक है कि ज्यादतियां केन्द्र के प्रकाश में लाई जा रही हैं और संविधान के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय को उन्हें देखना है, नजर रखनी है और फिर भी इस बात को नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं कि अगर प्रदेश सरकारें अपने कार्य में सक्षम नहीं हैं तो न्याय नहीं कर सकेंगी और अगर प्रदेश सरकारों को आपकी ओर से टोका नहीं जाएगा तो वह ढिलाई में पड़ जाएंगी। इसलिए प्रदेश सरकारें चुस्त हों। केन्द्र अपने दायित्व का पालन करे लेकिन इस प्रश्न को, समाज को दो वर्गों में बांटने का प्रश्न न बनाया जाए। अब अगर हरिजनों पर ज्यादतियां होती हैं, हरिजन शब्द पर आपत्ति हो रही है, अनुसूचित जनजातियों पर जुल्म होते हैं तो हम सबके लिए चिन्ता का विषय है।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राम विलास पासवान से सहमत हूं कि मुख्यमन्त्रियों की बैठक बुलाएं और इस पर चर्चा करें लेकिन प्रदेश सरकार चाहे किसी भी दल की हो, अगर उसे अपने कर्तव्य पालन में ढिलाई करने का मौका दिया जायेगा तो केन्द्रीय गृह मंत्रालय कितनी भी सद्भावना प्रकट करे, उनकी रक्षा का इन्तजाम नहीं कर सकती है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चाटर्जी (बोलपुर) : जो कुछ भी सभा में कहा गया है उससे मैं और मेरा दल पूरी तरह सम्बद्ध है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सभा मे हुई चर्चा को पारम्परिक माना गया है। यद्यपि हम इस सम्बन्ध में अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं तथा माननीय मन्त्रियों ने भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है फिर भी ऐसा प्रकट होता है कि इसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा है तथा ऐसी गम्भीर अमानवीय घटनाएं हमारे देश के विभिन्न स्थानों में बार-बार घट रही हैं।

जैसाकि मैंने पिछली बार कहा था कि क्या हम एक सभ्य, सुसंस्कृत देश में रह रहे हैं ? व्यक्तियों की निर्दयता से हत्या की जा रही हैं, उन्हें महज इसीलिए सताया जा रहा है क्योंकि वे किसी एक जाति, अथवा धर्म अथवा क्षेत्र के हैं और एक भाषा विशेष बोलते हैं। क्या हम इस आधार पर अपने देश का विभाजन होने देंगे ? अतएव यह एक ऐसा मामला है जिस पर हमने सर्वदा अपने दलगत भावना और नीतियों से ऊपर उठकर विचार किया है। यह सम्पूर्ण देश के लिए चिन्ता का विषय है। अतः स्पष्टत रूप से सरकार की अपनी विशेष जिम्मेवारी है। हमारे संविधान में बताया गया है कि जहां तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार की सीधी जिम्मेवारी होगी। अतः

हमारी यह मांग है कि यदि आवश्यकता हो तो भारत सरकार इस मामले में स्वयं अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। मैं रामविलास जी के विचारों से सहमत हूं कि ऐसा लग रहा है कि कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकारें ऐसा नहीं समझतीं कि केन्द्र सरकार सिर्फ समय-समय पर कुछ टिप्पणियां करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रही हैं तथा इस बारे में गम्भीर नहीं हैं। अतएव यह एक ऐसा मामला है जिसके लिए मैं सभा के सभी वर्गों से अपील करता हूं। मुझे इसमें सन्देह नहीं है कि इस मामले में किसी के विचार भिन्न है यह एक ऐसा मामला है जिसे सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए तथा केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। मैं यह कहूंगा कि हमें उन व्यक्तियों को कठोर दंड देना चाहिए जो भ्रष्ट हैं तथा विकृत मानसिकता वाले हैं तथा जो ऐसा काम कर रहे हैं। इस मामले में उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। हमें यह प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम भविष्य में देश में इन निर्धन, सताये हुए व्यक्तियों को कभी निराश नहीं करेंगे। (व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, मैं सभा में व्यक्त किए गए विचारों से पूरी तरह सहमत हूं। जब हम अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस समय हमने यह आश्वासन दिया था कि हम इसे राष्ट्रीय मुद्दा मानते हैं तथा अपने इस आश्वासन से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि माननीय सदस्यों को यह आभास कैसे हो रहा है कि हम इस मुद्दे को यों ही ले रहे हैं। वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में हम इस पूरे मामले को मानीटर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा एक कक्ष अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों सम्बन्धी मामलों की जांच करता है। जहां तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का सवाल है, देश में किसी भी क्षेत्र में यदि उनसे सम्बन्धित कोई भी घटना घटती है, तो उसमें केन्द्रीय सरकार ही पहल करती है। तथा सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों को लिखती है। हम इस मामले को लापरवाही से नहीं ले रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने सभी मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। मुझे निश्चित तिथि तो याद नहीं है परन्तु इसके लिए तारीख भी निर्धारित की जा चुकी है। इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाई जा रही है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : आपने यह कहा था कि इस बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद परिषद की मीटिंग बुलाएंगे।....(व्यवधान)....श्रीमन, इस मामले में उन्होंने कहा था कि इसी सवाल पर नेशनल इंटीग्रेशन काउन्सिल की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसका क्या हुआ?

[अनुवाद]

राष्ट्रीय एकता परिषद के बारे में आपने सभा में यह कहते हुए आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक विशेष रूप से कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचारों सम्बन्धी मुद्दे पर ही चर्चा करने के लिए बुलाई जाएगी। उसके बारे में आपका क्या विचार है?

श्री एस० बी० चव्हाण : वह बैठक भी बुलाई जाएगी। परन्तु उससे पहले हम इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए मुख्य मन्त्रियों की बैठक बुलाएंगे।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर समस्या सामने लाना चाहता हूं और उसका शिकार मैं स्वयं हो गया हूं। मैं इस सदन का पहले भी 7वीं लोक सभा में सदस्य रहा हूं। मेरे बहुत निकट मित्र, मेरे पास के रहने वाले छतिराम जी अर्गल 47 और 49 साउथ अवेन्यू में थे। वे हमारी पार्टी बी.जे.पी. के थे। इस बार वे चुनाव हार गए। दुर्भाग्य से उनका शरीर शान्त हो गया एक दुर्घटना में। चूंकि वे मेरे निकट मित्र थे, मैं उनके पास कुछ समय से रह रहा था। मुझे इस लोक सभा में मकान मिलना था और यह कहा गया था कि पुरानों कोकानेर वाले डबल फ्लेट मिल जाते हैं। मैंने भूरिया जी को एप्लाइ किया। उन्होंने कहा कि इस बार तय हुआ है....मैंने कहा कि मैं उसी में हूं, मुझे उसी में रहने में, तो उन्होंने कहा कि इसमें आप नहीं रह पाएंगे क्योंकि यह तीन ही टर्म वालों को देंगे। मैंने कहा कि मुझे कौन सा देंगे, तो मुझे मीना बाग वाला दे दिया। मैंने उनको भी पत्र लिख दिया और.....

अध्यक्ष महोदय : यह मैटर हम हाउस में डिसकस नहीं करते, मैं उनको भी और आपको भी बुला लेता हूं।

श्री विश्वनाथ शर्मा : हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : कभी ऐसा नहीं होता है। वह वहां रह रहे थे, उनका सामान रखा हुआ था **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुआ था।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वर्तमान सांसद को उसके घर से बाहर निकाल फेंक दिया गया है। ऐसा आपने कैसे हो जाने दिया ? क्या उसने आपसे अनुमति ली थी ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आवास समिति है.....

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : हाउस कमेटी को आप छोड़ दीजिए लेकिन एक सिटिंग जिसे मकान अलॉट नहीं हुआ है, अगर किसी पुराने सदस्य के यहां रह रहा है तो उससे बातचीत करके मामला हल करने के बजाय क्या यह आदेश दिया जाएगा कि उसका सामान उठा कर सड़क पर फेंक दो ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगाऊंगा कि ऐसा कैसा हुआ है ?

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : किसने यह आदेश दिया है ?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट से जो मकान खाली कराया जाता है, उसके लिए कोई नियम-कानून है या नहीं ? कांग्रेस के जो मिनिस्टर्ज हैं वह लगातार रहते आए हैं चाहे वे मेम्बर भी न हों, लेकिन जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट जीतकर आए हैं उनको आप निकाल रहे हैं। **(व्यवधान)** हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले उन लोगों को निकालिए जो पिछले 20 सालों से कुछ नहीं हैं और मकान पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो सरकार पहले उन लोगों को निकालने की कार्रवाई करे। इसमें पार्टी का मामला मत लाइए। उनमें कांग्रेस के ही लोग बैठे हुए हैं। **(व्यवधान)**

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, जो बीस साल से बैठे हुए हैं, उनसे मकान खाली कराइए। **(व्यवधान)** आप यहां निर्देश दीजिए कि जो मेम्बर ही नहीं हैं, जो इतने सालों से बैठे हैं उनसे मकान खाली करवाइए। हम यह जानना चाहते हैं कि सिटिंग मेम्बर का सामान बाहर फेंकने का जिम्मेदार कौन है ? उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष जी, हम लोगों की बात भी सुनिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपको जरूरत नहीं है। सोनकर जी, आप बैठ जाइए। मैं कहता हूं आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी आप बैठिये। जब मैं खड़ा होता हूं तो जो मैं कहता हूं उसे आपको सुनना चाहिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, पहले हमारी बात भी सुन लीजिये, मेरे साथ भी ऐसी ही घटना हुई है।

अध्यक्ष महोदय : जरूरी नहीं है। जब आप एक एक बात कहते हो तो मैं सब कुछ समझ लेता हूं और जो मैं कहता हूं, उसे आप समझ लेते हो तो फिर क्या है। उसका अर्थ मेरे ध्यान में आ गया है। मैं यह बोलना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ है, शायद ऐसा नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है कि क्या हुआ है बट आई बिल फाइन्ड इट आउट।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह ऐसा काम हुआ है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही अपमानजनक स्थिति पैदा हो गयी है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, मैंने समझ लिया है जब आप एक बार बोलते हैं तो मैं भांप लेता हूं। आपके लिफाफे को देखते ही भांप लेता हूं कि मजमून क्या है। यह जो कुछ भी हुआ है, मेरी दृष्टि से, अगर वह सही है तो अपमानकारक है और मैं उसकी जांच पड़ताल कराऊंगा। उसमें योग्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का सामान बाहर पड़ा हुआ है, कीमती सामान है, उसे भी तो देखिये। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि योग्य कार्यवाही की जायेगी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष जी, यह माननीय सदस्य के सम्मान का मामला है, उनका सामान बाहर पड़ा हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री लालकृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं ममझता हूं कि लोकसभा के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना हुई है, कभी सिटिंग मेम्बर के साथ इस प्रकार से नहीं हुआ। हां, पुराने मेम्बर के साथ, मुझे पता है, एक आध बार हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आंठवीं लोकसभा में हुआ था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : फिर, चूंकि यह अपने एक माननीय सदस्य का मामला है, इसलिए अध्यक्ष जी, आपकी जवाबदारी हो जाती है। हमारी मरकार से जो शिकायत है, वह अलग है, लेकिन इस मामले में आप तुरन्त हस्तक्षेप करके, उनके सामान को वहां फिर से रखवाईये और उन्हें पूरे अधिकार दिलवाईये। अगर इस बारे में कोई कार्यवाही होनी है तो सबसे पहले जो मेम्बर्स वर्षों से रह रहे हैं, मकान नहीं छोड़ रहे हैं, उन्हें निकलवाये जाने की कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : यह एक माननीय सदस्य के सम्मान का प्रश्न है। सबसे पहले उनका सामान उठवा कर फिर से रखवाया जाये। आपका संरक्षण हम लोगों को प्राप्त होना चाहिये।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्लीज टेक यौर सीट। इस सदन की कुछ प्रथाएं हैं और उन प्रथाओं के मुताबिक ही हम काम करते हैं। हमारा जो लैजिस्लेचर का बजट है, उसकी चर्चा हम कभी हाऊस में नहीं करते हैं। धर देने का मामला भी कभी हाऊस में, फ्लोर पर चर्चा के लिये नहीं लाया जाता है। इसलिये नहीं करते क्योंकि···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये तो पहले। इन सारी चीजों पर हाऊस में चर्चा नहीं की जाती है। माननीय सदस्य को जो निकाला गया है, उस प्रकार से नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिये तो सही । मेरी बात काटिये मत । मैं वही कह रहा हूं ।

श्री मोहनसिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, मैं भी दो ढ़ाई महीने से होटल में रह रहा हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं वही कह रहा हूं कि किसी मेम्बर को घर से यदि इस प्रकार निकाला जाये तो बात दुरुस्त नहीं है । इनके साथ-साथ दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है, वह यह है कि बहुत सारे लोग आकर घर मांगते हैं, उन्हें भी करना चाहिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसका सामान बिल्कुल ही निकाल कर फेंक देना चाहिये । दोनों को बैलेंस करते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिये । वैसे इस तरह के मामलों की चर्चा हम हाउस में कभी करते नहीं हैं ।

इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने सम्माननीय सदस्यों के सम्मान को हमें कायम रखना चाहिये । अगर हम लोगों की तरफ से कुछ गलती हो गयी तो हम उसके अन्दर जरूर देखेंगे और जो भी उचित कार्यवाही करनी होगी, वह की जायेगी । अब घर देने के सम्बन्ध में भी क्या करना चाहिये, उस पर भी हम कार्यवाही कर रहे हैं, मगर कृपा करके, प्लीज आप सुनिये, कृपा करके ऐसी चीजों को हाउस में न उठाया करिये । इट इज नॉट एप्रिशियेटिड ऐनिव्हेयर ।

(व्यवधान)

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी, में आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री रामनिहारे राय (राबर्टसगंज) : अध्यक्ष जी, इस तरह माननीय सदस्य का अपमान किया गया है । उनका सामान बाहर फेंक दिया गया है । (व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष जी, जब यह मामला सदन में लाया गया है और आप लोगों की भावनाएं भी सुनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी से बातें हाउस में चर्चा के लिये नहीं लाई जा सकती हैं, आप अपने सीनियर मैम्बर्स से पूछ लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोनकर जी, इस बात पर हाउस के अन्दर चर्चा नहीं होती है । आप अपने सीनियर मैम्बर साहब से पूछ लीजिए । आप ही कमेटी है, आप ही के बनाए अध्यक्ष हैं । मैं उनके साथ चर्चा करूंगा । मैं आपको आश्वासन देता हूं कि किसी भी सम्माननीय सदस्य के साथ अगर असम्मान का बर्ताव हुआ होगा, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है, मेरी भी है, मगर मुझे देखने दीजिए कि क्या हुआ है । उसे मैं देखूंगा और देखने के बाद काम करूंगा । ऐसे नहीं, यह चर्चा यहां नहीं होनी चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय बिना आपकी पूर्व अनुमति के किसी भी वर्तमान सांसद के आवास में दखलंदाजी नहीं की जानी चाहिए।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे नहीं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसे ही होना चाहिए। अन्यथा इस मामले को सम्पदा अधिकारी के पास नहीं छोड़ा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबर द्वीप) : कोई व्यक्ति चुनाव हार गया है तथा फिर भी अवैध रूप से सरकारी आवास पर कब्जा किए हुए हैं, उसको तुरन्त ही निकाला जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

[हिंदी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष महोदय ढाई महीने हो गए, हम कुछ नहीं कर सके हैं।

[अनुवाद]

कोई नया सदस्य दूसरे सदस्य के साथ नहीं रह सकता है। यदि वह रह रहा है तो उसे टेलफोन रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों पर अपने कक्ष में विचार करूंगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इन मामलों पर सभा में चर्चा नहीं की जाती।

[हिंदी]

श्री हरिकिशोर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और यह बड़े अफसोस की बात है कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता की मूर्ति इण्डिया गेट पर लगाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन आज तक यह मूर्ति वहां नहीं लगी है। मुझे यह जानकारी भी मिली है कि यह मूर्ति तैयार है, लेकिन सरकार अभी तक इसे इण्डिया गेट पर लगाने में विफल रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि 2 अक्तूबर आने वाला है, कम से कम इस वर्ष 2 अक्तूबर को तो सरकार इस मूर्ति को इण्डिया गेट पर स्थापित करे।

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष जी, दिल्ली में 10 हजार एडवोकेट्स के द्वारा लगभग

2 सप्ताह से लगातार हड़ताल की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हाईकोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव्ह न्यायालय के बीच में जुरिस्टिक्शन के प्रश्न को लेकर एक बिल लाया जाने वाला था जिसके द्वारा 5 लाख तक का जरिस्टिक्शन हमारे हाईकोर्ट से लेकर सबआर्डिनेट कोर्ट्स को दिया जाने का था, लेकिन वह बिल इस सैशन में लाया गया, जिसके कारण दोनों तरफ असंतोष है और स्थिति यह बन गई है कि कई लोग जेलों में पड़े हैं, उनकी जमानतों की दरख्वास्तों की सुनवाई नहीं होती है। इस प्रकार से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और माननीय विधि मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि इस समस्या के हल के लिए बार एसोशिएशन के समस्त सदस्यों को बुलाकर के तुरन्त एक राउंड टेबल कान्फरेंस करके इसको सुलझाएं, ताकि यह प्रश्न हल किया जा सके और अधीनस्थ न्यायालयों को 5 क्षेत्रों के अंदर जो अलग-अलग विभाजित करने का प्रश्न है, वह भी इसी के साथ मिला हुआ है, ताकि हमारे पक्षकारों को न्याय सस्ता सुलभ और शीघ्र मिल सके। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली में जो न्याय-व्यवस्था ठप्प हो चुकी है, उसके प्रति माननीय विधि मंत्री तुरन्त कार्रवाई करें।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने उल्लेख किया था। **(व्यवधान)** यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। अंडमान तथा निकोबर संघ राज्य क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली बिल्कुल चरमरा गई है। उचित दर की दुकानों में चावल तथा चीनी नहीं है। विभिन्न द्वीपों से, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों की जनता ने मुझे तार भेजे हैं तथा मुझे टेलीफोन भी किया है कि वहां पर स्थिति अत्यन्त खराब है।

पिछली बार भी मैंने इस बारे में उल्लेख किया था। परन्तु सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। गृह मन्त्री जी उपस्थित नहीं हैं। परन्तु संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर उपस्थित है। मैं अनुरोध करता हूं कि उन्हें यह सूचना तुरन्त ही गृह मन्त्रालय के पास भेज देनी चाहिए। उन्हें मुख्य सचिव को बुलाना चाहिए। कुछ विशेष प्रबन्ध किये जाने चाहिए ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उचित दर की दुकानों में चीनी तथा चावल उपलब्ध हों।

इसी बीच त्यौहार वाला महीना आ रहा है। अतः चीनी का कुछ विशेष आवंटन भी किया जाना चाहिए। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। उस संघ राज्य क्षेत्र देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की सम्भावना है तथा देश के उस भाग में स्थिति बद से बदतर हो जायेगी।

इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह तुरन्त कदम उठाये ताकि दूरस्थ द्वीपों की जनता को उन हालातों में परेशान न होना पड़े।

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : अध्यक्ष महोदय, बहुबली की प्रतिमा विश्व के आश्चर्यों में से एक हैं तथा यह कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में स्थित है। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में कर्गला, बेलूर तथा धर्मस्थल में ऐसी ही तीन और प्रतिमायें हैं। महोदय, आप जानते हैं कि सरकार ने पूजा स्थलों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक विधेयक पुरःस्थापित किया है।

परन्तु हम अत्यन्त भयभीत हैं क्योंकि कुछ लिट्टे उग्रवादियों ने श्रवण बेलगोला स्थित बहुबाली की प्रतिमा को बारूद से उड़ाने की धमकी दी है। बहुबली ने विश्व में शान्ति, प्रेम, अहिंसा तथा त्याग का संदेश फैलाया है। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं यह विश्व का एक सुविख्यात स्मारक है तथा विश्व का एक आश्चर्य है। अतएव इस प्रतिमा को पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से इन प्रतिमाओं को सुरक्षा देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का अनुरोध करूंगा। कर्नाटक में लिट्टे कार्यकर्ता और अधिक सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने मुख्य मन्त्री को जान से मारने की धमकी दे दी है। अत: मुझे भय है कि कर्नाटक सरकार इन प्रतिमाओं को आवश्यक सुरक्षा नहीं दे सकेगी तथा मेरे विचार से जब मुख्य मन्त्री जी के जीवन को ही खतरा है उस स्थिति में इन प्रतिमाओं की सुरक्षा करने के मुद्दे को भी शायद भुलाया जा सकता है। अत: भारत सरकार द्वारा आवश्यक सुरक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय तथा विश्व विख्यात स्मारक है। अतएव इन प्रतिमाओं को आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाये।

श्री सुधीर सावंत (राजापुर) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। तथा इसे सभा और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं। यह मुद्दा विशेष रूप से पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी विकास कार्य नहीं किये जाने के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु अभी केवल एक दिन पहले ही हमने कृषि मन्त्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर चर्चा की है।

श्री सुधीर सावंत : महोदय, परन्तु इस मामले को उठाने का मुझे अवसर नहीं मिला। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको एक अवसर दिया था परन्तु आपने उसका उपयोग नहीं किया। बल्कि आप इसका दुरुपयोग कर रहे हैं।

श्री सुधीर सावन्त : मुझे उन अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : हमने केवल 18 घंटे तक कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान मांगों पर एक दिन पूर्व चर्चा की थी।

श्री सुधीर सावन्त : परन्तु मुझे उस पर बोलने का अवसर नहीं मिला। मुझे इस मुद्दे को उठाने दीजिये क्योंकि इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी युवा सदस्यों को यह समझना चाहिए कि केवल एक दिन पहले ही अभी हमने 18 घंटों तक कृषि पर चर्चा की थी।

श्री सुधीर सावन्त : परन्तु कोई भी मुझे इस मुद्दे को आज उठाने से नहीं रोक सकता।

अध्यक्ष महोदय : यह किसी का निजी सदन नहीं जहां पर हम इस तरह चर्चा करें। ठीक है। जो आप कहना चाहते हैं, कहें।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय यह पिछड़े तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि क्रियाकलाप बिल्कुल न होने से सम्बन्धित है। वर्ष 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने ग्रामीण ऋण राहत योजना की घोषणा की थी। परन्तु दुर्भाग्य से इस योजना में पात्रता सम्बन्धी एक शर्त रखी गई थी जिसके अन्तर्गत अन्नेवाड़ी प्रणाली द्वारा उन किसानों के राजस्व का निर्धारण किया जायेगा। जिनसे अनजाने में चूक हो गई है। यह अन्नेवाड़ी प्रणाली भेदमूलक है। यह देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न है तथा इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया गया है क्योंकि यह प्रणाली पक्षपात वाली है। मैं इस प्रणाली के बारे में थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा।

अन्नेवाड़ी प्रणाली द्वारा राजस्व का निर्धारण किया जाता हे। यह कृषकों की आर्थिक स्थिति निर्धारित करने की प्रणाली नहीं है। उस समय यह हो रहा है कि यदि किसी किसान की प्रगतिशील क्षेत्र में अपनी दो एकड़ जमीन है तथा वह उस पर गन्ना उगाता है तब वह फसल अन्नेवाड़ी प्रणाली के अन्तर्गत आ जाती है और वह राजस्व नहीं देता है, उसको ऋण राहत योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। परन्तु यदि उसी किसान की दो एकड़ जमीन है तथा उस दो एकड़ जमीन पर वह धान की खेती करता है, तब.....

अध्यक्ष महोदय : अब आपको इस महत्वपूर्ण मामले के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए।

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, आज विशेष रूप से मेरे क्षेत्र के किसान ऋणी हैं। कृषि संबंधी विकास कार्य बिल्कुल रुक गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जिसमें तुरन्त सुधार किया जाना चाहिए। अन्नेवाड़ी फसलों की उस शर्त को अवश्य ही हटाया जाना चाहिए क्योंकि देश के विभिन्न भागों में मानदण्ड भिन्न हैं। दूसरे, अन्नेवाड़ी प्रणाली सभी पर समान रूप से लागू भी नहीं होती है तथा हमारे देश के कई स्थानों में कोई अन्नेवाड़ी प्रणाली नहीं है।

यह एक व्यक्ति निष्ठ मामला है जिसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार प्रशासन पर छोड़ा गया है। और इसीलिए यह भेदभावपूर्ण है जोकि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जो संविधान की सीमा से परे है। अतः इस शर्त को हटाना आवश्यक है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से जोकि दुर्भाग्यवश आग्रह करना चाहती हूं कि इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, अमीना केस के बारे में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की आवश्यकता है ताकि हैदराबाद के आस-पास तथा दूसरे राज्यों में कार्यशील शक्तिशाली गिरोहों की जांच की जा सके। यद्यपि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मां-बाप द्वारा अपने बच्चों को बेचने के पीछे क्या सामाजिक-आर्थिक कारण हो सकते हैं, मेरा यह विश्वास है कि इस प्रकार के मामलों में हस्तक्षेप करने तथा इस प्रकार के मामलों का पता लगाने हेतु एक केन्द्रीय पुलिस विभाग की आवश्यकता है। वास्तव में यह लड़कियों का धंधा करने वाले अत्यंत व्यापक गिरोह का ही एक हिस्सा है। इस समय मैं इस पर विस्तार में चर्चा नहीं कर सकती। लेकिन इस धंधे में बड़ा पैसा लगता है। और यदि इसमें कोई देरी होती है तो मामला वर्फ में लग जाएगा और

सुराग मिट जायेंगे। इस समय जनता सतर्क है। अभी परसों ही हैदराबाद में ही एक और घटना हुई है जबकि ऐसी ही एक तथाकथित शादी सी० पी० आई (एम०) के एक कार्यकर्ता के बीच में आ जाने से रोक दी गई। उसने पुलिस और प्रैस को सतर्क कर दिया। मुस्लिम धार्मिक नेता यह मानते हैं कि अमीना की तथाकथित शादी मुस्लिम पर्सनल लॉ के दायरे में नहीं आती। और इस सभा में भी बहुत से सांसदों ने, अपना धार्मिक आस्थाओं से ऊपर उठकर ऐसी ही जांच के पक्ष में अपनी आवाज उठाई है। जहां तक राज्य सरकार का संबंध है, मेरे विचार से ऐसे गिरोहों का सफाया करने में केन्द्र सरकार से हर प्रकार की सहायता प्राप्त कर राज्य सरकार को प्रसन्नता होनी चाहिए।

पिछली बार जब हम, सी० आई० डब्ल्यु० ए० तथा सहेली जैसे महिला संगटनों के सदस्यों के साथ मंत्री जी से मिले थे, तो मंत्री जी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि वह इस संबंध में तुरन्त ही निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक निर्णय की बात सुनने में नहीं आई है। अमीना की आयु की ही एक लड़की की मां होने के नाते मैं सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि अविलम्ब इसकी जांच बैठायी जाये ताकि पूरे देश में हमारी अव्यस्क बच्चियों की जिस्म फरोशों से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण अडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, आज 5 सितम्बर है और डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् जी की वर्षगांठ है। वर्षों से राष्ट्र इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहा है। उद्देश्य यह रहा कि एक ओर तो शिक्षकों में अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूकता पैदा हो और दूसरी समाज को भी इस बात की अनुभूति हो कि हमारा दायित्व शिक्षकों के प्रति है क्योंकि उनकी राष्ट्र निर्माण में एक विशेष भूमिका है।

वर्षों पहले शिक्षकों के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग बना था, चट्टोपाध्याय जी की अध्यक्षता में। 1987 में जब आज के हमारे प्रधान मंत्री उस समय के शिक्षा मंत्री थे, तब उस आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया जो कि लम्बा-चौड़ा और विस्तृत है। उसमें अनेक सिफारिशें की हैं, वेतनमानों के बारे में, उनके कल्याण के बारे में। मुझे इस बात का खेद है कि कुछ-कुछ उनमें से यद्यपि केन्द्र सरकार ने वे सिफारिशें इम्पलीमेंट को लेकिन मोटे तौर पर जो रवैया है, उस आयोग की रिपोर्ट के बारे में, वह इस सवाल के उत्तर में प्रतिबिंबित होता है। मैं उसकी क्वोट करता हूं, एक उत्तर इसी विषय में है।

[अनुवाद]

"नेशनल कमीशन ऑन टीचर्ज अध्यापक राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां सभी राज्य सरकारों को उपलब्ध करा दी गई हैं। अध्यापकों को वेतनमानों को उचित ढंग से परिशोधित करना और ऐसी सिफारिशों को जिन्हें वे उचित समझें, लागू करना संबंधित राज्य सरकारों का काम है।"

[हिन्दी]

ये जो एक डाकिये का सा काम है, यह कम से कम नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स एप्वांट करते

समय एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कल्पना नहीं की थी। मैं आग्रह करूंगा आज के शिक्षक दिवस पर कि इससे कहीं अधिक सक्रिय भूमिका केन्द्र सरकार अपनाये क्योंकि उसकी बहुत सारी सिफारिशें हैं और उनकी स्टेट्स इम्पलीमेंट नहीं कर सकते, वित्तीय कारणों से। इसमें जब तक केन्द्र सरकार वित्तीय स हायता देने की उत्सुकता नहीं दिखायेंगी। तब तक अध्यापकों की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। उसमें उसी प्रकार का सुधार और उसी प्रकार की उनकी भूमिका की हम कल्पना करते हैं, वह नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष जी, मैं इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि अध्यापक एक ओर तो स्कूलों में हैं, दूसरी ओर दिल्ली में बैठा हुआ मैं जानता हूं कि दिल्ली में जो इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग सैण्टर्स हैं, वहां पर जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वे लगातार मांग करते आये हैं कि दिल्ली के बाकी अध्यापकों के समान हमारा भी वेतन स्तर होना चाहिए। आज के इस शिक्षक दिवस पर मैं इस मांग को भी केन्द्र की सरकार के सामने रखना चाहूंगा और मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार चट्टोपाध्याय आयोग की सिफारिशों को देश भर में लागू करवाने की दिशा में सक्रिय कदम उठायेगी।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दिल्ली तो केन्द्र शासित प्रदेश है इसलिए दिल्ली में तो सैण्ट्रल गवर्नमेण्ट को एनाउंस करना चाहिए, शिक्षक डे के अवसर पर। **(व्यवधान)** .....

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम (तिरूचेंगोड़) : अध्यक्ष महोदय, 5 सितम्बर 1991, के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर जो कि हमारे प्रिय दार्शनिक और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिन है, मैं यह उम्मीद करती हूं कि माननीय सदस्य सम्पूर्ण देश में हमारी युवा पीढ़ी को उनके उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रहे, हमारे शिक्षकों को मेरे साथ बधाई देंगे।

शिक्षकों के महान कार्यों की सराहना करते हुए हमें उनकी शिकायतों तथा परेशानियों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों को उत्तम सुविधाएं प्रदान करने व उनके वेतन-परिशोधन के लिए बहुतेरे आयोग गठित किये गये हैं किन्तु उनकी सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गई हैं। इस बारे में स्कूल अध्यापकों के लिए चट्टोपाध्याय कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। कॉलिज के अध्यापकों के बारे में यद्यपि 1986 से यू० जी० सी० वेतनमानों की घोषणा की गई थी जिनको कुछ राज्यों में लागू भी कर दिया गया लेकिन फिर भी राज्य ऐसे हैं जिनमें अभी तक इन्हें स्वीकार नहीं किया गया है। शिक्षकों तथा प्रदर्शकों की सेवाओं को 1:1 के अनुपात में लेते हुए इस समस्या का हल किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि पांचवे दर्जे तक के स्कूलों में केवल महिला अध्यापक ही नियुक्त किए जाएंगे और अन्य सभी पदों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। केन्द्रीय सरकार को भी ऐसी ही नीति अपनानी चाहिए।

यदि हम इन सभी मांगों को मान कर इन्हें लागू कर देते हैं तो इस शिक्षक दिवस पर अपने प्रिय अध्यापकों के प्रति हमारी ओर से यह महान आदर होगा।

श्री सुधीर राय (बर्दवान) : महोदय, आज शिक्षक दिवस है। सम्पूर्ण देश में निजी प्रबंधन और ट्रस्ट के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के अध्यापकों को उनका हक नहीं मिल रहा है। जो वेतनमान सरकारी कालेजों के अध्यापकों को मिलते हैं, राजस्थान के स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को नहीं मिलते। महोदय उन्हें सेवानिवृति लाभ और सुरक्षा भी नहीं मिलती। राजस्थान विधान सभा ने एक विधेयक पास किया है। जिसके अन्तर्गत सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा कालेजों के अध्यापकों को समान वेतनमान तथा लाभों की व्यवस्था है। पर चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का मामला है, विधेयक के लिए राष्ट्रपति जी की स्वीकृति भी मिलनी चाहिए परन्तु राष्ट्रपति जी ने हमें सूचित किया है कि विधेयक गृह मन्त्रालय में पड़ा है। महोदय, इसलिए, आपके माध्यम से मैं गृह मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि विधेयक को हरी झंडी दिखायें ताकि राष्ट्रपति जी की स्वीकृति जल्द मिल सके।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिले इस समय बाढ़ से काफी प्रभावित हो गये हैं। आज अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि गंगा का जल स्तर बहुत तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है और खतरे के बिन्दु से काफी ऊपर वह पहुंच गया है। जौनपुर, बनारस, गाजीपुर और मिर्जापुर, यह सब जनपद पूरी तौर से बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं। यहां के सैकड़ों गांवों में इस समय बहुत बुरी दशा हो गई है, मकान गिर रहे हैं, पशु चारे के अभाव में मर रहे हैं, मनुष्यों को राशन वहां पर नहीं मिल रहा है मिट्टी के तेल का इतना जबरदस्त अभाव हो गया है कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बाढ़ का समय है, पानी घरों में घुसा हुआ है और ऐसे समय में बिजली नहीं है और मिट्टी का तेल भी नहीं है। श्रीमान्, उत्तर, प्रदेश सरकार ने जो वहां सहायता भेजी है, उसमें से कुछ भी सहायता गांवों में नहीं पहुंचाई जा रही है मैं अभी बाढ़ क्षेत्रों का दौरा करके आया हूं। बीसियों गांव गाजीपुर और जौनपुर में ऐसे है, जिनमें अभी तक जिला अधिकारी अथवा कोई अधिकारी वहां पहुंचा है। अवस्था बहुत ही खराब हो गई है। सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई भी सहायता वहां पर नहीं मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार खामोश बैठी हुई है। ऐसी स्थिति में आपसे आग्रह करूंगा, आप यहां से निर्देश दें, ताकि बाढ़ से घिरे हुए लाखों लोगों की रक्षा हो।

डा० वी० राजेश्वरन : (रामनाथ पुरम) : अध्यक्ष महोदय, समुद्र के बीच श्रीलंका की जलसेना द्वारा रामेश्वरम के मछियारों पर अत्याचार व आक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। श्रीलंका की जल सेना ने लगभगग आठ मतस्य-नौकायें पकड़ी थीं जिन्हें वह गश्ती कार्यों के लिए प्रयोग में ला रही है। इसलिए, आपके माध्यम से सम्बन्धित मन्त्रालयों से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमारे मछियारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठायें और पकड़ी गई सभी नौकायें वापिस लें।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : अध्यक्ष महोदय, समय प्रदान करने के लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

अपने पड़ौसी राज्यों नेपाल, भूटान, चीन, वर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश आदि

के साथ, हम मैत्रीपूर्ण तथा सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध चाहते हैं परन्तु राष्ट्रीय एकता व सम्प्रभुता की कीमत पर कदापि नहीं।

भारत-बंगलादेश समझौते के अनुसार यदि तीन बीघा जो कि भारत का ही अभिन्न अंग है 999 वर्षों के शास्वत पट्टे पर बंगलादेश को दे दिया जाता है तो कुचली बाडी पंचायत बंगलादेश के अन्दर एक नया इन्क्लेव बन जाएगा कुचली बाड़ी पंचायत 30 वर्ग मील के क्षेत्र में बसी है जहां 41000 की आबादी है। समझौते की शर्तों के अनुसार यदि तीन बीघा में बंगलादेश के एक व्यक्ति द्वारा बंगला देश के ही दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध अथवा भारत के नागरिक के विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है, तो इस मामले में अपराधिक प्रक्रिया बंगलादेश के कानून के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी और बंगलादेश की एजेन्सियों के द्वारा ही निपटाई जाएगी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भारत अपने अभिन्न अंग तीन बीघा पर अपनी प्रभुसत्ता का प्रयोग नहीं कर सकेगा।

महोदय उपशमन की यह नीति अपनाये जाने का क्या कारण है ? उत्तरी बंगाल के लाखों लोग राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं।

सरकार तुष्टीकरण की नीति क्यों अपना रही है ? यह खेद का विषय है कि हम लोग उन एक लाख के लगभग भारतीय नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं जो इण्डियन एनक्लेव में रह रहे हैं। वर्ष 1951 की जनगणना के मुताबिक वहां की आबादी 37,000 थी और उसके बाद वहां कोई भी जनगणना नहीं हुई है।

वहां कानून और व्यवस्था नाम की जो कोई चीज ही नहीं है। वहां न पुलिस है, न ही स्कूल तथा हस्पताल, जबकि निर्वाचित विधान सभा वहां वर्ष 1952 से कार्यरत है। केन्द्रीय सरकार ने इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार बंगला देश एनक्लेवों को रास्ता देने को बड़ी उत्सुक है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियमित भाषण का मौका नहीं है। आपको तो बस सूचना देनी है।

श्री अमर रायप्रधान : बंगला देश के भीतर भारतीय एनक्लेव 32.5 वर्ग मील में फैला हुआ है। लेकिन भारत के भीतर बंगलादेश एनक्लेव 19.3 वर्गमील में है।

फिर, यह तुष्टीकरण की नीति क्यों ? लाखों भारतीय नागरिक राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने को तैयार हैं।

अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि भारत-बंगला देश समझौते पर फिर से विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री रति लाल वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, काश्मीर में पूंछ के अन्दर पाकिस्तान की ओर से बराबर गोलाबारी हो रही है। परिणामस्वरूप अपने सैनिक और नागरिक लोग घायल हो रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इससे पहले चीन ने भी यह नारा लगाया था।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, इसके लिए मैं आपको एलाऊ नहीं करूंगा क्योंकि डिफैंस मिनिस्ट्री का बजट आज ही हम लोग डिसकस कर रहे हैं। आपको यह सारी चीजें समझकर बोलना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। कृपया मेरे कक्ष में आयें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आज ही डिफैंस मिनिस्टरी का बजट हो रहा है।

श्री रति लाल वर्मा : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वर्मा जी, मैं आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं। मैंने अपनी अनुमति वापस ले ली है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इस तरह से करेंगे तो दूसरी बार मुझे आपको टाइम देते समय विचार करना पड़ेगा।

श्री जार्ज फर्नांडीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं इस सरकार के मन्त्रिमण्डल के सामूहिक जिम्मेदारी का प्रश्न एक यहां पर उठाना चाहता हूं। इनके मन्त्रिमण्डल के एक मन्त्री जो विदेश राज्य मन्त्री हैं, पिछले अनेक दिनों से सरकार के एक फैसले को लेकर उन आपत्तियों को व्यक्त करने का काम कर रहे थे और उनकी आपत्ति रही कोंकण और गोवा रेजवे के बारे में, जिस प्रदेश से श्री एडुआर्डो फैलीरो आते हैं, उस प्रदेश में उसका किस तरह से काम होना चाहिए। अध्यक्ष जी, जब तक वे इस प्रश्न को उठाते रहे और इधर-उधर कुछ बातें कहते रहे, तो उसको कुछ समझा जा सकता हैं लेकिन आज तीन रोज पहले पानाजी में बकायदा एक पत्रकार परिषद को बुलाकर उन्होंने कुछ ऐसे निवेदन किए हैं, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि अभी····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : फर्नान्डीज जी, क्या यह बात आपने उनके ध्यान में लाई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं मैं एक-एक शब्द पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और अगर मेरे शब्द में कहीं भी कोई गलत बात हो तो मैं सजा के लिए तैयार हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : उनका मतलब एक मन्त्री विशेष से है जिस पर वह

आरोप लगा रहे हैं। वह स्वयं वरिष्ठ सदस्य हैं और मंत्री भी रहे हैं। इस संबंध में सामान्य तरीका यह होता—उन्हें मंत्री को सूचना देनी चाहिए थी और उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। यह सही तरीका नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, नोटिस की क्या बात है। सरकार बर्बर होने का आरोप लगाया गया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सोचते हैं कि उन्होंने यह बयान दिया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मुझे लोगों ने अधिकार दिया है, जो मौके पर मौजूद थे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : बात यह नहीं है, बात यह है कि मंत्री जी को सूचना दी जानी चाहिए थी। यह बात दूसरी है कि वह प्रमाणित करते हैं कि नहीं। आपको मंत्री जी को सूचित करना चाहिए था उन्हें शून्यकाल का इस्तेमाल इस उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैंने अभी तक निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया हैं। निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की स्थिति में मैं इसकी सूचना दूंगा। **(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यदि बेईमानी या भ्रष्टाचार या इस तरह की किसी और चीज का आरोप होता तो हम समझ सकते हैं। लेकिन यह एक बयान के बारे में है जिसके बारे में उनका कहना है कि मंत्री महोदय ने उसको एक संवाददाता सम्मेलन में दिया था। यदि माननीय सदस्य अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह कहते हैं कि वह बयान सही है तो मंत्री महोदय इसे अस्वीकार कर सकते हैं या फिर जो भी स्पष्टीकरण देना हो दे सकते हैं। लेकिन केवल इस कारण इस सदस्य को यह बात यहां उठाने से नहीं रोका जाना चाहिए कि उन्होंने सूचना नहीं दी है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। आपका एक-एक लफ्ज जिम्मेदारी पूर्वक बोला जाना चाहिए। जब आप खड़े होकर कुछ बोलने लगते हैं तो आपको रोकना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी समझता हूं कि यदि आप यह कह रहे हैं कि किसी मंत्री ने संसद के बाहर ऐसा कोई बयान जारी किया है जो सरकार (की नीति अथवा सरकार) के खिलाफ जाती है तो शिष्टाचार के नाते आपका यह कर्तव्य बनता है कि आप इस बात को उसकी जानकारी में लाएं और उससे यह पूछें कि उसने यह बयान जारी किया है अथवा नहीं, क्योंकि आखिरकार यह सदस्यों के बीच का मामला है। हम मान लेते हैं कि इस पर भी वह अपनी बात पर कायम रहते हैं तो आप ऐसे सवाल यहां बाकायदा यहां उठा सकते हैं। यदि यह निंदात्मक नहीं है तो नियमों के तहत आप सूचना देने अथवा इस तरह की किसी अन्य बात के लिए मजबूर नहीं हैं। लेकिन सदस्यों के बीच कुछ शिष्टाचार होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। लेकिन इस मामले में मैं कोई अन्तिम निर्णय नहीं दे रहा हूं। ऐसा सभा में आपसी शिष्टचार की गरज से ही कह रहा हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं जो यह बयान दे रहा हूं, इसको नोटिस करके मानें माननीय एडुआर्डो फैलीरो और इस बात को कल यहां पर इस सदन में मुझे

उठाने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप दोनों की आपस में बात बने।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं.....

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम लोगों का निजी सवाल नहीं है। इसमें कोंकण रेलवे को बनाने में एक साल तक रुकावट होगी और 300 करोड़ अधिक खर्च होगा।

[अनुवाद]

यहां उल्लिखित है कि केन्द्रीय विदेश राज्य मन्त्री ने रेल मंत्रालय पर दोषारोपण किया है...

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके पक्ष को समझता हूं। मैं आपके इस शिष्टाचार के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप आपने सहयोगी के प्रति दर्शा रहे हैं। यदि यह आश्वयक है तो हम इस पर कल चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जीलिंग) : मैं श्री अमर राय प्रधान द्वारा उठाई गई मांग का समर्थन करता हूं। यह वास्तव में एक गंभीर मामला है जो इस क्षेत्र की प्रमुख मानवीय समस्या से जुड़ा है। बंगला देश एनक्लेव पर चर्चा यरते समय इस मसले पर बहस की जानी जाहिए। मैं श्री राय प्रधान को अपने समर्थन की फिर पुष्टि करता हूं।

श्री राम कापसे (थाणे) : हमें खुशी है कि आज शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। मेरा सुझाव है कि इस अवसर पर हमें जल्द से जल्द शिक्षक वाले स्कूलों को यथा शीघ्र समाप्त करना चाहिए। यह शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत बड़ी समस्या हे। मेरा दूसरा सुझाव यह है कि कक्षाओं में ज्यादा भीड़ से बचा जाना चाहिए। सारे देश में एक ही शिक्षक द्वारा चल रही कक्षाओं तथा कक्षाओं में विद्यार्थियों की बहुत अधिक संख्या के कारण अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिए समस्या पैदा हो गई है। इसलिए इन दोनों के हित में, हमें इन दोनों से बचना चाहिए।

श्री शिवाजी पटनायक (भुवनेश्वर) : महोदय, आंज शिक्षक दिवस है। मैं उड़ीसा के अध्यापकों के सामने आने वाली एक अलग प्रकार की समस्या की चर्चा करना चाहता हूं। प्राईमरी तथा दर्जा बढ़ाए गए मिडिल स्कूलों के एक लाख 25 हजार अध्यापक जिन्हें कि उड़ीसा सरकार ने 5 सितम्बर, 1989 से सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया है। उन्हें पैंशन तथा दूसरी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। जुलाई, 1990 तक सभी औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् राज्य सरकार ने सामान्य भविष्य निधि तालिका तथा शिक्षकों की पैंशन के मामले महालेखाकार, उड़ीसा के पास भुवनेश्वर में भेजे हैं। परन्तु, महालेखाकर ने एक मामले पर गौर करने से इनकार कर दिया है। इसके कारण यह

1,25,000 अध्यापक सामान्य भविष्य निधि खातों तथा पैंशन इत्यादि के मामलों के सम्बन्ध में काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर राज्य सरकार के पास आवश्यक संख्या में कर्मचारी तथा विशेषज्ञता होती तो वे इस मामले को महालेखाकार, उड़ीसा के पास न भेजते। परन्तु महालेखाकार के इन्कार के परिणामस्वरूप अध्यापकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके निम्न आय वर्ग के इन प्राईमरी अध्यापकों के दुखों का निवारण करें।

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : महोदय, उड़ीसा के एक लाख पच्चीस हजार प्राईमरी स्कूलों के अध्यापक सरकारी कर्मचारी घोषित होने के पश्चात समस्या का सामना कर रहे हैं। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक महालेखाकार उड़ीसा को इस मामले को लेने की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्राईमरी अध्यापक गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं तथा इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें तथा नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहें कि महालेखाकार, उड़ीसा इन मामलों पर गौर करे कम से कम महालेखाकार उड़ीसा को पैंशन, सामान्यय भविष्य निधि, तथा दूसरे मामलों पर तुरंत गौर करना चाहिए ?

उड़ीसा सरकार ने भी नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक से इस सम्बन्ध में निवेदन किया है जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। इसलिए भारत सरकार को तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : पाणिग्राही जी, मेरे विचार में आप भी इन विचारों का समर्थन करते हैं। [हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, 1977 में जनता पार्टी के शासन काल में जब स्वर्गीय राज नारायण जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने गांवों के लिए एक योजना चलायी थी, जिसका नाम स्वास्थ्य रक्षक योजना है। इसे देश के सभी प्रदेशों के कुछ ब्लाकों में प्रयोग के तौर पर शुरू किया गया था और कहा गया था कि एक हजार की आबादी पर गांव में एक स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाएगी। उसे प्रति माह 50 रुपये की दवाइयां और 50 रुपये मानदेय देने की बात कही गयी। यह योजना कुछ ब्लाकों में पूरे देश में चलायी गयी। बहुत अच्छे ढंग से गांव के लोगों की सेवा की गयी। लेकिन तब यह कहा गया था कि आगे चल कर, इस योजना को बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज तक यह योजना लम्बित पड़ी है, इसका विस्तार नहीं किया जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य रक्षक योजना को बढ़ाया जाए। सभी ब्लाकों में सभी गांवों में एक हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य रक्षक की नियुक्ति की जाए और उसका मानदेय 50 रुपये, जो 1977 में प्रारम्भ किया गया था, महंगायी आकाश को छू रही है, उसको बढ़ा कर कम से कम 500 रुपये किया जाए और दवाएं भी 500 रुपये की प्रति माह दी जाएं। ताकि वह ठीक से इलाज कर सके। यह गांव के लिए बहुत ही स्वास्थ्यप्रद और लाभप्रद योजना है। जो गांवों में काम करने वाले, एक हजार की आबादी पर स्वास्थ्य रक्षक है वह 50 रुपये

पर काम कर के भुखमरी के कगार पर हैं, उनके परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मैं मांग करता हूं कि कम से कम उसका मानदेय 500 रुपये किया जाए। यह स्वास्थ्य रक्षक सभी ब्लाकों में, सभी गांवों में, जहां आबादी 1000 से ऊपर है, दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्राही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों उड़ीसा सरकार ने प्राईमरी अध्यापकों को सरकारी कर्मचारी वर्ग में सम्मिलित किया है। अब उनकी पैंशन तथा सामान्य भविष्य निधि इत्यादि का प्रश्न सामने आया है। जहां तक इस मुद्दे का सम्बन्ध है। अध्यापक स्वयं यह चाहते हैं कि उनके मामले पर महालेखाकार कार्यालय गौर करे·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में आप भी इन्हीं विचारों का समर्थन करना चाहते हैं।

श्री श्री बल्लभ पाणिग्राही : उड़ीसा राज्य सरकार ने भी यही सिफारिश की थी। कुछ दूसरे राज्यों में भी अध्यापकों तथा सरकार दोनों की यही राय थी कि इस मामले को महालेखाकार कार्यालय निपटाए। तथा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अब उड़ीसा के मामले में भी यह सुविधा अध्यापकों को दी जानी चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर) : महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करे।

अध्यक्ष महोदय : तो आप भी इनके वक्तव्य का समर्थन कर रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया है। महालेखाकार उनके सामान्य भविष्य निधि खातों का लेखा-जोखा रखने को तैयार हो गया है। अब ये खाते महालेखाकार कार्यालय को भेज दिए गए तो नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक ने एक अनुचित आधार पर बाधा खड़ी कर दी तथा एक प्रकार से सांविधिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया। इसलिए एक गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए हम सरकार से जोरदार ढंग से यह अपील करते हैं कि वह इस समस्या के अविलम्ब समाधान के लिए नियन्त्रक तथा महालेखापरीक्षक पर दबाव डाले।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य।

(व्यवधान)

श्री ब्रिज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : महोदय, मैं यह चाहता हूं·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में दिए गए वक्तव्य के साथ आपका नाम जोड़ दिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, आपकी टिप्पणी से इस सरकार में सद्‌बुद्धि का संचार हो सकता है तथा नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक को इस समस्या के समाधान के लिए कहा जा सकता है·····(व्यवधान)

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : महोदय, आप मुझे कभी भी बोलने का अवसर नहीं देते। यह ठीक नहीं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के व्यवहार पर मुझे सख्त आपत्ति है। मैं यह सब चुपचाप सहन नहीं करूंगा। मैं प्रत्येक सदस्य को खुश नहीं कर सकता। इस सदन में 522 सदस्य हैं। कृपया सदन में इस प्रकार का व्यवहार मत कीजिए।

1.00 म० प०

श्री वसुदेव आचार्य : यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जम्मू तथा काश्मीर लिबरेशन फ्रंट तथा खालिस्तान समर्थक संगठनों से मिलकर एक अन्तर्राष्ट्रीय भारत-विरोधी फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहा है। यह आतंकवादी उन ब्रिटिश संसद सदस्यों तथा अमरीका के सीनेट के सदस्यों से भी सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि उनसे सहानुभूति रखते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार लेबर पार्टी के एक सदस्य ने भारत में जम्मू-काश्मीर की यात्रा के पश्चात् जम्मू-काश्मीर की स्थिति पर टिप्पणी की। हमें अमरीका के साम्राज्यवादी षड्यन्त्र का भी पता है क्योंकि हमने 'आप्रेशन ब्रह्मपुत्र' के दौरान देखा कि किस प्रकार उन्होंने देश के उत्तर पूर्वी भाग को अलग करने का षड्यन्त्र रचा। इसलिए यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। उनका आतंकवादियों से सम्पर्क साधने सम्बन्धी तथ्य उस डायरी से प्रकाश में आया जो कि यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम के एक आतंकवादी के पास से पकड़ी गई जिसे जोरहाट में गिरफ्तार किया गया था। इसलिए मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि उसके पास इस सम्बन्ध में क्या जानकारी है। इसलिए सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए कि किस प्रकार यूनाईटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम, जे०के०एल०एफ० जमायते-ईस्लामी तथा खालिस्तान समर्थन ताकतों से मिल कर स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने की चेष्टा कर रहा है। इसलिए मैं यह मांग करता हूं कि गृह मंत्री महोदय को एक सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसार) : मैं भी इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब यह सदन की जानकारी में ला दिया गया है, तो यही काफी है।

श्री चित्त बसु : मैं इस सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहता हूं। यह समस्या केवल उल्फा के इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय रंग देने तक ही सीमित नहीं है बल्कि असम सरकार के बन्धकों के मुक्त कराने में असफल रहना भी गंभीर चिन्ता का विषय है, जिन्हें कि एक महीने, इससे भी अधिक समय से बन्धक बना कर रखा गया है। करीब दो सप्ताह पहले मैंने इस सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा की थी तथा असम सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में, विशेषकर उल्फा के बारे में क्या दृष्टिकोण अपनाया है, इस पर गृह मंत्री महोदय से वक्तव्य देने का निवेदन किया था। यह सुनने में आया है कि तथाकथित 'ऐमनेस्टी इन्टरनेशनल' की असम शाखा के माध्यम से असम सरकार के साथ उल्फा का कोई समझौता हुआ है। 'इण्टरनेशनल ऐमनैस्टी' की असम शाखा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में यह संगठन वहां पर समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। 'उल्फा' के लोग प्रतिदिन नई-नई मांगें उठाते हैं। स्थिति बड़ी खतरनाक तथा जटिल हो गई है। बहुत से लोगों को बंधक बनाया गया है तथा

अपहृत किया गया है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। असम सरकार को उन ताकतों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए जो कि देश में अलगाववाद को प्रोत्साहन दे रही हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि जिन्हें बन्धन बनाया गया है, उन्हें मुक्त कराया जाए। मैं नहीं जानता कि उल्फा तथा असम सरकार के बीच हुए समझौते का क्या बना। भारत सरकार को इन दोनों के बीच हुए बन्धकों को छुड़ाने सम्बन्धी समझौते के बारे में वक्तव्य देना चाहिए जिन्हें कि एक महीने से भी अधिक अवधि से बंधक बना कर रखा हुआ है। .....(व्यवधान)

श्री सुनील दत्त (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : आपके माध्यम से मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि आज शिक्षक दिवस है। सामान्य स्कूलों के अध्यापकों तथा अपाहिज बच्चों के स्कूलों के अध्यापकों के मामले में अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। एक सामान्य बच्चे की अपेक्षा एक अपाहिज बच्चे को पढ़ाना अधिक कठिन है। परन्तु जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, इन दोनों वर्गों के अध्यापकों के वेतन में काफी अन्तर है। अपाहिज बच्चों के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सामान्य बच्चों के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की अपेक्षा काफी कम वेतन मिलता है। मैं इस सदन तथा सरकार की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि उनका वेतन सामान्य स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के बराबर किया जाना चाहिए। वास्तव में उनका वेतन और अधिक होना चाहिए क्योंकि वे अपाहिज बच्चों को पढ़ाते हैं तथा अपाहिज बच्चों को पढ़ाने में अधिक समय तथा शक्ति लगानी पड़ती है। इसलिए, उनका वेतन उससे अधिक नहीं तो कम से कम उनके बराबर तो जरूर होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती केसरबाई सोमाजी क्षीरसागर (बीड) : अध्यक्ष महोदय, बीड जिले को अभावग्रस्त जिला घोषित किया जाये। इस साल वर्षा न होने के कारण सारी खरीफ की फसल नष्ट हो गई है और अगली रबी की फसल की बुवाई नहीं हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की भयंकर समस्या उभरकर सामने आई है। वहां सूखे के कारण जानवरों के खाने के लिए हरी घास की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। उन्हें भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हमारे यहां 15 लाख की आबादी है उसको इन कठिनाइयों से सामना करना पड़ रहा है। वहां की जनता सूखे की भीषण समस्या से मुकाबला कर रही है। वहां के किसान भयभीत हैं। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा वहां ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। बीड जिले को अभावग्रस्त जिला घोषित किया जाये और वहां की जनता को राहत पहुंचाई जाये। मैं मांग करती हूं कृषि मंत्री जी से कि केन्द्र वहां तुरंत अपनी टीम भेजें तथा वहां रोजगार के कार्यक्रम शुरू किये जायें। किसानों की जो फसल नष्ट हो गई है उनको तुरंत मुआवजा दिया जाये।

1.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) अतर्गत निम्न-लिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 539/91]

खान मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों के शुद्धि-पत्र की प्रति

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं खान मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों* की विस्तृत मांगों के शुद्धि-पत्र की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 540/91]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : श्रीमती मारग्रेट अल्वा की ओर से मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 541/91]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 516(अ), जो 14 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा चाय, काफी अथवा रबड़ बागानों अथवा कृषकों को बोरों में बेचे जाने वाले उर्वरक का अधिकतम मूल्य तुरन्त निर्धारित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 542/91]

———

* खान मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगों को 22 अगस्त 1991 को सभा पटल पर रखी गई थीं ।

1.07 म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 28 अगस्त 1991 को हुई अपनी बैठक में पारित वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1991 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

———

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधित विधेयक, 1991

महासचिव : महोदय, मैं वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 1991 राज्य सभा द्वार यथापारित सभा पटल पर रखता हूं।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) मध्यप्रदेश में नक्सलवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सहायता दिये जाने की आवश्यकता

108. म० प०

[हिन्दी]

श्री मोहनलाल झिकराम (मांडला) : मध्य प्रदेश में दिनों दिन नक्सलवादी प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं और उनकी गतिविधियों में कोई अंकुश नहीं लगाया जा सका है। परिणामस्वरूप लगभग एक माह के अन्दर ही मध्य प्रदेश में तीन बड़ी दुखद घटना घटी हैं जिनमें 25 पुलिसकर्मी की आहूति चढ़ी है। कब तक ऐसी आहुति चढ़ती रहेगी। मेरा निवेदन है कि केन्द्र शासन इस समस्या को समय रहते उनके बढ़ते प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए राज्य सरकार को वांछित आधुनिक उपकरण, हथियार प्रदान करे तथा तथा ऐसा संवेदनशील संयंत्र प्रदान करे जो बारूदी सुरंगों का संकेत दे सके जिससे आने वाली दुर्घटना बचाई जा सके।

(दो) तमिलनाडु में मछुआरों तथा परिवहन निगमों को सस्ती पर पर डीजल और मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन (तिरुचेन्दूर) : महोदय, डीजल की कमी के कारण तमिलनाडु में अनेक बस सेवाएं रद्द कर दी गयी हैं। तेल का संकट यद्यपि समाप्त हो गया है फिर भी अभी तक परिवहन निगमों की डीजल की कटौती में रियायत नहीं दी गयी है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी डीजल की कमी के कारण 30 से भी अधिक मार्गों को के० टी० सी० और एन० टी० सी० द्वारा बन्द कर दिया गया है। इसी प्रकार, मछुआरों को उनके जहाजों के लिए दिये जाने वाले मिट्टी के तेल और डीजल की मात्रा कम कर दी गई है।

घरेलू खपत और साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु मछुआरे मछली पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा रियायती दर पर मिट्टी तेल और डीजल उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता पर उन्हें मिट्टी तेल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को राशन कार्ड के आधार पर मछुआरों के जहाजों के लिए मिट्टी तेल वितरित करना चाहिए।

इसलिए, मैं पेट्रोलियम मंत्रालय से परिवहन निगम को (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में) डीजल की कटौती बहाल करने और मछुआरों को उनके मत्स्यन कार्यकलापों हेतु रियायती दर पर मिट्टी तेल और डीजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं।

(तीन) केरल के कालीकट शहर के पश्चिम कल्लाल तक सुविधाजनक सम्पर्क सड़कों के निर्माण की आवश्यकता

श्री के० मुरलीधरन (कालीकट) : महोदय, कालीकट नगर का पश्चिम कल्लाल घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र के लोगों को मुख्य सड़क पर आने में अथवा मुख्य सड़क के लिए बाहर पकड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि विभिन्न रेलवे लाइनें एक-दूसरे के समानान्तर बिछाई गई हैं जो पश्चिम कल्लाल की राष्ट्रीय उच्च मार्ग से पृथक कर देती हैं। माल गाड़ियों और 'शंटिंग वैगन' घंटों तक इन लाइनों पर खड़े रहते हैं। इसलिए मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए इन रेलवे लाइनों को पार करने लिए भी लोगों को या तो इन इंजनों के चलने तक की प्रतीक्षा करनी पड़ती है या रेल डिब्बों पर चढ़ कर इन्हें पार करना पड़ता है जिसके कारण बीमार लोगों या गर्भवती महिलाओं को अस्पतालों तक जाने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि प्रिमियर से कल्लरि माल गोदाम तक की वर्तमान सड़क को दक्षिण से कुप्परी मन्दिर तक बढ़ा दिया जाए और यदि दक्षिणी केलिन के निकट पयानाक्कल समतल पारक और कुलीकुडी पैदल पारक में मरीयाडथ लेन के बीच रेलवे की खाली पड़ी जमीन को सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत करा लिया जाए तो पश्चिमी कल्लई के निवासियों को अभी जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उसके समाधान में मदद मिलेगी। इसलिए मैं पश्चिम कल्लल, कालीकट के निवासियों की दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनकी स्थिति में सुधार लाने हेतु शीघ्र कदम उठाया जाए।

(चार) पूरे देश में अहेरिया, बहेलिया आदि की अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : मैं आपका ध्यान देश की कुछ ऐसी जातियों की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिन्होंने यवन और अंग्रेजी शासकों की भी अधीनता स्वीकार

नहीं की। ये अंग्रेजी शासकों की सतायी हुई जातियां हैं जो अभी तक उभर नहीं पायी हैं। इनमें मुख्य रूप से अहेरिया, बहेलिया, करवल, पासी आदि हैं। केन्द्रीय सरकार ने इन्हें अनुसूचित तथा विमुक्त जाति के अन्तर्गत रखा है। ये जातियां अहेरिया जाति की ही उप-जातियां हैं। अहेरिया जाति के लोग कहीं-कहीं अनुसूचित जाति में आते हैं तो कहीं विमुक्त जाति के अन्तर्गत। इस कारण कहीं-कहीं अनुसूचित जातियों को मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाते हैं। दिल्ली प्रदेश में ये अनुसूचित जाति की श्रेणी में हैं किन्तु उत्तर प्रदेश में इन्हें विमुक्त जाति अन्तर्गत रखा गया है जबकि उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 20 लाख है और समस्त भारत में ये लगभग 5 करोड़ हैं।

1·13 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मैं आपको स्मरण दिलाता हूं कि स्वतन्त्रतापूर्वक तथा स्वतन्त्रता के बाद भी सन् 1952 तक ये जाति अनुसूचित तथा विमुक्त जाति दोनों के ही अन्तर्गत थी। किन्तु अज्ञात कारणों से इसे अनुसूचित जाति श्रेणी से अलग कर दिया गया। इसी लड़ाकू जाति पर जरायम पेशा एक्ट 1871 लगाया गया था तथा इस एक्ट को 31 अगस्त, 1952 को हटा लिया गया।

मेरी आपके माध्यम से केन्द्रीय शासन से मांग है कि इस जाति को तथा अन्य विमुक्त जातियों को पूरे देश में या तो अनुसूचित जाति की श्रेणी में ही रखा जाए या फिर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में समाहित किया जाये। ताकि ये अपनी पिछड़ी दशा को शासन के सहयोग से सुधार सकें या इन्हें विमुक्त जाति में ही रखने पर वे सभी सुविधायें दी जायें जो अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदत्त हैं।

(पांच) दिल्ली में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए योजनाओं को शीघ्र लागू किये जाने की आवश्यकता

श्री ताराचन्द खन्डेलवाल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की पिछले दस साल से गृह निर्माण की कितनी ही योजनायें बदली गयी हैं। फलस्वरूप डी० डी० ए० स्लम के निवासियों के निवास के सुधार के लिए बनाया गया था और 84 तक योजना बनी थी कि डी० डी० ए० स्लम तथा कटरों का जीर्णोद्धार किया जाए तथा वहां के निवासियों को डी० डी० ए० क्वार्टर्स आवंटन कर स्लम एरिया साफ किया जाए। परन्तु पिछले तीन वर्षों से यह योजना ठप्प पड़ी है और बहुत से डी० डी० ए० स्लम के मकानों की स्थिति बड़ी जर्जर हो चुकी है। किसी भी समय वो मकान गिर सकते हैं। पिछले एक वर्ष से उन मकानों की मरम्मत भी नहीं हो रही है। मेरा सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर तुरन्त ध्यान देकर मकान आवंटन तथा मरम्मत की योजना तुरन्त लागू की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० यादव।

(छः) पूर्वोत्तर रेलवे के चिकाना रेलवे स्टेशन को एक जंकशन के रूप में बनाए रखने की आवश्यकता

श्री देवेन्द्रप्रसाद यादव (मंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम डी० पी० यादव लिख

दिया जा रहा है। इसे देवेन्द्र प्रसाद यादव लिखा जाए। इस पर बहुत हंगामा हो चुका है। (व्यधवान) पूर्वोत्तर रेलवे समस्तीपुर मंडलान्तर्गत दरभंगा निर्मली रेल खण्ड के बीच तमुरिया स्टेशन से 7 कि०मी० पूर्व एवं धोधरडिहा से 6 कि० मी० पश्चिम चिकना स्टेशन का निर्माण सन् 1952 ई० में हुआ था। इस स्टेशन का विकास कर क्रॉसिंग स्टेशन के रूप में परिवर्तन करने सम्बन्धी स्थानीय जनता के आवेदन पर मंडल रेल प्रबन्धक (इंजी०) समस्तीपुर ने पूर्ण विकास हेतु आदेश निर्गत कर दिया था। किन्तु जुलाई, 91 में इस चिकना स्टेशन को हाल्ट के रूप में बदलने के लिए विभागीय निविदा प्रकाशित की गई है। चिकना कवेटना, जयपट्टी, विरलि, सदुंई आदि करीब 20 गांव का आवागमन हेतु मात्र उक्त चिकना स्टेशन ही है। यह बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है। गन्ना किसानों की बाहुल्यता है। इसे हाल्ट बनाने से हजारों लोगों को काफी कठिनाई होगी।

अतः आवागमन की असुविधा तथा गन्ना उत्पदक किसानों की कठिनाई को देखते हुए मैं जनहित में शीघ्र उपरोक्त प्रकाशित निविदा को समाप्त कर चिकना क्रॉसिंग स्टेशन निर्माण करने की मांग करता हूं।

(सात) कृष्णानगर टेलीफोन एक्सचेंज को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदलने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृशनगर) : महोदय, भारत-बंगलादेश सीमा के निकट अवस्थित नादिया का जिला मुख्यालय कृशनगर देश के प्राचीनतम नगरों में से एक है जहां कि सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध रही है और जो शिक्षा का केन्द्र रहा है बंगाल विभाजन के पश्चात् कृशनगर सहित उस जिले की महत्ता सीमा पार से बड़ी संख्या में लोगों के आ जाने के कारण बढ़ गई है। लेकिन उस जिले में दूर संचार व्यवस्था को आधुनिक नहीं बनाया गया है और यह बहुत ही खराब स्थिति में है। कृशनगर में मानव चलित टेलीफोन केन्द्र रहने कारण लोगों को बहुत अधिक असुविधा हो रही है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से कृशनगर टेलीफोन केन्द्र को इलेक्ट्रानिक्स टेलीफोन केन्द्र में बदल दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) शोरानुर-निलम्बुर रेलमार्ग पर रेल लाइन के नवीनीकरण के कार्य को पूरा करने की आवश्यकता

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : शोरानुर-निलम्बुर लाइन पर रेलवे लाइन के नवीनीकरण का कार्य रेलवे ने इस कार्य ने इस कार्य की अनुमति प्राप्त होने वावजूद भी वन्द कर दिया है। 64 किलोमीटर में से सिर्फ 44 किलोमीटर रेलवे लाईन का ही नवीनीकरण किया गया है यद्यपि इसके लिए धन राशि उपलब्ध करायी गयी थी और इस कार्य के लिए 200 मजदूरों को भी रखा गया था लेकिन शेष 22 किलोमीटर कार्य अचानक वन्द कर दिया गया है। चार वर्ष पहले रेलवे बोर्ड ने रेल लाइन के नवीनीकरण कार्य को मंजूरी दी थी और इसके लिए धनराशि भी उपलब्ध करायी गयी थी। यदि इस कार्य की जारी रखा जाता तो 64 किलोमीटर का कार्य पूरा हो जाता। यदि सम्पूर्ण रेल लाइन के नवीनीकरण का कार्य पूरा हो जाता तो रेल गाड़ियों की वर्तमान रफ्तार को 40 कि० मी०

प्रति घंटे से बढ़ा कर 60 कि० मी० प्रति घंटा किया जा सकता था फिर, दक्षिण रेलवे के रेलवे अधिकारियों के इस अनुचित निर्णय के कारण मंजूर हो चुकी सम्पूर्ण धनराशि रद्द हो सकती है। उस क्षेत्र के लोग (पिछड़े ईरनाड क्षेत्र) इस मुद्दे पर बहुत ही अधिक उत्तेजित हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से इस मामले में ध्यान देने और रेल लाइन के नवीनीकरण के कार्य को पूरा करवाने का अनुरोध करता हूं।

1.00 म० प्र०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1991-92 (जारी)

रक्षा मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : सभा रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी।

अब, श्री जसवन्त सिंह।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, गणपूर्ति तो है नहीं ?

श्री जसवन्तसिंह (चित्तौड़गढ़) : मैं इस बात को नहीं उठाऊंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मंत्री महोदय को कम-से-कम गणपूर्ति तो सुनिश्चित करनी चाहिए। लेकिन मैं भी यह बात नहीं उठा रहा हूं। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : इतने महत्वपूर्ण वाद-विवाद पर सभी कांग्रेसी अनुपस्थित क्यों हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वे आ रहे हैं। वे यह वाद-विवाद सुनने के लिए आतुर हैं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री कालका दास (करोल बाग) : इस हाउस को चलाने की जिनकी जिम्मेदारी है, वे ही यहां नहीं हैं।

[**अनुवाद**]

उपाध्यक्ष महोदय : वे अभी आ रहे हैं।

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : सरकार का समर्थन करने के लिए सहयोगी दलों के सभी सदस्य उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री कालका दास : उपाध्यक्ष जी, आप सरकार को निर्देश दें। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, मैं वर्ष 1991-92 के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा को अपने देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं।

महोदय, तेजी से बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक स्थिति में सीमाएं बदल गई हैं तथा रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट में दुखदायक प्रसंगों का उल्लेख किया गया है। वास्तव में मैं नहीं जानता कि उसमें किस अवधि, किस विशेष कठिनाइयों, समस्याओं तथा चुनौतियों का उल्लेख किया गया है क्योंकि मुझे विश्वास है।

[हिन्दी]

श्री रामप्रसाद सिंह (विक्रमगंज) : उपाध्यक्ष जी, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा देश की रक्षा का सवाल सदन में विचार के लिए रखा है परन्तु सदन में कोराम भी नहीं हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है—

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति है। अब माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं शुरू से ही बोलना चाहता हूं क्योंकि मैंने कुछ ही पंक्तियां बोली थीं कि गणपूर्ति का प्रश्न उठा दिया गया। मैंने यह कहा था कि मैं रक्षा मंत्रालय की वर्ष 1991-92 की अनुदानों की मांगों पर चर्चा को अपने देश के लिए विशेष महत्व की मानता हूं। मैंने निवेदन किया था कि तेजी से बदलती अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक स्थितियों में सीमाएं पहले से बहुत बदल गई हैं और रक्षा मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दुखदायक प्रसंगों का उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि इसमें किस अवधि और किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है क्योंकि आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो भी हो रहा हैं वह उसके अनुकूल नहीं है। मैंने इस सदन में और दूसरे सदन में अक्सर कहा है कि रक्षा बजट वह मूल्य है जो हमें अपनी विदेश नीति के लिए चुकानी पड़ती है। मैं यह निवेदन करते हुए उस बात में संशोधन करना चाहता हूं कि आजकल रक्षा बजट वह मूल्य है जो न केवल हम अपनी विदेश नीति के लिए चुकाते हैं बल्कि अपनी घरेलू नीति के कुप्रबन्धन के लिए भी चुकाते हैं।

महोदय, मैंने यह कहा था कि रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में दुखदायक प्रसंग का उल्लेख किया गया है और इसके अन्तर्राष्ट्रीय भाग तथा पहलू के बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन यदि आप इस बात का उल्लेख कर देते कि हम रक्षा पर अनुमानत: 20,000 करोड़ रुपये व्यय करने की

बात कर रहे है जो कि औसतन हमारे गैर-योजना व्यय का एक तिहाई है, तब हम वर्ष दर वर्ष पर्याप्त राशि की बात कर रहे हैं। लेकिन हम जिस वर्ष विशेष की बात रहे हैं वह अति विशेष महत्व का है। वर्तमान सरकार में तीन नए प्रयास किए हैं, नई औद्योगिक नीति, वित्तीय नीति तथा व्यापार नीति प्रस्तुत की हैं। मेरा निदेदन है कि जब आन्तरिक परिस्थितियां इतनी अधिक बदल रही हैं और ये तीन नए प्रयास किए गए हैं तब आप रक्षा वक्तव्य अथवा वार्षिक रिपोर्ट अथवा पुरानी नीतियों को कैसे जारी रख सकते हैं। वार्षिक रिपोर्ट का अध्ययन करते समय एक छोटी-सी टिप्पणी में मैंने इसकी पुरातनता को देखा। इसमें भूतपूर्व मंत्रियों का उल्लेख किया गया है और इसमें श्री ललित विजय सिंह को राज्य मंत्री के रूप में दिखाया गया है। मुझे विश्वास है कि यह दस्तावेज कुछ महीने पहले प्रकाशित हुआ था और इसे राजनीतिक अनिश्चितताओं तथा जो परिवर्तन हुए उनके अनुरूप करने के लिए अद्यतन किया गया। मेरी मंत्री महोदय से यह आशा थी कि वे कम-से-कम रिपोर्ट को अद्यतन करेंगे और इसमें मुद्दे शामिल करेंगे ताकि अनुदानों की मांगों पर संगत चर्चा हो सके। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति के विश्लेषण अथवा आकलन का विशेष महत्व है और वार्षिक रिपोर्ट में इस बारे में हमें जानकारी दी गई है। इसने बिल्कुल सही शुरूआत की है जिसमें (ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रोम) का संक्षेप में विश्लेषण किया गया है। मैं प्रत्येक बात को उद्धृत नहीं करूंगा लेकिन इसमें हमें बताया गया है कि :—

"भारत ने अपने समान विचारधारा वाले अन्य देशों के साथ मिलकर युद्ध स्थिति समाप्त करने, शांति बहाल करने और क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय प्रयास किए थे।"

यह पूर्णतः कपोल कल्पना है कि कुवैत पर इराक के आक्रमण और ऑपरेशन "डेजर्ट स्ट्रॉम" के सन्दर्भ में में पूर्णतः अप्रसन्न हूं कि भारत सरकार ने पूर्णतः असंगत प्रयास किए थे, इसने केवल यह झूठे दावे किए कि युद्ध को समाप्त कराने के लिए सक्रिय कार्य किए गए थे। वास्तव में भारत ने सक्रिय रूप से कोई कार्य किया नहीं किया था और न ही उसके लिए कोई भूमिका निभाने के लिए थी।

रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के दूसरे पैराग्राफ में ही दावा किया गया है, परन्तु मैं नहीं जानता कि इस मनगढ़न्त कहानी के 100 पृष्ठ क्यों पढ़े जाएं।

पैरा 3 में तनाव कम करने की प्रक्रिया और दोनों महाशक्तियों —अब केवल —एक संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के सम्बन्धों में जो कुछ हो रहा है, का संक्षेप में उल्लेख किया गया है। मैं स्वीकार करता हूं कि इस पैरे में इतनी अधिक घटनाओं का उल्लेख है कि इसे प्रकाशित करने का अद्देश्य पूरा करने के लिए इसे अद्यतन करना आवश्यक है। मैं मानता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने अधिक परिवर्तन हो रहे हैं कि इस प्रकार की वार्षिक रिपोर्ट में उन्हें प्रकाशित करने के लिए कोई भी पहले से उनका अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन इससे मुद्दा ही बदल जाता है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं कि आज देश जिन सुरक्षा परिस्थितियों का सामना कर रहा है उन पर चर्चा अधिक आवश्यक है। मैं इससे हर बात उद्धृत नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं आणविक हथियारों के अधिक निर्माण का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि हमारे लिए चिन्ताजनक विषय है। लेकिन इस रिपोर्ट में पिछले वर्ष की रिपोर्ट से भिन्न आन्तरिक स्थिति के बारे में बताया गया है। मैं इस मुद्दे को इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए 'आन्तरिक

स्थिति भी एक समस्या बन गया है और रिपोर्ट के पैरा 5 में सुरक्षा परिस्थिति का उल्लेख किया गया है तथा आन्तरिक स्थिति के बारे में पैराग्राफ में इसको मान्यता देने के लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं और इसमें कहा गया है—

> "अनेक ऐसे विकास हुए हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को प्रभावित किया है। आतंकवाद, धार्मिक उग्रवादिता और जातिवादी राष्ट्रीयता ने अलगाववादी प्रवृतियों को बढ़ावा दिया है। अनेक मामलों में बाहर से समर्थन प्राप्त हो रहा है——"

यह बिल्कुल सही स्वीकृति है। इसमें आगे कहा गया है—

> "हमारे पड़ोस में नशीले पदार्थों का व्यापार बहुत बढ़ गया है और आतंकवाद के साथ इसने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है।"

लेकिन हमारे पड़ोस में ही नशीले पदार्थों का व्यापार नहीं बढ़ रहा है बल्कि भारत के माध्यम से यह व्यापार किया जा रहा है और यह अच्छा होता यदि रक्षा मंत्रालय उन आन्तरिक समस्याओं को स्वीकार करता जिनका देश सामना कर रहा है। यह इस बात को भी स्वीकार करता कि नशीले पदार्थ अथवा नशीले पदार्थ --आतंकवाद भी अब सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है और यह आन्तरिक तथ्य है जिसे मुझे बाहरी तथ्य के साथ जोड़ना पड़ा है।

पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों के बारे में भी एक पैराग्राफ है। इसमें यह उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान पंजाब और जम्मू और काश्मीर में आतंकवादी, विध्वंसकारी तत्वों को सहायता दे रहा है। यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान अपनी रक्षा आवश्यकताओं से कहीं अधिक सैनिक हथियार और प्रौद्योगिकी दूसरे देशों से प्राप्त कर रहा है।

> "इसके अतिरिक्त यह अपने गुप्त और अस्त्रोन्मुखी आणविक कार्यक्रम को जारी रखे हुए है तथा बालस्टिक प्रक्षेपास्त्र और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।"

मैंने किसी विशेष उद्देश्य से इसे उद्धृत किया है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि किस संगठन ने देश की रक्षा स्थिति का आकलन किया है। कितने लोगों ने मिलकर इस पर कार्य किया है क्योंकि यदि कोई इसे विदेश मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट द्वारा देखना चाहे तो इसमें न केवल ब्यौरों में बल्कि मुद्दों में भी भिन्नता पाएगा। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि यह आवश्यक नहीं है कि रक्षा मंत्रालय के रक्षा स्थिति से सम्बन्धित आकलन विदेश मंत्रालय के आकलन के समान हो। परन्तु दो भिन्न मंत्रालयों की एक ही समस्या के बारे में भिन्नता हो सकती है। लेकिन प्रश्न यह है कि देश जिस रक्षा स्थिति का सामना कर रहा है उसका विश्लेषण रक्षा मंत्रालय को कौन-सा संगठन देता है, उसकी इस बारे में क्या व्यवस्था है। रिपोर्ट से यही प्रश्न सामने आता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा क्या है? यह केवल रक्षा का मुद्दा नहीं है और न ही इस वाद-विवाद में इस बात का विश्लेषण करना मेरा कार्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है। मेरे पास जो जानकारी है उसके आधार पर मैं नहीं समझता कि मैं इस बात का विस्तृत विश्लेषण कर सकता हूं अथवा

इसकी परिभाषा दे सकता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा क्या होगी। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत विस्तृत संकल्पना है जिसमें सैन्य शक्ति, आन्तरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति भी शामिल है। मेरे विचार से यदि राष्ट्रीय सुरक्षा की संकल्पना में सैन्य शक्ति, आन्तरिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को शामिल करें तो देश में कभी भी ऐसा सुरक्षा वातावरण नहीं रहा हैं जैसा आज है। अब हम रक्षा मंत्रालय के बारे में चर्चा करते हैं तब तेजी से बदलती हुई अन्तराष्ट्रीय स्थिति के साथ इस पर चर्चा करना कठिन हो जाता है।

इस मंत्रालय पर हमने जो बहस की हैं वे सदैव और शायद अस्पष्ट और अगंभीर रही हैं। "अनिवार्यत:" शब्द मैंने सोद्देश्य कहा है और "अस्पष्ट" तथा "अगंभीर" शब्द चुनकर बोले हैं। ऐसा लगता है कि इस संदर्भ में हमारी अवधारणाएं स्पष्ट नहीं है और यह अस्पष्टता आज की देन न होकर लम्बे समय से चलती रही है। यह सतत प्रक्रिया है और बारम्बार प्रयत्नों के बावजूद स्थिति आज तक भी स्पष्ट नहीं हो सकी।

दूसरी समस्या यह है कि हम सदैव समुचित जानकारी के बिना रक्षा मंत्रालय पर चर्चा करते हैं। इन परेशानियों के बावजूद में आपके माध्यम से रक्षा मन्त्री महोदय को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज रक्षा मंत्रालय के सामने जो कठिनाइयां हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) इस बदले हुए विश्व के परिपेक्ष्य में हमारी सुरक्षा और रक्षा नीति क्या है ?

(2) इस परिवर्तित विश्व में हम अपनी रक्षा जरूरतों को कैसे सक्षमतापूर्वक और कम-से-कम कीमत में पूरा करते हैं ? रक्षा की जरूरतों को पूरा करने से लिए आज क्या उपादान आवश्यक हैं।

रक्षा मंत्रालय के सम्मुख तीसरा मामला है— यह मेरे लिए खुशी की बात नहीं है कि रक्षा मंत्रालय के सम्मुख प्रमुख समस्या यह है—रक्षा मंत्रालय आंतरिक परिस्थितियों से किस तरह निपटता है। यह एक अहम् सवाल है क्योंकि इसी बात पर राष्ट्र की पूरी सुरक्षा निर्भर करती है। मेरा यह मानना है कि रक्षा मंत्रालय अपने आपको इस स्थिति से अलग नहीं रख सकता। चौथा मसले का सम्बन्ध रक्षा जरूरतों के आर्थिक पक्ष से है, जो विचारणीय है, खासकर राष्ट्र के आर्थिक संकट को देखते हुए। पांचवां मसला है स्पष्टता का जिसका सामना हमें सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं—बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करना पड़ता है। देखना यह है कि हमारे क्षेत्रीय परिवेश के संदर्भ में आणविक, जैविक और रासायनिक युद्ध के बारे में रक्षा मंत्रालय के विचार क्या हैं।

महोदय, मैं संक्षिप्त रूप से इन पांचों मसलों का यहां विस्तृत परीक्षण करूंगा, जिनका उल्लेख मैंने अभी किया है। लेकिन ऐसा करने के पहले मैं एक उद्धरण यहां पेश करूंगा जो पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ द्वारा पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस कॉलेज में दिए गए वक्तव्य में से है। पिछली 6 जून को पाकिस्तान के नेशनल डिफेंस कॉलिज को सम्बोधित करते हुए उन्होने रावलपिण्डी में यह कहा था। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि रक्षा मंत्रालय इस तथ्य से अवगत है। लेकिन आश्चर्य इस बात पर हो रहा है कि एक दूसरे से किसको कितना खतरा है इस तथ्य को मूल्यांकित करते हुए हमारे रक्षा मंत्रालय और पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री ने भी एक ही भाषा का प्रयोग किया है। यह श्री मियां नवाज शरीफ का वक्तव्य है—

भारत का सैनिकीकरण, मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों और असुरक्षित परमाणु कार्यक्रमों की सैनिक संभावना के विकास से पाकिस्तान की सुरक्षा-व्यवस्था को व्यापक खतरा है। जबभारत के द्वारा कश्मीर विवाद का शांतिपूर्वक हल निकालने से इन्कार करने और अधिकृत कश्मीर में जो जन-आन्दोलन की बलपूर्वक कुचलने की कोशिश के कारण खतरे की यह संभावना और भी बढ़ गयी है। यहां एक शब्द पढ़ा नहीं जा रहा है।

आगे वह कहते हैं—

> "भारत के अधिकृत कश्मीर में इस उद्देश्य के लिए 4,00,000 सैनिकों और अर्ध-सैनिकों का जमाव खड़ा कर रखा है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर भी सैनिकों के भारी जमाव से तनाव बढ़ता जाता है। पर हम कश्मीर के लोगों को उनका हक निकालने के लिए नैतिक व राजनैतिक समर्थन देने से पीछे नहीं हटेंगे।"

इसके बाद वह संक्षिप्त रूप से परमाणु पक्ष के बारे में वक्तव्य देते हैं—

> "दक्षिण-एशिया में परमाणु अप्रसार संधि का मामला पाकिस्तान-भारत के सम्बन्धों में एक और जटिल समस्या के रूप में खड़ा है। इसलिए आवश्यक है कि इस मामले पर सही दृष्टि से विचार किया जाए।....."

तत्पश्चात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हैं। मैंने यह चर्चा करना आवश्यक समझा है क्योंकि हमारी सैनिक विचारधारा, हमारा सैनिक चिन्तन और हमारी सैनिक योजना पाकिस्तान उन्मुख है। हमारे रक्षामन्त्री ने वार्षिक रपट में चीनी गणतंत्र से सम्बन्ध सुधारने की बात कही है।

इससे पहले कि उक्त पांचों मामलों का और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करूं, एक अतिरिक्त तथ्य है जो माननीय रक्षामंत्री महोदय के विचार के लिए रख रहा हूं। विश्व का कोई भी रक्षा मंत्रालय या कोई भी सैन्य बल उस स्थिति में कार्य नहीं कर सकता है जिस स्थिति में आप अपनी सेना को डाल रहे हैं। राजस्थान सीमा को छोड़कर हमारी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है, जिसे सुरक्षित या स्थापित या फिर मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सीमा माना जाए। विश्व के किसी भी रक्षा मत्रालय या किसी भी सेना को इन स्थितियों में से उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जा सकते, जो हम अपनी सेना पर थोपते जाते हैं। ये ऐसी स्थितियों में काम करते हैं, जिनमें हमारे तमाम पड़ोसी राज्य हमारे प्रति शत्रुतापूर्ण इरादा रखते हैं। हमारी दक्षिणी सीमाएं भी अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इन परिस्थितियों में हमारे रक्षा मंत्रालय द्वारा इन पर जो जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं वे पूर्णतया असम्भव प्रतीत होती हैं। अतः यह महत्वपूर्ण है कि हमारी अवधारणाएं स्पष्ट हों कि आज हमें किन अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

इससे पहले कि मैं उन मामलों की ओर भी विवेचित करूं, जिन्हें हमने उठाया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से सहमत हूं कि इस परिवर्तित विश्व के क्या आयाम हैं और इसके क्या परिणाम हमारे सम्मुख आ सकते हैं। खाड़ी युद्ध में हमारी भूमिका को दिये गए मिथक रूप पर मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूं। कल तक हम जिन निश्चितताओं में जी रहे थे, खाड़ी युद्ध ने उन सभी को तोड़ दिया है और

खाड़ी युद्ध में ऐसे परिवर्तन देखने को मिले हैं जिनकी उम्मीद न के बराबर थी। आज इस परिवर्तन का हमारी सुरक्षा-व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा है। मैं किसी सैद्धांतिक पक्ष या सामरिक अवधारणाओं के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं तो व्यापक परिदृश्य पर विचार कर रहा हूं, जैसे, अक्तूबर में पश्चिमी एशियाई शांति सम्मेलन के लिए स्थितियां अनुकूल हो चुकी हैं। जिसके फलस्वरूप, इसराइल को अरब देशों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। जिसके कारण भारत अरब सम्बन्धों की जो निश्चित सम्भावनाएं थीं, जिसका मुख्य आधार ईराक था, वे अब समाप्त हो चली हैं। जब ये मामले अप्रासंगिक हो उठे हैं तो रक्षा मंत्रालय के लिए अपने कल के मित्र पर उम्मीद रखना बहुत ही गम्भीर गलती होगी।

आज बालकन प्रदेशों में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसे मैं युद्ध की ही संज्ञा देता हूं, उससे यूगोस्लाविया और गुट-निरपेक्ष आंदोलन में जो हमारा सहयोगी था और उसका संस्थापक सदस्य था उसका विघटन तथा मिस्र द्वारा अक्करा यह कहना कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को समूह में मिल जाना चाहिए, और अक्करा में गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के विदेशमंत्रियों की बैठक में प्रकट किए गए विचारों से हमारा रक्षा मन्त्रालय नजरअन्दाज नहीं कर सकता।

सोवियत संघ की हाल की घटनाओं का हमारे लिए व्यापक महत्व है। मुझे नहीं मालूम कि प्रीसिडट ने आज प्रातः तक क्या फैसला किया है। 15 गणतंत्रों में से 14 गणतंत्रों की आजादी के लिए राष्ट्रपति गोर्बाचेव उन्होंने जो दो-तिहाई मत मांगे थे वे उन्हें प्राप्त नहीं हो सके। लेकिन अब यह अवश्यंभावी लगता है। बहस जारी है। सोवियत संघ में स्थिति यह है कि वह बिल्डिंग जहां से लेनिन ने 1917 की क्रान्ति शुरू की जब्त कर ली गई है। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। और सोवियत संघ के रिपब्लिक स्वतंत्रता की घोषणा कर चुके हैं तो इन परिवर्तनों के फलस्वरूप अगले छह महीनों में वहां की जो भी स्थिति होगी उसका देश की सुरक्षा व्यवस्था से गहरा ताल्लुक होगा। यह केवल सुरक्षा सामग्री की दृष्टि से नहीं—इसलिए क्योंकि हम सुरक्षा सम्बन्धी अपनी 70 फीसदी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उपकरणों, कलपुर्जों की सप्लाई के लिए सोवियत संघ पर निर्भर करते हैं। कई और सवाल इनसे जुड़े हुए हैं। क्या सरकार ने स्वयं इन पर विचार है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ में चल रहे परिवर्तन के तीन पक्षों को आप लीजिए। पहला, समूह-7 के सदस्य देशों के हाल में हुए सम्मेलन में, जिसमें सोवियत संघ ने विशेष अतिथि की हैसियत से भाग लिया, यह तय किया गया कि उन हथियारों का पंजीकरण करेंगे जो वे आपस में हस्तांतरण करते हैं और सोवियत संघ भी इस प्रक्रिया को अपनाएगा। क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि इसका हमारी सुरक्षा तैयारियां और हथियारों की सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा, जब सोवियत संघ के गणतंत्र आजादी के निकट आ चुके हैं और पूरे विश्व के लिए उनके परमाणु हथियारों पर नियंत्रण चिन्ता का विषय बना हुआ है तो भारत के लिए आज से ही नहीं बल्कि पिछले दो वर्षों से यह चिन्ता का विषय रहा है क्योंकि विघटन के आसार तो नजर आ रहे थे तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। कलपुर्जों गोला बारूद आदि की 70 फीसदी सप्लाई के लिए हम सोवियत संघ पर निर्भर हैं और सोवियत संघ दुर्लभ मुद्रा की मांग कर रहा है। सोवियत संघ "संघ" के रूप में कायम रहे चाहे नहीं रहे, हथियारों का निर्माण गणतंत्रों के बीच बटे चाहे न बंटे, गणतंत्र आजाद हो चाहे न हों, वे अनिवार्य रूप से हम से पुनः सौदा करेंगे और तब यह 70 प्रतिशत सप्लाई कहां से पूरी

की जाएगी। मैं तो कहता हूं कि यह बहुत बड़ा दोष है। देश की सुरक्षा के खतरे को मद्दे नजर रखते हुए मैं इस बारे में सवाल कर रहा हूं क्योंकि 300 ए० एफ० ई० है। संभवतः टी 62 और टी 72 के बारे में जो खबरें मिली हैं इसके कारण सुरक्षा के प्रति सर्तक होना जरूरी हो गया है क्योंकि यह टैंक सऊदी अरब द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से पकड़े गए थे। पाकिस्तान को भेजे जा चुके हैं। इसी तरह के दूसरे हथियार भी पाकिस्तान को भेज दिए जाएंगे। पाकिस्तान इसी तरह हथियारों का जखीरा प्राप्त करता रहेगा। मतलब मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि खाड़ी नीति तथा सोवियत संघ के प्रति हमारी कुल नीति पर पुनः चिन्तन होना चाहिए।

अब तीसरा पक्ष भी है, जो रक्षा मंत्रालय के लिए महत्वपूर्ण रूप से विचारणीय है। पिछले 44 सालों में हम आलसी होते गए हैं। क्योंकि हम सोवियत संघ द्वारा हमारे लिए वीटों के प्रयोग के बारे में निश्चित रहे हैं। मान लिया जाए कि अगर जम्मू कश्मीर के मामले पर राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की ओर से बहस होती है तो हम सोचते हैं कि सोवियत संघ वीटो का प्रयोग कर देगा। इसने हमें आलसी बना दिया। इसकी वजह से हम विकल्प नहीं ढूंढ़ पाए। इसी की वजह से हम अपने सुरक्षा हितों के तार्किया निष्कर्षों को नहीं समझ सके। मैं रक्षामंत्री से यह पूछता हूं कि जब 'वीटो पावर' की निश्चितता खत्म हो गई हैं तो इससे तत्काल जो संभावित समस्या पैदा होगी उसका सामना भारत किस तरह करेगा? ये तो कुछेक परिणाम हैं। आज अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों रक्षा और सुरक्षा चिंतन को बदलने के लिए जिस तरह मजबूर कर रही हैं उसका पूरा विश्लेषण मैं तो प्रस्तुत नहीं कर सकता। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री महोदय के विचार-विमर्श के लिए मैं दो बातें रख रहा हूं। मैं सोचता हूं कि रक्षा बजट की हमारी स्वायत्ता और स्वतंत्रता गंभीर सीमाओं के जकड़ में है। मैं इस मुद्दे पर और आगे कुछ नहीं कहना चाहता। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एक शर्त रक्षा व्यय को कम करने की भी रखी है। यदि हम अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण किसी प्रकार की पहल नहीं कर पाते अथवा आंतरिक परिस्थितियां हमारे मार्ग में बाधक बनती हैं या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के कारण देश को किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ता है तो.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, थोड़ा समय और लूंगा। इस शर्त सीमा के कारण हमारी रक्षा बजट बनाने की स्वतंत्रता अब काफी कम हो गई है और माननीय रक्षा मंत्री को इस पहलू पर अपनी चिन्ताओं से हमें अवगत कराना चाहिए। इस आर्थिक अव्यवस्था को सुलझाने की आवश्यकता है, वैसे यह बहस आर्थिक अव्यवस्था पर नहीं हो रही है लेकिन जब तक माननीय रक्षा मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों के कारण उन पर आई कठिनाईयों से हमें अवगत नहीं कराते तब तक वह राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले हमारी आम सहमति नहीं ले सकेंगे। आम सहमति या अर्थ सरकार जो कहती है, केवल उसे मान लेना ही नहीं है। यदि सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों पर और रक्षा बजट बनाने के लिए आवश्यक सीमाओं पर हमारी आम सहमति लेनी है तो माननीय रक्षा संत्री को अपनी कठिनाइयों के बारे में हमें अवगत कराना होगा।

फिर भी, मैं कुछ अन्य विचार प्रस्तुत करता हूं और मुझे माननीय आशा है कि रक्षा मंत्री अवश्य उस पर विचार करेंगे। मेरा कहना यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय और आन्तरिक दोनों रूपों से

बदले हुए विश्व में यदि मुझे केवल सैन्य दृष्टि से किसी अन्य दृष्टि के बजाय रक्षा मंत्रालय की समस्याओं की ओर गौर करना पड़े तो भी मैं यही कहूंगा कि आज हमारी प्रतिक्रियाएं केवल प्रतिक्रियात्मक हैं। इसलिए हमारी नीति अब प्रतिक्रियात्मक नीति बन गई है। आपसे कहता हूं कि नौवां दशक देश के लिए बहुत हानि का दशक रहा है। मेरा यह विश्वास है कि नौवें दशक के आरम्भ होने तक देश ने नीतिगत अगुआई की। देश इस क्षेत्र में एक दर्जा था जहां हमारा प्रभुत्व था। नीतिगत इन संकल्पनाओं की व्याख्या करना मेरे लिए सम्भव नहीं हैं। मैं उन्हें विचारों अथवा विचारों के बीज के रूप में माननीय रक्षा मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। नौवें दशक में हम इस नीतिगत पहल को खो चुके हैं, हम क्षेत्र में मूल्य प्रभुत्व खो चुके हैं और अनुचित रूप से, हमने पूरा नौवां दशक और इसके साथ ही आणविक प्रश्न साम्मरिक पर पहल को भी हाथ से जाने दिया है।

मेरे पास इन मुद्दों को स्पष्ट करने का समय नहीं है। लेकिन मैं इन विचारों को प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा झेली जा रही कुल समस्याएं आज बढ़ रही हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि परिवर्तन होना है, यदि हमें उन पांच मुद्दों पर विचार करना है, जिनका पता लगा लिया गया है तो मैं समझता हूं कि पहला परिवर्तन हमारी विचारधारा में आना चाहिए।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रक्षा मंत्रालय को केवल एक मंत्रालय को केवल एक प्रतिक्रियात्मक मंत्रालय बन कर रख देने के पीछे क्या विचारधारा है? मंत्रालय को उस स्थिति में लाने के बारे में आपके क्या विचार हैं जब वह मात्र प्रक्रिया दर्शाने की जगह सामरिक दृष्टि से तथा कौशल से अवसरों का लाभ उठा सकते हैं? आज देश के सामने विद्यमान सामरिक पर्यावरण लाने में परिवर्तन की सम्भावनाओं के बारे में आप सोचते हैं?

मैं पूछता हूं कि इस दसवें दशक में, और जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में क्या माननीय रक्षा मंत्री मेरे इस सुझाव पर विचार करेंगे कि हमारी रक्षा नीति को युद्ध पर आधारित नीति न बनाकर आपसी सहयोग द्वारा सुरक्षा की नीति बनाया जाए? यदि अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय आन्तरिक तत्व हैं तो मैं समझता हूं कि विचारधारा में गुणात्मक परिवर्तन को आगे आना होगा। मैं विस्तृत ब्यौरा नहीं दे रहा हूं। ब्यौरा की जांच बाद में की जा सकती है। लेकिन मैं यह विश्वास करता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय, दोनों रूपों से हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हमें अपने सुरक्षा के नियमों तथा विचारधारा को युद्ध पर आधारित सुरक्षा के बजाए आपसी सहयोग पर आधारित सुरक्षा में बदलना होगा।

अत: मेरे विचार से रक्षा मंत्रालय के सामने पहला मुद्दा है, आपसी सहयोग द्वारा सुरक्षा की संकल्पना से सम्बन्धित है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इसका विस्तृत विश्लेषण करूं लेकिन इसके कुछ गुण तो स्पष्ट हैं। यह व्याप्त अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुकूल होगा। यह अवश्य ही कम लागत वाला तथा प्रभावी होगा। यह आज आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से संगत होगा मेरा कहना यह है भारत पाक सन्दर्भ में भी जहां यदि हम अपने सामरिक प्रभुत्व को फिर से कायम कर सकते तो हमारे देश के लिए सहयोग द्वारा सुरक्षा की नीति अधिक काम की होगी।

कुछ अन्य पहलू भी हैं जो अत्यधिक महत्व के हैं और यदि मेरे पास अधिक समय होता तो मैं उन पर बहस करता। यहीं पर सीमाएं लागू होती हैं। एक अन्य मुद्दा जो मेरे ध्यान में था वह

था प्रबंध रक्षा प्रबंध के बारे में मैं अपने सुझाव माननीय रक्षा मंत्री जी के सामने रखूंगा। सबसे पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि आप अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट हों। राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है ? राष्ट्र क्या प्राप्त करना चाहता है ? राष्ट्रीय लक्ष्य स्पष्ट होने के बाद ही आपके पास कोई सुरक्षा संकल्पना हो सकती है और केवल तब ही आप उससे सुरक्षा नीति तैयार कर सकते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में एक दीर्घावधि योजना बनाई जानी चाहिए। यहां मैं अपने उन मित्र से सहमत हूं जिनके पास पहले यह जिम्मेवारी थी। हालांकि वह केवल रक्षा राज्य मंत्री थे फिर भी वास्तव में वह रक्षा मंत्री थे। मैं उनके विचार से पूर्णतः सहमत हूं कि रक्षा मंत्रालय, बल्कि सरकार को एक ही स्थान से अर्थात् रक्षा मत्रालय से सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श मिलना चाहिए। एक ही स्थान को परामर्श प्राप्त करने के क्या तरीके हैं ? यहां भी मैं रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट से नाखुश हूं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद संगठन का हवाला दिया गया है। उस पैराग्राफ से ऐसा लगता है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अभी भी कार्य कर रही हो।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के गठन से मैं भी सम्बन्धित था। इसकी एकमात्र बैठक में मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि भारत में शिशु मृत्यु दर बहुत अधिक है। मैं आशा करता हूं कि इस नव जात राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थिति भी वही नहीं होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक केवल एक बार हुई थी और उसके बाद कभी नहीं हुई। मैं नहीं जानता कि रक्षा मंत्री ने इस रिपोर्ट में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हवाला देने का कष्ट क्यों किया जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक निकाय के रूप में अब भी कार्य कर रही हो। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस पूरी संस्थागत प्रक्रिया, जिससे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने के बाद सरकार को एक ही जगह से परामर्श प्राप्त होगा, का मामला अधिक महत्व बन जाता है।

महोदय, अब समय आ गया है कि रक्षा के प्रबंधन में, वित्तीय शक्तियों को विकेन्द्रीकरण किया जाये। रक्षा मंत्रालय के विशिष्ट वित्तीय सलाहकार तथा वित्त मंत्रालय के एक प्रकार के वित्तीय पर्यवेक्षक के कारण इस मंत्रालय के कामकाज के बाधित होने की यहां तथा विगत वर्षों में अत्याधिक आलोचना हुई है। यदि आप वित्तीय मामलों में अधिक विकेन्द्रीकरण की बात सोचें तो मैं कह सकता हूं कि अब समय आ गया है कि रक्षा मंत्रालय को वित्तीय मामलों में निर्णय लेने का भी विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो तीनों सेनाओं को अपने अलग-अलग बजट बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें अपने बजट का स्वयं प्रबन्ध करने देना चाहिए। इस विषय पर लम्बी बहस हो सकती। परन्तु इसे मैं बाद में केवल सुझाव के तौर पर ही रखूंगा।

मैं जानता हूं कि इस मुद्दे पर फिर से बात होगी और इस लिए मैं इसका अर्थात लड़ने वाली सेना और संभरण तन्त्र में अनुपात का संक्षेप में ही उल्लेख करूंगा। मैं समझता हूं कि यह पुरानी अवधारणा है। आज के युग में मुद्दों में लड़ने वाली सेना और संभरण तन्त्र में अनुपात जैसी कोई चीज नहीं होती। लड़ाकू सैन्य बल लड़ाकू सैन्य समर्थक बल तथा संभरण तन्त्र आज अधिक प्रासांगिक और अधिक उचित होंगे। कोई भी लड़ाकू सेना बिना किसी लड़ाकू सैन्य संचालन सहायता और संभरण तन्त्र के कार्य नहीं कर सकती। अब जब में इस बात पर चर्चा कर ही रहा हूं तो रक्षा मंत्रालय को, एक सुझाव भी दे देता हूं।

कृपया रक्षा मंत्रालय तथा भारत सरकार की समग्रता के भीतर विशेषत: रक्षा मंत्रालय के योजना तथा गैर-योजना व्यय के बीच बनावटी विभाजन को समाप्त कर दीजिए। केवल तभी रक्षा मंत्रालय का बनावटी अंकगणित पर आधारित यह बजट अधिक विवेकसम्मत हो सकेगा। महोदय, मैं अपने परम मित्र श्री अरुण सिंह से सहमत हूं कि रक्षा सामान की प्रतिपूर्ति को रक्षा मंत्रालय का अलग कार्य-व्यापार बना देना चाहिए। सिविल सेवाओं, सशस्त्र सेनाओं को अलग-अलग रखा जाना चाहिए। और रक्षा सामान की प्रतिपूर्ति से अपने दिन-प्रतिदिन के जुड़ाव को भी अलग रखा जाना चाहिए। हमें पता है कि बोफोर्स जैसे बड़े षड्यन्त्र पर भी पर्दा डालने के प्रयत्नों से वर्षों से कितनी हानि होती रही है। बोफोर्स का एक विनाशक प्रभाव यह हुआ है कि इसने रक्षा मंत्रालय की नीति-निर्माण की प्रक्रिया को खत्म कर दिया है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहनदेव): लेकिन अब तो बहुत देरी हो चुकी है।

श्री जसवंत सिंह: यह देरी का सवाल नहीं है। मैंने हमेशा यही बात कही है। **(व्यवधान)**..... आपने ऐसा नहीं कहा। लेकिन यदि आप किसी षड्यंत्र पर पर्दा डालते हैं, तब एक बार पर्दा डालने के बाद वर्षों इस पर पर्दा डाले रहते हैं। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया पंगु हो जाती है। त्रिपुरा के माननीय सदस्य, मेरे परम मित्र, मेरे साथी का इस तरह की व्यग्यपूर्ण हंसी हंसना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसके भी परिणाम निकले हैं। आप भी दोषी हैं। आप किसी भी तरह से दोषमुक्त नहीं हैं। महोदय, मैं अब रक्षा मंत्रालय को बचाव का एक सुझाव दे रहा हूं क्योंकि संभवत: रक्षा मंत्रालय विशेषत: सुरक्षा तथा हथियारों की व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने में देरी नहीं कर सकता। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि अब समय आ गया है कि रक्षा मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ अपने सामान की प्रतिपूर्ति के अलग स्कन्ध बनाये जाने पर विचार करना चाहिए।

श्री सन्तोष मोहन देव: जब हर कोई तोपों के मामले में विशेषज्ञ हो जाता तो देश में यही होता है।

श्री जसवंत सिंह: रक्षा अनुसंधान एवम् विकास के विषय में मेरी बड़ी रुचि है और मैं इस पर काफी समय तक बोलना चाहता हूं किन्तु मेरे पास समय नहीं है। इसलिए इस समय मैं इसे छोड़ रहा हूं खाड़ी युद्ध की सामरिकता से हमें क्या सीख मिली है अथवा खाड़ी युद्ध, प्रक्षेपास्त्र युद्ध, मिजाइल तथा मिजाइल अवरोधों के महत्व, वायु सैन्य शक्ति, प्रक्षेपास्त्रों के युद्ध में जासूसी के महत्व अथवा अग्रिम पूर्व चेतावनी, वायुयान बनाम लड़ाकू विमान लड़ाकू विमान अथवा एम० बी० टी० बनाम एडवांस लाईट हैलीकाप्टरों के सापेक्षिक महत्व के हमसे जुड़े प्रश्नों पर अब मैं नहीं बोलूंगा।

2.10 म०प०

(श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य पीठासीन हुईं)

यह बड़े तकनीकी तथा बड़े गहन प्रश्न हैं। मैं समझता हूं कि अनुदानों की मांगों पर बहस का समय शायद इन प्रश्नों को उठाने का उचित अवसर नहीं है। मैं इन्हें अपने तक ही सीमित रखता हूं क्योंकि यह ऐसे प्रश्न हैं। जोकि खाड़ी युद्ध के परिणामस्वरूप पैदा हुए हैं।

महोदया, एक अन्य परिणाम के बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी से इसके बारे में बात करना

आवश्यक समझता हूं। मुझे यकीन है कि सोवियत संघ के खत्म होने से, सोवियत संघ के दक्षिणी गणराज्य जोकि मुख्यतः इस्लाम धर्मी हैं, इरान अथवा इराक के प्रभाव में आ जाएंगे हमारे लिए इस पर विचार करने की आवश्यकता है और यह हमें अभी से प्रारम्भ करना चाहिए। उजेबेकिस्तान हो अथवा ताजिकिस्तान, कजाखस्तान हो अथवा तुर्कमेनिया या फिर किरजिजिया, इन सब में परिवर्तन आने वाला है। यदि हम इस परिवर्तन को भारत की सुरक्षा की केन्द्रीय ऐशियाई अवधारणा की दृष्टि से नहीं पहचानते तो हम स्वयं को शीघ्र ही भारी क्षति पहुंचाएंगे। कृपया इसे पहचानिए कि यदि यह परिवर्तन किसी गलत दिशा की ओर उन्मुख होता है तो हमारी सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा। इसलिए हमें अभी से स्वयं को इस दिशा में लगाना चाहिए।

मैंने बहुत सा समय ले लिया है। मैं केवल एक ही बात आपसे कर अपना भाषण समाप्त करूंगा। पिछली संसद में सौभाग्यवश मुझे एक समिति का अध्यक्ष बनाया गया जिसने रक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया। समिति द्वारा किए गए कार्यों की यहां उल्लेख करने की परम्परा नहीं है और इसलिए मैं इस पर विस्तार में नहीं जाऊंगा। समिति द्वारा दो विषयों की जांच की गई। उनमें से एक सैन्य स्तर मानव-शक्ति, मानवशक्ति के प्रबन्धन और नीति का प्रश्न था। सैन्य स्तर के प्रश्न पर कुछ मतिभ्रंश में आप पर छोड़ता हूं और मैं अपने विशिष्ट सुझावों पर आता हूं। जैसाकि मैंने पहले भी आपको बताया है। केवल डॉकयार्ड तथा मझगांव डॉकयार्ड दोनों एक दूसरे के समीप अवस्थित हैं। परन्तु नेवल डांकयार्ड में आप अपने कर्मियों को इतना नहीं देते जितना मझगांव डॉकयार्ड में देते हैं। मझगांव डॉकयार्ड में कर्मचारी हड़ताल भी कर सकते हैं परन्तु नेवल डॉकयार्ड में वे हड़ताल नहीं कर सकते। आप दोहरे प्रयासों से संसाधनों को व्यर्थ गवां रहे हैं।

भारतीय जल सेना में तटीय तथा अपतटीय सेना के बीच का अनुपात क्या है ? बल्कि हमें पहले अपने तटीय तथा दूर अपतटीय सेना के अनुपात की जांच करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या यह सर्वोत्तम तथा किफायती अनुपात है। मुझे बताया गया है कि भारत में प्रत्येक लड़ाकू वायुयान पर वायुसेना के लड़ाकू तथा गैर-लड़ाकू कर्मियों की संख्या 140 है। इसराइल में यह केवल 38 है। हमें 140 की क्या आवश्यकता है ? कानपुर में हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड और बेसरिपेयर डिपो दोनों हैं। क्या आपको दोनों की ही आवश्यकता है। क्या इन कठिन परिस्थितियों में किसी प्रकार उन्हें एक नहीं किया जा सकता।

मैंने देखा है कि पदोन्नति की समूची प्रक्रिया सही नहीं है। मैंने यह भी देखा है कि थलसेना, जलसेना अथवा वायुसेना में उच्चतम पदों पर पदोन्नतियां विवाद अथवा मुकदमेबाजी और यहां तक कि जन विवाद का विषय बन जाती है। मैं किन्हीं विशिष्ट मामलों अथवा विशिष्ट नामों का उल्लेख नहीं करूंगा बल्कि रक्षा मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करूंगा कि स्वयं इस प्रश्न पर विचार करें और ऐसे मुकदमों की संख्या की जांच करें जोकि हाल में सामने आये हैं। जो अधिकतर पदोन्नति के बारे में ही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ? भारतीय थलसेना ने कमान तथा कर्मचारीवृन्द को दो भागों में विभक्त कर दिया है। अत. इस जटिल प्रश्न की भी जांच करवायें, जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु में भी अंतर है। कृपया यह भी देखें कि इससे अधिकारियों के इस विशेष वर्ग के मनोबल और सेवा की शर्तों पर क्या प्रभाव पड़ा है।

महोदय, रक्षा मन्त्रालय की तरह मैं भी इस बात से चिन्तित हूं कि वायु सेना और थल सेना दोनों मे अधिकारियों की कमी है। मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं लेकिन मैं समझता हूं थल सेना में लगभग 30000 हजार से 33000 तक अधिकारियों की कमी है। कहां पर गलती हुई है, ऐसी कमी क्यों हुई, क्या हम अपनी भर्ती प्रक्रिया को दोष दें या उपयुक्त लोग नहीं आ रहे हैं ? इस बात की जांच करने की आवश्यकता है। वायु सेना की एक स्क्वेडर्न में पायलटों की अधिस्थापित पूर्ण संख्या के बजाय वहां मुश्किल से 11 से 12 पायलट होते हैं। कृपया इसकी जांच करें।

मैं अब रक्षा भूमि के सम्बन्ध में अपनी बात कहना चाहता हूं। संभवत: देश में रेल मन्त्रालय के बाद रक्षा मन्त्रालय के पास सबसे अधिक भूमि है। वस्तुत: माननीय रक्षा मन्त्री हजारों एकड़ मुल्य भूमि से सम्बद्ध हैं। एक समिति ने यह कार्य किया है। मुझे इस रक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रश्न पर रेंज के पुनर्गठन आदि मैं इस कार्य के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता अवसर मिला है तथा इस भूमि के बारे में क्या किया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि माननीय रक्षा मन्त्री से यह अनुरोध करूं कि वह स्वयं इस मुद्दे विशेष पर विचार करें क्योंकि इस रक्षा सम्बन्धी भूमि के पुनर्गठन और सुधार के बारे में आप को पता चलेगा कि आप एक सोने की खान के ऊपर बैठे हैं और यदि आप इसमें ठीक ढंग से सुधार करते हैं, इसको उचित तरीके से चलाते हैं तो आपकी कई वर्तमान आर्थिक परेशानियां अगर भले ही न हो पायें तो भी निश्चित रूप से कम जरूर हो जायेंगी।

महोदया, मैं केवल पांच सिफारिशें पेश करके अपना भाषण समाप्त करूंगा। मैंने पहले भी माननीय रक्षा मन्त्री से एक छोटे, सीमित मुद्दे का जिक्र किया था। राजस्थान के शाहगढ़ क्षेत्र में सीमा से लगे उभरे स्थान में लगभग 30 कि० मी० चौड़ी और 100 कि० मी० लम्बी पट्टी है जो कि एक अनियमित क्षेत्र है। मैंने उन्हें मानचित्र दिखाया है। वह इसके बारे में जानते हैं। सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य सुरक्षा बलों को अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के 30 से 35 कि० मी० अन्दर तैनात किया गया है। इस सीमा सुरक्षा बल की चौकी और अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के बीच अब तस्करों का राज चलता है। रेगिस्तानी इलाका होने के कारण वहां बहुत कम लोग रहते हैं। और यदि आपको लगता है कि नशीले पदार्थ और आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का कारण है तो फिर कृपया इस पहलू पर गौर करें।

अन्त में मेरा यह अनुरोध है कि पहले या तो इस एन० एस० सी० को पुन: सक्रिय करें या इसे कानूनपुस्तिका तक रख कर हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं करें। यदि इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद होनी चाहिए तो इसे बनाइए। यदि नहीं होनी चाहिए तो इसे खत्म कीजिए। परन्तु, हमें यह बताइए कि आप इससे क्या करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जबकि रक्षा मंत्रालय को इस सम्बन्ध में श्वेत पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। वैसे यह आग्रह अक्सर किया जाता रहा है लेकिन मैं इसे लापरवाही से नहीं ले रहा हूं बल्कि मैं तो इसे पूर्ण गंभीरता से कह रहा हूं। हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्रालय एक श्वेत जारी करे जिसमें सभी पहलुओं की जानकारी हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय, आन्तरिक संभार तन्त्रों आदि का क्या असर होगा, के बारे में जानकारी हो क्योंकि इन परिवर्तनों के कारण हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। महोदया, हमें इस पर एक श्वेत पत्र की आवश्यकता है।

मेरे प्रिय मित्र श्री अरुणसिंह ने रक्षा व्यय सम्बन्धी समिति के चेयरमैन के रूप में काफी अच्छी रिपोर्ट दी है। महोदया, मेरा अनुरोध है कि इस प्रतिरक्षा व्यय सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट को रक्षा मन्त्री उत्तर देते समय यदि पूरा नहीं तो कम से कम इस रिपोर्ट की आधारभूत सिफारिशें तो सभा में पेश करें। हमें इसकी जांच करनी चाहिए और श्री अरुण सिंह की अध्यक्षता में इस प्रतिरक्षा व्यय सन्बन्धी समिति ने जो सिफारिशें दी थीं हमें उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया चाहिए।

मैं तो माननीय रक्षा मंत्री से कहूंगा कि जब तक आपको कोई व्यापक राष्ट्रीय मानव शक्ति नीति नहीं होगी तब तक सामने आने वाली इन सभी समस्याओं को, जिनका हम भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन, लाभ आदि के बारे में सामना करते हैं तथा जिनकी हमने पिछले दो दिनों में चर्चा की है पूर्ण रूप से नहीं सुलझा पायेंगे। जब तक आप इस मानव शक्ति नीति पर विस्तार से अपने सुरक्षा बलों के स्तर पर गौर नहीं करेंगे तब तक यह समस्या बनी रहेगी।

महोदया, मेरी माननीय रक्षा मंत्री से अन्तिम सिफारिश यह है कि वह सभा में वे बात बतायें जो विभिन्न भूतपूर्व सैनिक संघों की भूतपूर्व सैनिकों के लाभ और उनकी हालात को सुधारने के बारे में की गयी उस लम्बित मांग के बारे में है जिसके सम्बन्ध में हम सब उनके साथ और प्रधानमंत्री के साथ सहमत हुए थे।

महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतना समय दिया।

सभापति महोदय : श्री येल्लैया नंदी, वह उपस्थित नहीं हैं। श्री कोडीकुन्नील सुरेश, वह अनुपस्थित हों, श्री श्रवण कुमार पटेल।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : आदरणीय महोदया, जहां तक इस विश्व में शान्ति और व्यवस्था कायम करने का सवाल है गांधीवादी दर्शन और गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्तों और विश्व व्यवस्था का प्रबल समर्थक होने के नाते मैं मूलतः आदर्शवादी और आशावादी हूं।

हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 20वीं शताब्दी के अन्त तक परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की कामना की थी और यह बहुत ही उत्साहवर्धक बात है कि कुछ पिछले वर्षों में प्रमुख विश्व शक्तियों ने इस विश्व को रहने लायक एक अच्छे स्थान में बदलने के वास्ते सकारात्मक प्रयास किया है।

हाल ही में सामरिक शस्त्र कम करने सम्बन्धी जो संधि (एस० टी० ए० आर० टी०) की गयी है वह इस दिशा में एक कदम है। फिर भी जब तक यह विश्व इन सामरिक शस्त्रों से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक हम कुछ शक्तियों के उन षड्यन्त्रों को अनदेखा नहीं कर सकते जो अपनी महत्वाकांक्षा, आकांक्षाओं के वास्ते विश्व शांति को खत्म करने का निरन्तर प्रयास कर रही हैं। पिछले साल ही अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इराक में एक उच्चाकांक्षी विस्तारवादी शक्ति से निपटना पड़ा था। इस दुर्भाग्य की परिणति "ऑपरेशन डेजर्ट स्टोर्म" था। जो सैनिक बल की हानि इराक ने अमरीकी नेतृत्व में हुए हमलों के तहत झेली है तथा जिसमें कुछ ही घंटों में इराक की काफी वायु

सेना को लगभग हमारे जितनी सेना को ध्वस्त कर दिया उससे हमें अपनी सैन्य आयोजना के पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सोवियत रक्षा मंत्री दिमित्री येजोव का यह वक्तव्य कि उनके देश को खाड़ी युद्ध को देखते हुए अपनी समस्त हवाई रक्षा प्रणाली की समीक्षा करनी पड़ेगी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। इराक की तरह भारत की हवाई लड़ाई और रक्षा क्षमता ज्यादातर सोवियत उपकरणों पर आधारित है।

अतः खाड़ी युद्ध से यह छवि उभरी है कि जिस देश की हवाई शक्ति श्रेष्ठ होगी उसी से युद्ध का निर्णय निश्चित होगा। इसलिए भारत को अपनी वायु भेद क्षमताओं के साथ साथ भर्ती रखरखाव और अधिक सेना रखने पर ज्यादा जोर देना चाहिए।

खाड़ी युद्ध से दूसरी शिक्षा हमें यह मिली है कि सैन्य शक्ति का सबसे अधिक उपयोग और अधिक प्रभावी उपयोग तभी हो सकता है जब सभी उपलब्ध संसाधनों का एक साथ इकट्ठे प्रयोग किया जाये। जनरल नोरनल स्वार्जकोफ ने भी सारी संयुक्त शक्तियों को नियन्त्रित किया था।

भारतीय सैन्य बल किस तरह से संचालित होते हैं इसके सम्बन्ध में स्वर्गीय एयर चीफ मार्शल पी० सी० लाल अनुस्मरणों को रिपोर्ट में अच्छी तरह दर्शाया गया है, जिसमें वह स्पष्ट रूप से समन्वित आयोजना की कमी के बारे में लिखते हैं। भारत एक बड़ा देश है जिसकी बहुत लम्बी सीमा है और बहुत बड़ा समुद्री तट है अतः हम अपनी रक्षा तैयारियों के सम्बन्ध में जिस पर हमारी स्वतन्त्रता निर्भर करती है लापरवाही सहन नहीं कर सकते हैं। अतः रक्षा व्यय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह बात ठीक ही कही गयी है कि किसी भी विदेशी खतरे किसी भी कीमत पर प्रारम्भ में ही निपटना चाहिए।

कई सामान्य कारणों के अलावा, खाड़ी युद्ध तथा हमारे भुगतान सन्तुलन खत्म होने, विदेश में हमारी अर्थव्यवस्था पर विश्वास में कमी होने तथा रुपये का निरन्तर अवमूल्यन होने आदि के कारण वर्तमान बजट बहुत अधिक आर्थिक दबाव में आकर बनाया गया।

इन अभूतपूर्व आर्थिक संकट की वजह से रक्षा बजट के वास्ते पिछले वर्ष के 15750 करोड़ के व्यय की तुलना में केवल 16350 करोड़ रुपये रखे गये।

वस्तुतः पिछले वर्षों के आवंटनों की तुलना में यह धनराशि एक प्रकार से कम लग सकती है अब चूंकि रक्षा के सही स्तर को बनाये रखने के लिए अर्थव्यवस्था की सही विकास दर को कायम रखना निहायत जरूरी है अतः एंजेल्स ने कहा है कि "सही मायने में आर्थिक स्थितियों पर ज्यादा चीजें निर्भर नहीं करती हैं जितनी कि थलसेना और नौसेना पर निर्भर करती हैं। प्रत्येक वर्ष बजट सत्र के दौरान हमारे रक्षा आवंटनों की उपयुक्तता और पर्याप्तता पर विचार अवश्य प्रकट किए जाते हैं। निसन्देह ज्यादा उस मानदण्ड पर निर्भर करता है जिसका उपयोग विदेशी खतरे का अंकलन करने में किया जाता है।

एक ब्रिटिश जनरल के मुताबिक कोई भी देश या गठबन्धन तब तक स्वयं को पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं समझ सकता है जब तक कि उसके पास उसके जितनी विरोधी सैन्य क्षमता उपलब्ध न

हो। यदि इसे भारत की भू-राजनैतिक स्थिति के संदर्भ में देखा जाये तो इसका तात्पर्य यह है कि हम तब तक स्वयं को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारी सम्पूर्ण सैन्य क्षमता हमारे सम्भावित विरोधी पाकिस्तान और चीन की चाहे मिली-जुली क्षमता के बराबर भले ही न हो तो कम से कम एक तो समान हो। फिर भी यह बात वस्तुतः प्रांसगिक है कि समर्थता के आंकलन के वास्ते मुख्य रूप से मापदंड मानव विकास को देखते हुए होना चाहिए। मैं यहां एक बात उधृत करता हूं कि "किसी राष्ट्र की सैन्य व्यय तब तक सामर्थता के अन्तर्गत नहीं माना जा सकता है जब तक कि स्वास्थय, शिक्षा और लोगों के कल्याण का कतिपय न्यूनतम मानक प्राप्त न कर लिया जाये।" इन मानदंडों को देखते हुए वर्तमान आवंटन पर्याप्त ही लगते हैं।

वर्तमान संदर्भ में स्थिति पर गौर करते हुए हम देखते हैं कि पाकिस्तान निरंतर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने औरे संवारने का प्रयास कर रहा है। चीन से एम-11 प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करने के अतिरिक्त यह चीन से कम से कम 40 एफ-7 लड़ाकू विमान भी प्राप्त कर रहा है और अमरीका से 60 एफ-16 विमानों की दूसरी पैकेज प्राप्त करने की कोशिश में लगा है। इस संदर्भ में हमारे वैज्ञानिक और तकनीकीविद् बधाई के पात्र है जिन्होंने पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश और नाग प्रक्षेपास्त्रों का सफल परीक्षण किया है। एक खराब खबर यह है कि लगभग 30 टैंक जोकि पीछे हटती इराकी सेना से जब्त किये गये थे वे पाकिस्तान ले जाये जा रहे हैं। भारत सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

ग्लासनोस्त और प्रोस्त्रोयका के बाद अमरीका और सोवियत संघ में काफी सहयोग बढ़ा है। पूर्वी यूरोपीय देशों में मूलभूत राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। इन आकस्मिक परिवर्तनों की वजह से वारसा सन्धि की सैन्य भूमिका समाप्त हो गयी है। रूस में हुए हाल के परिवर्तनों से विश्व की परमाणु शस्त्रों संबंधी अप्रसार नीति का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा बशर्ते कि उनकी परमाणु पनडुब्बियां गलत हाथों में न पड़े। यहां तक की यूरोप में पारंपरिक हथियार और सैन्य बलों का काफी कम कर दिया जायेगा।

फ्रांस और चीन के द्वारा हाल में जो परमाणु अप्रसार कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये गये हैं उसका भारत की अनुसरण करना चाहिए बशर्ते कि पाकिस्तान परमाणु हथियार बनाने संबंधी अपने सभी हथकन्डे और प्रयास त्याग दे। मैं आशा करता हूं कि महाशक्तियां दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने में मुख्य भूमिका अदा कर सकती है। शायद जनरल रोडरिज के अमरीका के हाल के दौरे से इस पहलू पर कुछ रोशनी पड़े।

मैं माननीय सदस्य श्री जसवन्त सिंह के विचारों से सहमत हूं। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे समस्त क्षेत्र की सुरक्षा माहौल प्रभावित हुआ है। आतंकवाद, धार्मिक उग्रवाद और जातीयवाद के कारण अलगाववाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला और कई मामलों में तो इसे भारत में अपने पड़ोसी देशों से सहायता मिली है जोकि बहुत खेदजनक बात है।

हमारे पड़ोसी देश में नशीली दवाओं का चोरी छिपे लाया ले जाना काफी बढ़ा है और इसका सम्बंध आतंकवाद से होने से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर समस्यें पैदा हो गयी हैं।

राजनैतिक, सैन्य, आर्थिक क्षेत्र और हमारी घरेलू स्थिति के सन्दर्भ में उभरती बाहरी स्थिति

को ध्यान में रखते हुए शायद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना आने वाले समय में मुख्य भूमिका निभा सकती है।

भारत में आयुद्ध कारखानों का तकनीकी दृष्टि से स्तर बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। आधुनिकीकरण की प्रतिमा जल्द से जल्द आरम्भ की जानी चाहिए। सोवियत संघ से कल पुर्जों की आपूर्ति की संभावनाओं को देखते हुए तथा भूतपूर्व पूर्वी यूरोप के देशों के गुट द्वारा दुर्लभ मुद्रा पर आधारित व्यापार तक ही अपने आपको सीमित करने के कारण अब हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि हम सोवियत गुट के देशों से प्राप्त उपकरणों की मरम्मत के लिए एक त्वारित पुनर्विन्यास कार्यक्रम आरम्भ करें ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके। यही कारखाने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं जब कि दूसरे देश भी भारत के समक्ष प्रस्तुत समस्याओं जैसा ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं, परन्तु उनके पास अपनी रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं है सोवियत संघ मेंव र्तमान घटनाक्रम को देखते हुए यह और भी अधिक आवश्यक हो गया है।

आधुनिकीकरण की योजना को क्रियान्वित करने का निर्णय करते समय जबलपुर रक्षा उत्पादन कारखानों को सबसे पहले अपने ध्यान में रखना होगा ताकि उनमें कार्य करने वाले 40,000 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सके।

'जेन' के रक्षा साप्ताहिक के 24 अगस्त, 1991 के अंक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हाल ही में भारत यात्रा पर आए सोवियत वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि भारत के हमारे कारखानों में उपलब्ध सामग्री से ही प्रक्षेपास्त्र प्रणाली जीर्णोद्धार किया जा सकता है

अन्त में, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत क्योंकि एक प्रायद्वीप है, इसलिए इसके साथ एक विस्तृत समुद्री तट लगता है जिसमें एक बृहद आर्थिक क्षेत्र है। समुन्द्रीय तथा पोत निर्माण हम इस क्षेत्र में विद्यमान समप्रदा का दोहन नहीं कर पा रहे हैं हालांकि देश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए इस सम्पदा का दोहन करना आवश्यक है। उद्योग एवं ऐसा क्षेत्र है जिसमें किए गए रक्षा सम्बन्धी प्रयत्नों से आर्थिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से तेजी से सुधार होगा। अनुसंधान तथा विकास विभाग के इस सम्बन्ध में एक कार्य योजना तैयार करने के लिए समुचित रूप से आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं।

इसके साथ मैं अनुदान सम्बन्धी मागों का समर्थन करता हूं।

2.31 म. प.

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर), महोदय, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किये जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सामान्य मुद्दों पर चर्चा से पहले मैं भूतपूर्व सैनिकों की पैंशन का मामला उठाना चाहता हूं। इस मुद्दे ने भूतपूर्व सैनिकों को काफी समय से उद्वेलित कर रखा है। हाल ही में विपक्ष के नेता गण प्रधानमंत्री महोदय के निमन्त्रण पर उनसे मिले थे तथा रक्षा मंत्री महोदय भी वहां पर उपस्थित थे। वहां सदन में विशिष्ट रूप से मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं।

भूतपूर्व सैनिक काफी समय से 'एक रैंक, एक पैंशन' योजना लागू करने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। साधारणतया यह तर्क दिया जाता है कि भूतपूर्व सैनिकों तथा दूसरे असैनिक एवं सरकारी कर्मचारियों के बीच तर्कसंगत अन्तर करना संभव नहीं है। इस सम्बन्ध में मैंने अपनी सरकार के समय में महान्यायवादी श्री सोली सोराब जी से परामर्श किया था तथा उन्होंने बताया था कि इन दोनों वर्गों में व्यवहारिक अन्तर किया जा सकता है। एक सैनिक का सेवाकाल एक सामान्य सरकारी कर्मचारी से काफी कम होता है। वास्तव में सेवा के एक जवान का सेवाकाल 17 अथवा 18 वर्ष होता है, जो कि बहुत कम है। इसलिए सेवा काल की अवधि काफी कम रह जाती है जबकि इस सेवा में जोखिम अधिक रहता है। वास्तव में अन्तिम खतरा व्यक्ति उसी समय मोल ले लेता है जब वह थल सेना, नौ सेना अथवा वायु सेना में सम्मिलित होता इसके साथ-साथ आपको यह भी देखना होगा कि रक्षा सेवाओं में लोग कितने लम्बे समय तक अपने परिवारों से अलग रहते हैं। इस-लिए इस सेवा में मुश्किलें अन्य सरकारी सेवाओं की अपेक्षा बहुत अधिक हैं।

इसके साथ-साथ संविधान में भी यह कहा गया है कि राष्ट्रपति सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक हैं यह एक बहुत ही विशेष प्रावधान है। यह विशेष प्रावधान ही इन सेवाओं को दूसरी सेवाओं से भिन्न साबित करने के लिए काफी है।

मैं माननीय मंत्री जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने अथवा कोई और ऐसा प्रावधान करने की आवश्यकता है जिससे भूतपूर्व सैनिकों के हितों की रक्षा की जा सके, तो इसके लिए हम सरकार से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं तथा सरकार इस सम्बन्ध में कानून बना सकती है जिससे इस वर्ग के एक अलग वर्गीकरण के संबंध में कोई शंका न हो।

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अक्तूबर, 1990 में भूतपूर्व सैनिकों को पैंशन का लाभ देने का निर्णय लिया था। सी. सी. पी. ने सिपाही से ले कर सूबेदार मेजर तक के पद के सैनिकों को लाभ देने का निर्णय लिया था। सरकार यह लाभ बाकी सभी अधिकारियों को भी देना चाहती थी। हमने सिपाही से ले कर सूबेदार तक के रैंक के व्यक्ति को लाभ देने का निर्णय रोके रखा, जो कि भूतपूर्व सैनिकों का 90 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है, क्योंकि अन्य अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिए बगैर हम इसे घोषित नहीं करना चाहते थे। हमने उस सम्बन्ध में घोषणा करने का निर्णय लिया जिसके संबंध में हम पहले ही सभी औपचारिकतायें पूरी कर चुके थे तथा सी. सी. पी. के निर्णय के पश्चात सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में घोषणा की गई। फिर अधिकारियों को एक मुश्त लाभ देने पर भी विचार चल रहा था। एक प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से सरकार की इस वचनबद्धता को भी स्पष्ट किया गया था कि जब भी अधिकारियों को एक मुश्त लाभ प्रदान करने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा उसे उसी तिथि से लागू किया जायेगा जिससे दूसरे रैंकों के अधिकारियों को ये लाभ प्रदान किये जायेंगे। मैं माननीय रक्षा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें सदन में यह स्पष्ट रूप से आश्वासन देना चाहिए कि इस सम्बन्ध में उनके जो भी प्रस्ताव हों, वे किसी भी प्रकार भूतपूर्व सैनिकों को जाने वाले उन लोगों से कम नहीं होने चाहिए, जोकि राष्ट्रीय

मोर्चा सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित किए गए थे। यह तो कम से कम है सच तो यह है कि मैं यह आशा करता हूं कि आप को उन्हें इससे भी कुछ अधिक प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। जब सभी दोषों पर विचार हो रहा है तो मुझे एक ओर दोष की ओर संकेत दिलाने में खुशी होगी तथा मैं चाहूंगा कि उसमें सुधार किया जाये यहां पर हममें यह भी तय हुआ है कि यह वर्तमान सरकार की इच्छा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित किए गए लाभों को वर्तमान सरकार कम नहीं करेगी।

मैं संसद में स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि जनहित के मामलों में गोपनीयता का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि हमारा सभी का इस मामले से सरोकार है जिससे कि भूतपूर्व सैनिक तथा हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री महोदय की उपस्थिति में जो बैठक प्रधान मंत्री महोदय के साथ हुई थी, उससे हमने यह समझा था तथा हमें स्पष्ट रूप से यह आश्वासन भी दिया गया था कि भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त होने वाले लाभ उन लोगों से कम नहीं किए जाएंगे, जो कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार उन्हें देने के लिए तैयार हो गयी थी। यहां पर भी हमें यह आश्वासन दिया गया था कि रक्षा मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सदन में वक्तव्य देंगे। मैं आशा करता हूं कि सभा में वह वक्तव्य तथा स्पष्टीकरण दिया जायेगा। मैं जनता दल की ओर से यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब तक सरकार द्वारा यह स्पष्टीकरण बहुत स्पष्ट ढंग से नहीं दिया जाता कि भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले लाभ पहले निर्धारित लाभों से कम नहीं होंगे, तब तक जनता दल के लिए किसी ऐसी अन्य समिति अथवा प्रस्ताव में भागीदार बनना सम्भव नहीं होगा क्योंकि हम सरकार से कम से कम इतने आश्वासन की आशा अवश्य करते हैं? सरकारें बदलती रहती हैं। परन्तु सदन में दिए गए आश्वासन का कहीं अधिक महत्व होता है। हम तो यही समझते हैं। अगर मेरे कथन तथा माननीय मंत्री जी की विचारधारा में कोई अन्तर है, तो उसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। परन्तु आज सदन में हमारी यही मांग है। रक्षा मंत्री महोदय को अभी इस आशय की घोषणा करनी चाहिये कि ये लाभ पूर्व निर्धारित लाभों से कम नहीं होंगे।

अब आम बहस की ओर आते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि रक्षा मंत्रालय के बजट प्रावधानों में चार प्रतिशत की साधारण वृद्धि की गई है परन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा स्फीति की स्थिति तथा अवमूल्यन को देखा जाये तो वास्तव में रक्षा बजट में कमी ही हुई है। हम जानते हैं कि हम आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं तथा एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। परन्तु वास्तविक रूप में की गयी कमी के महत्त्व को पूरी तरह समझा जाना चाहिए। विभिन्न बातों पर चर्चा करते हुए मैं इस पर विस्तार से बोलूंगा।

यहां यह आवश्यक है कि रक्षा तथा सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के मामलों में एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाये। तथा इस संबंध में हमें केवल वित्तीय दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण, विदेश नीति, आर्थिक स्थिति, देश में क्रियाशील कुछ सामाजिक शक्तियां, देश के किसी भी हिस्से में पनप रही अलगाववाद की भावना, नशीली दवाईयां तथा उनका आतंकवाद से सम्बन्ध तथा देश में चल रहे प्रच्छन्न कार्यकलापों के कारण सुरक्षा अब केवल रक्षा मंत्रालय का उत्तरदायित्व नहीं रह गया है। अब हमारे सामने बी० सी० सी० आई० का मामला आया है। इसलिए देश की रक्षा तथा सुरक्षा का मामला अब केवल एक मंत्रालय का उत्तरदायित्व नहीं रह गया है। इसलिए, यह आव-

श्यक है कि समस्या के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा स्वीकृत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अवधारणा को, जैसा कि श्री जसवंतसिंह जी ने अभी-अभी कहा है, कार्यान्वित किया जाए। जिस प्रकार सरकार चलाई जाती है, मंत्रियों में परिवर्तन होता रहता है, प्रधान मंत्री बदलते हैं, तथा दो या ढाई वर्ष का कार्यकाल होने के कारण सेनाध्यक्ष बदलते रहते हैं, उसके कारण यह और भी आवश्यक हो गया है। इसलिए आज अनुभवी व्यक्तियों, तथा 'निरन्तरता' का अभाव है और व्यक्तियों परिवर्तन के साथ नीति में परिवर्तन नहीं किये जा सकते इसी का सामना आज हम इस कर रहे हैं तथा नीतियां अर्थहीन हो कर रह गई हैं। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का होना और भी अनिवार्य हो गया है। यह सोचा गया था कि यह मंत्रिमण्डल से ऊपर नहीं होगी। मंत्रिमण्डल द्वारा यह निर्णय किया गया था कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् तथा एक ऐसी योजना नीति समिति गठित की जायेगी जिसमें सेनाध्यक्षों को सम्मिलित किया जायेगा तथा इसका एक स्थायी सचिवालय होगा जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् तथा आयोजना नीति समिति को आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवायेगा।

इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् को सक्रिय किया जायेगा क्योंकि देश की सुरक्षा के प्रमख विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए यह आवश्यक है।

इसके साथ-साथ यह आवश्यक हैं कि खतरे की स्थिति का जायजा दीर्घावधि आधार पर होना चाहिए। सरकार में निरन्तर परिवर्तन की स्थिति को देखते हुए मेरा विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति का सरोकार तात्कालिकता तथा उसके कार्यकाल के दौरान हो सकने वाली सम्भावित स्थितियों से अधिक रहता है। इसलिए, हमारी रक्षा योजना की अवधि कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए क्योंकि हमारी वर्तमान शास्त्र प्रणाली का कार्य जीवन इतना हीं है तथा इस अवधि के दौरान हम न केवल रक्षा सम्बन्धी विभिन्न खतरों का अध्ययन कर सकते हैं बल्कि अपने उद्देश्यों को भी निर्धारित कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं? निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करना चाहते हैं। हम इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए यह प्रश्न केवल सुरक्षा-खतरों का सामना करने का नहीं है बल्कि सकारात्मक पहल करने का भी होना चाहिए। इसलिए इसके प्रति एक सम्पूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसमें केवल रक्षा मंत्रालय नहीं बल्कि सभी मन्त्रालयों को मम्मिलित करना होगा तथा इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की अवधारणा का सूत्रपात किया गया। इसे प्रधान मंत्री महोदय के अधीन होना चाहिए जो कि बाकी मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित करके यथार्थपरक निर्णय ले सकते हैं।

अब सुरक्षा के साथ-साथ हमें निचले स्तर पर हो रही उपद्रव की गतिविधियों पर भी नजर रखनी है। ऐसी उपद्रव की गतिविधियों का सामना हम पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में कर रहे हैं। मेरे विचार में इससे अकेले रक्षा मन्त्रालय नहीं निपट सकता तथा इसके साथ-साथ इसमें गृह मंत्रालय, अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा राजनैतिक नेताओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसलिए वास्तविक खतरे का सामना संयुक्त रूप से ही किया जा सकता है। उपद्रव की गतिविधियां भी एक ऐसा खतराहै। जिसका सामना हमने युद्ध अथवा संघर्षों के दौरान पहले नहीं

किया तथा यह गतिविधियां देश के भीतर चलती हैं। मेरे विचार से इस स्थिति का विश्लेषण किया जाना चाहिए। तथा यह विचार किया जाना चाहिये कि हम इस आकस्मिक स्थिति का सामना किस प्रकार कर सकते हैं।

अब यह आवश्यक हो गया कि इन्हें दीर्घकालीन योजनाओं के अन्तर्गत सिलसिलेवार कार्यान्वित किया जाए और इसके लिए समाधान ढूंढा जाए।

इसके साथ-साथ खतरे के परिप्रेक्ष्य में अस्त्र खरीदारी सम्बन्धी नीति किया जाना जरूरी है। हमारी अस्त्र अधिग्रहण नीति खतरे को स्वरूप और उसके प्रति हमारी प्रतिक्रिया के अनुसार तय नहीं की गई है आज क्या हो रहा है? बजट में विशेष धनराशि नियत कर दी गई तथा थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के प्रमुख को एक निश्चित अनुपात में धन आवंटित किया जाता रहा है। इस प्रकार से धन बांटा गया है। लेकिन कोई राय जानने की कोशिश की गयी है। इसका अधिकतम उपयोग क्या होगा? इसी धन से टैंक खरीदे जा सकते हैं। इससे वायुयान भी खरीदे जा सकते हैं, इसीसे प्रक्षेपास्त्र भी खरीदे जा सकते हैं। लेकिन खतरे के इस वातावरण में ऐसी खरीददारी में परस्पर तालमेल कैसे बन सकते हैं? क्या हमें और वायुयान खरीदने चाहिएं अथवा विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र अथवा टैंक खरीदना आवश्यक है? सबसे बेहतर समायोजन कौन सा होगा? इसके बारे में कभी भी विचार नहीं किया गया है। अतः समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि खाड़ी युद्ध के दौरान हमने देखा कि तीनों सेनाएं मिल कर युद्ध में भाग लेती हैं। आजकल टेक्नॉलाजी के साधनों से युद्ध किया जाता है। अतः इसी प्रकार यंत्रवत चलते रहने से कुछ नहीं होगा। हमें नई वास्तविकताओं को ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमने सीमापार प्रौद्योगिकीय उन्नति देखी है। हम उसका सामना कैसे करें? वर्तमान बजट केवल सही चिंता का विषय है।

यह कटौती अनुसंधान और विकास में की गई है। अनुसंधान और विकास में कटौती से अभिप्राय है 10% से 15% तक कटौती। आइए हम देखें कि वास्तव में इस बजट का क्या अभिप्राय है। सोवियत संघ हमारे विश्वसनीय मित्रों में से एक है। आज भी यह मित्रता उतनी ही सुदृढ़ है जितनी पहले थी और हमें इसे और प्रगाढ़ करना चाहिए। लेकिन वहां परिस्थितियां बदल रहीं हैं। इसके अनेक कारण हैं। वे सभी भारत के साथ हैं। लेकिन वहां जो आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं और जो कुछ वहां बार-बार हो रहा है उसके कारण अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हमें अतिरिक्त सामान आदि की आपूर्ति पहले के समान होती रहेगी। एक पक्ष तो यह है और इसका दूसरा पक्ष है हमारी भुगतान संतुलन की समस्या और पश्चिमी देशों से इसकी आपूर्ति, क्योंकि अस्त्र पूर्ति के संबंध में राजनीतिक मुद्दों पर भी विचार किया जाता है। इसका विकल्प क्या है? इन मामलों में आत्म निर्भरता और अपने अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम को मजबूत बनाने के अलावा इसका कोई विकल्प नहीं है, और इसी में कटौती की गई है। मेरे विचार से यह खतरनाक बात है और इसे रोका जाना चाहिए। अर्जुन टैंक अथवा हल्के लड़ाकू विमान लाइट काम्बेट एयरक्राफ्ट के निर्माण में किसी प्रकार का विलम्ब करने से बाद में ये अधिक महंगे पड़ेंगे और हमें जो कुछ बचत करनी है वह इसी चरण पर करनी चाहिए।

रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एककों में इन कटौतियों से क्या असर हो रहा है?

सरकारी क्षेत्र में काफी रकम का निवेश किया गया है। हालांकि इनमें धन का निवेश किया गया है और आत्म निर्भरता के लिए हमें इन एककों की आवश्यकता है फिर भी इनको माल खरीदने के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अतः इन सरकारी क्षेत्र के एककों के पास कोई क्रयादेश नहीं है। गैर-सरकारी क्षेत्र उनके उत्पाद नहीं खरीद सकते, तो वे क्या करें? ऐसी अवस्था में समन्वय कैसे हो ? मेरे विचार से जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र में एकक में निवेश करती है तो सरकार को चाहिए कि उन एककों से सामान खरीदने के लिए दीर्घावधि ठेका करे ताकि रक्षा से संबंधित सरकारी क्षेत्र के एककों को घाटा न हो और वे निरर्थक विरुद्ध न हों। इसके साथ-साथ अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और रक्षा-संबंधी अनुसंधानों आदि के लाभ अर्थव्यवस्था को मिलने चाहिए। अतः अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा काफी योगदान सम्भव है।

अब हमें पाकिस्तान की सुस्पष्ट आणविक क्षमता को भी ध्यान में रखना चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि हम उसका हमें कैसे सामना करना है। मेरे विचार से हमें इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए कि संयुक्त राज्य अमरीका का प्रशासन भी प्रेसलर कानून के अंतर्गत यह प्रमाण पत्र नहीं दे रहा है कि पाकिस्तान के पास आणविक क्षमता अथवा हथियार नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान को अमरीका ने सहायता धनराशि भी नही दी है। मेरे विचार से हमें इस तथ्य को नजर-अंदाज नहीं कर सकते हैं। यह हम साफ तौर से कहें कि पाकिस्तान के पास आणविक क्षमता है तो बेहतर होगा इसको नजरअंदाज करने या इस मामले पर अपना कोई रुख न अपनाने से हमें कुछ लाभ नहीं होगा। अब इस बात को संयुक्त राज्य अमरीका ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान के पास आणविक शक्ति है और यदि ऐसा नहीं होता तो वह निश्चित तौर पर इसे प्रमाण-पत्र दे सकता था।

हमारा इसके प्रति क्या रवैया है? हम इस बात को भूले हुए हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार इस बारे में क्या करेगी, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें आणविक दौड़ में शामिल होना चाहिए। सबसे पहले मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन इस तथ्य तथा वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और उस आधार पर पाकिस्तान से स्पष्ट रूप में बातचीत करना ठीक रहेगा, इसकी लीपा-पोती करना और यह दर्शाना कि कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक नहीं होगा।

एक बार जब इस वास्तविकता को समझ लिया जाएगा तब सामरिक स्थिति में आधारभूत परिवर्तन आना बिल्कुल स्पष्ट है। परंपरागत हथियारों और युद्ध के तरीकों का कोई महत्व नहीं है। हम स्थिति का कैसे सामना कर सकते हैं? मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बात का आश्वासन दे सकते हैं कि देश इस प्रकार की स्थिति में उनसे कमजोर नहीं होगा। साथ ही हमें आपसी विश्वास बनाने के लिए बातचीत करनी चाहिए। इसका क्या फायदा होगा? जब एक बार इस दृष्टि से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि हम आणविक दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते तब आपसी विश्वास बनाने के लिए बातचीत करने की आवश्यकता होगी। चूंकि दोनों पक्षों की आर्थिक मजबूरियां बहुत ज्यादा होंगी अतः मेरे विचार से हमारी विदेश नीति अधिक यथार्थवादी होनी चाहिए और इसके लिए पहले आपसी विश्वास सुदृढ़ किया जाए और फिर हथियारों में कमी

लाने के लिए उपाय किए जाएं। जैसाकि सभी जानते हैं कि आणविक युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती है। यह युद्ध उचित भी नहीं है। यह तर्क हमें वास्तविकता के करीब लाएगा और हम इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर लें कि पाकिस्तान के पास आणविक क्षमता है तो उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव डाले जाएंगे; इससे पाकिस्तान को कोई आड़ नहीं मिल पाएगी और उसे इस रास्ते पर आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा।

जो लोग आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत पर दबाव डालते हैं, मैं उन लोगों से यह पूछना चाहता हूं, कि आणविक अप्रसार संधि क्या है? आप हम पर दबाव क्यों डाल रहे हैं? मेरे विचार से इससे अधिक स्वस्थ और यथार्थपूरक बहस हो सकेगी। मेरे विचार से दोनों देशों के बीच आणविक प्रतिस्पर्धा करना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए बल्कि दोनों देशों के बीच यह समझौता होना चाहिए कि वे एक दूसरे वे विरुद्ध आणविक क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे और आणविक हथियारों द्वारा एक दूसरे पर पहले आक्रमण नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर पहले वार्ता हुई थी जिसमें दोनों देशों ने एक-दूसरे से यही कहा था कि वे अपने आणविक हथियारों से आक्रमण नहीं करें। मैं नहीं जानता कि इस बारे में कितनी प्रगति हुई है और क्या पाकिस्तान को इसके बारे में कोई ब्यौरा दिया है। मेरे विचार से उस ओर दबाव रहना चाहिए। तभी हम दोनों मिलकर उन देशों पर दबाव डाल सकते हैं जिनके पास आणविक क्षमता है और जिनके हथियार इस उप-महाद्वीप में आक्रमण कर सकते हैं। और तब हम एक दूसरे के विरुद्ध आणविक शक्ति का उपयोग न करने पर बातचीत कर सकते हैं।

ऐसी स्थिति में हमें और अधिक व्यवहारिक समाधान ढूंढने होंगे और हमारे लिए यह अच्छा होगा कि हम अपने संबंध सुधारें और उस दिशा में हमें प्रयास करने चाहिएं तथा इस बारे में कुछ वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। मेरे विचार से सुरक्षा और बेहतर बनाने के लिए चीन के साथ सम्बन्ध सुधारना अति महत्त्वपूर्ण है, हमने उसके लिए जो प्रयास शुरू किए हैं वह जारी रखने चाहिएं और यह अच्छी बात है कि भारत और चीन ने सीमा पर अपनी सेनाएं पीछे हटाने के बारे में सहमति व्यक्त की है, क्योंकि यदि दोनों ओर से क्षेत्र पर अधिकार करने का कोई विचार नहीं रहेगा तब चीन-भारत सीमा पर बड़ी संख्या में सेनाएं लगाने का कोई मतलब नहीं है। दोनों ओर से जो शुरुआत की गई है उसे जारी रखना चाहिए। एक बार चीन से संबंधों में सुधार हो जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से परिस्थिति में काफी परिवर्तन हो जाएगा। अतः चीन के साथ हमारे संबंधों में सुधार को हमारी विदेश नीति की कार्यसूची में सर्वोपरि रखना चाहिए।

सोवियत संघ के साथ हमारे जो संबंध हैं उन्हें मजबूत किया जाना चाहिए। इन पर उस समय निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। जब पाकिस्तान को 11 प्रक्षेपास्त्र दिए गए तथा अब पाकिस्तान से साथ मिलकर अस्त्र-निर्माण करने की बात हो रही है। मेरे विचार से हमें अपनी सद्भावना तथा कूटनीति का उपयोग करना चाहिए और इसे रद्द करने का प्रयास करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस दृष्टि से कोई ठोस कार्य की प्रगति न हो सके।

मेरे विचार से लंबे समय से हमारी यह समस्या रही है कि संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को हथियार देता रहा है जो कि एक गंभीर समस्या है। हमने यह देखा है कि जम्मू और कश्मीर की

समस्या के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका ने अपनी स्थिति बदली है और वे अब द्विपक्षीय वार्ता की बात कर रहे हैं। अतः द्विपक्षीय समाधान ढूंढा जाना चाहिए।

संयुक्त राज्य अमरीका ने नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगाने में जो रुचि दिखाई है हमें भी उसमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि नशीले पदार्थों से प्राप्त धन का उपयोग हमारे विरुद्ध हो रहा है। यह गठबंधन हमारी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है अतः संयुक्त राज्य अमरीका के नशीले पदार्थों के उपयोग को रोकने के प्रयासों को ध्यान से देखना चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमरीका इसमें रुचि ले रहा है तब हमें उनका ध्यान आतंकवाद की ओर भी आकर्षित करना चाहिए।

मेरे ख्याल से हमें इन मुद्दों की ओर ध्यान देना चाहिए। इस नई स्थिति में सोवियत संघ के साथ मिलकर उत्पादन करना अधिक बेहतर होगा कि एक तरफा आपूर्ति करना उचित होगा। यह अधिक लाभकारी होगा और शायद सोवियत संघ भी इसके लिए तैयार होगा। मेरे विचार से हमें एक तरफ सोवियत संघ और चीन के साथ संबंध सुधारने चाहिए तथा दूसरी ओर चीन और सोवियत संघ को आपसी संबंध सुधारने चाहिए। हमारी भावी सुरक्षा नीति का यह आधार हो सकता है। जब मैं 'सुरक्षा' कहता हूं तो मेरा अर्थ किसी गुट आदि के साथ औपचारिक व्यवस्था से नहीं है। लेकिन इन तीनों के बीच संबंधों में सुधार होने में इस क्षेत्र में स्थापित और स्थिरता लाने में मदद मिलेगी हमारा उद्देश्य भीयही होना चाहिए।

द्विपक्षीय विश्व की संकल्पना समाप्त होने के बाद से हम देख रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका एक शक्ति के रूप में सामने आया है और अपनी धन-शक्ति, अस्त्र शक्ति का उपयोग करके अपनी इच्छा दूसरों पर लादने का प्रयास कर रहा हैं। हमें इस बात का भी डर है। लेकिन अभी भी जैसा मैं देख रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमरीका और जापान के बीच तीव्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा है। आर्थिक समस्याएं रहेंगी ही और मैं नहीं समझता कि निकट भविष्य में यह समाप्त होंगी।

3.00 म० प०

यह तनाव जारी रहेंगे तथा हमें इनसे जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं जो हमारे लिए लाभदायक है। हमें उनका लाभ उठाना चाहिए।

मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने यह निर्णय लिया था कि राष्ट्रीय राइफल्स के 75% कार्मिक भूतपूर्व सैनिक होंगे। यह एक अच्छा प्रस्ताव था जिसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनः रोजगार का अवसर है क्योंकि हमें अनेक बार पंजाब, कश्मीर और असम जैसे राज्यों में या तो पुलिस या फिर सेना तैनात करनी पड़ती है। अतः राष्ट्रीय राइफल्स यह आवश्यकता पूरी कर सकती है और मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि राष्ट्रीय राइफल्स के विचार को जारी रखा जाना चाहिए क्योंकि इससे भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।

अन्त में, मेरा यह कहना है कि बोफोर्स कम्पनी के अधीन जो नोबेल कम्पनी है उसे स्वीडन की सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। यदि भारत सरकार उन पर जोर डाले तो उसे जो जानकारी चाहिए वह उसे मिल सकती है। जल्दी ही हम स्विस बैंकों के खातों पर रोक लगा सकते हैं

यहां तक कि फिलीपाइन्स के मामले में वे माइकोस के कागजात पाने में सफल नहीं हो सके थे लेकिन ए०ई० सर्विसेज के विरुद्ध हम दो प्रकार से सफल हो सके थे।

3.02 म० प०

(श्री पी०एम० सईद-पीठासीन)

हमें कुछ माह के अन्दर ही उस ए०ई० सर्विसिज के दस्तावेज प्राप्त हो पाए जिसके जोर्डन के साथ सम्बन्ध हैं तथा हमें स्वीडन की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का वह गोपनीय भाग भी प्राप्त हो गया था। बोफोर्स मामले में संलिप्त व्यक्तियों के नाम काली सूची में डालने से उन पर दबाव पड़ा है तथा उससे बोफोर्स मामले के गोपनीय तथ्यों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। अब नई सरकार के आने से हम पूर्व सरकार द्वारा की गई गलतियों के लिए हरजाना क्यों भुगतें ? यही उचित समय है तथा यदि सरकार दबाव डाले। बोफोर्स के सम्बन्ध में हमें और जानकारी प्राप्त हो सकती है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय रक्षा मन्त्री से आश्वासन चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं पुनः यहीं कहूंगा तथा जिस भावना के माननीय रक्षा मंत्री के साथ-साथ हमारी वार्ता हुई थी उससे मैं आशा करता हूं कि वह भूतपूर्वक सैनिकों मामले में हमें आश्वासन देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय विशेष रूप से सभा के इस तरफ के कुछ विख्यात वक्ताओं द्वारा इस वाद-विवाद में काफी अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। **(व्यवधान)** जहां तक भूतपूर्व सैनिकों का सम्बन्ध है जो पिछले कुछ सप्ताहों में समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ तथा जिसके बारे में जनता के मन में सभी दलों के प्रति आक्रोश व्याप्त है, मैं समझता हूं कि दलगत मत-भेदों तथा विचारों से ऊपर उठकर सभी ने भूतपूर्व सैनिकों की मांग का समर्थन किया है तथा उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त भी है। मैं श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह के विचारों से सहमत हूं कि आज काफी कम समय में हम शाम 6·00 बजे तक पूरे बजट पर मतदान कराने जा रहे हैं तथा यहां पर रक्षा मन्त्री जी को इस मामले में सरकार की योजना स्पष्ट रूप से बताने का अवसर मिला हैं। वैसे मेरा अपना मत यह है कि "एक पद एक पेंशन' इसे आप मुहावरा कहें अथवा सूत्र, परन्तु इसे लागू करने तथा निर्धारण करने में यह एक बिलकुल उचित सूत्र नहीं है। यह ठीक नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की मांग व्यक्त करने का यह सुगम तरीका है। परन्तु मुख्य मुद्दा यह है कि यह सारे तर्क कि असैनिक कर्मचारियों क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है अथवा यदि एक बार भूतपूर्व सैनिकों की मांगें पूरी हो जाती हैं तो वे भी ये मांग करेंगे। हमें यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ये दोनों दो भिन्न बातें हैं। केवल प्रश्न यह नहीं है कि अधिकांश भूतपूर्व सैनिकों का सेवा काल काफी कम होता है। यद्यपि यह एक काफी मुख्य तथ्य है। प्रत्येक वर्ष 40 से नीचे अथात् 35 तथा 40 वर्ष के बीच की आयु के लगभग 50,000 व्यक्ति रक्षा सेवा से सेवा निवृत्त होते हैं। मन्त्रालय के अनुसार हमारे रक्षा बलों में युवा व्यक्ति ही हों, इसके लिए कुछ किया जा रहा है। वे युवा होने चाहिए तथा देखने में भी युवा हों में हमारे रक्षा बलों में केवल अधिक उम्र के व्यक्ति ही नहीं होने चाहिए। परन्तु वास्तविकता यह है कि हर वर्ष से जो 50,000 व्यक्ति चालीस अथवा चालीस से नीचे की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं, उनमें कई प्रशिक्षित और अनुशासित व्यक्ति हैं। सम्भवतः आज वे हमारे देश के सर्वाधिक अनुशासित वर्ग में से हैं। मैं यह स्वीकार करता हूं। हमें इस बारे में भी विचार करना है

कि इसके बाद वे कहां जायेंगे तथा अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे करेंगे। असैनिकों के मामले में सामान्यत: सेवा-निवृत्त की आयु निर्धारित होती है तथा वे उसी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। इस सेवा में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरी बात यदि कोई असैनिक कर्मचारी विकलांग है अथवा हम इसे ऐसे कहें कि अथवा उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है अथवा उसे चोट लग जाती है अथवा उसका एक हाथ अथवा पैर टूट जाता है, सामान्यत: ऐसे असैनिक कर्मचारी को कोई हल्का आसान सा वैकल्पिक काम दे दिया जाता जिसे वह अपनी विकलांगता के बावजूद भी कर सकता है। इस प्रकार इसे अनेक ऐसे विकलांग हुए असैनिक कर्मचारियों को सहायता मिल जाती है। परन्तु भूतपूर्व सैनिक के साथ ऐसा नहीं किया जाता। जब आप सेना में सैनिक है और आपके हाथ अथवा पैर अथवा अपने शरीर के किसी अंग से किसी प्रकार की कोई विकलांगता आ जाती इसका अभिप्राय यह है कि अब आपका सेवा काल समाप्त हो गया। कोई वैकल्पिक रोजगार अथवा हल्का, आसान काम मिलने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। आपको सेवा से हटा दिया जाता है। अतएव हमें इन बातों को भी ध्यान में रखना है।

सैनिक एक भिन्न वर्ग में आते हैं। मैं इन सभी प्रश्नों पर विचार नहीं करने जा रहा हूं। उदाहरण के लिए, अन्य सदस्यों ने आवास के बारे में प्रश्न किया है। मैं जानता हूं कि असैनिक कर्मचारियों को भी पर्याप्त आवास सुविधा नहीं दी जाती। परन्तु आखिरकार ये वो लोग हैं जो देश की खातिर में अपना जीवन जोखिम में डालने को तैयार हैं। मैं वास्तव में भावनात्मक रूप से उनसे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। जब मैंने इन सभी भूतपूर्व सैनिकों को यहां पर बहुत शान्तिपूर्ण तथा अनुशासित ढंग से धरना देने के लिए एकत्रित हुए देखा। आप देखिये कि उनमें से कई सैनिकों ने वीरता पदक लगाए हुए थे। वे अपने पदक तथा वीरता पुरस्कारों सहित उपस्थित हुए थे चूंकि उनमें से कई बंगलदेश युद्ध तथा अन्य युद्धों के पुराने सेवानिवृत्त सैनिक थे। ये वे व्यक्ति हैं जो अपना जीवन सहित अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हैं। हमें उनका ध्यान केवल युद्ध के समय पर ही आता है। सारी समस्या ही यही है। युद्ध के समय सम्पूर्ण देश में सभी व्यक्ति हमारे सैनिकों, वायुसैनिकों तथा नौ-सैनिकों की प्रशंसा करते रहते हैं और उनकी प्रशंसा में वीरता के गीत गाकर सुख का अनुभव करते हैं। परन्तु आमतौर पर जब युद्ध नहीं होता है। शान्ति के समय में इन सैनिकों को भूल जाना बड़ा आसान होता है। मेरे विचार से इसीलिए जनता में भी यह मांग में काफी विशेष महत्वपूर्ण हो गई है। हम नहीं जानते कि वर्ष 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जिसका हम समर्थन कर रहे थे। द्वारा लिये गये निर्णय की घोषणा यद्यपि तदर्थ निर्णय के रूप में की गई थी तथा जिसमें केवल सिपाही से लेकर सूबेदारों, मेजरों तक के लिए प्रावधान किया था, उसे लागू नहीं किया। चूंकि सरकार ही गिर गई थी, अत: इसके बाद का निर्णय जिसमें अधिकारियों के लिए भी प्रावधान किया जाता, यदि वह योजना, वह निर्णय ले लिया जाता, परन्तु हमें नहीं मालूम कि वह सम्पूर्ण योजना जिसे तैयार किया था, जिसे अन्तिम रूप दिया गया था, जिसे लागू भी किया गया था जिसके लिए वित्तीय राशि का भी आकलन कर लिया था तथा जिसे मन्त्री मण्डल द्वारा स्वीकृत भी कर दिया गया था। उसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा था। इस बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। श्री चन्द्रशेखर की सरकार ने इसे आस्थगित करके क्यों रखा हुआ था ? इस योजना को आस्थगित रखने के कारणों का पता नहीं लग सका है। मेरे विचार से इस मामले में यह एक उचित तरीका नहीं है।

निश्चित रूप से हर कोई जानता है कि पिछले दो अथवा तीन दिनों से इस विषय पर काफी व्यापक रूप में विचार विमर्श हो रहा है। मैं यह कहने का साहस तो नही करूंगा कि राजनीतिक दलों के नेताओं के दृष्टिकोणों और सरकार के दृष्टिकोण में पूर्ण एक रूपकता है परन्तु मुझे पूरी आशा है कि उनमें परस्पर एक समझौता हो सकता है जैसा कि श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने कहा था बशर्ते रक्षा मन्त्री जी सभा में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दें कि इस समय वह उनके लिए जो कुछ भी करने का विचार कर रहें हैं चाहे वह एक और समिति की स्थापना करना चाहें अथवा इस बारे में और जानकारी हासिल करना चाहें परन्तु सारी बातें वह पहले आश्वासन देकर अवश्य स्पष्ट करें कि भविष्य में अब जो कुछ भी उनके लिए प्रावधान किये जायेंगे। वे श्री वी०पी० सिंह की सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से किसी भी स्थिति में कम नही होंगे। हम इससे पीछे नहीं हट सकते। हमें बल्कि और देना चाहिए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अब सरकार भविष्य में उनके लिए जो भी पेंशन सम्बन्धी लाभ निर्धारित करे। सर्वप्रथम तो यह है कि सरकार को निर्णय लेने में कई माह का समय नहीं लेना चाहिए बल्कि इसके लिए कुछ समयबद्ध व्यवस्था की जानी चाहिए कि आगे जो कुछ भी दिया जाये वह अतिरिक्त होना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि 1990 में दिए गए लोगों के अतिरिक्त लाभ उनके दिए जायेंगे इस बारे में यहां पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। उसके बिना भूतपूर्व सैनिकों की सह सेवा में कोई विश्वासनीयता नहीं रहेगीहम पहले ही दो तीन समितियां गठित कर चुके हैं। यदि आप इस समस्या का समाधान केवल एक और समित का गठन करके कररना चाहते हैं तो मैं नहीं समझता की भूतपूर्व सैनिकों की अनुकूल प्रतिक्रिया होगी। बल्कि उनमें घोर निराशा तथा भ्रम की भावना पनपेगी।

अत: चूंकि देश इन पुराने सैनिकों का काफी ऋणी है, मैं आशा करता हूं कि नये रक्षा मंत्री यही सभा में ही ये सारी बातें स्पष्ट करेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसकी स्थापना उनके शासनकाल के दौरान की गई थी, के बारे में उन्होंने भी काफी विस्तारपूर्वक कहा है। वास्तव में उन्होंने अपने अधिकांश भाषण में उन कार्यों का उल्लेख किया था जो वास्तव में स्वयं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा किये जाने चाहिये थे। मैं नहीं जानता कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या कर रही है। हमें इस बारे में कुछ बताया जाना चाहिए। इसे एक वर्ष पूर्वस्थापित किया गया था तथा इसका कार्य सामरिक महत्व की कुछ बातों के बारे में मूल्यांकन करना था। हम नहीं जानते कि उसने अब तक क्या मूल्यांकन किये हैं। विश्व में उन बदलती हुई परिस्थितियों में, न केवल बदलते हुए विश्व के माहौल में बल्कि विस्तृत रूप से बदले हुए इस विश्व में, वे कौन-सी नयी नीतियां बना रहे हैं जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद विचार कर रही है और जिनका निर्धारण कर रही है।

मैं पाकिस्तानी धमकी का जिक्र नहीं करना चाहता। यहां तक कि आज सुबह ही विदेश मंत्री से अभी हाल ही में पाकिस्तानी विदेश सचिव द्वारा किये गये दौरे के बारे में पूछा गया था तथा उन्होंने यह उत्तर दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री का सन्देश हमारे प्रधानमन्त्री को दिया है कि पाकिस्तान की सरकार दोनों देशों के परस्पर सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए गम्भीर तथा संरचनात्मक बातचीत द्वारा सारी द्विपक्षीय समस्याओं का समाधान करने की इच्छुक है। खैर,

यह ठीक है। परन्तु हम सभी चिन्तित हैं क्योंकि वास्तविकता पाकिस्तानी विदेश सचिव द्वारा अपने भारत के दौरे के दौरान व्यक्त किये गये प्रशंसनीय विचारों से बिल्कुल भिन्न है।

वास्तव में हमारा क्या मूल्यांकन है ? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को निश्चित तौर से इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिए। उसे इस बारे में विचार कर हमें बताना चाहिए।

कश्मीर के पूंछ क्षेत्र में दोनों तरफ से काफी गम्भीर रूप में गोलीबारी की गई तथा युद्ध स्थिति उत्पन्न होती रहती है। अब पुनः स्थिति शान्त हो सकती है क्योंकि दोनों तरफ की सेना के कमांडरों ने परस्पर बैठक की है तथा किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयत्न किया है। परन्तु यह सब क्या था ? यह शान्तिपूर्ण इरादों का लक्षण नहीं है। वे विशेष रूप से कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में मदद कर रहे हैं।

खाड़ी युद्ध तथा ईराक पर अमरीकी सशस्त्र बलों की तथाकथित विजय के पश्चात् इस खाड़ी क्षेत्र में सेनाओं में काफी परिवर्तन हुआ है।

संभवतः इस समय अमरीका यह अनुभव कर रहा हो कि ईराक के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने जो अपनी श्रेष्ठ प्रौद्योगिकी तथा अपनी विशाल असीमित बारूदी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वह उसकी कुछ ऐसी क्षमता, शक्ति है जिसका मुकाबला अब और कोई शक्ति अथवा देश किसी भी स्थिति में नहीं कर सकेगा। इस समय वह अकेली ऐसी विश्व शक्ति है जो तेल-समृद्ध क्षेत्र पर राज्य कर रही है। आखिर यह युद्ध केवल तेल की खातिर लड़ा गया था। यह युद्ध किसी और वस्तु के लिए नहीं लड़ा गया था। परन्तु हमारे देश के पश्चिमी भाग में, भारतीय समुद्री क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इसका क्या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है ? इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा अवश्य कुछ मूल्यांकन किया जाना चाहिए। महोदय, जैसाकि पहले बताया जा चुका है मैं सोवियत संघ की स्थिति के बारे में कुछ जानना चाहूंगा। मैं उस सम्बन्ध में पुनः कुछ नहीं कहना चाहता। परन्तु निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा है। कल अवश्य ही श्री एस० कृष्ण कुमार ने सभा को दोनों देशों के, विशेषकर रक्षा मामलों में परस्पर सहयोग बनाये रखने सम्बन्धी सोवियत अधिकारियों के साथ हुई अपनी हाल ही की बातचीत के परिणामों के बारे में सभा को जरूर कुछ आश्वासन दिया था। मैं आशा करता हूं कि उनका आश्वासन ठोस है क्योंकि हमेशा कुछ-न-कुछ परिवर्तन होते ही रहते हैं। हम इस बारे में नहीं जानते। यह इरादे की बात नहीं है। यह क्षमता का सवाल है। सोवियत संघ हमेशा ही सान्ता-क्लाज की तरह व्यवहार नहीं करता रहेगा अर्थात् वह हरेक को निःशुल्क सारे अधिकार हमेशा सौंपता नहीं रहेगा, वहां ऐसी स्थिति हमेशा ही नहीं बनी रहेगी। वे स्वयं इस समय भयंकर आर्थिक संकट तथा संसाधनों की कमी के संकट से गुजर रहे हैं। अतएव यदि सहयोग तथा आपूर्ति सम्बन्धी शर्तों में कुछ हद तक परिवर्तन अथवा संशोधन किया भी जाता है तो हमें उस पर आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए अथवा उसे अन्यथा नहीं लेना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं है कि अब वहां से किसी वस्तु की सप्लाई नहीं की जायेगी। हालांकि अब उन्हीं शर्तों पर वहां से आयात नहीं हो सकता जिन पर कि हम पहले कर रहे थे। परन्तु हमें उन वस्तुओं की सप्लाई अवश्य होगी, मुझे विश्वास है क्योंकि हमारे देश में 80-85 प्रतिशत अस्त्रों को सप्लाई उसी देश द्वारा की जाती रही है। हमें अकस्मात् किसी अन्य साधन से अस्त्रों की

सप्लाई उपलब्ध नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में हमारे लिए इसकी सप्लाई का कोई और साधन उपलब्ध नहीं है।

महोदय, मंत्रालय की इस वार्षिक रिपोर्ट में, जिसे मैं उद्धृत नहीं कर रहा हूं, उसके एक विशेष खण्ड में सातवीं रक्षा योजना जो अब लगभग समाप्त होने को है, उसके बारे में ही मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। हम वर्ष 1963 से पंचवर्षीय रक्षा योजना बनाते आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में सातवीं रक्षा योजना में ऐसी बात जिस पर बल दिया जाना चाहिए था का उल्लेख किया गया है। अब आठवीं रक्षा योजना बनाई जा रही है। आठवीं योजना में किस बात पर मुख्य रूप से जोर दिया जायेगा ? मंत्रालय को इस पर विचार करना चाहिए था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने निश्चित रूप से इस बारे में विचार किया होगा। इस नये परिवेश में इस आठवीं रक्षा योजना में किस मुद्दे पर मुख्य रूप से अधिक ध्यान दिया जायेगा ? हमें इस बारे में अवश्य ही कुछ बताया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी वायु सेना शक्ति काफी निर्णायक बन चुकी है। यह ठीक है कि वायु सेना की शक्ति से हमारा अभिप्राय केवल लड़ाकू विमान क्षमता उपलब्ध होने से ही नहीं है। इससे अभिप्राय केवल हेलीकोप्टरों की उपलब्धता से ही नहीं है। इसका अभिप्राय इन सभी बातों से है। इससे अभिप्राय प्रक्षेपणास्त्रों इत्यादि से भी है। अतएव यह वायु सेना शक्ति भविष्य में किसी भी की युद्धस्थिति में निर्णायक सिद्ध होगी। दुर्भाग्यवश, वायु सेना की शक्ति बढ़ाने के लिये जिन उपकरणों की अत्यधिक आवश्यकता है मैं समझता हूं कि उसे विदेशों से आयात करना पड़ रहा है और कुछ समय के लिए करना पड़ेगा। हमने अभी तक अपने देश में सम्बन्धित उपकरणों को तैयार करने सम्बन्धी क्षमता विकसित नहीं की है जिससे हम इस देश में ही पर्याप्त मात्रा में निर्माण कार्य कर सकें। कुछ प्रगति हुई है, वह पर्याप्त नहीं है। इसलिए, क्या होने वाला है ? हमें इसके बारे में जानना चाहिए। हमें विदेशों से बहुत ही महंगे उपकरण मंगाने पड़ रहे हैं।

महोदय, संसाधनों की अत्यधिक कमी है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। इसके कारण क्या हैं इसकी मैं तहकीकात नहीं कर रहा हूं। सचाई तो यह है कि संसाधनों की अत्यधिक कमी है, विशेषकर विदेशी मुद्रा की, जिसकी कमी का सामना भी अभी देश को करना पड़ रहा है। अन्यथा हमें अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इधर-उधर से सहायता नहीं मांगनी पड़ती। लेकिन ऐसे उपकरणों को विदेशों से मंगाने की प्रवृत्ति के वास्तव में भयंकर दुष्परिणाम होंगे। और मैं श्री वी०पी० सिंह से भी सहमत हूं कि बहुत अधिक गम्भीरतापूर्वक और मौलिक रूप से आत्मनिर्भरता के प्रश्न पर ध्यान देने की आवश्यकता है यद्यपि मैं जानता हूं कि इसकी भी सीमाएं हैं। इन मामलों में हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। लेकिन हमारी बातें कथनी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि इसके लिए और भी ध्यान देना होगा।

कुछ ही दिन पहले हमने बोफोर्स कम्पनी से होवित्जर की खरीद के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपये का सौदा किया था। बोफोर्स के साथ किये गए उस समझौते, उस सौदे में एक निर्धारित समय के अन्दर तोपों की एक निश्चित संख्या की आपूर्ति करना शामिल था। उसके बाद क्या हो रहा है उसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। इन तोपों के लिये कलपुर्जे और गोला बारूद की आपूर्ति सौदे के मुताबिक एक निर्धारित समय के अन्तर्गत होनी थी। मैं इसके बारे में यह जानना चाहता हूं। मैं

समझता हूं कि अब यह बात गोपनीयता नहीं रह गई है कि तोपों की आपूर्ति करने वालों ने सौदे की शर्तों का पालन किया है या नहीं। उस समझौते के दूसरे भाग में यह कहा गया है कि स्वीडिश प्रौद्योगिकी के आधार पर बोफोर्स तोपों के निर्माण की स्वदेशी क्षमता का विकास किया जाएगा। वह उस सौदे का ही एक भाग है। उसके लिये हमने पैसे दिये हैं। यह कहा गया था, "स्वदेशी उत्पादन के लिये आधार तैयार करने में वे हमारी सहायता करेंगे।" उस सम्बन्ध में क्या हुआ ? क्या हम इस बारे में कुछ जान सकते हैं। इसमें काफी पैसे लगा हुआ है। यद्यपि रक्षा मन्त्री ही एकमात्र अधिकारी नहीं हैं जो बोफोर्स दलाली प्रकरण की आगे जांच कराए जाने के प्रश्न पर कुछ बोलेंगे, फिर भी रास्ता साफ है। मैं नहीं जानता कि दूसरे पक्ष में बैठे हमारे मित्र इस मुद्दे पर इतना विचलित क्यों हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। इससे कोई मतलब नहीं है कि वह सच्चाई क्या है। यह अच्छा होगा कि सच्चाई सामने आए ताकि इस सम्बन्ध में जो अफवाहें हैं, जो अटकलें हैं उसके धुंध से निकल कर सच्चाई सामने आ जाए। किसी ने रिश्वत के तौर पर रुपये लिये हैं। यह हमारा कहना नहीं है। यह तो स्वीडिश की नेशनल आडिट कमीशन ने उजागर किया है कि उक्त कम्पनी ने किसी व्यक्ति को 65 करोड़ रुपये दिये हैं। लेकिन उनका यह कहना है कि जिस व्यक्ति ने रुपये लिये हैं उसका नाम वे नहीं बता सकते। उनके कानून और नियमों के अन्तर्गत ऐसी अनुमति नहीं है। मैं यह नहीं जानत हूं। उसके बाद एक लम्बी प्रक्रिया चली और आपको पता ही है कि न्यायालय में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर एक मुकदमा केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज कराया गया है और इसे एक सज्जन—श्री एच० एस० चौधरी ने चुनौती देते हुए जनहित का हवाला देते हुए मुकदमा दायर किया—जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसा व्यक्ति घोषित कर दिया जिसे ऐसा कोई अधिकार नहीं है और ये वह मुकदमा नहीं कर सकते हैं। लेकिन वह मुकदमा कई महीनों तक चलता रहा और उसने यह मांग की कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट को वापस ले लिया जाए। वह बात पूरी तरह व्यर्थ हो चुकी है। एक समय सीमा निश्चित थी। यदि उस समय सीमा के पूरे होने से पूर्व उच्चतम न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता तो अनुरोध पत्र देने सहित जो भी निवेदन स्विस बैंक से किए गए थे वे व्यर्थ हो जाते। सौभाग्यवश, मुझे प्रसन्नता है कि उच्चतम न्यायालय ने ठीक समय पर अपना निर्णय दे दिया और प्रथम सूचना रिपोर्ट को पूरी तरह वैध ठहराया और साथ ही यह भी निर्णय हो गया कि उस व्यक्ति को कोई अवैध अधिकार नहीं है जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट को चुनौती देते हुए मुकदमा किया था। इसलिए अब कोई अवरोध नहीं है। स्विस बैंक हमें कुछ जानकारियां व इस मामले से जुड़े उन लोगों के दस्तावेज देने के लिए भी तैयार थी जिनके खाते उन बैंकों में थे—मैंने कहा उस मामले से जुड़ें लोग—जिन्होंने दलाली के पैसे प्राप्त किये थे। अब मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस मामले की जांच गम्भीरतापूर्वक कराने जा रही है या नहीं। अब कोई अड़चन नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि बोफोर्स की मूल कम्पनी दिवालिया हो गई है। (व्यवधान) आपको क्या हो गया है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा। बोफोर्स की मूल कम्पनी दिवालिया हो गई है, इसे स्वीडन में दिवालिया घोषित कर दिया गया है और सरकार ने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है।

मैं आशा करता हूं कि इससे उस दलाली के रकम को वसूलने में उन्हें कोई तकनीकी समस्या नहीं होगी जो रकम तोपों के मूल्य में शामिल थी और जिसे वसूलने का हमें अधिकार है। हम उस रिश्वत की रकम को नहीं चुकाएंगे जो दूसरों की जेब में चला जाएगा। इसलिए भारत सरकार को

इस मामले की आगे तहकीकात करनी चाहिये और यह प्रयास करना चाहिए कि इस मामले को हमारे हित में निपटाया जा सके।

मैं एक या दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जब हमारे पास विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के संसाधनों की कमी है तो ऐसी स्थिति में हमें विदेशों से खर्चीले उपकरणों का क्रय नहीं करना होगा। जो भी परमावश्यक है, और यदि उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है तो हमें उसकी खरीद करनी होगी और इसके लिए हमें कुछ पैसे भी प्राप्त करने होंगे। अन्यथा, मैं समझता हूं कि उन उपकरणों के रख-रखाव कार्यक्रम का विस्तार करना होगा जो हमारे पास पहले से ही हैं—और जो खराब नहीं हैं—और उन उपकरणों में और भी सुधार लाए जा सकते हैं उदाहरण के लिए टैंकों के इन्जिनों की उन्नत बनाया जा सकता है। टैंकों की रेट्रोफिटिंग एवं इसके तोपों को उन्नत बनाया जा सकता है। लेकिन अधिक इस प्रयोजन से बेरू वर्कशाप के लिए अधिक धनराशि के नियतन की आवश्यकता होगी। सेना के बेस वर्कशाप बहुत ही उत्कृष्ट काम करते हैं। मैं नहीं जानता कि सभी जगहों पर इसे उचित मान्यता मिली हुई है। बेस वर्कशाप बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करती हैं। लेकिन उसमें अधिक धन और कुछ सुधार लाने के की आवश्यकता है। वे आयुध कारखाने जो आत्म-निर्भरता को विकसित करने में सहायक हैं उन्हें और अधिक धन और आवश्यक वस्तुएं जिनकी उन्हें जरूरत है वह उपलब्ध कराए जाएं।

हम सरकार की उस नीति से सहमत हैं जिसे उसने आयात को यथा संभव कम करने के लिए बाध्य होने पर प्रस्तुत किया है। हम अनियंत्रित रूप से आयात नहीं कर सकते। आयात को कम किया जा रहा है लेकिन उसे इतना कम नहीं कर दिया जाना चाहिए कि रक्षा के क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक उपक्रमों को उनकी उन आवश्यक वस्तुएं और कल पुर्जे उपलब्ध नहीं हो सके जिनकी सहायता से वे निर्माण-कार्य करते हैं। वास्तव में वित्तमंत्री ने एक दिन हमें बताया था कि यदि हम आयात पर रोक न लगाएं तो सार्वजनिक उपक्रमों—रक्षा उपक्रमों के लिए आवश्यक कल पुर्जे आयात नहीं किए जा सकेंगे और उन्हें बन्द कर देना होगा। इसलिए इस पर अवश्य ध्यान देना होगा। दूसरी बात मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जो मैं हर वर्ष पूछता हूं परंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिलता है। मुख्य युद्धक टैंकों की नियति क्या होगी? वर्ष-दर-वर्ष यही कहा जाता है कि 'अर्जुन' टैंक पर परीक्षण अब भी किया जा रहा है। परीक्षण पर परीक्षण किए गए परंतु कोई इंजिन विकसित नहीं किया जा सका। समस्या यह है कि कोई भी उपयुक्त टैंक इंजिन इस देश में अभी तक विकसित नहीं किया जा सका है। हमने यह सार्वजनिक, निजी और अन्य प्रत्येक क्षेत्रों में करने की कोशिश की है। लेकिन, वे हम कोई ऐसा इंजिन नहीं बना सके जिसमें इतनी आवश्यक अश्व शक्ति हो कि वह एक आधुनिक युद्धक टैंकों जैसे—एम० बी० टी० को चालित कर सके जिसके बारे में हमने विचार किया था। मैं नहीं जानता कि इस पर कितना पैसा खर्च किया गया है। मैं समझता हूं कि आप देश को सीधे-सीधे यह बता दें कि जिस अर्जुन टैंक के बारे में आपने कल्पना की है वह फलित होने नहीं जा रही है। बेहतर यह होगा कि यह इरादा ही त्याग दें। इसे इस तरह वर्ष-दर वर्ष चलाते रहने का कोई उपयोग नहीं है जबकि एक ऐसे टैंक के रूप में आपकी वह कल्पना फलित नहीं हो

सकती है जिसकी हमें आवश्यकता है। आपके पास हमारा पुराना विश्वासी टैंक—विजयंत, टैंक 455, टैंक-372 और बी० एम० पी-1 और बी० एम० पी० 2 हमारे पास हैं। यह ठीक है कि वे सभी आयातित हैं। लेकिन हम उनमें सुधार लाकर उनकी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कई देश, यहां तक इजराईल भी जिसका उल्लेख श्री जसवंत सिंह कर रहे थे, अपने पुराने टैंकों को उन्नत बनाकर और रेट्रोफिटिंग करके प्रभावी रूप से उपयोग कर रहा है। उसी तरह हल्के लड़ाकू विमानों का प्रश्न है। यदि मुझे प्रसन्नता होगी यदि मुझे यह बताया जाए कि यह परियोजना किस चरण में है। उसके बारे में भी हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं। अब भी संभव है या इस विचार को त्याग दिया गया गया है, क्या स्थिति है। इस हल्के लड़ाकू विमानों के नमूने को परीक्षण के तौर पर आज से चार वर्ष पहले उड़ाकर देख लिया जा सकता था। वह कह रहे थे कि आज से चार वर्ष बाद यानि 1994 या 1995 में परीक्षण के तौर पर इसकी दो उड़ानें हो सकती हैं। इस पर कितना खर्च किया जा रहा है यह हमें पता नहीं है। लेकिन हम कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं। इसलिए स्वदेशी रक्षा-अनुसंधानों और विकास पर और अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए। उन्हें कोई विशेष कार्य दे दिया जाए, जहां तक संभव हो निर्धारित समय के अन्दर कार्य पूरा करने को कहा जाए।

आप रक्षा आपूर्ति के क्षेत्र में निजीकरण कर रहे हैं, रक्षा क्षेत्र के साथ नागरिक क्षेत्र को भी बहुत सारी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जोड़ा जा रहा है। मुझे इतना ही कहना है कि इस तरह के निजीकरण को गैर-सामरिक वस्तुओं तक ही सीमित रखा जाए। क्योंकि ऐसा न होने पर दुरुपयोग करने का लोभ हो सकता है। संभव है कि निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन लिए अनुमति देने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। यह आपकी पुस्तक में उल्लिखित है—स्वीकार्य रूप से उल्लिखित है—कि आधुनिक उपकरणों के अधिकाधिक महत्वपूर्ण कल पुर्जों के निर्माण का काम निजी क्षेत्र को दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी अच्छी तरह जानते हैं कि हाल ही में तैयार किए गए इस सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प में यह कहा गया है कि विनिर्दिष्ट मदों को उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्र में ही होता रहेगा। रक्षा उनमें से एक है—रक्षा उपकरण और रक्षा संबंधी वस्तुएं। विगत कुछ वर्षों के दौरान आपने निजी क्षेत्र को कुछ करोड़ रुपए मूल्य के निर्माण कार्य दिए हैं। लेकिन कृपया यह ध्यान रखें कि इनमें सामरिक महत्व की वस्तुएं न हों। युद्धक वाहनों सहित अत्याधुनिक उपकरणों के मत्वपूर्ण कल पुर्जों का क्या अर्थ है। इसका यहां उल्लेख किया गया है। इसलिए रक्षा आपूर्ति का कार्य प्रायः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहना चाहिए और आपकी औद्योगिक नीति भी यही कहती है।

यहां एक यह जिक्र किया गया है—मैं उसका स्वागत करता हूं—रक्षा व्यय के प्रभावी लागत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्पष्ट है कि जब हम आर्थिक संकट की स्थिति में है—तो रक्षा व्यय के प्रभावी लागत पर गौर करना हमेशा आवश्यक है—यह अब यह और भी जरूरी हो गया है। लेकिन आप रक्षा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों को देखें। कई हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। वे निश्चित अवधि में प्रकाशित किए जाते हैं। उन पर न तो संसद और न किसी अन्य स्थान पर विचार किया गया है। वे बहुत ही निराशाजनक स्थिति प्रस्तुत करते हैं। लागत में वृद्धि और दोष पूर्ण उपकरणों को प्राप्त किए जाने उनके बेकार

पाए जाने के कारण करोड़ों रुपए बर्बाद किए जा रहे हैं। ये सभी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिशोर्ट में सूचीबद्ध हैं। लेकिन इसके लिए किसी को तो दोषी ठहराना होगा। हमने कभी भी ऐसे लोगों के बारे में नहीं सुना जिन्हें जांच के बाद इन बर्बादियों कुछ लिए दोषी ठहराया गया हो या उन्हें सजा दी गई और उनसे स्पष्टीकरण लिया गया हो। तब तो यह वर्षों इसी तरह चलता रहेगा।

एक दो बातें और कहनी हैं और उसके बाद में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इस तरह की विश्वसनीयता का यहां अवश्य उल्लेख किया गया है। लेकिन अनुत्तरदायित्व की भावना सिर्फ रक्षा क्षेत्र में ही नहीं पनपी है, बल्कि पूरे देश में साधारणतः अनुत्तरदायित्व की भावना पनपी है। लेकिन यह हम रक्षा क्षेत्र में इस तरह नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप प्रतियोगी लागत की बात करते हैं तो पहले आप उन लेखा प्रतिवेदनों और नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक की रिपोर्ट का अध्ययन कर लें और देखिए कि क्या हो रहा है। कभी-कभी तो अपव्यय हो रहा है। सौम्यतापूर्वक सिर्फ यह लिखा होता है कि एक खास वस्तु के लिए हजारों करोड़ों आदेश दिए गए थे। पहले सामान प्राप्त हुआ वह भी देर से उनकी प्राप्ति के पश्चात यह पाया गया कि सामानों में खराबी हैं। उनका उपयोग नहीं किया जा सका और वे महीनों वर्षों, वहां पड़े रहे इन सब के लिए कोई व्यक्ति अवश्य ही जिम्मेवार है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात उत्तर दायित्व का है। अन्यथा कोई भी देश कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कृपया इन सब पर गौर कीजिए।

दूसरी बात मैं उच्चतम स्तर पर पदोन्नति के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। मैं किसी अन्य स्तर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उच्चतम स्तर की बात कर रहा हूं। हमारे यहां सेनाओं में पदोन्नति सेनाध्यक्ष के से ऊपर नहीं हो सकती है अर्थात् थलसेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष से उपर नहीं हो सकती है। हमारे देश में इन पदों पर पदोन्नति के लिए हमेशा से सुस्थापित एक परम्परा को अपनाना पड़ता है और हमेशा से अपनाया जाता रहा है जो कि आमतौर इस सेवा में सभी के द्वारा स्वीकार किया गया है। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि किसी भी समय यह शंका नहीं उठनी चाहिए कि पदोन्नति की इस नीति को कुछ आत्मपूरक और व्यक्तिगत कारणों से भंग किया जा रहा है। मैं इन उच्चतम पदों पर पदोन्नति के प्रश्न पर हाल ही में लिए गए कुछ विवादपूर्ण निर्णयों का जानबूझ कर उल्लेख करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि इन परंपराओं का उचित रूप से पालन किया जाता तो ये शंकायें उठनी ही नहीं। और रक्षा सेवाओं के लिए यह बहुत ही खराब है। इसलिए माननीय रक्षा मंत्री का यह कर्त्तव्य होता है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि सेनाध्यक्षों के पद पर सिर्फ वरिष्ठ और सबसे अच्छे अधिकारी की नियुक्ति हो और कोई भी व्यक्ति किसी अन्य तरीके से इस पद पर पहुंच न पाए।

अन्त में मैं माननीय रक्षा मंत्री के उस वक्तव्य से सहमत हूं जो उन्होंने इस सभा के बाहर दिया है। मैं उनके उस वक्तव्य को उद्धृत करता हूं क्योंकि मैं उनके इस वक्तव्य से शत प्रतिशत सहमत हूं। यदि उनका गलत कोट नहीं किया गया हो, तो उन्होंने कहा है कि कार्यों वास्तव में पुलिस अथवा अन्य अर्द्धसैनिक बलों के कार्य के लिए सेना का उपयोग अधिक नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि कुछ राज्य सरकारों की आदतें सिर्फ टेलीफोन करने की है और वे

टेलीफोन पर यह कहते हैं कि कानून और व्यवस्था अथवा दंगे की स्थिति अनियंत्रित हो गई है और इसलिए कृपया अविलम्ब सशस्त्र बलों को भेजिए। और महोदय, इस प्रकार की स्थिति में आपको कभी-कभी सेना भेजनी पड़ती है। जब कोई मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि सभी कुछ जल रहा है तो आप सेना भेजने को टाल नहीं सकते हैं। महोदय, बात यह है कि इस प्रकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक सेना का इस्तेमाल किया जाना और कभी-कभी तो हड़ताल तोड़ने के लिए, मुझे इस बात का उल्लेख अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन से से सम्बन्ध रखता हूं या फिर शहरों और नगरों के कुछ इलाकों की घेराबंदी करने के लिए और घेरा बंदी किए गये इलाके में घर-घर की तलाशी करना सच माने में सेना का कार्य नहीं है। सेना का कार्य बाहरी आक्रमण से हमारे सीमाओं की रक्षा करना है और पुलिस के कार्यों के लिए उनका इस्तेमाल अधिक से अधिक नहीं करना चाहिए और ऐसा करना सेना के लिए ठीक भी नहीं है। इस प्रकार के कार्यों के लिए सेना को प्रशिक्षित नहीं किया गया है। इसे बिल्कुल भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। यदि उन्हें पुलिस के कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यदि वे काफिले में जा रहे हैं और यदि किसी ने सड़क के किनारे से उस काफिले पर कोई चीज फेंक दी तो हम जानते हैं कि सेना की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होगी। वे काफिले की रोक कर पूरे गांव को ही जला डालेंगे। जम्मू-कश्मीर और पंजाब तथा अन्य जगहों पर ऐसा ही रहा है। सेना को इस प्रकार का ही प्रशिक्षण प्राप्त है। मैं उन पर आरोप नहीं लगाता हूं। इस प्रकार से ही उन्हें प्रशिक्षण दिया है। चाहें आप मार दीजिए या आपको मार दिया जायेगा। लेकिन इनमें से बहुत से स्थानों में जहां आप इस प्रकार की समस्या से निपट रहे हैं, कुछ समय के लिए बड़ी संख्या में नागरिक आबादी को गलतफहमी हो सकती है, हो सकता है किसी कारणवश वे उत्तेजित हो गए हों। लेकिन मौलिक रूप से इस प्रकार से नागरिक आबादी से सेना निपट नहीं सकती है और हर प्रकार की उलझन पैदा हो जाएगी जिसका सामना अभी हमें करना पड़ रहा है मानव अधिकारों के हनन की बात कही जाती है, यातना की कहानियां कहीं जाती है इत्यादि ये बहुत ही अप्रिय बातें हैं जिसे सुनना हम पसंद नहीं करते हैं। और इसलिए यदि आप सेना का उपयोग करते हैं तो यह सेना के मनोबल के लिए खराब है। इससे सेना की प्रतिष्ठा कम हो जाती है। आज जिस प्रकार के विवाद और संघर्ष हो रहे हैं उस कारण नागरिक आबादी के प्रति सेना द्वारा अनुशासनहीन व्यवहार किए के जाने कुछ मामले अनिवार्य हो जाते हैं। और जब भी इस प्रकार का कोई मामला होता है तो अविलम्ब इसकी जांच की जानी चाहिए और प्राप्त हो रहे शिकातों की भी जांच की जानी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है। हम इन मामलों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इंटरनेशनल एमनेस्टी और कुछ अन्य मानव अधिकारों को सम्बन्धित आयोग यहां आये और सशस्त्र बलों द्वारा की गई ज्यादतियों के सम्बन्ध में शोर-शराबा हो। जब भारतीय शांति सेना श्रीलंका में भी तो कुछ हुआ था। आपने उन्हें इस प्रकार के वातावरण में डाल दिया था जिसके वे अभ्यस्त नहीं थे। उन्हे प्रतिकूल माहौल में, जंगलों और ऐसे इलाकों में लड़ना पड़ा था जिससे वे बिल्कुल ही परिचित नहीं थे। उन्हें इस प्रकार के लोगों का सामना करना पड़ा है जो कि गुरिल्ला युद्ध जैसे कि बारूदी सुरंगें लगाना और घात लगा कर हमला करना आदि कर रहे हैं। हमारी सेना इस प्रकार के ऑपरेशन के लिए बिल्कुल प्रशिक्षित नहीं हैं। इसलिए, महोदय मैं समझता हूं कि

जल्दबाजी में किसी काम चलाऊ आपरेशन के लिए या फिर उन कार्यों के लिए जो कि सेना द्वारा नहीं बल्कि अन्य लोगों द्वारा किया जाना चाहिए, सेना के उपयोग को जहां तक संभव हो टाला जाना ही बेहतर है। आपको अपने सशस्त्र बलों और अर्द्ध सैनिक बलों की कार्य कुशलता में सुधार लाना होगा। उन्हें ऐसी स्थितियों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। इन कार्यों में सेना को शामिल नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे चलकर यह हमारे देश के हित में अथवा सेना के मनोबल के लिए या आम जनता के लिए जिन्हें इन मुठभेड़ों का सामना करना पड़ता है, अच्छा नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी के वक्तव्य का, जो उन्होंने हाल ही में बाहर में दिया है, गलत अर्थ नहीं निकाला है और मैं यह भी आशा करता हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा है उसकी वे पुष्टि करेंगे।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : सभापति महोदय, मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे अनेक वरिष्ठ अनुभवी सहयोगियों ने हमारे रक्षा के विभिन्न पहलुओं जैसे सेवा शर्तें, अनुसंधान और विकास, वैदेशिक सम्बन्ध, आणविक हथियार नीति और सोवियत संघ, चीन पाकिस्तान से हमारे सम्बन्धों की चर्चा की है।

व्यक्तिगत रूप से मुझे रक्षा सम्बन्धी जानकारी नहीं है लेकिन मैं सरकार के ध्यान में जो बातें लाना चाहता हूं वह कुछ समाचारों और कुछ प्रकाशनों से मैंने जो जानकारी प्राप्त की है उस पर आधारित है।

मुझे बताया गया है कि 1985 और 1989 के बीच करीब 17 अरब डॉलर की खरीददारी हमारे रक्षा सेनाओं के लिए की गई थी। इनमें से अधिकांश खरीददारी सोवियत मिग जहाज, जर्मन पनडुब्बियों और स्वीश बोफोर्स तोप इत्यादि के लिए की गई थी। इसलिए इन हथियारों को खरीदने में बहुत ही अधिक विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण वर्तमान वित्तीय संकट से हम अपनी भली-भांति परिचित हैं। इस संकट से उभरने के लिए सरकार को इस व्यय में कटौती करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जहां तक रक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं का सम्बन्ध है तो स्वदेशीकरण की प्रक्रिया का विकास किया जाना चाहिए और अनावश्यक व्यय को टालना चाहिए। इस प्रकार की प्रक्रिया को अपना कर ही हम रक्षा पर होने वाले व्यय को कम कर सकते हैं।

हमारे हथियारों के आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण की चर्चा करते समय हमारे सामने कुछ त्रुटियां ऊभर कर आयी हैं। उदाहरण के लिए आयुध कारखाने के महानिदेशक ने अपने ही देश में बोफोर्स जैसे तोपों के निर्माण के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाही। वर्ष 1989 में अनुमानित लागत 1,100 करोड़ रुपया था जिसमें से नये तोप उत्पादन लाइन के लिए 850 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और आठ प्रकार के गोला-बारूद का उत्पादन करने और बोफोर्स तोप के लिए दो चार्ज बैग का उत्पादन करने हेतु कारखाने को 250 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।

आयुध कारखाने के 'मास्टर जनरल' एम० जी० ओ०) द्वारा की गई लागत प्रभावी अध्ययन

से पता चलता है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो सार्वजनिक क्षेत्र के आठ उपक्रमों से एक है, 120 करोड़ रुपये की लागत से तोप उत्पादन लाइन स्थापित करना चाहता है। इसी प्रकार पुणे का एक निजी फर्म 20 करोड़ रुपये की लागत से गोलियों का उत्पादन कर सकता है जिसमें बाद में आयुध कारखाने द्वारा बारूद भर दिया जायेगा इस प्रकार स्पष्ट रूप से हजार करोड़ रुपये की बचत है। जब हम हथियारों की सौदाबाजी करते हैं तो हमें इस प्रकार के बचतों को ध्यान में रखना चाहिये।

युद्ध सम्बन्धी खर्चे की दर में कमी लानी चाहिये। हमें अभी भी अनेक सौदेबाजी पूरी करनी है जो कि किसी न किसी कारण से लम्बित पड़े हैं। उदाहरण के लिए बाईसन परियोजना को लें। इसकी मंजूरी 1961 में दी गई थी और इसका उद्देश्य विजयंत टैंक को आधुनिक बनाना था। इसे 1987 में रद्द कर दिया गया। वर्तमान लीलैंड एल-60 के बदले एक उपयुक्त इंजन नहीं मिलने के कारण 1,700 विजयन्त टैंक प्रभावित हुए हैं।

टी-72 टैंक को आधुनिक बनाने हेतु परियोजना राईन को वर्ष 1987 में मंजूरी दी गई थी जो कि शुरू ही नहीं हो पाया।

टी-54/55 को आधुनिक बनाने हेतु परियोजना पैंथर ने थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की है।

चौदह वर्षों के कार्य के बावजूद भी अर्जुन टैंक का एक भी प्रतिरूप नहीं बन पाया है। सेना की प्रस्तावित योजना के अनुसार 2000 सदी तक करीब 10 रेजिमेन्टों को अर्जुन टैंक से लैस कर दिया जायेगा।

इसलिए जब इन सभी परियोजनाओं को लागू नहीं किया गया है तो युद्ध सम्बन्धी खर्चे की दर को कम करना चाहिए।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने बताया है कि वर्ष 1982 में कुछ तोप खरीदे गए थे और 33.62 करोड़ रुपये के गोला बारूद के क्रया देश भी दिए गए थे। लेकिन 1985 में तोपों के आदेश रद्द कर दिए गये थे लेकिन गोला-बारूद के आदेश जारी रखे गए थे। इसलिए तोप तो नहीं खरीदे गए और हम जो गोला-बारूद खरीद रहे थे वे अनुपयोगी हो गए। इस प्रकार 33.62 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ था।

3.49 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा चेतक हेलीकॉप्टर का भी उल्लेख किया गया है। टैंक विरोधी भूमिका निभाने हेतु चेतक हेलीकॉप्टर को आधुनिक बनाने के लिए 6.92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गयी थी जो कि उत्तम साबित नहीं हुआ। धनराशि कम रहने के कारण वे आवश्यक परिवर्तन नहीं कर पाए हैं।

नौसेना में जब पन्डुब्बियां पूरी तरह तैयार नहीं थी, तो उन्होंने उस स्थान का दौरा करने से इंकार कर दिया। फिर पर्याप्त धन भी नहीं दिया गया जिसके परिणामस्वरुप वे असहाय हो गए। इस तरह से ऐसी कई परियोजनाएं जो शुरू की गई थीं, उनसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिला, यह

उचित योजना के अभाव के कारण हुआ। ऐसे कुछ अन्य उदाहरण भी हैं वहां हल्के लड़ाकू विमान परियोजना और अन्य परियोजनाएं इसका उल्लेख मेरे वरिष्ठ साथियों ने भी किया था.— 1960 में प्रारंभ की गई थी। ये सभी परियोजनाएं अभी भी लम्बित पड़ी हैं और इनमें किसी प्रकार की कोई प्रगति नहीं हुई।

एक अन्य क्षेत्र जिसमें हम व्यय में कटौती कर सकते हैं वह परिवहन व्यवस्था है। परिवहन व्यवस्था में एक, दो और तीन लाइनें हैं। युद्ध के समय भी, और शांति के समय भी, परिवहन व्यवस्था भी एक या दो लाइनें अत्यन्त आवश्यक मानी जाती हैं। किन्तु अन्य व्यवस्था शांति के समय खाली रहती हैं। उस अवधि के दौरान, नागरिक क्षेत्र से आवश्यकतानुसार वाहन किराए पर लिए जा सकते हैं।

जैसा हम सब जानते हैं सियाचिन समुद्र तट से 21,000 फिट ऊंचाई पर स्थित है। उस क्षेत्र में सैन्य में संचालन अत्यन्त कठिन कार्य है। इस संघर्ष को तुरंत समाप्त करने की आवश्यकता है ताकि काफी खर्च बचाया जा सके। वहां मानवजीवन की रक्षा में हम प्रतिदिन 32-40 लाख रुपए प्रतिदिन खर्च कर रहे हैं। अगर यह विवाद पहले सुलझा लिया गया होता तो करोड़ों रुपए बचाए जा सकते थे। इसी प्रकार, हमें प्रत्येक क्षेत्र में देखना होगा कि किस प्रकार प्रकार हम धन बचा सकते हैं।

'वन रैंक वन पेंशन के संबंध में मेरे वरिष्ठ सहयोगियों व अन्य माननीय सदस्यों ने अपने मत अभिव्यक्त किए हैं। मैं भी उनसे सहमत हूं। हमें 30 से 40 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले इन लोगों की तुलना अन्य विभागों से नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को अपने सेवाकाल मे अत्यन्त पुष्कर स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अत: मैं माननीय वित्त मंत्री से एक नीति वक्तव्य देने का अनुरोध करूंगा जिससे कि वे उन्हें व्यापक लाभ दे सकें जिसके लिए वे उनके. प्रति और भूतपूर्व सरकार के प्रति भी अत्यन्त आभारी होंगे।

इन शब्दों के साथ में इस विषय पर मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मैं रक्षा मंत्रालय के अधीन अनुदान की मांगों का समर्थन कर रहा हूं। मैं सभी माननीय सदस्यों से इन अनुदान की मांगों को स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

किन्तु, इससे पूर्व, प्रत्येक माननीय सदस्य को पता होना चाहिए कि पिछले वर्ष किस प्रकार खर्च किया गया यह खर्च उचित प्रकार से किया गया अथवा नहीं। हमारा उद्देश्य है सुझाव देना और यह देखना कि पिछले वर्ष अनुमोदित राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया और अगले वर्ष में इसका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा।

महोदय, मैं माननीय श्री वी. पी. सिंह और श्री इन्द्रजीत गुप्त का समर्थन करता हूं, जिन्होंने हमारे जवानों और सशस्त्र सेनाओं को, जो देश के लिये लड़ते हैं और देश की रक्षा के लिए अपना

जीवनबलिदान करते हैं, उन्हें सुविधाएं देने के प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। देश की सुरक्षा व्यक्ति की सुरक्षा है। इसीलिए मैं सर्वप्रथम जवानों के प्रति अपना अभिनंदन प्रकट करना चाहता हूं।

उड़ीसा में एक प्रशस्ति पूर्ण उक्ति कही जाती है, हिन्दी में वह इस प्रकार है :

"देश प्रेम में जो अपने संबंधों और स्नेह सूत्रों को भुला देते हैं।

मातृभूमि के आधार पर सुषुप्ति और निद्रा को त्याग कर जो भारत माता के दुःखों का मोचन करने के लिए कूद पड़ते हैं, जो खतरों से खेलते हैं उनका मैं अभिनंदन करता हूं। महोदय, सर्वप्रथम में अपने राज्य, उड़ीसा से शुरू करूंगा। उड़ीसा में कई मुख्य रक्षा प्रतिष्ठान हैं उनके माध्यम से उड़ीसा रक्षा में भारी योगदान देता है।

कटक जिले में छबंला में एक सैन्य वायु बेस है। कोरापुर जिले में सुना बोला में एक एम. आई. जी. फैक्ट्री है। पुरी जिले में, एक नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र हैं, ज़जिला लासोर में चांदीपुर में एक प्रमाण एवं परीक्षण केन्द्र है। जिला बोलनगीर में, सोनीतला में एक आयुद्ध कारखाना है। जिला गंजम में गोपालपुर में एक प्रशिक्षण केन्द्र है और जिला बलसोर में नीलगिरी में एक राडर स्टेशन है।

उड़ीसा के लोग देश की रक्षा के सभी प्रतिष्ठानों के लिए सभी प्रकार का त्याग करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। मैं यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं कि बलियापुर में राष्ट्रीय परीक्षण रेंज अभी तक स्थापित क्यों नहीं हो पाई। मैं इस सम्मानीय सभा के सामने यह स्पष्टतः कहना चाहता हूं कि बलियापुर में राष्ट्रीय परिक्षण केन्द्र की स्थापना का यह प्रस्ताव 1977 में रखा गया था और फिर सरकार ने बलियापुर में राष्ट्रीय परिक्षण केन्द्र स्थापित करने पर काफी जोर दिया। किन्तु पिछले 14 वर्षों में यह स्थापित नहीं किया जा सका। क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : आप अटपकत संक्षेप में बोलिए। अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

डा० कीर्तिकेश्वर पात्र : बोफोर्स मामले और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर बोलने से पूर्व मैं बलियापुर में राष्ट्रीय परिक्षण केन्द्र की स्थापना की स्थिति से स्पष्ट करना चाहूंगा। इसीलिए मैं आपसे कुछ और समय का अनुरोध करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ मिनटों में कई बातें कहने में सक्षम हैं।

डा० कार्तिश्वर पात्र : बलियापुर में राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र की स्थापना के संबंध में 1980 में नई दिल्ली में एक चर्चा हुई थी।

उस समय, रक्षा मंत्री उपस्थित थे। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों सहित उड़ीसा के सभी सदस्यों ने उस चर्चा म भाग लिया। उस समय, श्री अरुणाचलम सलाहकार थे। और वर्तमान सचिव, रक्षा विभाग उपस्थित थे। उन्होंने प्रत्येक बात समझाई। यह बताया गया कि एक विशेषज्ञ समिति ने जिसमें तीन व्यक्ति थे—एक व्यक्ति रक्षा मंत्रालय से, एक अनुसंधान एवं विकास से, एक सदस्य महानिदेशक (गुणवत्ता नियंत्रण) —इस समिति ने देश के विभिन्न भागों की जांच की और इस बारे में जांच पड़ताल की और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्रीय परिक्षण केन्द्र की स्थापना

के लिए बलियाल उचित स्थान है। उस समय, मैंने उनसे मामले में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए कहा था। उस समय, मैंने स्पष्टतः कहा था कि यह स्थान उचित नहीं है और यदि जनता का सहयोग नहीं मिला तो यह क्रियान्वित नहीं होगा। मैंने यह भी कहा कि बलियायाल की जनता इसका कड़ा विरोध करेगी और मैंने उनसे एक अन्य यथोचित स्थान ढूंढने के लिए कहा। किन्तु मेरा अनुरोध अस्वीकृत कर दिया गया।

महोदय, पहले कई प्रधान-मंत्रियों द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। किन्तु कोई भी अधिकारी वहां नहीं जा सकता क्योंकि बलियायाल बालसौर की हरियाली है। वहां काफी कृषि-योग्य भूमि है। सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, बलियायाल में 70,000 लोग विस्थापित होंगे और 99 गांव खाली किए जाऐंगे···(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने विषय पर आए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। इस पर विचार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ये सभी सूचनाएं उपलब्ध है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। कृपया अपने विषय पर बोलिए। कई सदस्य बोलना चाहते हैं।

डा० कार्तिश्वर पात्र : महोदय, कई सदस्यों ने 40 मिनट से भी अधिक समय लिया है। मैं आपके कक्ष में आपसे स्पष्ट रूप से प्रार्थना की थी कि अपनी शिकायतों को अभिव्यक्त करने के लिए मुझे अधिक समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपको बोलने का समय मिलेगा। किन्तु आपको आंकड़े देने को आवश्यकता नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, उड़ीसा की संपूर्ण जनता बलियायाल में राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का विरोध कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें बोलने से रोक नहीं रहा। किन्तु मैं कह रहा हूं कि उन्हें ये ब्यौरे देने की जरूरत नहीं है।

डा० कार्तिश्वर पात्र : मेरा तर्क यह है। हमने उड़ीसा में किसी अन्य रक्षा प्रतिष्ठान की स्थापना का विरोध नहीं किया है। उड़ीसा की जनता इस प्रतिष्ठान की स्थापना का कड़ा विरोध क्यों कर रही है।

महोदय, सरकार के आकलन के अनुसार, 70,000 लोग बेघर हो जाऐंगे। किन्तु मेरे अनुमान के अनुसार, 1.5 लाख लोग बेघर हो जाएंगे। वहां कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास संपति हैं किन्तु वहां आवासीय गृह नहीं है। वे भी इससे प्रभावित होने और वे भी विस्थापित हो जाएंगे। यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि भोगराई के 41 गांवों को भी खाली करना पड़ेगा। और सरकार को विशाल भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण करना होगा।

अगर बालियायाल, मानचित्र में नहीं होता तो इस राष्ट्रीय परिक्षण केन्द्र की स्थापना का क्या हुआ होता। इसे किसी अन्य यथोचित स्थान पर बनाया जाता। मैं यहां सदन के समक्ष, माननीय रक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र बलियायाल से हटा कर

किसी अन्य उचित स्थान पर बनाया जाए। क्या यह सरकार हमारे लोगों को मारेगी। क्या यह सरकार हमारे लोगों को मारमार राष्ट्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित करेगी? इसका उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस मामले पर विचार विमर्श करने का और तत्पश्चात इस संबंध में उचित कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

इस सभा में, बोफोर्स के मामले को लेकर बहस हुई और कुछ बड़े लोगों ने इस बोफोर्स के मामले से लाभ उठाया और उन्हें देश में ऐसा स्थान मिला कि प्रत्येक व्यक्ति इस बोफोर्स के मामले को उछालने लगा। किन्तु इस बार क्या हुआ ?

[हिन्दी]

सिन्धु भीतर पाप छिपे न।
निछ छिपे न बड़पन गाई ।।
सभा के भीतर पंडित छिपे न।
सूरज छिपे न बादल छाई ।।

[अनुवाद]

सत्य एक दिन में प्रकट हो सकता है। मैं सभा से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट को माननीय सदस्यों और देश की जानकारी के लिए सभा में रखना चाहिए क्योंकि यह ऐसा मामला है जिसे राजनैतिक रंग दिया गया है और इसके द्वारा कुछ लोगों ने सत्ता हथियाने का मौका हड़प लिया। मैं लोगों के नाम ले रहा। किन्तु वे भली-भांति अपनी स्थिति जानते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च, 1990 के वर्ष के लिए कुछ टिप्पणियां की है, 1991 का क्रमांक 8 इन टिप्पणियों का उचित उत्तर नहीं दिया गया या उचित रूप से निपटान नहीं किया गया। रक्षा विभाग में अधिकारियों और कुछ अन्य लोगों की लापरवाही के कारण करोड़ों का नुकसान हुआ और उसके कारण अब हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह इस ओर भी संकेत किया था कि जो धन एक विशिष्ट कार्य के लिए बजट में आवंटित था, उसका 67 प्रतिशत का पूरी तरह दुरुपयोग किया गया.....

अध्यक्ष महोदय : आपको अब अपनी बात समाप्त करनी होगी। आप इस तरह लगातार नहीं बोल सकते। समय अत्यन्त सीमित है। आपको न जानना चाहिए कि एक विषय पर कैसे बोला जाता है ?

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : मुझे पांच मिनट और चाहिए।

लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रशिक्षण—अनुरूपक के बारे में यह कहा गया है :

> "वायु-सेना में कुछ प्रशिक्षण अनुरूपकों के प्रतिस्थापन और उपयोग की लेखा परीक्षा में अन्य बातों के साथ यह उद्घाटित हुआ कि 11.49 करोड़ रुपए की कीमत के दो अनुरूपक क्रमशः जुलाई 1985 और

मार्च 1887 से अनियमित विद्युत आपूर्ति के कारण बेकार पड़े रहे।"

एक और भी महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं उसको उद्धृत करता हूं :

"सरकार ने सितम्बर, 1983 में 967 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर गोला बारूद और अन्य विशेष उपस्कर के साथ तीन प्रकार के पोत खरीदने की स्वीकृति दी थी। इन पोतों के अधिग्रहण, प्रचालन और रख-रखाव की लेखा परीक्षा संवीक्षा में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि 618.30 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे गए एक प्रकार के पोत के डिजाइन में अनेक कमियां थीं जिससे इसके प्रचालन में गंभीर कठिनाइयां आईं।"

यह बताया गया था कि यह 1993 से पहले तैयार नहीं होगा। हालत यह है। इसी प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा रक्षा अधिकारियों की लापरवाहियों के अनेक मामलों के बारे में बताया गया है। लेकिन मैं उन सबका उल्लेख नहीं करूंगा। मैं यहां केवल कुछ ही मुद्दे उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया और नये मुद्दे न उठाइए। ये दो मुद्दे ही काफी हैं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री डी० डी० खनोरिया (कांगड़ा) : माननीय अध्यक्ष जी, डिफेंस का जो बजट हमारे सामने आया है, उसको देखने के बाद मुझे अफसोस इस चीज का हुआ कि हमारे अवकाश प्राप्त फौजी भाई बीस लाख से ऊपर अपने घरों में बैठे हैं, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है। यह सभी को पता है कि सर्विस करने के बाद हरेक आदमी को रिटायर होना पड़ता है, घर में और परिवार में रहना पड़ता है। आर्म्ड फोर्स पर्सनल की सर्विस कंडीशन्स को देखते हुए हमें दुख होता है कि हमारी पैन्शनों में बहुत बड़ी विसंगति है जो कि जमीन से आसमान तक छती है। मैं, बत्तीस साल की नौकरी करने के बाद पेन्शन में आया था। आज आने वाले और 1973 से पहले आने वाले अर्म्ड फोर्स के जवान और अफसरों की पेन्शन में बहुत बड़ा फर्क है। इस चीज को देखकर आपको बड़ी हैरानी होगी। 1973 में थर्ड-पे कमीशन की रिपोर्ट जिस वक्त लागू की गई थी तो उस वक्त 1973 से पहले आने वाले हवलदार को 375 रुपए मिलते थे। लेकिन आज उसी रैंक के आने हवलदार को 761 रुपए प्रति माह को पेन्शन मिल रही है। 1973 से पहले आने वाले एक सूबेदार मेजर को 551 रुपए प्रति माह पेन्शन मिलती है लेकिन 1973 के बाद आने वाले सूबेदार मेजर को 1588 रुपए की पेन्शन मिलती है। इसी प्रकार एक लेफ्टीनेंट की जो 1973 से पहले आने वाले थे उनको 850 रुपए पेन्शन के मिलते थे और अब जो 1973 के बाद आ रहे हैं उनको 2550 रुपए की पेन्शन मिलती है। इसी प्रकार 1973 से पहले आने वाले ब्रिगेडियर को 1648 रुपए पेन्शन मिलती है और 1973 के बाद आने वालों को जो उसी रैंक के हैं उनको 3150 रुपए प्रति माह पेन्शन के के मिलते हैं। इसी प्रकार 1973 से पहले आने वाले लेफ्टीनेंट जनरल को पेन्शन 2534 रुपए प्रति

माह मिलती है और अब आने वाले उसी रैंक के अफसरों को 3800 रुपए प्रति माह की पेन्शन मिलती है। यह बहुत बड़ी विसंगति है। जिन लोगों ने आर्म्ड फोर्सेस में नौकरी की हैं या जो कर रहे हैं तो हमारी कंडीशन में और सिविलियन डिपार्टमेंट के लोगों की कंडीशन में बड़ा फर्क है। आर्मी के जवान की जब रिटायरमेंट होती है तो उसकी उम्र 35 से 40 साल के बीच होती है। जब उस उम्र में वह घर में आता है तो उसके बच्चे सैटल नहीं हो पाते तथा और मुसीबतों को सहना पड़ता है। सिविलियन डिपार्टमेंट में काम करने वाले हमारे काउन्टरपार्ट 58 साल की उम्र तक नौकरी करते हैं। एक ही कुर्सी के ऊपर, एक ही मकान में रहते हैं और एक ही जगह पर रहकर हैं और 58 साल की उम्र तक सारी प्रमोशन हासिल करते हैं। 58 साल की उम्र तक बच्चे सैटल हो जाते हैं, घर बन जाता है और घर में आने के बाद कोई भी प्राबलम सहन नहीं करनी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेज के रिटायर हुए जवान और आफिसर हैं, उनको दिन-रात मेहनत करने के बाद भी कम पेन्शन मिलती है। उसके साथ-साथ जब वे अपने घर जाते हैं तो वहां कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। 1973 के रिटायर हुए जवान जब वे फौज में थे चाहे आर्मी में हों, नेवी में हों या एयर फोर्स में हों उन्होंने देश की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं। उन्होंने 1947-48, 1962, 1965 और 1971 की लड़ाइयां लड़ी हैं। ये वही लोग हैं जिनकी पेंशन कम है, लेकिन उनको कई किस्म के मैडल हासिल हुए हैं। अंग्रेजों के समय में विक्टोरिया क्रास, उसके बाद वीर चक्र, महावीर चक्र, और परमवीर चक्र उनके पास ही हैं। लेकिन पेंशन के मामले में वे सबसे पीछे हैं, उनको सबसे कम पेंशन मिलती है। अपनी जिन्दगी को कुर्बान करके उन्होंने ये मैडल कमाये हैं। मैडल कोई बाजार में नहीं मिलते कि उन्हें खरीद लिया जाये और न ही घरों में बैठकर प्राप्त किये जा सकते हैं। अपनी जान देश पर कुर्बान करते हैं तब मैडल पाते हैं। जब घर आते हैं तो सबसे कम पेंशन उन्हें मिलती है। घर में उनके खाने के लिए राशन नहीं होता है वे अपनी जमीनें गुजारा कानून के तहत खो चुके हैं, और उस पर अपना कब्जा कर लिया है। मेरा सरकार से और रक्षा मंत्री से अनुरोध हैं कि हमारे जो बीस लाख से ऊपर फौजी आदमी रिटायर होकर घर में बैठे हैं उनके मन में बहुत बड़ा रोष है उनके बारे में आप सोचें। वे कई राज्यों की विधान सभाओं में भी आ चुके हैं। यहां पर भी 1984 में कई रिटायर फौजी आये थे और इस लोक सभा में भी हम लोगों की संख्या आठ के करीब है।

हम चाहते हैं कि सदन हमारा समर्थन करे और जो पेंशन के मामले में विसंगतियां है उसको दूर किया जाये। श्री वी० पी० सिंह ने अन्तरिम राहत दी थी सात रुपये से लेकर 459 रुपये की एडहॉक रिलीफ दी थी। यह कम से कम सिपाही से लेकर सूबेदार-मेजर तक को मिलनी चाहिए, लेकिन वह भी अभी तक नहीं मिली है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि रिटायर्ड फौजियों को उनको पेंशन में जो विसंगति है, जो फर्क है वह दूर होना चाहिए ताकि वे लोग भी अपने परिवार को पाल सकें और उन लोगों में जो रोष है वह खत्म हो सके।

इतना ही मुझे रिटायर्ड फौजियों के बारे में निवेदन करना था।

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष जी, हमारे भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था—जय जवान जय किसान। मान्यवर, रक्षा मन्त्रालय के बजट से यह सिद्ध हो जाता

है कि इस देश के जितने किसान उपेक्षित हैं उसी तरह से जवान भी उपेक्षित हैं। पवार साहब हमारे अनुभवी मन्त्री हैं। आज पेंशन के सम्बन्ध में आपने देखा कि सदन में जितने भी सदस्य बोले हैं, हमारे माननीय नेतागण ने भी स्वीकार किया है कि देश की सुरक्षा के लिए जो लोग लड़ाई लड़ते हैं, देश की सुरक्षा पर कुर्बान होने का काम करते हैं उनकी आज क्या स्थिति है। वे लोग 35-36 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। फिर वह लौटकर घर आते हैं तो आपको पवार साहब आश्चर्य होगा कि उनकी नौकरियों के लिए प्रत्येक राज्य में रक्षा मन्त्रालय ने जो संस्थान बनाया है उसमें उनको पांच-पांच, छः-छः वर्ष तक दौड़ना पड़ता है। कोई भी योजना पर अमल नहीं होता है। जो इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी को तैयार रहते हैं उनके लिए आपको सिर्फ पेंशन ही नहीं उनके बच्चों की पढ़ाई की भी निश्चित रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक वे फोर्स में रहते हैं आप अच्छे स्कूल में उनके बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। लेकिन जब वे रिटायर होते हैं तो उनके बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं होती है, आप उनको प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो आप देखेंगे कि रक्षा बजट में आपका कोई ऑडिट लेखा-जोखा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि उसका सही उपयोग सही जगह पर होना चाहिये। जब चीन के साथ युद्ध हुआ था तो हमारी स्थिति अच्छी नही थी। पं० जवाहर लाल नेहरू के जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से दरभंगा से फारबिसगंज तक सीमावर्ती सड़क की स्वीकृति दी थी लेकिन आज तक न इस बजट में और न ही पिछले बजट में रक्षा मन्त्रालय की ओर से इस पर ध्यान दिया गया है जबकि उस समय सुरक्षा की दृष्टि से और मुस्तैदी के साथ पीछे हट रहे थे। आप यह जान लें कि यदि चीन या बंगलादेश की तरफ से कोई आक्रमण होता हो या कोई और आपके ऊपर दुस्साहस करता हो तो आपकी वही स्थिति होगी। इस यातायात के सम्बन्ध में जो स्थिति पं० जवाहरलाल नेहरू के समय में थी, वही अब होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा की दृष्टि से जो सड़क यातायात या रेल बातायात हो या ऐसी कोई और आपकी व्यवस्था हो, निश्चित रूप से विशेष ध्यान देकर उस कार्य को आप करने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, अभी इसी सदन में मैंने आपके माध्यम से कहा था कि पाकिस्तान आपसे युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। भले ही जितने दिनों तक आप और हम टाल सकें, टाल लें परन्तु वह उग्रवादियों को आपके हिन्दुस्तान से सटे हुए बार्डर एरिया में प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। हम लोगों ने कहा कि उन प्रशिक्षण केन्द्रों को मुस्तैदी के साथ युद्ध करके निश्चित रूप से ध्वस्त करना चाहिये।

मान्यवर, अभी आपने देखा है कि वहां के सेनाध्यक्ष अफजल बेग ने कहा कि हिन्दुस्तान इतना मजबूत हो चुका है कि किसी भी वक्त उसके ऊपर युद्ध कर सकता है। यह इस बात का सूचक है और आपको सूचना कर रहा है कि मैं युद्ध के लिए तैयार हूं, आप तैयार रहें। आप इस बात को नकार नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के पास आणविक बम है और आप शान्तिप्रिय बनते रहेंगे, इससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी रक्षा पर जितना खर्च करना हो, आणविक बम बनाना चाहिए क्योंकि इसे बनाने का समय आ गया है और हमें अवश्य ही बनाना चाहिये। साथ ही आधुनिक हथियार भी बनाने चाहिये तथा हमारी सेना में जो पदाधिकारी हैं, उनको ज्यादा-से-ज्यादा सुविधायें दे सकते हैं, वह देने का कार्य करें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोहन विष्णु रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। इसके पहले स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी और पूर्व प्रधानमन्त्री श्री वी० पी० सिंह तथा श्री चन्द्रशेखर जी के पास रक्षा मन्त्रालय का कार्यभार था लेकिन इस बार हमारे महाराष्ट्र से आये हुए साथी श्री शरद पवार जी को यह मन्त्रायय दिया गया है। हमने माननीय रक्षा मन्त्री जी को अपनी आंखों से देखा हुआ है। जब हम बम्बई गये थे तो एक जहाज से दूसरे जहाज में आना पड़ा तो मैंने उनके साहस को देखा। यदि वे राजनीति में निपुण हैं तो युद्ध में भी निपुण हो वह देखा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान अपने देश में और विदेश में भारत के विरुद्ध गलत प्रचार कर रहा है। साथ ही वह कश्मीर में उग्रवादियों को आर्थिक सहायता दे रहा है। अमेरिका, चीन और ईरान से आधुनिक हथियार उसको मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि भारत चीन के सम्बन्धों में सुधार हुआ है लेकिन यह बात गलत हैं। पाकिस्तान छम्ब और पुंछ क्षेत्र में उग्रवादियों की आड़ में युद्ध कर रहा है। गत कुछ दिनों से पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में भारी गोलाबारी कर रखी है और उसमें 22 लोग हताहत हुए हैं। अभी छम्ब क्षेत्र में भी गोलाबारी की है। मुझे आपको यह बतलाना पड़ता है कि पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ और भूतपूर्व प्रधान मन्त्री बेनजीर भुट्टो विभिन्न मतों के हैं लेकिन उन्होंने अभी-अभी फॉरेन न्यूज में एक मुलाकात दी। उन्होंने इन्टरव्यू में कहा कि पाकिस्तान और हिन्दुस्तान में काश्मीर के प्रश्न पर एक वर्ष के अन्दर युद्ध हो सकता है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान युद्ध करने के लिए तैयार है। हमने विदेश सचिव के स्तर पर कई बार इसका हल निकालने का प्रयास किया, लेकिन कुछ हो नहीं सका। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने यहीं रामलीला मैदान में जन-समुदाय के सामने कहा था कि पाकिस्तान हमें गाली दे रहा है, उसकी गाली का जवाब हम गाली से नहीं देंगे, गोली से देंगे। यही अपेक्षा हमें सरकार से है।

अध्यक्ष महोदय, आज पाकिस्तान जोर-शोर से विदेशों में भारत के विरुद्ध गलत प्रचार कर रहा है। पाकिस्तान की भारत से सम्बन्ध सुधारने की कोई इच्छा नहीं है। अर्जेन्टीना से, चाइना के पास से वह चाय लेता है, कीनिया से वह चाय लेता हैं, उनको महंगी पड़ती है, लेकिन हमसे लेने के लिए वह राजी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 1200 विजयन्त टैंक हैं, जो हमने ब्रिटेन से लिये, लेकिन 20 वर्ष पहले ब्रिटेन ने उनका निर्माण बन्द कर दिया है। हमारे पास 60 अच्छे युद्धपोत हैं जो 15 वर्ष पहले लिए, वे भी आधुनिक ढंग की टैक्नीक के होने चाहिए। हमारे पास मिग-21 विमान हैं जो हमने रूस के लिए, उसका भी उत्पादन उन्होंने बन्द कर दिया है। वह भी नई टैक्नीक के होने चाहिए। आज हमारा दुश्मन पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि चीन भी है। आज चीन के पास 30,30,000 सेना है भारत के पास 12,62,000 सेना है। और पाकिस्तान के पास 5,15,000 सेना है। आज चीन के पास तेरह हजार मील तक मारने वाली मिसाइलें हैं और विमान से तीन हजार किलोमीटर तक मारने वाली मिसाइलें हैं।

अध्यक्ष महोदय, रक्षा बजट में नौसेना के लिए 892 करोड़ रुपया, आर्मी के लिए 8079

करोड़ रुपया और वायु सेना के लिए 2054 करोड़ रुपये का सरकार ने प्रावधान किया है, लेकिन इसमें ज्यादा बढ़ती होनी चाहिए। गल्फ युद्ध में हमने देखा है कि आधुनिक टैक्नीक से युद्ध किया जाता है। हमें ज्यादा-से-ज्यादा वायुसेना और नौसेना के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हमारे जो विमान हैं, उनके लिए पेट्रोल की कमी नहीं होनी चाहिए। हम जो पायलट्स को ट्रेनिंग देते हैं, अगर उनको पेट्रोल की कमी पड़ेगी तो हमारा ट्रेनिंग स्टैंडर्ड कम होगा और युद्ध में संकट पैदा हो सकता है। 150 प्रति लीटर हर दिन लगता है। वह 150 प्रति लीटर प्रयोग होना ही चाहिए। मुझे मालूम है कि वक्त कम है।

श्रीलंका में भारतीय सेना भेजने से धन बहुत खर्च हुआ है, लेकिन उसमें जो सैनिक हताहत हुए, हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि भारतीय सेना के हताहत जवानों के आश्रितों के पुनर्वास करने का काम नहीं किया, वह तेजी से होना चाहिए। देश में कानून और व्यवस्था के लिए जो सेना भेजते हैं, वह बन्द होनी चाहिए। मैं अभी मुंबई गया था। वहां देश की सुरक्षा के लिए मेजगांव डॉक पर जो सैनिक हैं उनको 15 वर्ष से नया वेतन नहीं दिया गया है। उनकी शिकायत है कि उन्हें मकान भत्ता' शिक्षा भत्ता नहीं मिल रहा है। वहां 45 प्रतिशत कर्मचारी कांट्रेक्ट बेसिस पर हैं। अगर ये स्ट्राइक पर जाएंगे तो युद्ध के समय कुछ भी हिन्दुस्तान में हो सकता है। युद्ध कभी भी हो सकता है। (व्यवधान) बाहर तो गोलीबारी हो रही है लेकिन हमारी सरकार बता नहीं है रही। हमारे पास केवल 18 सैनिक स्कूल हैं, उनमें भी बढ़ती होनी चाहिए। महाराष्ट्र में एक नेवल प्री ट्रेनिंग स्कूल नहीं है। रायगढ़ और रत्नागिरि जो कोस्टल एरिया हैं, महां ये होने चाहिए। हमारे रक्षा मन्त्री महाराष्ट्र से आए हैं। उनको मालूम है कि छत्रपति शिवाजी ने 'नेवी, नेवल इण्ट्रोड्यूस की थी। उनके लाने के बाद ब्रिटिश लोग हमारे यहां आए और हमारे ऊपर राज करके गए। इसलिए हमारी ऑमंरी खाली नहीं रहनी चाहिए। एक वर्ष में हिन्दुस्तान में 50 हजार सैनिक सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मेरी मांग है कि हर राज्य को उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिये।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि श्री अरुण सिंह की अध्यक्षता में जो डिफेंस एक्सपैंडीचर से सम्बन्धित कमेटी बनी थी, मैं जानना चाहता हूं कि उसके बारे में सरकार क्या कर रही है। सरकार को उसके बारे मैं फिर से सोचना चाहिए। वैसे तो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की सुविधाओं के बारे में बड़े जोर-शोर से प्रचार किया जाता है लेकिन उनमें भी भारी असन्तोष है। "वन रैंक वन पेंशन" के सिद्धांत को सरकार को मान लेना चाहिये। गणतंत्र दिवस की परेड में जब भूतपूर्व सैनिकों का जत्था हमारे सामने से गुजरता है तो उन्हें देखकर गर्व से, फख्र से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है लेकिन जब वे आन्दोलन करते हैं और धरने पर बैठते हैं, उस टाइम हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि उनकी सुविधाओं पर ध्यान दे। इन शब्दों के साथ, मैं रक्षा बजट का शिवसेना पक्ष की ओर से विरोध करता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आशा करता हू कि मैंने यहां जो विचार प्रकट किये हैं, रक्षा मन्त्री जी उनकी ओर ध्यान देंगे और कुछ उसमें सुधार करेंगे। आपने मुझे मौका दिया, इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हू।

श्री तेजसिंह राव भोंसले (रामटेक) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार के रक्षा बजट का

समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब हमारा देश स्वतन्त्र हुआ था, उस समय कश्मीर भारत में विलीन हो गया था। विलीन होने में, हिन्दुस्तान पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके बाद कश्मीर का एक हिस्सा भारत में शामिल हो गया और कुछ हिस्सा आजाद कश्मीर के नाम से पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। उस दिन से आज तक कश्मीर समस्या हल नहीं हो पाई है।

भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1962 में हुआ। उसके बाद 1965 में भारत चीन युद्ध हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच 1971 में एक और युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप बंगलादेश अलग हो गया। इसके बाद श्रीलंका में शान्ति-सेना भेजी गयी और जब उसे वापस बुलाया गया तो उसका परिणाम यह हुआ कि एल०टी०टी०ई० का प्रभाव श्रीलंका के उत्तरी भाग में बढ़ता गया और उससे भारत देश को भी बहुत खतरा पैदा हो गया।

पाकिस्तान की भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, बेनजीर भुट्टो के कथन के अनुसार पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की क्षमता रखता है। क्या भारत सरकार ने इसे गम्भीरता से लिया है? पोखरन में, स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में अणुशक्ति का परीक्षण हुआ था, मगर आज तक हमने अणुशक्ति का उपयोग मेडिकल तथा मानव प्रगति के लिए ही किया है। उसके बाद 1971 में भारत-पाक का युद्ध हुआ। आज भी वैसे ही पुंछ क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बराबर गोलीबारी की छुटपुट घटनाएं जारी हैं। न्यूज-वीक के अनुसार, वर्तमान पाकिस्तान के प्रधान ने कहा है कि भारत-पाक युद्ध होगा जबकि उसी समय पाकिस्तान के सुरक्षा मन्त्री भारत यात्रा पर आते हैं और उनके साथ सीमा पर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठियों की कार्यवाहियों पर रोक लगाने की चर्चा की जा रही है। इसका मतलब क्या है, यह हमें आज तक समझ में नहीं आया है। आजाद कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनके प्रशिक्षण शिविरों को बन्द कराने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? यदि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बन्द नहीं करता है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत उन प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने का काम करने वाला है या नहीं।

उसी तरह असाम में उल्फा और बर्मा की काचीन आर्मी, दोनों आतंकवादी संस्थाएं, एक दूसरे से समन्वय स्थापित करके भारत में आतंकवाद एवं विघटनकारी कार्यवाहियां कर रही हैं, उसके संबंध में भारत सरकार को जानकारी होगी। वैसे ही श्रीलंका की एल०टी०टी०ई० भारत के अनेक स्थानों पर आतंक एवं भय का वातावरण बना रही है। उसका उदाहरण पूना से दिल्ली जाने वाले विमान का अपहरण करने की धमकी और दूसरे मैटूर डैम को ध्वस्त करने की धमकी है। ऐसी बातें चल रही हैं। पंजाब में आज भी हालत यह है कि वहां आतंकवादियों द्वारा कम-से-कम 30 लोगों को प्रतिदिन मौत के घाट उतार दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, आतंकवादी सरेआम घूम रहे हैं तथा इन घटनाओं में बेकसूर लोग एवं पुलिस कर्मियों को जान से हाथ धोना पड़ रहा है। रक्षा उत्पादन द्वारा मैं यह चाहता हूं कि आज की जो पूरे देश की परिस्थिति हैं, उसको देखते हुए, हालांकि हमारी जो भी फोर्स है, डिफेंस फोर्स है या कोई और है वह अटैक करने वाली फोर्स नहीं है, लेकिन आज की पूरी परिस्थिति को देखते हैं, जैसे अभी मिडिल ईस्ट में जो युद्ध हुआ, उसकी तरफ ध्यान देते हुए सोचें, तो जो रक्षा के मामले में क्रांति हुई है और

जो क्रान्ति रूस में हुई उसको देखते हुए हमारा भरोसा पूरा रशिया पर था, वहां से हमारा एम्यूनेशन आदि आता था, लेकिन आज वहां की परिस्थिति भी ऐसी है कि वहां आर्थिक स्थिति खराब है, वहां पर बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि वहां से भी हमें यह सब सामान आना मुश्किल है। इसलिए हमें अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर सकें, तो अपना देश आत्म निर्भर हो सकता है।

रक्षा उत्पादन में जो रक्षा सामग्री बनाई जाती है, उसकी बिक्री से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। आज रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा सामग्री से सम्बन्धित वस्तुओं का 50 प्रतिशत निर्माण कर रहा रहा है। अगर हम शत-प्रतिशत उत्पादन करना शुरू कर दें, तो हमें बाहर से रक्षा सामग्री मंगाने की आवश्वकता नहीं पड़ेगी। छोटे हथियार जैसे पिस्टल, मशीनगन, स्टेनगन, हथगोला, छोटी तोपें, मोटर गाड़ियां, ट्रेनर, हवाई जहाज एवं पुराने बिक्री के लिए निकाले गए हथियारों की बिक्री विदेशों में होनी चाहिए। इससे विदेशी मुद्रा काफी मात्रा में भारत को मिल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं मांग करना चाहता हूं कि एक रैंक एक पेंशन देने से सब लोगों में एकता की भावना आएगी। शायद इससे सरकार की तिजौरी पर काफी भार आ सकता है। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए। इसमें सर्वप्रथम वयोवृद्ध पेंशनधारक को प्राथमिकता प्रदान की जाए। उसके बाद अन्य पेंशन-भोगियों को बाउण्ड के रूप में इसका श्रेय प्रदान किया जाए, जिससे सरकार के ऊपर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा। सेवानिवृत्त रक्षा कर्मचारियों, अधिकारियों तथा सैनिकों के लिए बड़े रोगों के उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे कैंसर, किडनी ट्रांसप्लाण्ट, हार्ट ऑपरेशन जैसी बीमारियों के उपचार हेतु व्यवस्था होनी नितान्त आवश्यक है। विरोधी पार्टी की तरफ से 'एक रैंक एक पेंशन' की मांग 13 अक्तूबर 1990 को नेशनल फ्रण्ट सरकार ने जाहिर की थी। उससे एक से सवा लाख लोगों को फायदा होगा और आम लोगों में असन्तोष पैदा होगा। इसमें 8 प्रतिशत लोगों को फायदा होगा और 92 प्रतिशत लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि अधिकारी वर्ग, जे०सी०ओ० आनरेरी कमीशन होल्डर और जो सैनिक सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी कर रहे हैं उनको तथा मृत सैनिकों की विधवाओं को इसका लाभ नहीं होगा और इससे इन लोगों में असन्तोष फैल सकता है।

अध्यक्ष महोदय . भोंसले साहब, आप अपने सुझाव रक्षा मन्त्री जी को भेज दीजिए।

श्री तेजसिंह राव भौसले : अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अन्त में सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहता हूं कि प्रत्येक सैनिक को आवास सुविधा प्रदान की जाए। इनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। सीमा पर दुर्गम स्थानों में काम करने वाले सैनिकों एवं अधिकारियों को विशेष अवकाश की सुविधा प्रदान की जाए। ऐसी सुविधा ब्रिटिश राज्य के समय थी। सैनिकों के लिए रेलवे में आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। सैनिकों के लिए विशेष गाड़ियां फिर से शुरू की जाएं। जम्मू से बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और गुवाहाटी आदि स्थानों के लिए विशेष सैनिक गाड़ियां चलाई जाएं। राज्य परिवहन की गाड़ियों में भी सैनिकों को आरक्षण प्रदान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में, एक और सुझाव देते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। जिस

प्रकार से महाराष्ट्र विधान परिषद् में एक निरिटायर्ड कर्नल को लिया गया है, वैसे ही भूतपूर्व रक्षा अधिकारी या उनके प्रतिनिधि के रूप में जो प्रतिनिधित्व करता हो, उसको राज्य सभा में लिया जाएगा, तो हम उनको सही मायने में सम्मान दे सकेंगे और उनका प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, सरकार उन पर ध्यान देगी और उनको कार्यान्वित करेगी। मेरा इस बजट को पूरा-पूरा समर्थन है।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : श्री तेजसिंह राव भोंसले ने, जो छत्रपति शिवजी के वंशज हैं, रक्षा बजट का समर्थन किया है। अब शिव सेना को अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए और रक्षा बजट का समर्थन करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बजट पर मतदान के समय वे ऐसा करेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री श्रीपाल सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस में रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एक लम्बे समय की गुलामी के बाद भारत 1947 में आजाद हुआ।

अध्यक्ष महोदय : टाइम थोड़ा है इसलिए आप पाइंटस ही बोल सकेंगे, इलैबोरेट नहीं कर सकेंगे। मैं यह इसलिए कह रहा हूं ताकि आप ज्यादा पाइंटस दे सकें।

श्री श्रीपाल सिंह यादव : मैं विदड्रा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पांच-सात मिनट जरूर बोललिए। दूसरे लोग भी बोलने वाले हैं।

[अनुवाद]

मैं आपको भाषण देने नहीं मना कर रहा हूं। मेरा यह कहना है कि समय कम है। क्या आप नहीं बोलेंगे ?

[हिंदी]

श्री श्रीपाल सिंह यादव : सब लोग बोल चुके हैं इसलिए मैं विदड्रा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले आपने निवेदन कर दूं कि आपकी दृष्टि में सब समान हैं। मैं कल से देख रहा हूं कि कुछ सदस्य काफी समय तक बोलते हैं और हमारे लिए आप दो मिनट में घंटो बजा देते हैं।.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मेरा विनम्र निवेदन है कि वाद-विवाद के क्रम में यह फेर-बदल कोई अच्छी बात नहीं है।

[हिंदी]

मैं आपके माध्यम से और इस अगस्त हाउस के माध्यम से इस दुनिया की सबसे अच्छी फाइटिंग एंड दी फाइटिंग सोल्जर्स को प्रणाम करता हूं। लेकिन इस बजट का मैं जरूर विरोध कर रहा हूं। काइनेस्ट फाइटिंग सोल्जर्स इसलिए कि सैकंड वर्ल्ड वार में इन्हीं सैनिकों ने फैसिज्म के खिलाफ डैमोक्रेसी की रक्षा की थी यही नहीं, सन् 1948 से सो-कॉल्ड इस्लामिक रिपब्लिक आफ पाकिस्तान की तीन लड़ाइयों से सैकुलरिज्जम की रक्षा उन्होंने की है। सन् 1948 में पाकिस्तान ने छोटे से हिस्से में अटैक किया और उनको उसका जबाब उतने में मिल गया। यदि नेहरू जी गलती न करते तो आजाद कश्मीर राष्ट्र नाम की चीज ही समाप्त ही जाती।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

मैं इतिहास से उद्धृत कर रहा हूं। आप इतिहास को नहीं बदल सकते। मैं केवल यही कहूंगा।

[हिंदी]

सन् 1965, में पाकिस्तान ने उससे बड़ी लड़ाई लड़ने की कोशिश की और हमारे सैनिक लाहौर पहुंच गए। सन् 1971 में फिर कोशिश की तो उसके दो टुकड़े हो गए और मुझे विश्वास है कि यदि अगली कोशिश की तो उनकी नानी याद दिला देंगे। लेकिन सैनिकों से इतना प्रसन्न होकर उनके प्रति इतना आदर भाव रखकर भी अगर मुझे चिन्ता है तो उनकी जो उनको ऊपर डायरैक्ट करते हैं—सिविल लीडरशिप, जिन्होंने उस सैनिक की चिन्ता न करके अपने राजनैतिक खेल के लिए पूरा प्रयास किया कि हमारी यह मशीन खराब हो जाए और इसकी शुरूआत जीप स्कैंडल से होती है। सैनिकों के लिए जीप खरीदी गई और किसने खरीदी, श्री कृष्णमैनन् जी ने पंडित जी के मित्र और उसको दवा दिया गया। इसी प्रकार से चाइना वार के समय नेहरू जी ने यह कहा कि।

[अनुवाद]

"हां, मैंने अपनी सेना को आदेश दिया है। सेना कमांडर को उन्हें बाहर भगाने के लिए कहा गया।"

[हिन्दी]

नतीजा देख लिया कि क्या हुआ दी हिमालय ब्लंडर, देश की नाक कट गई। उसके बाद भी नेहरू जी उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे।

[अनुवाद]

उन्होंने कृष्णमेनन को बचाया। राष्ट्रपति जी को उन्हें बर्खास्त करने की धमकी देनी पड़ी।

[हिन्दी]

ये सिविक लीडरशिप हमने इस आर्मी को दी और उनको अपनी जान से....(व्यवधान) कितने दुख की बात है कि चाइना के उस धोखे से उनको नेहरू जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इसका

हमें दुख भी है। ये डिटिरियोरेशन कितना हुआ है ? 1971 में मानिकशाह, फील्ड मार्शल जब थे, उस समय जब वार की बात आई तो उनसे कहा।

[अनुवाद]

"मेरे विचार से मेरी सेना अभी तैयार नहीं है।" शायद उन्होंने तीन से चार माह का समय लिया था हर कोई इसका नतीजा जानता है।

[हिन्दी]

लेकिन एक दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए और एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर के नीचे जो थे, उनसे कहा चलिए, आप लंका चलिए और वह उसमें कूद गए। उसमें देश के जवानों और अधिकारियों की हत्या करवा दी, यह आया है।

[अनुवाद]

असैनिक नेतृत्व से सेना के स्तर में धीरे-धीरे गिरावट आ रही है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, आज हालत बहुत खराब है। अब आप देखिए····(व्यवधान)····

अध्यक्ष महोदय : आपको थोड़ी देर में अपनी बात पूरी करनी है····(व्यवधान)···

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ शर्मा : मैं चाहता हूं कि ऐसे बेईमान लोगों से सेना की रक्षा की जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐतिहासिक पहलू को छोड़ दीजिए। आप मुख्य मुद्दे की बात कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा : ये तो सलाह है। आप ऐसे से इनको बचाइए। मैं यह सलाह आज इसलिए दे रहा हूं कि अब एक परिवार विशेष से मुक्ति मिली है। नये हमारे प्रधान मंत्री हुए हैं और नये यशस्वी मराठा हमारे रक्षा मंत्री हुए हैं। सरदार आंगरे, शिवाजी और रानी लक्ष्मी बाई के यह वंशज हैं। इसीलिए आज मैं ये सब बता रहा हूं। मैं इनकी जानकारी के लिए एक बात और ला दूं जिससे कि····यह गलत रास्ते पर न चलें। एयरफोर्स के पिछले चीफ सुबह गए और शाम को दूसरे आ गए और वे सज्जन आये जिन को तीन महीने का एक्सटेंशन दिया इसलिए कि····

[अनुवाद]

एक और व्यक्ति पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहा है।

[हिन्दी]

यह होता है मैन्यूप्लेशन और नेवी में यह बात आई है। यह बात 15 दिन पहले "स्टेटसमैन" में छप चुकी है। यह मैकिनेशन और मैन्यूप्लेशन इतने नीचे तक जा रहा है। उच्च टैंक के अधिकार बूट

पेटी माइंडिड मैन, इस पर मुकदमेबाजी कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि दो अधिकारियों को वह नहीं मिला जो मिलना चाहिए था और उनको आज प्लैग आफिसर बना दिया।···(**व्यवधान**)····

अध्यक्ष महोदय : ऐसी कुछ बातें होती हैं।

[**अनुवाद**]

नियुक्तियां, स्थानांतरण और पदोन्नतियों पर सभा में चर्चा नहीं की जाती है। हमें इसकी शक्ति को बढ़ाना चाहिए, ना कि कम करना। हम नियुक्तियों, स्थनांतरणों और पदोन्नतियों के बारे में सभा में कभी चर्चा नहीं करते।

[**हिन्दी**]

श्री विश्वनाथ शर्मा : मेरा निवेदन यह है कि जब तक गलतियों पर चर्चा नहीं करेंगे तब तक उनका सौल्यूशन कैसे निकलेगा। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : कुछ ऐसी बातें जिन पर हम सभा में चर्चा नहीं करते। हम कुछ नियमों और परंपराओं का पालन करते हैं।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री विश्वनाथ शर्मा : मेरा निवेदन है कि डी० आर० डी० ओ० पर विशेष कर ध्यान दिया जाये और उसको सुधारा जाये। उसके अन्दर बहुत समय से भ्रष्टाचार चला आ रहा है। पहले भी उसके अन्दर एल० सी० ए० जिसे लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, इसकी प्रोजेक्ट एस्कलेट कर गई है, और यह मैं कोट कर सकता हूं। यह है।

[**अनुवाद**]

20 मई, 1985 की आधे घंटे की चर्चा

[**हिन्दी**]

जब माननीय प्रधान मंत्री जी रक्षा मंत्री थे, यह सब उसी मीटिंग का है सर।

[**अनुवाद**]

इसमें नया कुछ नहीं है लेकिन उन्हें यह बात याद दिलाई जाए। श्री राजा महेन्द्र हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स' लिमिटेड के प्रबंध निदेशक, उप प्रबंध निदेशक के रूप में इस समिति के सदस्य थे और वह हल्के लड़ाकू विमानों की बात शुरू होने के समय से हीं उस कार्यक्रम से संबद्ध थे।

[**हिन्दी**]

इन्हीं महिन्द्रा जी के जमाने में जो कन्सैप्ट बना और जो डवलपमैण्ट हुआ, उसके बारे में इसी हाउस में माननीय सदस्य कलामाड़ी जी हैं, उनका कहना यह था कि यह खर्च 30 हजार करोड़ तक

पहुंच जायेगा, जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वह पहुंचेगा, सन् 2000 ईस्वी के बाद, इक्कीसवीं शताब्दी में, तब तक बार फेयर के नियम ही बदल गए होंगे।

[अनुवाद]

यह चीजें व्यर्थ हो जाएंगी।

[हिन्दी]

और ऐसे व्यक्ति को आपने रखा है।

[अनुवाद]

मैं वहां से उद्धृत कर रहा हूं। मेरे पास वह पत्र है जो हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने श्री ए० के० पांडे। संयुक्त सचिव (रक्षा) को लिखा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सभा में पत्र नहीं पढ़ा जाता है। कुछ नियमों का पालन करना होता है। सभा में पत्र नहीं पढ़े जाते हैं। यदि आपके पास पत्रों से प्राप्त कोई जनकारी है, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा : अच्छा सर। बड़ी रेलेवेण्ट चीज लिखी है।

[अनुवाद]

सेना में इसका पालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आर्मी में आपको पता होगा।

[अनुवाद]

आप किसी विदेशी नागरिक से विवाह नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

जैसे आई० एफ० एस० में भी है। उउकी परमीशन लेनी पड़ती है लेकिन सिविलियंस में नहीं है और इन सज्जन की वाइफ यह स्वयं ब्रिटिश सिटीजन थे, इनकी वाइफ ब्रिटिश सिटीजन पासपोर्ट होल्डर थी, यह लिखा गया है।

[अनुवाद]

मेरे विचार से विदेशी नागरिकता बहुत खतनारक बात है।

[हिन्दी]

और अपनी रक्षा सेनाओं को तो कम से कम इससे दूर रखना चाहिए। अध्यक्ष जी, पटिकुलरली जो सिविल एथॉरिटीज हैं, रक्षा सेनाओं की, जब आप इनसे दूर रखते हैं, इस पाप से बचाते हैं तो एल० सी० ए० जैसे के जो प्रोजीनेटर थे, जिस काम के ऊपर हमारा दो हजार करोड़ रुपया खर्च

हो गया, 1982-83 में 6 प्रोटोटाइप की कास्ट 560 करोड़ थी और 1990 में उसके दो प्रोटोटाइप की कास्ट 1560 करोड़ हो गई, यह सी० ए० जी० की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह के लोग जब इनमें आ जाते हैं, सिविलियन, तो यह होता है। अब दूसरी आज कल की बात हुई थी, मारूति उद्योग वाले भार्गव साहब को भेजा गया कि वहां जाकर अपनी मारूति उद्योग की ब्रांच कर लीजिए, पता चला वह दूसरा कारखाना लगवा आये। यह इधर कल ही हुआ है, आपको स्मरण होगा।

[अनुवाद]

मुझे असैनिक नेतृत्व के बारे में बहुत चिंता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने काफी लंबा भाषण दे दिया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बख्शनाथ शर्मा : एक और खतरा है। अब आदमियों की बात नहीं करेंगे, लोगों को शिकायत होती है।

अध्यक्ष महोदय : शर्मा जी, अब आप इस पाइण्ट के बाद कन्क्लूड कीजिए।

(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ शर्मा : मैं डी० आर० डी० ओ० की बात कर रहा हूं, डिफेंस रिसर्च एण्ड डवलपमैंट आर्गेनाइजेशन की जिनके एक सज्जन की फौरन वाइफ है, जिसको मैंने कोट किया।**** **(व्यवधान)**** अब मुझे तो बीच में प्रॉब्लम है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा : नहीं सर, यह दिक्कत आती है। हमारा आजकल।

[अनुवाद]

डी० आर० डी० ओ० में एक और खतरा है****

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा (मुबई दक्षिण) : इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : या तो सदस्य अपनी टिप्पणी वापिस लें अथवा इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री विश्वनाथ शर्मा : मुझे खेद है। *(व्यवधान)* मैं अपनी टिप्पणी वापिस लेता हूं *(व्यवधान)* मैं नियम नहीं जानता था *(व्यवधान)* मैंने अपनी टिप्पणी वापिस लेती है। अब क्या समस्या है? *(व्यवधान)* मैंने किसी का नाम नहीं लिया था *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप कानक्लूड कीजिए।

[अनुवाद]

आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री विश्वनाथ शर्मा : महोदय मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि एलाय का कारखाना सौ करोड़ का, यह मैंने इसलिए कहा था—

[अनुवाद]

मैं नहीं समझता कि इसके वांछित परिणाम रहे। डी० आर० डी० ओ० पर अत्यधिक खर्च हो रहा है, इसलिए उसकी उपलब्धियों पर नजर रखी जानी चाहिए। रक्षा व्यय बहुत ज्यादा है फिर भी उस पर चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उनके कार्यों पर नजर न रखें।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, ऐसा सौ करोड़ का टिटेनियम का स्पोंज प्लांट भी लग रहा है और 10 करोड़ का पहले से ही प्लांट हैं *(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सारी दुनिया को वे चीजें भेजते हैं हमको भी भेजते हैं लेकिन क्योंकि हमारे यहां अभी उन्हीं सिपाहियों के हित के विरोध में यहां कहा जा चुका है कि 1965 की वार में जो हमारे ओमर्मिट्स थे वे क्या थे? तो इस तरह के जो उपद्रव हैं, उन्हें रोका जाना चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं जिससे कि वही पैसा उनके वेलफेयर में खर्च किया जाए।

[अनुवाद]

ऐसा प्रतीत होता है कि पिछले दस दिन से मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही विवाद उत्पन्न हो गए हैं। अत: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद, महोदय।

4.57 म० प०

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में भाग लेने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अत: मैं आपका आभारी हूं कि कोई समय पूर्ण ही अनुरोध करने पर भी आपने मुझे कुछ कहने उठाने और कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया।

मेरा पहला प्रश्न हेन्डरसन ब्रुकस को रिपोर्ट के बारे में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1962 में हमारे देश को भारी असफलता तथा अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा था। लेफ्टीनेंट जनरल हेन्डरसन ब्रुकस की इसकी जांच करने के लिए कहा गया था। मेरे विचार से अब इस रिपोर्ट के बारे में सार्वजनिक तौर पर बता देना चाहिए ताकि हम उस अपमानजनक पराजय से कुछ सीख सकें। उस घटना से जो व्यक्ति प्रमुख रूप से संबंधित थे, उनमें से अधिकांश आज हमारे बीच नहीं है। अतः इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 30 वर्ष पहले यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री महोदय इस पर गंभीरता से विचार करें।

दूसरा प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वह रक्षा व्यय और योजना के बारे में अरुण सिंह समिति की रिपोर्ट के बारे में है। श्री अरुण सिंह ने स्वयं कुछ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने प्रेस को एक साक्षात्कार दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वह यह साक्षात्कार व्यक्तिगत तौर पर दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि अरुण सिंह रिपोर्ट को भी सार्वजनिक तौर पर जारी किया जाना चाहिए, यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह प्रबंधन, उत्पादन और निजीकरण के मामलों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन करने के बारे में है। मैं समझता हूं कि उन्होंने भी राष्ट्रीय राइफल्स सृजित करने के बारे में प्रस्ताव रखा है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि अनेक सैनिकों को 30 या 35 वर्ष की आयु में नौकरी छोड़नी पड़ती है। उन्हें शायद राष्ट्रीय राइफल्स में शामिल किया जा सकेगा। खुद उन्होंने कहा था और हम भी इस बात से सहमत हैं कि समय-समय पर सेना को असैनिक कार्यों के लिए बुलाया जाना एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और यह न केवल सेना के लिए बल्कि देश के लिए भी अच्छा नहीं है।

तीसरा प्रश्न मैं सोवियत संघ से आपूर्ति के बारे में उठाना चाहता हूं। पिछले दो वर्षों के दौरान हम सोवियत संघ से अत्यंत आवश्यक हिस्से-पुर्जों तथा सप्लाई प्राप्त करने के मामले में कुछ कठिनाइयों का सामना करते रहें हैं। मुझे विश्वत सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि पिछले एक-डेढ़ साल में सोवियत संघ ने देश के बाहर इन हिस्सों-पुर्जों तथा अन्य सप्लाईयों के लिए किन्हीं अमरीकी एजेंटों को नियुक्त किया है।

5.00 म० प०

इन ऐजेंटों ने भारत सरकार और हमारी रक्षा सेना की विभिन्न अंगों से सम्पर्क किया है। यदि ऐसी बात है तो मैं समझता हूं कि यही समय है, जब हमें उस महाशक्ति से जो मास्को में है, सम्पर्क करना चाहिए और यदि आवश्यक हुआ तो इन बड़े कमीशन एजेंटों के बदले डालर का भुगतान कर सीधे उनसे ही ये सप्लाई प्राप्त करनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सीधे अमेरीका से लीजिए।

श्री इन्द्रजीत : नहीं मैंने कहा कि हमें सीधे मास्को से ही सप्लाई प्राप्त करनी चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी को अभी मास्को में हो रही गतिविधियों से अवगत होना है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह एक स्पष्टीकरण से सम्बन्धित है जो मैं एम० बी० टी० "मैन बैटल टैंक" के प्रश्न पर करना चाहता हूं। मेरे अच्छे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त पहले ही इस विषय

पर बोल चुके हैं। मैं समझता हूं कि यह बड़े दुःख की बात है कि 15 या 20 वर्षों के बाद भी हम अभी तक अपेक्षित अश्व-शक्ति का इंजन नहीं बना पाये हैं। अब कल रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कृष्ण कुमार जी ने यहां कल कहा था कि राजस्थान में विभिन्न से इस टैंक का परीक्षण किया जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इस टैंक का इंजन स्वदेश निर्मित है या विदेशों से आयात किया हुआ है। मैं समझता हूं कि इस बारे में देश को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए क्योंकि कल उन्होंने एक ऐसा आभास दिया था कि 'मेन बैटल टैंक' का निर्माण अन्तिम रूप से हमारे शोध और विकास विभाग द्वारा किया जाता है। मैं नहीं समझता हूं कि यह विभाग अच्छी तरह से कार्य कर रहा है।

एक या दो और छोटी बातें कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वह पाकिस्तान के प्रश्न से सम्बन्धित है। यहां हर कोई पाकिस्तान के बारे में बोल चुका है। मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकता यह अपेक्षा करती है कि शिमला समझौता को ध्यान में रखकर कोई फैसला किया जाए और मैं समझता हूं कि इस समय भारत और पाकिस्तान पागलों की तरह, हथियार जमा करने की आपसी होड़ में एक दूसरे को कमजोर बना रहे हैं, इस समय उन्हें रोकने के लिए कुछ किया जाना चाहिए। हमें इस संबंध में आगे कुछ कार्यवाही करनी है।

मेरी दूसरी बात उत्तरदायित्व से सम्बन्धित है। उत्तरदायित्व के प्रश्न पर न तो इस सभा का और न ही पिछली लोक सभा का, जिसका मैं सदस्य था ध्यान गया है। उत्तरदायित्व की भावना सिर्फ तभी आ सकती है जब हम समिति सम्बन्धी पद्धति को अपनाएं। मुझे विश्वास है कि रक्षा एक समिति हमें गठित करनी चाहिए। यदि रक्षा सम्बन्धी एक समिति हमारे यहां हो तो हम रक्षा क्षेत्र में होने वाले शर्मनाक और बदनामी पहुंचाने वाली घटनाओं से देश को बचा पाने में सक्षम होगें।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मेरे पास जो कुछ सीमित समय बचा है, उसमें मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहूंगा। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि थलसेना, नौसेना और वायुसेना के उच्चाधिकारी इस वाद-विवाद के सुनने के लिए यहां उपस्थित हैं। इसी समय मैं यह कहना चाहूंगा कि थलसेनाध्यक्ष**

वे शायद अभी उचित कारणों से विदेश में हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज उन्हें यहां उपस्थित रहना चाहिए था। **(व्यवधान)**

श्री शरद दिघे : (मुम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, वे दीर्घा में उपस्थित व्यक्तियों का उल्लेख नहीं कर सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, सभा में दीर्घाओं का उल्लेख नहीं किया जा सकता है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दूंगा। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, मैं दीर्घा का उल्लेख करने की अपनी बात को वापस लेता हूं। लेकिन मैं कहूंगा और मुझे विश्वास है कि जिस समय**

मैं यह समझता हूं कि हमें ऐसी परम्परा कायम करनी चाहिए, जिसके द्वारा थल सेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष और नौसेनाध्यक्ष, तीनों अंगों के सेनाध्यक्ष यह वाद-विवाद सुनने के लिए यहां उपस्थित हों। मैं समझता हूं कि इस समय उनका यहां अनुपस्थित रहना बहुत ही अनुचित है। इसमें संसद की प्रतिष्ठा सम्मिलित है। **(व्यवधान)**

श्री शरद दिघे : लोकसभा की प्रक्रिया में किसी सरकारी सेवक को उपस्थित रहने आवश्यकता नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ईमानदारी पूर्वक यह कहा जाना चाहिए कि सेनाध्यक्षों को यह मालूम नहीं था कि रक्षा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर कब चर्चा की जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत : मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस सम्बन्ध में विगत में स्थापित हुई उचित परम्पराओं का पालन किया जाना चाहिए और संसद की प्रतिष्ठा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : वह क्या है ?

श्री राम नाईक : मेर व्यवस्था का प्रश्न यह है कि रक्षा कर्मियों का उल्लेख किया जाने से और विशेष रूप से किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख करने से यह बात संचार माध्यम द्वारा पूरे भारत में फैल सकती है और यह बहुत ही बुरा होगा। फिर उन लोगों पर टिप्पणी करना जो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं उचित नहीं है। इसलिए मैं यह परामर्श दूंगा कि इस प्रसंग को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए सिर्फ तभी इसको प्रसंग को पूरे भारत में प्रचारित होने से रोका जा सकता है। अन्यथा यह अच्छी बात नहीं है। और अन्त में लोग जान जायेगें कि इस प्रकार की टिप्पणी की गयी थी। **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत : मैं और कुछ नहीं सिर्फ यह अनुरोध करूंगा कि हमें स्थापित परम्पराओं का पालन करना चाहिए। सभा की प्रतिष्ठा के साथ समझौता नहीं करना चाहिए।**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कुछ कहा है मैं उसकी सराहना करता हूं। जैसा कि मैंने कहा इसका निर्णय नहीं किया गया था कि रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर कब चर्चा की जायेगी। इस बात को ध्यान में रखकर किसी भी माननीय सदस्य द्वारा, यदि कोई अधिकारी उपस्थित नहीं है तो उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति को लेकर, कोई टिप्पणी किया जाना उचित नही है। साथ ही

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि मैं कार्यवाही वृतांत का अध्यन कर लूं। मैं कार्यवाही वृतांत का अध्यन करूंगा और देखूंगा कि क्या किया जा सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह कार्यवाही वृतांत का अंग बनेगा।

श्री इन्द्रजीत : मेरा मुद्दा यह है कि अच्छी परम्पराओं का पालन किया जाना चाहिए····

अध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, कृपया इसकी चर्चा और नहीं कीजिए। कृपया बैठ जाईये। मैं समझता हूं कि आठ घंटे तक माननीय सदस्यों द्वारा रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाये गए हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही और उनके द्वारा बहुत ही अच्छे मुदों की चर्चा की गयी है। लेकिन दुर्भाग्यवश यहां समय सीमित है। मैं समझता हूं कि जो मुद्दे उठाये गये हैं उनका जवाब देने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी के पास कम से कम एक घंटे का समय है और 6 बजे हमें गिलोटीन के लिए प्रस्ताव रखना है। यही कारण है श्री अहमद जी और अन्य माननीय सदस्यों, मुझे बहुत ही दुःख है कि मैं आपके अनुरोध को स्वीकार कर सकने की स्थिति में नहीं हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपने स्थान ग्रहण कर लें। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना जवाब शुरू करें।

[हिन्दी]

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : अध्यक्ष महोदय, रक्षा विभाग की अनुदान की मागें इस सदन के सामने हैं और इस पर स्वीकृति मांगने के लिए में खड़ा हुआ हूं। पिछले दो दिन से यहां बड़ी अच्छी चर्चा हुई। सदन के दोनों तरफ के सम्मानीय सदस्यों ने देश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बड़े अच्छे मत इस सदन के सामने रखे। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा से जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी नीति तैयार करनी है इसमें निश्चित रूप मे मदद होने वाली है।

एक अलग विश्व की परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं। खाड़ी युद्ध के बाद विश्व में शांति का विचार शक्तिशाली बन रहा है जो कई सालों से महासत्ता हम देख रहे थे, वह आपस का तनाव कम करके नजदीक आ रहे हैं। विश्व के कई महत्वपूर्ण देश, जिनके पास परमाणु शक्ति, रसायनिक हथियार और अन्य हथियार हैं, जो बहुत पैमाने पर थे, वे मिल कर अपना स्टाक कम करने की बात कर रहे है। इसलिए एक नया माहौल विश्व में पैदा हो रहा है। इसकी भारत को खुशी है।

महोदय, यहां कई सदस्यों ने अणु-शक्ति के बारे में कुछ अपने विचार इस सदन के सामने रखे हैं। यह जो नयी बात विश्व में आ रही है यह बड़ी अच्छी है। अणु-शक्ति पर रोक लगाने की बात है। यह बतलाया गया कि इसमें भारत की क्या नीति है, भारत क्यों नहीं शामिल हुआ। भारत ने अपनी नीति इस बारे में इससे पहले कई बार कई मौकों पर पूरे विश्व के सामने रखी अणु शक्ति बनाने के लिए भारत कामयाब होने वाला देश है।

मगर अणु-शक्ति का इस्तेमाल हम शांति के लिए चाहते हैं, विकास के लिए चाहते हैं। जिन देशों ने अणु-शक्ति के हथियारों पर रोक लगाने की बात की, यह बात अच्छी है। लेकिन, आज तक 'उनके पास जो स्टाक है वह पूरी तरह से नष्ट करने की बात अभी तक विश्व के सामने नहीं आई है। चीन और फ्रांस का यहां पर जिक्र किया गया और यह बात बराबर है कि उन दोनों देशों ने अणु-शक्ति पर रोक लगाने पर हस्ताक्षर किए हैं और इस बारे में भारत को खुशी है।

मगर, चिंता एक बात की है कि एक तरह के हस्तातरण करने की बात शुरू होती है और दूसरी तरफ से रोक लगाने की बात होती है। इस बारे में अच्छी तरह से पूरे कदम उठाने हों तो आणविक शास्त्र बनाने पर पूरी रोक होनी चाहिए। इस टैक्नोलोजी हस्तांतरण करने की कोशिश हो रही है इस पर रोक लगानी चाहिए। आणविक शस्त्र का इनके पास जो स्टाक है, वह खत्म करने की बात, होनी चाहिए और जब तक इस बारे में सफाई नहीं होती तब तक भारत का इसमें शामिल होना भारत के हित की बात नहीं है।

विश्व में तनाव कम करने की बात अच्छी तरह से शुरू हुई दो महा-शक्तियां थी। लग रहा है कि शायद अभी एक महा-शक्ति रहने वाली है। सोवियत और अमेरिका ने मिलकर कुछ अच्छे कदम उठाए हैं जिससे विश्व में शांति के लिए मदद जरूर होने वाली है। लेकिन, इस बारे में भी हमें ध्यान देना होगा कि आज जो अंदरूनी परिस्थिति रशिया में हो रही है, वह देखने के बाद सिर्फ विश्व में एक महा-शक्ति या महा-सत्ता है। महा-शक्ति का रोक पूरे विश्व पर रहेगा तो इसमें से कुछ कठिनाई विश्व के सामने आ सकती है। यह कहने के लिए मुझे खुशी है कि अमेरिका में भी कई सवालों पर परिवर्तन आ रहा है। अपने भारत की बात देखिए। जहां तक काश्मीर का सवाल था तो इससे पहले अमेरिका ने काश्मीर के बारे में अलग एप्रोच ली थी। अभी बाइलेटरल डिसकशन की बात शुरू हुई है। यह इन्टरनेशन सवाल करने की कोशिक जो पाकिस्तान की है, उसको मदद करने की तैयारी अमेरिका को नहीं दिख रही है और आणविक शक्ति से पाकिस्तान आगे जाने की बात करता है। तब पाकिस्तान को अमेरिका से जो मदद होती थी तो इस पर कटाई करने की बात आज अमेरिका में शुरू हुई है, और यह अच्छी बात है। मगर, विश्व शांति की बात पूरे विश्व में फैली जा रही है। उसी समय क्षेत्रीय शांति प्रस्थापित करने के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। महासत्ता में टकराव हो और कुछ क्षेत्रीय परिसर में तनाव हो, इससे विश्व शांति नहीं बन सकती। पूरे विश्व ने देखा खाड़ी युद्ध के रूप में कि अगर क्षेत्र में तनाव पैदा हो और तनाव होने के बाद बड़ी दूर से सैन्य बल लाया गया, लड़ाई हो गई, आधुनिक टेक्नोलोजी का इस्तेमाल किया गया और क्षेत्र में शांति पैदा करने के लिए कदम नहीं उठाये, तनाव खत्म करने के लिए कुछ कोशिश नही की जाये तो लड़ाई हो सकती है, यह इससे साबित हुआ है। इसलिए आज विश्व शांति का जो प्रयोग शुरू हुआ है वह वहां तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वह क्षेत्रीय स्तर पर भी आना चाहिए। जिसका फायदा भारत, पाकिस्तान, चीन आदि देशों को जरूर होगा।

अध्यक्ष जी, परमाणु के बारे में कुछ प्रस्ताव पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाज शरीफ साहब ने दिये थे। वैसे भारत के पास कोई खास प्रस्ताव आया, ऐसी बात नहीं है। मगर उन्होंने अपने गये भाषण में जरूर यह बात कही है। दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ इनीगिएटिव लिया। भारत इसके खिलाफ नहीं है। मगर हमें यह समझ में नहीं आता कि एक तरफ दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिए प्रस्ताव देना और दूसरी तरफ अपने देश में परमाणु शक्ति बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना, यह बात परस्पर विरोधी है और पाकिस्तान आज वही कर रहा है। पाकिस्तान ने चीन से कुछ परमाणु शस्त्र प्राप्त करने के लिए जो कोशिश की वह कोशिश नवाज शरीफ साहब ने जो प्रस्ताव दिया, इसके बिलकुल विरुद्ध है। इसलिए इस बारे में भारत ने आज तक अपनी भूमिका उनके सामने नहीं रखी है।

मुझे कहते हुए खुशी है कि पिछले कुछ महीनों में, सालों में भारत के आस-पास, इर्द-गिर्द रहने वाले देशों में सम्बन्ध सुधारने के बारे में कुछ प्रयास हो रहे हैं। कई सालों से हमारी दोस्ती सोवियत रशिया से है। आज वहां की परिस्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ है, प्रजातंत्र की बात वहां आई, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। ऐसे कदम उठाने के बाद शुरू में जो प्रतिक्रिया आती है वह हम देख रहे हैं। मगर हम सब लोगों की खुशी है, भारत को खुशी है कि जो कुछ संकट यहां आया था उस संकट से बाहर निकलकर वह देश बनाने की कोशिश में वहां अच्छी तरह से प्रयास शुरू हुए हैं। फिर कई सालों से भारत की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में सोवियत एशिया में और भारत में हमेशा साथ रहा है। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने सोवियत रूस की स्थिति को देखने के बाद भारत की रक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव अथवा परिवर्तन होगा, इसके बारे में अपने विचार रखे हैं। कोई आल्टरनेटिव सोर्स देखना चाहिए, ऐसा यहां सुझाव दिया गया। मगर जो हमारी रक्षा रचना है, जो हमारे साधन हैं, जो हमारे हथियार, टैंक्स, हवाई जहाज हैं, इन सभी क्षेत्रों में सोवियत रूस की टैक्नॉलाजी और निश्चित रूप से रशिया की बहुत बड़ी मदद रही है। हम चाहते हैं कि जो हमारे पुराने एग्रीमेंट्स हैं, 1995 तक चलने वाले हैं, उन एग्रीमेंट्स पर आगे का काम भी शुरू रहना चाहिये।

अध्यक्ष जी, मुझे यह बात कहते हुए खुशी हो रही है कि अभी कुछ हफ्ते पहले मेरे राज्य मंत्री सोवियत रूस जाकर आये जिन्होंने वहां पर डिटेल्ड डिस्कशन्स की और उन्हें एक आश्वासन दिया गया कि चाहे उनके अन्दर की परिस्थिति में फर्क हो, मगर भारत के साथ दोस्ती रखने का उनका पुराना तरीका है, इसमें बिलकुल परिवर्तन नहीं होगा। भारत की रक्षा के लिए आज तक जो पालिसी रशिया ने स्वीकृत की है, इसमें बिलकुल परिवर्तन नहीं होगा। मैं खुद वहां जाना चाहता हूं और जो कुछ कठिनाइयां हैं, रक्षा विभाग के सामने रशिया से सहयोग के बारे में पैदा हुई हैं, इससे रास्ता निकालना चाहता हूं और और मुझे विश्वास है कि चाहे उनकी अन्दरूनी परिस्थिति कुछ खराब हो, मगर भारत के बारे में उनकी अप्रोच में बिलकुल परिवर्तन नहीं हुआ है और वे सभी तरह से मदद करने को तैयार हैं। आपस में बैठकर जो भी हमारे सवाल हैं, उनको हम सुलझा सकते हैं और आज जो परिस्थिति हुई है, उसमें से एक नया रास्ता हमारे सामने निश्चित रूप से आ सकता है।

अध्यक्ष जी, विश्व में जो परिस्थिति बदल रही है, उसको मद्दे नजर रखते हुए भारत ने भी कई देशों के साथ अपने संबंध सुधारने के लिए कोशिश की है। अमेरिका के साथ हमारा कैसा दोस्ताना संबंध हो सकता है, उसमें कैसे सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में भी कदम उठाये हैं। मैंने आज शुरू में कहा कि कश्मीर पॉलिसी के बारे में वहां शिफ्ट हैं। लेकिन प्लेबीसाईट कैसेप्ट छोड़ दिया गया है और बिलाटरल टाक्स बनाना चाहिये, यह विचार पाकिस्तान के सामने भी रखा है। यह देखने के बाद हमने अमेरिका से सम्बन्ध सुधारने के लिए जो कोशिश की है, वह कोशिश हम सभी क्षेत्रों में करना चाहते हैं। डिफेंस सैक्टर में भी और अच्छे हो जायेंगे, इसके बारे में भी प्रयत्नशील हैं।

अध्यक्ष जी भारत की आर्मी के प्रमुख आज अमेरिका में गए हैं उनके वहां जाने की जो भावना थी, वह वहां की आर्म्ड फोर्सेज टैक्नॉलॉजी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज टैक्नॉलॉजी को सुधार कर उसे नजदीक लाने की कोशिश करनी चाहिये। पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखने की भूमिका

भारत ने हमेशा रखी है। बंगलादेश, नेपाल, भूटान, मालद्वीप—इन सभी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे हैं और इसमें सुधार हुआ है। चीन के साथ संबंध सुधारने के बारे में भी यहां बतलाया गया और आज भारत-चीन की सीमा पर पूरी तरह से शांति है। हमारी दृष्टि में ऐसा कोई भी कदम चीन ने नहीं उठाया जिससे भारत के मन में कोई शक या चिन्ता हो। इसलिए हमारी कोशिश यह रहेगी कि हम चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते कैसे रख सकते हैं और चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते रखकर दोनों देशों में जो विकास के बारे में लोगों के मन में भावना है, वह मजबूत करने के लिए कुछ कदम उठाएं।

जहां तक चीन की बात है, जिसका जिक्र विश्वनाथ प्रतापसिंह जी ने यहां अपनी स्पीच में किया कि सीमा पर जरूर शांति है, रिश्ते सुधारने के लिए कोशिश है, मगर भारत के इर्द-गिर्द जो देश हैं वहां हथियारों को इकट्ठा करने का काम चीन से बडे जोर से शुरू है। पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर मदद करने का काम चीन से शुरू है और परमाणु पनडुब्बी देने का निर्णय चीन ने पाकिस्तान के बारे में किया है। यहां बतलाया गया कि पाकिस्तान ने न्यूक्लीयर सबमैरीन अक्वायर करने की बात की क्योंकि इस बारे में भारत ने पहला कदम उठाया था। पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत ने रशिया से एक पनडुब्बी जरूर मांगी थी ट्रेनिंग परपज के लिए, वह बिना हथियारों की थी और ट्रेनिंग का काम पूरा होने के बाद भारत ने वह पनडुब्बी सोवियत को वापस कर दी। भारत की यह कभी भावना नहीं थी कि न्यूक्लियर राबमेरीन रखकर ऑस्ट्रेलिया से यहां तक सब देशों के मन में एक आशंका पैदा करे और इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि एक निमित्त से पाकिस्तान का इस बारे में अप्रोच न्यूक्लियर शक्ति बढ़ाने का है और इसलिए उन्होंने इस पर कुछ कदम उठाए हैं और दुख की बात है कि इसमें मदद करने का काम चीन ने किया है। यहां बतलाया गया कि पाकिस्तान का सब रक्षा विषयक घोरट हमेशा सामने रखकर ही हम तैयार करते हैं। यह सच बात नहीं है। पाकिस्तान के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध रखने की भारत की हार्दिक इच्छा है। नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे यहां आए। प्रधान मंत्री जी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने शांति का प्रस्ताव दे दिया, उसको भारत ने स्वीकार किया। भारत ने हमेशा से यह बतलाया है कि पाक की जनता से हमारा संघर्ष नहीं, उनकी अंदरूनी बातों में हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, दोनों ही देशों में संबंध सुधारने की जरूरत है। आज दोनों देशों में गरीबी के बारे में जो लड़ाई करने की बात है, इसमें कामयाब होने के लिए भी रक्षा विभाग पर जो ज्यादा प्रोविजन करने की बात है इसमें अलग विचार करने की जरूरत है। दोनों ही देशों में जो अंदरूनी आर्थिक संकट है, इससे बाहर आने के लिए भी रक्षा विभाग पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ज्यादा आर्थिक तत्व नहीं करेंगे, इससे मदद होने वाली है और उसी रास्ते से जाने का प्रयास भारत का है। यहां बतलाया गया कि इस बजट में रक्षा विभाग पर जो प्रावधान किया गया वह पूरा नहीं है। यह बात मैं साफ करना चाहता हूं कि हम रक्षा विभाग पर ज्यादा प्रावधान करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं हैं। जहां तक नेशनल सीक्योरिटी की बात है, उसमें किसी तरह का कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यदि इसमें ज्यादा देने की आवश्यकता होगी तो ध्यान जरूर देंगे मगर रक्षा विभाग का विस्तार करना, आज भारत के लिये ठीक बात नहीं है। उसका सिगनल भी भारत देश में और नजदीक वाले देशों में अच्छी तरह से जाता नहीं है और हम देना नहीं चाहते। इसलिए पिछले 4-5 सालों के भारत के रक्षा विभाग के प्रावधानों को यदि देखा

जाए तो उससे एक बात साफ सदन के सामने आयेगी कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट के टोटल एक्सपैंडीचर की तुलना में रक्षा विभाग का जो एक्सपैंडीचर है, उसमें हर साल कटौती हो रही है। मैं गत सालों की फीगर्स सदन के सामने रखना चाहता हूं—

[अनुवाद]

वर्ष 1987-88 में केन्द्र सरकार के कुल व्यय की तुलना में रक्षा व्यय 18.39 प्रतिशत था; वर्ष 1988-89 में यह 17.81 प्रतिशत था; 1989-90 में यह 15.52 प्रतिशत था; 1990-91 में यह 14.76 प्रतिशत था और 1991-92 में यह 14.42 प्रतिशत था।

[हिन्दी]

इस तरह 5-6 सालों की फीगर्स देखने के बाद, हम 18 परसेंट से 14 परसेंट पर आ गये मगर यह परिस्थिति पाकिस्तान में नहीं है। डिफैंस एक्सपैंडीचर, टोटल सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक्सपैंडीचर की तुलना में पाकिस्तान की फीगर्स यदि आप देखेंगे तो 1987-88 में वह 38.8 परसेंट था, 1988-89 में 34.1 परसेंट था, 1988-90 में 34.6 परसेंट हो गया और 1990-91 में वह 34.9 परसेंट हो गया। इसका सोर्स है—"इकॉनोमिक सर्वे—पाकिस्तान एण्ड इण्डिया"। लेटैस्ट फीगर्स पाकिस्तान की अभी तक सामने नहीं आयी हैं मगर इससे पता चलता कि है भारत अपने रक्षा विभाग का प्रावधान कम करने की कोशिश कर रहा है। अभी यहां बतलाया गया कि शायद इंटरनेशनल मौनिटरी फण्ड ने कुछ कदम उठाये होंगे मगर वह इस साल की नीति नहीं है। पिछले 5 सालों से इसी रास्ते पर हम कदम उठाते रहे हैं। जैसा अभी हमारे नौजवान साथी, माननीय सदस्य मोहन रावले साहब ने बताया कि हमें पाकिस्तान से लड़ाई करनी चाहिये, भारत लड़ाई के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। हम किसी के साथ लड़ाई नहीं चाहते हैं। हम पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती चाहते हैं, और चीन के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। अड़ोस पड़ोस के देशों के साथ भी हम अच्छे रिश्ते बनाने के इच्छुक हैं। सभी देशों के अंदरूनी जो सवाल हैं, उससे कोई रास्ता निकालने के लिये, हम कोशिश करना चाहते हैं और इसीलिये हमारे यहां का हर साल का डिफैंस एक्सपैंडीचर कम हो रहा है।

अभी बतलाया गया कि पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 350 करोड़ रुपये ज्यादा का प्रावधान किया गया है, मगर यहां विश्वनाथ जी ने जो बतलाया, उससे मैं सहमत हूं कि रुपये के अवमूल्यन, विदेशी मुद्रा के लिये ज्यादा पैसे देने की परिस्थिति, पर्यावरण और बाकी सब के बारे में जो खर्चा होता है, उस सब को देखने के बाद, शायद 350 करोड़ रुपये आपको बजट में बढ़े हुए दिखायी दे सकते हैं मगर सच्चे मायनों में यह बढ़ोत्तरी नहीं है। एक तरह से यह कटौती की बात है।

जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, एक तरफ हमारी कोशिश है कि उनके साथ कैसे रिश्ते अच्छी तरह से बनाये जा सकते हैं। इसलिये जब नवाज शरीफ के एन्वौय यहां आये थे तो जहां मेरी उनके साथ बात हुई थी, प्रधानमंत्री जी की भी उनके साथ डिटेल्ड बातचीत हुई थी और वे जो मैसेज लाये थे, उसमें था कि नवाज शरीफ साहब इस क्षेत्र में शान्ति चाहते हैं। भारत के साथ दोस्ती के रिश्ते चाहते हैं। जो कुछ सवाल हैं, वे बायलैटरल टॉक्स से पूरा करने की उनकी तैयारी है। इन सभी प्रस्तावों का स्वागत प्रधान मंत्री जी ने किया और

आज भी हम इस पर बिलकुल कायम हैं। मगर एक तरफ से ऐसा शांति का संदेश भेजना और दूसरी तरफ से भारत के विरुद्ध बाहर बड़े जोर से प्रचार करना, यह बात शांतता की परिस्थिति पैदा करने के लिए रुकावट ला सकती है।

आपने देखा होगा, सदन में देखा होगा कि एक महीने पहले पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत के साथ युद्ध हो सकता है। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ ने बतलाया कि भारत के साथ लड़ाई करने का कोई वातावरण नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी एक जगह पर कहते हैं कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते रह सकते हैं, कोई लड़ाई का वातावरण नहीं है, यह न भारत के मन में है और न हमारे मन में है, मगर न्यूजवीक को जो भेंटवार्ता दी, उसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर के प्रश्न पर शायद लड़ाई भी हो सकती है। ये सब परस्पर विरोधी बातें हैं। हम वायलैटरल टॉक करने के लिए बिलकुल तैयार हैं, मगर वायलैटरल टॉक्स तभी कामयाब होंगी जब ग्राउण्ड लेवल की परिस्थिति में कुछ सुधार हो जाए। तब इस मामले में कुछ सुधार हो सकता है। पाकिस्तान द्वारा कश्मीर में, पंजाब में लश्करी प्रशिक्षण हथियारों का भेजना, पैसे का भेजना घुसपैठ करने का काम आज भी जारी हैं, यह बतलाया गया है और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसमें सच्चाई है।

भारत-पाकिस्तान बार्डर और खासतौर पर कश्मीर की सीमा पर एक दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन गोलाबारी नहीं होती है और उस समस्या की शुरूआत पाकिस्तान से होती है, फिर हमको जवाब देना पड़ता है। एक तरफ सम्बन्ध सुधारने की बात और दूसरी तरफ गोलाबारी करने का काम भारत के विरुद्ध प्रचार करने का काम, कश्मीर का सवाल अन्तर्राष्ट्रीय सवाल बनाने का काम, ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन के पास भारत की झूठी शिकायत करने का काम पाकिस्तान कर रहा है।

महोदय, यहां कुछ दिन पहले इसका जिक्र थोड़ा-बहुत हुआ। हमारे माननीय सदस्य चन्द्रजीत यादव साहब ने किया। पुंछ सैक्टर में जो कुछ उन्होंने बी०बी०सी० की न्यूज सुनी, इस बारे से कहा। मैं आपको बतलाता हूं। पुंछ सैक्टर में किरनी नाम का एक गांव है जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है। वह लाइन ऑफ कंट्रोल इस गांव को डिवाइड करती है जिसके कारण कुछ मकान इस गांव के भारत के क्षेत्र में आते हैं और कुछ पाकिस्तान बॉक्यूपाइड कश्मीर में हैं। सैकिंड और थर्ड सितम्बर को, हमारी वहां जो चौकी है, वहां के हमारे अफसर को इस बात का पता लगा कि पाकिस्तानी सोल्जस कुछ आतंकवादियों को लेकर भारत के क्षेत्र में घुस रहे हैं। झगड़ा हो गया। पाकिस्तान ने बड़ी तैयारी की थी। जोर से गोलीबारी दो दिन हो गई। भारत को अपनी सेना को वहां लगाना पड़ा जिससे पाकिस्तान के जो आतंकवादी भारत के क्षेत्र में घुसे थे उनको बाहर निकालने के लिए कदम उठाना पड़ा और दो दिन तक वह झगड़ा चला था। जिस तरह से उन्होंने गोला-बारी की, वह गोला-बारी भारत के क्षेत्र के अन्दर दस-दस किलोमीटर तक आती थी। इससे नुकसान हुआ।

एक माननीय सदस्य : आपकी सैना क्या करती थी ?

श्री शरद पवार : सैना क्या करती थी, आप पूछते हैं। सेना को जो कदम उठाना चाहिए था वह उठाया हैं। वहां से अब पाकिस्तानी सैनिक या आतकवादी पूरी तरह से दूर किए। गोलाबारी में नुकसान हुआ। भारत के ट्रुप के आठ लाशें, एक आफिसर और बाकी और रैंक के लोग, इसमें मर

गए और चालीस से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। हमारे सैनिकों ने यह देखा कि पाकिस्तान के सैनिक जाते समय अपने सैनिकों की करीब बीस लाशें वहां से लेकर गए। जिस तरह से उनका जवाब दिया इससे एक फायदा हुआ कि दोनों देशों के आर्मी कमांडर्स में बात हो गई, दोनों की मीटिंग हो गई और दोनों देशों ने यह तय किया कि इसके बाद उस क्षेत्र में बिल्कुल कुछ नहीं करना है। आज दोपहर तक मैंने इनफॉर्मेशन ले ली है, वहां पूरी तरह से शान्ति है, पाकिस्तान के लोग अपने क्षेत्र में गए और हमारे लोग अपनी जगह पर खड़े हैं। मगर एक बात इससे साफ होती है पाकिस्तान एक तरफ हमसे दोस्ती रखने के लिए रिश्ते सुधारने की बात करता है और दूसरी तरफ जिस तरह से सीमा पर उन्होंने आतंकवादियों को मदद करने की जो नीति अपनाई है वह देखने से यह बात पक्की लगती है कि उनकी नीयत अभी तक साफ नहीं है। इसलिए मैं देशवासियों से जरूर कहना चाहता हूं कि हम उनसे दोस्ती करना चाहते हैं, शान्तिपूर्ण रिश्ता रखने के लिए ज्यादा-से-ज्यादा कोशिश करेंगे लेकिन 2 या 3 सितम्बर को जिस तरह का बर्ताव पुंछ सैक्टर में पाकिस्तान आर्मी ने किया उस तरह का कोई भी कदम यदि उठाया गया तो उनका ठीक से सामना करने की ताकत भारत के सैनिकों में है।.....(व्यवधान) हमें सिर्फ एक ही बात की चिन्ता है कि जब पूरे विश्व में शान्ति का माहौल पैदा हुआ है, दो जर्मनी इकट्ठे हो गए, सोवियत और अमरीका में अलग वातावरण पैदा हो रहा है और इस समय हमारा पड़ोसी देश एक गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार है। यह ठीक नहीं है। इसलिए शायद अगली 19 तारीख को हमारे सचिव वहां जाएंगे तो यह सवाल हम जरूर पाकिस्तान के सामने रखेंगे जिससे जो कुछ हुआ फिर इस तरह की बात नहीं हो। इस बारे में जो कुछ कोशिश करनी पड़ेगी वह जरूर करेंगे।

यहां एक मसला आया है कि दिन-ब-दिन रक्षा विभाग में हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। मैंने अभी कहा कि वैसी परिस्थिति नहीं है। मगर सदन के माननीय सदस्यों को एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि आर्मी की, नेवी की या एयरफोर्स की जिम्मेदारियां दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं। पन्द्रह हजार किलोमीटर की भू-सीमा है, 7,500 किलोमीटर से ज्यादा हमारी समुद्र सीमा है, इसकी रक्षा करनी है। इसके अलावा द्वीप समूह की रक्षा की जिम्मेदारी इस विभाग पर है, समुद्र में तेल के भंडारों की रक्षा करने के लिए खास कदम उठाने पड़ते हैं और प्रादेशिक अखण्डता सुरक्षित रखने के लिए जो भी जिम्मेदारी है उसे पूरा करके देश में जब कोई नैसर्गिक आपत्ति होती है तो ऐसे समय पर मदद करने के लिए भी सेना हमेशा तैयार रहती है। इसलिए सब काम सेना के ऊपर है। काम का स्वरूप देखने के बाद उसमें ज्यादा राशि लगती है। और इसमें बढ़ाव करने की तैयारी नहीं बल्कि जो कुछ खर्चा होता है वह खर्चा गलत रास्ते से गलत काम के लिये होता है, ऐसे समझना ठीक नहीं होगा। फिर भी हमारी नीति यह रहेगी कि इस रक्षा विभाग के सब खर्चों पर बंधन कैसे हम लगायें। आज भी रक्षा विभाग का जो प्रावधान है इसमें 72 परसेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको राजस्व खर्चा कहते हैं, 28 फीसदी पूंजी व्यय है और 1972 में भी 30 परसेंट वेतन और भत्तों के लिए है, 33 परसेंट अनिवार्य सैनिक सामान के लिए है, 4 फीसदी राजस्व निर्माण के लिए है, पांच फीसदी परिवार और अन्य मुद्दों पर है। सैन्य के मुद्दे के लिये पैसा इसमें ज्यादा र ा नहीं है मगर खाड़ी युद्ध के बाद जो टेक्नालॉजी पूरे विश्व ने देखी उसको देखने के बाद इसको नजर-अन्दाज करना देश के लिये हित की बात नहीं होगी। इसलिए हमारा जो आगामी नीति निर्धारित करने का सन्दर्भ हमारे सामने है, इस सन्दर्भ में हम सैन्य दल का आकार बढ़ाने के पक्ष में हुए नहीं हैं, मगर आकार बढ़ाने को बजाय

उसके लिए आधुनिक हथियार और साधन सामग्री देने का प्रयास किया जायेगा और यह ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। हम इस पर ज्यादा पूर्ति करेंगे। आधुनिक साधन-सामग्री लेने के लिए अन्य देशों की मदद हमेशा लेनी पड़ती है मगर दिन-ब-दिन फॉरेन एक्सचेंज की कमी होने के बाद यह बड़ा मुश्किल हो रहा है। यह स्थिति देखने के बाद हमें भारत में अनुसंधान और विकास पर ज्यादा बल देना होगा। इस कारण इस पर ज्यादा ध्यान देने की नीति है।

श्री वी०पी० सिंह जी ने कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट में प्रावधान कम हो रहा है। ऐसी स्थिति नहीं है। मैंने देखा है 1989-90 में 4.2 परसेंट प्राबीजन था, 1990-91 में 4.3 था और 1991-92 में यानी कि इस साल भी 4.3 है। इसमें कटौती बिल्कुल हुई नहीं है क्योंकि इस पर हम ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। यहां रिसर्च के बारे में ···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : पैसे का वैल्यू इस समय क्या है ? परसेंटेज तो ठीक है, लेकिन इससे इससे कुछ होता नहीं है····(**व्यवधान**)····मुरली देवड़ा भी एग्री नहीं करते हैं।

श्री शरद पवार : मुरली को बीच में क्यों लाते हो। विदेशी मुद्रा की कठिनाई और मित्र देशों की आंतरिक परिस्थिति को देखते हुए हमें आत्मनिर्भरता पर बल देना होगा। इस पर हमने ज्यादा ध्यान दिया है।

यहां डी० आर० डी० ओ० के बारे में बहुत बातें कही गई। कुछ सदस्यों ने इसमें कहा कि काम ठीक नही हुआ है और बतलाया कि विलम्ब हो रहा है। यह भी कहा कि एम० बी० टी० अर्जुन बनेगा या नहीं, एल० सी० ए० प्रोजेक्ट के बारे में कुछ शंकायें यहां पैदा की मगर मैं कहना चाहता हूं कि इस विभाग की तरफ से पिछले कई सालों में बड़ा अच्छा काम हुआ है। आज कई क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भरता पर पहुंच सके। इसका बड़ा काम हमारे डी० आर० डी० ओ० की तरफ से हुआ है। है। कई बातें हैं। यहां पूछा गया कि उनके निचिश्त स्वरूप का प्रोग्रेस क्या है, वह सदन सामने आना चाहिए। मैं एक बात सदन को कहना चाहता हूं कि कई बातें ऐसी होती हैं कि हम सबके सामने रख नहीं सकते, देश के हित के लिए रख नहीं सकते। कई बातें ऐसी हैं कि जो अनुसंधान विभाग ने जिसमें बहुत कोशिश की और अच्छा काम किया है, अरमामेंट के क्षेत्र, इंडियन फल्डी गन मार्क-I, मार्क-II इसका संशोधन हुआ, सेल्फ प्रोपेल्ड गन का संशोधन हुआ, इण्डेनाइजेशन ऑफ मल्टी बैरल रॉकेट का काम उन्होंने किया। कई तरह के।

[अनुवाद]

गोला बारूद जिसमें कि अत्यधिक घातक और टैंक भेदक उपकरण शामिल हैं;

[हिन्दी]

के बारे में जो एम्युनिशंस हैं वह उन्होंने बनाये, लैण्ड एण्ड सी माइन्स के बारे बारे में उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया। आर्ममैंट के बारे में उन्होंने जो काम किया, उसके बारे में कई बातें ऐसी कह सकता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है ···(**व्यवधान**) ···आता हूं, वहां तक भी आता हूं।

इलैक्ट्रोनिक्स के बारे में।

[अनुवाद]

सेना के संचार व्यवस्था की सभी महत्वपूर्ण प्रणालियां जैसे इलेक्ट्रानिक स्विच, स्थानिय क्षेत्र व्यवस्था।

[हिन्दी]

यह इस संशोधन विभाग से ही हुआ है। इलैक्ट्रानिक के क्षेत्र में भी उन्होंने कई चीजें ऐसी बनाई हैं कि जिसका फायदा आज इस विभाग को बड़े अच्छे तरीके से हुआ हैं।

इंजीनियरिंग विभाग में भी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इण्डेजेनाइजेशन के बारे में भी हमेशा उनके प्रयास चालू हैं और जिसकी चर्चा यहां बहुत हुई, वह मैन बैटल टैंक के बारे में अर्जुन की हुई। एक तो यह बताया गया कि इस पर बहुत राशि लगाई है, मगर आज तक 174 करोड़ रुपये की धन-राशि वहां लगाई गई है। एल० सी० ए० के लिए 375 करोड़ की राशि लगाई है। मगर जिस अर्जुन के बारे में आप बोलते हैं, उसके प्रोटोटाइप तैयार हैं। कल रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वह सर्वेक्षण के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में भेजा है, पिछले 6 महीने से इसके ट्रायल्स वहां लिए है। इसमें कुछ कमियां हैं, उनको दुरुस्त करने की वहां कोशिश है। मुझे विश्वास है कि आज विश्व में जो कुछ अच्छे टैंक्स हैं, इन टैंक्स की तुलना में हमारा, टैंक बिल्कुल ही कम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि अमेरिका जो टैंक कल के खाड़ी युद्ध में जिसका इस्तेमाल हुआ, अब्राहम या ब्रिटेन ने लियोपोर्ड नाम का एक टैंक बनाया है या जर्मनी का टैंक इन तीनों टैंकों की कैपेबिलिटी, टैक्नोलोजी यह सब देखने के लिए एम०बी०टी० अर्जुन इससे कुछ कम अच्छा नहीं है। कई चीजों में एम०बी०टी० अर्जुन में इनमें से भी ज्यादा सुधार है और वह आने वाले समय में देश के सामने आने वाला है। इसमें एक बात जो बताई गई कि इसमें बाहर से बहुत सी देश बिदेश से चीजें लाई गई हैं, इसमें भी सच्चाई नहीं है। यह बात मैं सदन के सामने कहना चाहता हूं कि इसका इंजन अभी तक यहां अच्छी तरह से पैदा नहीं हुआ। आज का इंजन हमने जर्मनी से इम्पोर्ट किया है मगर हम यहां इंजन बनाना चाहते हैं, बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और बनाने में कामयाब हो रहे हैं। कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद या सालों के बाद भारत का पैदा हुआ इंजन उसमें निश्चित तौर से आयेगा।

इसमें इम्पोर्टेड कम्पोनेण्ट जो समझते हैं कि 70 फीसदी या 60 फीसदी हैं तो यह बात बिल्कुल बराबर नहीं है। आज 50 फीसदी से भी नीचे इम्पोर्टेड कम्पोनेण्ट हैं और इससे भी नीचे आयेंगे, इसकी कोशिश चालू है। पूरी तरह से इण्डेजेनाइज यह टैंक यहां तैयार करने की कोशिश है।··· (व्यवधान)····चालू हुआ है।

इसमें एक और बात है, जहां तक एल० सी० सी० ए० के प्रोजैक्ट के बारे में बहुत सालों से बात चालू है। मुझे मालूम है कि सदन में कई सदस्यों ने इस बारे में सवाल पूछे हैं। हम इससे पीछे जाना नहीं चाहते। मुझे मालूम है कि इसमें समय ज्यादा लगा है मगर मैं सदन को कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करने में अमेरिका जैसे देश को भी 15-15 साल लगे। जब एल० सी० ए० जैसा प्रोजैक्ट यहां तैयार करना है तो इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की भी जिम्मेदारी इस विभाग पर पड़ती

है कि वह इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करे। शुरू में इंजन ठीक तरह से नहीं होते, इंजन इम्पोर्ट करके प्रोटोटाइप डिजाइन करें और फिर इसका कुछ ट्रायल लिया जाए, इसके बाद जो कुछ इसमें सुधार कर सकते हैं, वह सुधार करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, इस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। मैं खुद अगले सप्ताह में बंगलौर जाना चाहता हूं, एरोनोटिक फिल्ड में जिनको बहुत अच्छी जानकारी है ऐसे कुछ लोगों को साथ लेकर जाना चाहता हूं और पूरा प्रोजेक्ट ठीक तरह से स्टडी करना चाहता हूं और इसमें जो कुछ कमियां हैं उन कमियों के लिए रास्ता निकालने के लिए जरूर ध्यान दिया जाएगा, यह विश्वास मैं इस सदन के सामने देना चाहता हूं।

हमारे कई सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है उन्होंने इसके बारे में अपनी कुछ राय बतलाई। कर्नल राम सिंह साहब ने कहा कि एयरक्राफ्ट केरियर की यहां क्या जरूरत है? आई०एन०एस० विक्रांत और विराट बहुत पुराने हो गए हैं, यह ठीक है कि पुराने हो गए हैं, पुराने थे और भारत ने जब परचेज की तब भी पुरानी परचेज की, मगर हमेशा रेसोवेट करने का काम इसमें हुआ है और इसकी आज बहुत मदद है। बिना एयरक्राफ्ट केरियर के हमारी नौसेना मजबूत नहीं रहेगी, नौसेना को हमेशा एक इंटेग्रेल एयरपोर्ट की जरूरत पड़ती है। जब समुद्र में कई सैंकड़ों मील अन्दर जाते हैं। तब एयरफोर्स का उनको सपोर्ट न हो तो हम कामयाब न हो सकेंगे। इसलिए एयरक्राफ्ट केरियर की जरूरत है। इस फ्लीट का बैलेंस होना चाहिए। इसमें केरियर चाहिए, सबमेरीन चाहिए, एयरक्राफ्ट चाहिए, डेसट्रायर चाहिए, फ्रिगेट्स चाहिए, गोदावरी या राजपूत जैसे बड़े फ्रिगेट्स चाहिए, और ये सब मिल कर इस समुद्र की रक्षा करने के लिए मददगार हो सकते हैं और नेवी पर हमने ज्यादा ध्यान दिया है।

यहां अमल दत्ता साहब ने जो कहा, उनकी बात से मैं सहमत नहीं हूं। भारत के समुद्र का सब किनारा देखने के बाद सब सागरी सीमा की रक्षा करना कोई छोटी चीज नहीं है, भारत का जो व्यापार सदा से रहा है उनमें से 80 फीसदी से ज्यादा व्यापार इस सागरी मार्ग से होता है और पिछले साल उस व्यापार की कीमत 70,000 करोड़ की थी। हमारे सारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन वहां से होता है, आयल की टैंक्स वहां से जाती और आती हैं, जिस पर हमारी इंडस्ट्री की निर्भरता है है और इसलिए हम नेवी पर बिल्कुल दुर्लक्ष्य और नजरअन्दाज नहीं कर सकते और जो राबले साहब ने बताया, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि जब हमने नेवल फोर्सेस के बारे में ध्यान नहीं दिया तब यहां ब्रिटिश आ गए और हम गुलाम बन गए। इसलिए हमको नेवी पर हमेशा ध्यान देना ही होगा। ....(व्यवधान)....

यहां माननीय सदस्य सुधीर सावंत ने कहा कि आज जो आर्मी की रचना है, उसमें उन्होंने यह कहा कि 25 फीसदी टीथ है और 75 परसेंट टेल है, यह वस्तुस्थिति बराबर नहीं है। भारतीय सेना में 52 फीसदी, जिसको आप टीथ कह सकते हैं उनकी संख्या है, जिसमें इनफेंटरी हैं, आर्मड्कोर हैं, आर्टीलरी हैं, इंजीनियर्स है, सिगनल्स हैं, ये सब कम्बाइंड सपोर्ट के काम करते हैं। 143 परसेंट टेल सर्विसेज हैं, जिसमें सप्लाईकोर, आर्मी एण्ड आर्डीनेंसकोर, ई०एन०ई० इलेक्ट्रीकल और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी एजुकेशनकोर, पोस्टल सर्विसेज वगैरह-वगैरह हैं। इसमें कम करने के लिए ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह जो सुझाव दिया है इसमें मैं व्यक्तिशः ध्यान देने वाला हूं।.....(व्यवधान) श्री चन्द्रजीत यादव साहब ने यहां कहा कि यह जो रिपोर्ट है, यह पुरानी रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट ठीक

तरह से नहीं है। इसमें जो इनफोरमेशन दिए हैं, इसमें प्रधानमंत्री और रक्षामंत्री का नाम भी पुराने लोगों का दिया है। मैं इस सदन को कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 1990 से 31 मार्च, 91 तक का है। तब इसकी जिम्मेदारी श्री निश्चलनाथ प्रताप सिंह और चन्द्र शेखर जी पर थी और इसलिए उनका नाम वहां आया है। आज के रक्षा मंत्री जी का नाम इसमें नहीं आएगा, अगले साल आएगा।.....(व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, गिलोटिन में एक मिनट का समय बाकी रह गया है और एक्स-सर्विसमैन के बारे में हम इंतजार कर रहे हैं। हमें खतरा हो रहा है कि कहीं गिलोटिन न हो जाए।

श्री शरद पवार : कोई खतरा नहीं है, गिलोटिन 5 मिनट बाद भी हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, नेशनल सिक्यूरिटी पालिसी के बारे में बात कही गई, मैं बताना चाहता हूं कि हमने इस तरफ पूरा ध्यान दिया है। इस हुकुमत को बने हुए 2 महीने हुए हैं, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस ओर पूरा ध्यान दिया गया है। नेशनल सिक्यूरिटी कौंसिल की जो बात है।.....(व्यवधान)

रक्षा-उत्पादन के बारे में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इस साल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें निजी क्षेत्र के बारे में, इसको निजी क्षेत्र में लाने की जो बात थी .....(व्यवधान)

"वन रैंक-वन पेंशन" की जो बात कही गई, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन्होंने देश की सेवा की, उन सब भूतपूर्व सैनिकों के बारे में सरकार के मन में कोई अलग भावना नहीं है। उन्होंने देश के लिए जरूर त्याग किया है, सेवा की है, देश की भरसक सेवा की है, उनको याद करना हमारी जिम्मेदारी है और हम करना चाहते हैं। इस बारे में कुछ सवालों की ओर ज्यादा ध्यान दिया गया है, जैसे उनके लिए निवास की व्यवस्था, बैंकों द्वारा सहायता दिलवाने की व्यवस्था आदि। "वन रैंक-वन पेंशन" की जो बात है, इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैं इन्द्रजीत गुप्त जी की इस बात से सहमत हूं, उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन का कंसेप्ट ठीक नहीं है। यह कंसेप्ट ठीक है या नहीं, इस बारे में बाद में बात होगी, मगर श्री वी० पी० सिंह जी ने जो डिसीजन लिया था, इस बारे में बहुत चर्चा हुई है, उसमें "वन रैंक-वन पेंशन" का कांसेप्ट एक्सेप्ट नहीं किया था और एडहाकतौर से वह डिसीजन लिया गया था। उस डिमीजन में बताया गया कि 90 फीसदी लोगों की मदद होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90 फीसदी सैनिकों, जवानों की मदद इसमें होने वाली है। इस डिसीजन से जो जवान हैं, इनमें से साढ़े 8 फीसदी जवानों को फायदा होता है, बाकी लोगों को नहीं होता है। जो डिसीजन 1990 में लिया था, उसमें जवान भी सिर्फ सूबेदार मेजर तक थे, आफिसर्स की बात इसमें नहीं आई थी और जवानों में भी, 92 परसेंट जवानों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हम जल्दबाजी में कोई फैसला ले लें, इस तरह से मैं नहीं समझता कि हम जवानों की ठीक तरह से मदद कर सकेंगे। इसलिए सरकार ने इस बारे में तय किया है कि एक समिति गठित की जाए। यह समिति रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी और इसमें फाइनांस मिनिस्टर, रक्षा राज्य मंत्री, मिनिस्टर आफ स्टेट परसनल पब्लिक ग्रिवासेंस एण्ड पेंशन, मिनिस्टर आफ स्टेट ला एन्ड जस्टिस,

5 मेंबर आफ पार्लियामेंट और 4 एक्स-सर्विसमैन के प्रतिनिधि होंगे। इसके टर्म्स आफ रेफरेंस में कहा गया है—

[अनुवाद]

(क) पेंशन के वर्तमान ढांचे और रक्षा सेवा के पेंशन भोगियों की जो विभिन्न पदों पर विभिन्न समय में सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य सुविधाओं पर पुनर्विचार हेतु; और

(ख) रक्षा सेवा के सेवानिवृत्त व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए एक उचित दृष्टिकोण तैयार करने हेतु और इस प्रकार का तरीका अपनाने के लिए जिससे कि उनके मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके, सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने हेतु।

[हिन्दी]

इसमें 2 बातें मैं साफ करना चाहता हूं। एक तो वह कि वह जो कमेटी गठित की गई है, इसका निर्णय 31 दिसंबर 1991 से पहले हो जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं लेंगे।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं।

श्री शरद पवार : एक्सटेंड करने की संभावना नहीं है।

इसमें जो कुछ बेस हम ले रहे हैं, इस बेस में एक नवम्बर, 1990 को जो डिसीजन लिया था और जो बाद में एबेंस में रखा था उसको लेकर और इसमें क्या सुधार कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने का काम यह समिति करेगी। जो एक नवम्बर, 1990 को डिसीजन लिया था उस डिसीजन में कोई कमी नहीं आएगी, कोई कटौती नहीं की जायेगी। एप्रोच रहेगी इसमें सुधार करने के लिए, केवल बैनेफिट तक एप्रोच नहीं रहेगी। एक्स-सर्विसमेन को किस तरह से सुविधा दे सकते हैं, राज्य सरकारों को विश्वास में लेकर उनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस पर ध्यान देने का काम यह समिति करेगी। मुझे विश्वास है कि सदन के सदस्यों का इसमें सहयोग रहेगा।

मैं और समय सदन का नहीं लेना चाहता हूं। पिछले डेढ़ महीने में मैंने कई जगह पर विजिट किए, सियाचीन गया, जैसलमेर गया, नवल एक्सरसाइज देखी, उत्पादन विभाग, कानपुर का काम देखा, अनुसंधान संस्थान पुणे का काम देखा। सदन को यह बात कहने में मुझे खुशी है कि सियाचीन में, 22 हजार फिट पर बैठने वाले हमारे जवान हैं, उनका मोरल हाई है। देश की रक्षा करने के लिए वे हर जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं,। वहां आर्मी को अच्छी तरह से सहयोग देने का काम एयर-फोर्स द्वारा हो रहा है। नेवी की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए नेवी भी अच्छी तरह से काम कर रही है। इसलिए जहां तक देश की सुरक्षा की बात है, इसमें शामिल होने वाले सब लोग, छोटे से बड़े, अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी करेंगे और देश की रक्षा करेंगे और देश की रक्षा ठीक ढंग से कर रहे हैं इस चीज का हमें विश्वास होगा, इस तरह की नीति अपनाएंगे, यह कह कर मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं।

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, मैंने जोकट-मोशन दिए थे, रक्षा मंत्री जी द्वारा जो बातें बताई गयी हैं उनसे मैं सहमत हुआ हूं। इसलिए मैं वह कट-मोशन वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब यदि कोई माननीय सदस्य यह इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं कि उनके किसी कटौती प्रस्ताव को अलग से रखा जाए, मैं रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16 से 22 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करनु हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा संनांची राशियों से अनाधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : तालियां सबके लिए, कोंग्रेचूलेशन सब के लिए।

लोकसभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए रक्षा मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
रक्षा मंत्रालय					
16.	रक्षा मंत्रालय	554,60,00,000	56,38,00,000	554,59,00,000	56,39,00,000
17.	रक्षा पेंशन	874,84,00,000	....	874,83,00,000	....
18.	रक्षा सेवा सेना	4182,15,00,000	....	4182,15,00,000	
19.	रक्षा सेवा नौसेना	457,93,00,000	....	457,93,00,000	
20.	रक्षा सेवा वायुसेना	1060,39,00,000	....	1060,38,00,000	
21.	रक्षा आयुध निर्माण	350,00,00,000	....	13,89,00,000	
22,	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय		3087,46,00,000		2117,31,00,000

6.10 म० प०

शेष मांगों को सभा में मतदान के लिए रखना

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मंत्रालयों तथा विभागों से सम्बन्धित सभी बकाया अनुदान मांगों को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 के सामने दिखाये गये निम्नलिखित मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए, कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों, से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 और 6.

(2) नागर विमान और पर्यटन मंत्रालय संबंधित मांग संख्या 7 और 8.

(3) नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9.

(4) कोयला मंत्रायल से संबंधित मांग संख्या 10.

(5) वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 11 और 12.

(6) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 13 से 15.

(7) पर्यावरण और वन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23.

(8) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24.

(9) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 से 28, 30, 31, और 33 से 37.

(10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 39.

(11) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रलय से संबधित मांग संख्या 40 और 41.

(12) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 42 से 46.

(13) मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सबंधित मांग संख्या 47 से 50.

(14) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 55 और 56.

(15) श्रम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 57.

(16) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 58 और 59.

(17) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60.

(18) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग 61.

(19) कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62.

(20) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63.

(21) योजना और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64 से 66.

(22) विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 67 और 68.

(23) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70 से 72.

(24) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73.

(25) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74 से 76.

(26) वस्त्र मंत्रालय सें सबंधित मांग संख्या 77.

(27) शहरी विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 78 से 80

(28) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 81.

(29) कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82.

(30) परमाणु उर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 83 और 84.

(31) इलैक्ट्रोनिकी विभाग से संबंधित मांग संख्या 85.

(32) महासागर विकास विभाग से संबंधित मांग संख्या 86.

(33) अन्तरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 87.

(34) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 88.

(35) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 89.

(36) उपराष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 91.

(37) दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मांग संख्या 93.

(38) अंडमान और निकोबर द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से सबंधित मांग संख्या 94.

(39) दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित मांग संख्या 95.

(40) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित मांग संख्या 96.

(41) चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित मांग संख्या 97. तथा

(42) दमन और दीव राज्य क्षेत्र से संबंधित मांग संख्या 98.

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए रसायन और उर्वरक, नागर विमान और पर्यटन, तथा नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालयों आदि से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

मांग की सं०	मांग का नाम	29 जुलाई, 1991 को सदन द्वारा स्वीकृति लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	2	3	4	5	6
	रसायन और उर्वरक मंत्रालय				
1.	रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग	6,22,00,000	10,70,00,000	6,21,00,000	10,70,00,000
2.	उर्वरक विभाग	3041,38,00,000	47,35,00,000	1892,56,00,000	47,35,00,000
	नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय				
3.	नगर विमानन विभाग	21,41,00,000	13,92,00,000	21,41,00,000	13,91,00,000
4.	पर्यटन विभाग	32,00,00,000	13,20,00,000	32,00,00,009	13,20,00,000
	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय				
5.	नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	4,91,00,000	1,75,00,000	4,91,00,000	1,74,00,000
	कोयला मंत्रालय				

1 2	3	4	5	6
6. कोयला मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय	20,80,00,000	371,50,00,000	140,20,00,000	371,50,00,000
7. वाणिज्य विभाग	1215,78,00,000	787,29,00,000	217,77,00,000	387,28,00,000
8. आपूर्ति विभाग पर्यावरण और वनमंत्रालय दूरसंचार मंत्रालय	15,72,00,000	....	11.71,00,000	
9. संचार मंत्रालय	5,79,00,000	....	5,79,00,000	
10. डाक सेवाएं	762,55,00,000	31,35,00,000	762,54,00,000	31,45,00,000
11. दूरसंचार सेवाएं	2115,74,00,000	1318,00,00,000	2115,73,00,000	1317,99,00,000
12. पर्यावरण और वन मंत्रालय विदेश मंत्रालय	166,12,00,000	3,73,00,000	166,12,00,000	3,73,00,000
13. विदेश मंत्रालय वित्त मंत्रालय	259,08,00,000	33,42,00,000	259,08,00,000	33,43,00,000
14. आर्थिक कार्य विभाग	211,39,00,000	81,31,00,000	211,39,00,000	81,32,00,000
15. करेंसी, सिक्का और स्टाम्प	183,03,00,000	94,93,00,000	183,02,00,000	94,93,00,000
16. वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां	279,58,00,000	2701,68,00,000	236,21,00,000	2281,38,00,000
17. पेंशन	274,42,00,000	....	274,42,00,000	....
18. राज्य सरकारों को अन्तरण	2227,02,00,000	62,50,00,000	2227,01,00,000	62,50,00,000

1 2	3	4	5	6
19. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	....	110,40,00,000	....	110,40,00,000
20. व्यय विभाग	4,22,00,000	1,97,00,000	254,21,00,000	1,97,00,000
21. लेखा परीक्षा	134,68,00,000	...	134,67,00,000	....
22. राजस्व विभाग	40,49,00,000	87,00,000	40,49,00,000	87,00,000
23. प्रत्यक्ष कर	124,99,00,000	60,00,00,000	124,99,00,000	60,00,00,000
24. अप्रत्यक्ष कर	200,98,00,000	73,57,00,000	200,98,00,000	73,57,00,000
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय				
25. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	15,21,00,000	6,38,00,000	15,20,00,000	6,38,00,00
26. स्वास्थ्य विभाग	279,82,00,000	92,85,00,000	279,82,00,000	92,86,00,000
27. परिवार कल्याण विभाग	425,01,00,000	43,00,000	425,02,00,000	42,00,000
गृह मंत्रालय				
28. गृह मंत्रालय	159,50,00,000	6,50,00,000	159,50,00,000	6,50,00,000
29. मंत्रिमंडल	5,90,00,000	...	5,90,00,000	...
30. पुलिस	886,19,00,000	164,82,00,000	886,20,00,000	95,46,00,000
31. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	179,57,00,000	57,39,00,000	179,58,00,000	57,39,00,000
32. संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अन्तरण	48,50,00,000	26,72,00,000	48,51,00,000	26,71,00,000
मानव संसाधन विकास मंत्रालय				

1	2	3	4	5	6
33.	शिक्षा विभाग	899,42,00,000	30,00,000	902,45,00,000	30,00,000
34.	युवा कार्य और खेलकूद विभाग	56,10,00,000	1,10,00,000	56,11,00,000	1,09,00,000
35.	कला और संस्कृति	62,27,00,000	...	66,07,00,000	...
36.	महिला और बाल विकास विभाग	218,82,00,000	50,00,000	219,83,00,000	50,00,000
	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय				
37.	सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	50,68,00,000	2,80,00,000	50,67,00,000	2,80,00,000
38.	प्रसारण सेवाएं	406,96,00,000	178,61,00,000	406,95,00,000	178,62,00,000
	श्रम मन्त्रालय				
39.	श्रम मन्त्रालय	205,68,00,000	37,00,000	205,69,00,000	36,00,000
	विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय				
40.	विधि और न्याय	107,45,00,000		107,45,00,000	....
41.	कम्पनी कार्य विभाग	4,99,00,000	1,00,000	5,00,00,000	...
	खान मंत्रालय				
42.	खान मंत्रालय	70,85,00,000	9,90,00,000	56,84,00,000	9,90,00,000
	संसदीय कार्य मंत्रालय				

1	2	3	4	5	6
43.	संसदीय कार्य मंत्रालय	65,00,000	....	65,00,000	....
	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय				
44.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	26,09,00,000	57,00,000	26,10,00,000	58,00,000
	पैट्रोलियम और आधुनिक गैस मंत्रालय				
45.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	51,06,00,000	85,00,00,000	50,90,00,000	95,00,00,000
	योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
46.	योजना	27,14,00,000	8,45,00,000	27,14,00,000	8,45,00,000
47.	सांख्यिकी विभाग	26,18,00,000		30,27,00,000	
48.	कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग	36,00,000		49,00,000	
	विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
49.	विद्युत विभाग	227,91,00,000	1030,96,00,000	227,91,00,000	1030,96,00,000

1 2	3	4	5	6
50. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग	72,73,00,000	2,50,00,000	72,74,00,000	2,49,00.000
विमान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय				
51. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	97,52,00,000	12,48,00,000	154,09,00,000	22,48,00,000
52. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	134,29,00,000	1,70,00,000	134,29,00,000	1,70,00,000
53. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	24,97,00,000	3,00.000	48,97,00,000	17,00,000
इस्पात मंत्रालय				
54. इस्पात मंत्रालय	6,78,00,000	320,18,00,000	6,78,00,000	169,19,00,000
जल भूतल परिवहन मंत्रालय				
55. जल भूतल परिवहन	14,04,00,000	69,18,00,000	14.04,00,000	69,17,00;000
56. सड़कें	201,78,00,000	271,22,00,000	201,78,00,000	271,22,00,000
57. पतन दीपस्तम्भ और नौवहन	64,24,00,000	126,39,00,000	64,24,00,000	126,39,00,000
वस्त्रोद्योग मंत्रालय				
58. वस्त्रोद्योग मंत्रालय	389,46,00,000	89,90,00,000	389,46,00,000	89,90,00,000
शहरी विकास मंत्रालय				
59. शहरी विकास और आवास	85,86,00,000	61,16,00,000	205,86,00,000	104,71,00,000

1 2	3	4	5	6
60. लोक निर्माण कार्य	126,31,00,000	44,76,00,000	110,32,00,000	51,94,00,000
61. लेखन सामग्री और मुद्रण	48,33,00,000	1,90,00,000	48,34,00,000	1,90,00,000
जल संसाधन मंत्रालय				
62. जल संसाधन मंत्रालय	169,25,00,000	11,36,00,000	169,25,00,000	11,37,00,000
कल्याण मंत्रालय				
63. कल्याण मंत्रालय	227,24,00,000	9,52,00,000	242,95,00,000	9,53,00,000
परमाणु ऊर्जा विभाग				
64. परमाणु ऊर्जा	241,97,00,000	276,33,00,000	241,97,00,000	276,33,00,000
65. न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं	173,85,00,000	68,25,00,000	173,85,00,000	68,24,00,000
इलेक्ट्रानिकी विभाग				
66. इलेक्ट्रानिक विभाग	45,52,00,000	21,68,00,000	48,08,00,000	21,07,00,000
महासागर विकास विभाग				
67. महासागर विकास विभाग	19,42,00,000	3,44,00,000	19,91,00,000	3,44,00,000
अन्तरिक्ष विभाग				
68. अन्तरिक्ष विभाग	191,20,00,000	50,99,00,000	210,07,00,000	57,01,00,000
संसद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालय संघ लोक सेवा आयोग आदि				
69. लोक सभा	10,12,00,000	.....	10,12,00,000	.....
70. राज्य सभा	4,50,00,000	.....	4,51,00,000	.....
71. उप राष्ट्रपति सचिवालय	13,00,000		14,00,000	.....

1	2	3	4	5	6
	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र				
72.	दिल्ली	546,58,00,000	433,15,00,000	548,57,00,000	433,16,00,000
78.	अण्डमान और तिकोबार द्वीप समूह	84,40,00,000	92,81,90,000	84,41,00,000	64,25,00,000
74.	दादर और नागर हवेली	15,83,00,000	8,43,00,000	15,83,00,000	8,44,00,000
75.	लक्षद्वीप	20,00,00,000	6,20,00,000	20,01,00,000	6,19,00,000
76.	चण्डीगढ़	92,50,00,000	25,77,00,000	92,49,00,000	25,77,00,000
77.	दमन और दीप	12,09,00,000	6,94,00,000	12,09,00,000	6,94,00,000

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालयों/विभागों से सम्बन्धित शेष अनुदान की मांगों को पारित किया जाता है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, आपने उन मंत्रियों को छोड़ दिया है जिन्होंने कार्य नहीं किया है। **(व्यवधान)**

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक

6.15 म०प०

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित विधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री मनमोहन सिंह : मैं विधेयक** को पुर:स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी यह प्रस्ताव कर सकते हैं विधेयक पर विचार किया जाये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :—कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित विधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।" **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय : राम नाईक जी, जिन विषयों के सम्बन्ध में आपने मुझे नोटिस दिया है, अब उनके बारे में बोलने की आपको अनुमति दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा करने के लिए रूल

** दिनांक 5-9-1991 के भारत असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड में प्रकाशित। राष्ट्रपति कि सिफारिश से प्रस्तुत/पुर:स्थापित।

218 के अन्तर्गत मैंने नोटिस दिया है । इसमें जो सार्वजनिक महत्व के विषय हैं जिन पर यहां चर्चा नहीं हुई इस नियम के आधार पर मैंने नोटिस दिया है ।

पहला विषय जो सामने रखा है वह यह है कि श्रम मंत्रालय की चर्चा यहां नहीं हुई है । श्रम मंत्रालय की चर्चा में सबसे बड़े महत्व की मांग यह है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और बढ़ती हुई महंगाई पर कोई रोक नहीं लग रही है । पहले विश्वनाथ प्रतापसिंह जी और चन्द्र शेखर जी की सरकार में भी महंगाई बढ़ती गई, लेकिन अब तो वह दौड़ती नजर आ रही है । दो-तीन महीने में हम देखें कि 15 परसेंट से ज्यादा मूल्यों में वृद्धि हुई है । देश का सोना भी बाहर गिरवी रखा गया है । सारे चक्कर में जो सीमित आय वाले व्यक्ति हैं, जो वर्कर्स हैं उनकी जो आमदनी है वह कम होती जा रही है ।

हम जानते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाता है । वह कंजूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर दिया जाता है । इसलिए जितनी महंगाई बढ़ती है, उतना कंजूमर प्राइस इंडेक्स नहीं बढ़ रहा है जितना वह बढ़ता है उतनी महंगाई नहीं बढ़ती है, ज्यादा बढ़ रही है । इसलिए कंजूमर प्राइस इंडेक्स की रीकांस्टीट्यूट पुनर्गठन करने की आवश्यकता है । कंजूमर प्राइस इंडेक्स के कारण यह शत-प्रतिशत न्यूट्रिलाइजेशन होता है वो ही सीमित आय वालों को लाभ मिल सकता है । सरकार वादा किया था कि 100 दिन के अन्दर 1990 से पहले जो मूल्य थे वहां तक हम दामों को ले जायेंगे, वह बात अभी पूरों नहीं हो रही है । जो दाम बढ़ रहे हैं, कंजूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है उसके अन्दर शत-प्रतिशत न्यूट्रलाइलेशन डीयर अलाऊंस में मिलना चाहिए । इस प्रकार की मांग मैं रखना चाहता हूं और यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस बारे में सदन को आश्वासन दें कि यह कंजूमर प्राइस इंडेक्स रीकांस्टीट्यूट किया जायेगा । साथ ही साथ इस प्रकार की मेरी मांग है कि इसे रीकांस्टीट्यूट किया जाना जरूरी है । सारी ट्रेड यूनियंस ने भी···ऐसी मांग की है । इस बारे में जब गये साल भी काफी चर्चा हुई थी और कहा था कि एक समिति गठित की जायेगी । लेकिन अभी तक कंजूमर प्राइस इंडेक्स रीकांस्टीट्यूट नहीं हुआ है, वह करना चाहिए । सीमित आय वालों को शत-प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलना चाहिए । यह मेरी पहली मांग है ।

दूसरा विषय जो है वह अर्बन डवलमेंट के साथ स्लम इम्प्रूवमेंट के बारे में है । आप जानते हैं कि मुम्बई की जनसंख्या एक करोड़ से ज्यादा हो गई है उसमें 55 लाख लोग स्लम में रहते हैं । लगभग 25 लाख लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जमीन में रहते हैं ।

अब सैंट्रल गवर्नमेंट की जमीन पर जो स्लम्ज हैं, उनको सुविधायें देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना चाहिये, जो दिया हुआ नहीं है । इसलिए मेरी यह मांग है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी स्लम्ज हैं, मुम्बई शहर में है उनको एन० ओ० सी० देने का काम यह सरकार करे । ये मेरी दो मांगें हैं जो इस एप्रोप्रिएशन बिल के सवाल को लेकर में सदन के सामने रख रहा हूं ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, क्या आप उत्तर देंगे ?

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं। इसके लिए हमें 10·00 बजे नाटिस दे देना चाहिए। मैंने 10·00 बजे नोटिस दे दिया है। परन्तु सरकार उसका उत्तर नहीं दे रही है। इससे सरकार की अक्षमता प्रकट होती है।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री जी उत्तर देने जा रहे हैं।

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : औद्योगिक मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचो को वर्ष 1982 को आधार वर्ष मानकर 1988 में ही प्रभावी बनाया गया ऐसा था त्रिपक्षीय, सिद्धान्तों के पश्चात् ही किया गया था। यदि माननीय सदस्य अभी भी चाहते हैं कि सरकार पुनः इस पर विचार करे, तो मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि उस मामले में हम स्पष्ट रूप से विचार करेंगे।

श्री राम नाईक : दूसरा मुद्दा जो कि गन्दी बस्तियों की स्थिति में सुधार करने के सम्बन्ध में है, उसके बारे में आपने क्या सोचा है ?

अध्यक्ष महोदय : उसकी अनुमति नहीं दी गई। आपने इसे पढ़ा है परन्तु मैं केवल चुप रहा था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित विधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगी।

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : **अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री मनमोहन सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : "विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है तथा विधेयक पारित हो गया है ।

मैं समी माननीय सदस्यों को एक सही तरीके से बजट पारित करने के लिए बधाई देता हूं ।

6.24 म०प०

तत्पश्चात् लोकसभा शुक्रवार, सितम्बर 6, 1991/भाद्र 15 1913 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

———

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स दिल्ली-6